निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS	श्री विनोद कुमार गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Sh. Vinod Kumar Gaur, Chairman-cum-Managing Director श्री आर. के. मिश्रा, निदेशक Sh. R. K. Mishra, Director श्री दिनेश अरोड़ा, निदेशक Sh. Dinesh Arora, Director श्री संजय खताल, निदेशेक (वाणिज्यिक) Sh. Sanjay Khatal, Director (Commercial) श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त) Sh. V. Mohan, Director (Finance)
कंपनी सचिव COMPANY SECRETARY	श्री मो. राकिम Sh. Md. Raquim
कार्यापालक EXECUTIVES	श्री कुलदीप सिंह, वरिष्ठ महा प्रबंधक (उत्पादन /सामग्री प्रबंधन) Sh. Kuldeep Singh, Sr. General Manager (Prodn./MM) श्री बी. बी. साव, वरिष्ठ महा प्रबंधक (मानव संसाधन) Sh. B. B. Saw, Sr. General Manager (Human Resources) श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) Sh. Kaushik Rakshit, Sr. General Manager(Finance & Account) श्री ए. के. घिल्डियाल, अपर महा प्रबंधक (सतर्कता)/ मुख्य सतर्कता अधिकारी Sh.A. K. Ghildiyal, Addl. General Manager(Vig.)/C.V.O. श्री दीपक रस्तोगी, अपर महा प्रबंधक (विपणन) Sh. Deepak Rastogi, Addl.General Manager (Marketing) श्री प्रेम चन्द, अपर महा प्रबंधक (गुण नियंत्रण) Sh. Prem Chand, Addl.General Manager (QC) श्री एस. कुमारसेलवम,उप महा प्रबंधक/प्रमुख (अभियांत्रिकी) Sh. S. Kumaraselavam, Dy.General Manager (Engineering)
बैंकर्स BANKERS	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
सांविधिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS	सर्वश्री ललित गुप्ता एण्ड एसोसिएटस, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली M/s Lalit Gupta & Associates, Chartered Accountants, New Delhi
शाखा लेखा परीक्षक BRANCH AUDITORS	1. सर्वश्री वी. पी. सी. एंड एसोसिएटस, सनदी लेखाकार, कोलकाता(प.ब.) M/s V.P.C. & Associates, CA, Kolkata (W.B.) 2. सर्वश्री राव एंड रवी, सनदी लेखाकार, हैदराबाद(तेलंगाना) M/s Rao & Ravi, CA, Hyderabad(Telangana) 3. सर्वश्री इनानी एंड इनानी, सनदी लेखाकार, अहमदाबाद(गुजरात) M/s INANI & INANI, CA, Ahamdabad(Gujrat) 4. सर्वश्री पी.कृष्णन एंड एसोसिएटस, सनदी लेखाकार, चैन्नै (तामिलनाडु) M/s P.Krishnan & Associates, CA, Chennai(Tamilnadu) 5. सर्वश्री शंकर पी. अग्रवाल एंड एसोसिएटस, सनदी लेखाकार, श्री गंगानगर (राज.) M/s Shanker P. Aggarwal & Associates, CA, Sri Ganganagar(Raj.) 6. सर्वश्री जैन मितल चौधरी एंड एसोसिएटस, सनदी लेखाकार, हिसार (हरियाणा) M/s Jain Mittal Chaudhary & Associates, CA, Hisar(Haryana) 7. सर्वश्री बोहरा भंडारी बुंग एंड एसोसिएटस एल एल पी, सनदी लेखाकार, रायचुर (कर्नाटक) M/s Bohara Bhandari Bung and Associates LLP, CA, Raichur(Karnataka)
पंजीकृत कार्यालय REGISTERED OFFICE	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012 Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012

क्षेत्रीय प्रबन्धकों के पतों की सूची

ADDRESSES OF REGIONAL MANAGERS

1. श्री ए. ब्रिटू
   राष्ट्रीय बीज निगम लि.
   कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर
   हैब्बल, बंगलौर-560024 (कर्नाटक)

   Sh. A. Britto
   National Seeds Corporation Ltd.
   University of Agril. Sciences Campus
   Hebbal, BANGALORE-560024 (KARNATAKA)
   Ph. : 080-23415816, 23416824,23410159

2. श्री असीम गंगवार
   राष्ट्रीय बीज निगम लि.
   48-49, सैक्टर-बी, इंडस्ट्रियल एरिया
   गोविन्द पुरा, भोपाल-462023 (मध्य प्रदेश)
   Sh. Aseem Gangwar
   National Seeds Corporation Ltd.
   48-49, Sector-B, Industrial Area, Govind Pura
   BHOPAL-462023 (MADHYA PRADESH)
   Ph. : 0755-2787122, 2580271

3. श्री एस. एल. वाजपेयी
   राष्ट्रीय बीज निगम लि.
   प्लॉट नं. 388, इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-IX
   एस.ए.एस. नगर, मोहाली (पंजाब)
   Sh. S. L. Bajpai
   National Seeds Corporation Ltd.
   Plot No. 388, Indusrial Area Phase-IX,
   SAS Nagar,MOHALI (PUNJAB)
   Ph. : 0172-2214388, 2215388

4. श्रीमती पी. पी.आयशा
   राष्ट्रीय बीज निगम लि.
   22-सी, सीडको (उतर), औद्योगिक क्षेत्र,
   नजदीक टेलीफोन एक्सचैंज, अम्बातुर
   चेन्नई-600098 (तमिलनाडू)
   Smt. P.P. Ayesha
   National Seeds Corporation Ltd.
   22-C, SIDCO (N), Industrial Estate,
   Near Telephone Exchange Amatur,
   Chennai-600098 (Tamilnadu)
   Ph. : 044-26242363, 26256192

5. श्री के. सी. शर्मा
   राष्ट्रीय बीज निगम लि.
   चौमु हाउस (तबेला), सी-स्कीम
   सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान)
   Sh. K.C. Sharma
   National Seeds Corporation Ltd.
   Chomu House (Tabela)
   Sardar Patel Marg,C-Scheme
   JAIPUR - 302001 (RAJASTHAN)
   Ph. : 0141-2376760, 2365947

6. श्री पी. के. पटनायक
   राष्ट्रीय बीज निगम लि.
   सेक्टर 4 व 5, ब्लॉक-एक्यू, प्लॉट नं.12,
   साल्ट सिटी, कोलकाता-700016 (पश्चिम बंगाल)
   Sh. P. K. Patnaik
   National Seeds Corporation Ltd.
   Sector-IV & V, Block-AQ, Plot No. 12 Salt City,
   KOLKATA-700016 (WEST BENGAL)
   Ph. : 033-23671077, 23671074

7. डॉ. पकंज कुमार त्यागी
   राष्ट्रीय बीज निगम लि.
   569/153, बारा विरवा, पीकाडली होटल के नजदीक
   कानपुर मार्ग, लखनऊ-226004 (उत्तर प्रदेश)
   Dr. Pankaj Kumar Tyagi
   569/153, Barabirwa, Near Picadali Hotel,
   Kanpur Road , LUCKNOW - 226004 (UP)
   Ph. : 0522-2424825, 2424826 Fax-2421832

8. श्री ओंकार सिंह
   राष्ट्रीय बीज निगम लि.
   शेखपुरा, राजा बाजार, पटना-800014, (बिहार)

   Sh. Onkar Singh
   National Seeds Corporation Ltd.
   Sheikhpura, Raja Bazar
   PATNA - 800014 (BIHAR)
   Ph. : 0612-2287744,2280200,2280202

9. श्री संजय कुमार मेहता
   राष्ट्रीय बीज निगम लि.
   681-690, मार्किट यार्ड, गुलटेकड़ी
   पुणे-411037 (महाराष्ट्र)
   Sh. Sanjay Kumar Mehta
   National Seeds Corporation Ltd.
   681-690, Market Yard, Gultekdi
   PUNE - 411037 (MAHARASHTRA)
   Ph. : 020-24267059, 24264587, 24266584

10. श्री एम. वी. सुधाकर
    राष्ट्रीय बीज निगम लि.
    17-11,तुकाराम गेट, नार्थ लालागुडा
    सिकन्दराबाद-500017 (आन्ध्र प्रदेश)
    Sh. M. V. Sudhakar
    National Seeds Corporation Ltd.
    17-11,Tukaram Gate, North Lalguda
    SECUNDERABAD-500017(Andhra Pradesh)
    Ph. : 040-27731152,27730635

फार्मो के प्रभारी निदेशकों के पतों की सूची

ADDRESSES OF DIRECTORS INCHARGES OF FARMS

11. श्री नीरज वर्मा
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि. मी. सिरसा रोड,
हिसार-125001 (हरियाणा)
Sh. Neeraj Verma
National Seeds Corporation Ltd.
Cenral State Farm,
10 K.M., Sirsa Road,HISAR-125001(HARYANA)
Ph. : 01662-275581, 275797

12. श्री यश पाल सिंह
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला - श्रीगंगानगर (राजस्थान)
Sh. Yash Pal Singh
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Suratgarh
Distt. Sri Ganganagar (RAJASTHAN)
Ph. : 01509-220084, 220006, 220309

13. श्री राधेश्याम
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़
जिला - श्रीगंगानगर-335785 (राजस्थान)
Sh.Radheyshyam
National Seeds Corporation Ltd.
Cenral State Farm, Sardargarh
Distt. Sri Ganganagar-335785 (RAJASTHAN)
Ph. : 01509-238296

14. श्री आर. के. काँसवां
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला - श्रीगंगानगर-335709 (राजस्थान)
Sh. R. K. Kaswan
Central State Farm, Jetsar
Distt.:Sri Ganganagar-335709 (RAJASTHAN)
Ph. : 01498-261202, 261227

15. श्री एल. एस. मिश्रा
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, सिंधनुर,
रायचूर -584143 (कर्नाटक)
Sh. L.S. Mishra
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Sindhanur
RAICHUR -584143(KARNATAKA)
Ph. : 08583-201246

16. श्री पी. के. पटनायक
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, जेउएआरसी, नालहाटी
जिला : बीरभूम - 731220 (पश्चिम बंगाल)
Sh. P. K. Patnaik
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, ZARC,NAlhati
Distt.: Beervum-731220 (West Bengal)
Mob. : 08348206642

विषय सूची
CONTENTS

सूचना
Notice 06

अध्यक्ष का अभिभाषण
Chairman's Speech 12

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report 26

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां
Comments of the Comptroller & Auditor General of India 116

लेखा परीक्षाकों की रिपोर्ट
Auditors' Report 120

निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी
Addendum to the Directors' Report 142

तुलन पत्र
Balance Sheet 150

लाभ-हानि खाता विवरण
Statement of Profit & Loss Account 152

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां
Notes on Financial Statement........154

नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement 228

खण्ड रिपोर्टिंग
Segment Reporting 232

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली - 110012
(सी आई एन : U74899DL1963GOI003913)
"आई एस ओ 9001: 2008 & 14001:2004 द्वारा प्रमाणित
पंजीकृत कार्यालय : बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली -110012 (भारत)
फोन संख्या : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
ई-मेल-nsc@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com
Website : www.indiaseeds.com

संख्याः एनएससी/53 वीं वासाबै/2016-कं.सं. दिनांकः 09 सितम्बर, 2016

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 53वीं वार्षिक आम बैठक 30 सितम्बर, 2016 को पूर्वाहन 11.00 बजे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य करने के लिए होगी :-

सामान्य कार्यः

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि इसे सही समझा जाता है तो निम्नलिखित को संशोधन अथवा विना संशोधन के साथ साधारण संकल्प के रूप में पारित करना ।

1. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन :

"**संकल्प किया जाता है कि** 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षित लाभ-हानि खाता तथा इसी तिथि का तुलन पत्र तथा इन पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है ।"

2. लाभांश की घोषणा :

"**संकल्प किया जाता है कि** वित्त वर्ष 2015-16 के लिए निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 20 % की दर से लाभांश की घोषणा की जाती है ।"

3. लेखा परीक्षकों की नियुक्तिः

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार/एनसीड्स (8)626 दिनांक 17.07.2015 के द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक व शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर इनकी सहमति तथा उक्त पत्र में निर्धारित नियम एवं शर्तो तथा इनके मानदेय को निम्न प्रकार से अनुमोदित किया जाता है ।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India undertaking Miniratna Company)
(CIN: U74899DL1963GOI003913)

"An IS0 9001: 2008 & 14001:2004 Company
Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX,
NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Phones: 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
E-mail-nsc@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com
Website : www.indiaseeds.com

No. NSC/53rd AGM/2016-CS Dated: the 09th Sept.,2016

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 53rd Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited will be held on 30th September, 2016 at 11.00 AM at Registered Office of National Seeds Corporation Limited,(NSC) Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS:

"RESOLVED THAT Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2016 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby adopted."

2. DECLARATION OF DIVIDEND:

"RESOLVED that a dividend @ 20% of the Paid up Equity Share Capital of the Corporation for the Financial Year 2015-16 be and the same is hereby declared."

3. APPOINTMENT OF AUDITORS:

"RESOLVED that pursuant to the provisions of Section 139 & 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, and subject to the consent of the Auditors concerned on the appointment as Statutory Auditors and Branch Auditors respectively made by the Comptroller and Auditor General of India in respect of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2015-16 as per their letter No. CAV/COY/CENTRAL GOVERNMENT/ NSEEDS(8)/626 dated 17.07.2015 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:--

i)	क. सांविधिक लेखा परीक्षक - निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा क्षेत्रीय कार्यालय - चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल एवं मुख्यालय की लेखा परीक्षा के लिए ख. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखा परीक्षा कार्य, जिसे निदेशक मंडल द्वारा बाद में अनुमोदित किया गया ।	रु. 3,90,000/- रु. 50,000/-
ii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर एवं सिकन्दराबाद के लिए	रु. 56,000/-
iii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना एवं कोलकाता के लिए	रु. 56,000/-
iv)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के लिए	रु. 28,000/-
v)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रु. 28,000/-
vi)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रु. 75,000/-
vii)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रु. 25,000/-
viii)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रु. 25,000/-

निदेशक मंडल के आदेश से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह0/-
(मो. राकिम)
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

<u>नोट:</u>
दिनांक 30.09.2016 या उससे पहले सी.ए.जी. की टिप्पणियां न मिल पाने के कारण वार्षिक साधारण सभा जो कि 30.09.2016 को अधिसूचित थी, स्थगित होकर दिनांक 21.10.2016 को सम्पन्न हुई जब सी.ए.जी. की टिप्पणियां वित्तीय लेखों तथा अन्य कागजात सहित सभापटल पर रखी गई ।

i	a. Statutory Auditor- Consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of ROs at Jaipur, Chandigarh, Lucknow, Bhopal & Head Office. b. Towards Audit work relating to Internal Financial Control subsequently considered and approved by the Board.	Rs. 3,90,000/- Rs. 50,000/-
ii	Branch Auditor Regional Office (RO), Secunderabad & Bangalore	Rs. 56,000/-
iii	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna & Kolkata	Rs. 56,000/-
iv	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 28,000/-
v	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 28,000/-
vi	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 75,000/-
vii	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 25,000/-
viii	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 25,000/-

BY order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

(Mohd. Raquim)
(Company Secretary)

Place: New Delhi

NOTE:
Due to non-receipt of CAG comments as on 30.09.2016 or before, the Annual General Meeting which was scheduled for 30.09.2016 was adjourned for 21.10.2016 when the CAG comments were also tabled along with the Financial Statement and other documents.

टिप्पणी:

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखों की प्रति तथा उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस सूचना के साथ संलग्न है।
2. वित्त वर्ष 2015-16 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) को अग्रेषित किए गए हैं । सीएजी की टिप्पणी यदि कोई हो, को वार्षिक साधारण बैठक में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
3. एनएससी की छह सहयोगी कम्पनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) एवं उसके नियमों के अनुपालन में समेकित किए जाने चाहिए और एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ भी संलग्न किये जाने चाहिए थे, परन्तु कई अनुस्मारक पत्र भेजने के वाबजूद इन कम्पनियों ने अपने वित्तीय विवरण नहीं भेजे और कई कम्पनियों ने अपने वित्तीय विवरण को अन्तिम रूप नहीं दिया है । आवश्यक देरी से बचने के लिए एनएससी ने अपने वित्तीय विवरण बिना इन कम्पनियों के लेखों के तैयार कर दिए हैं । कार्पोरेट मंत्रालय से छूट लेने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से मामले को ले जाया गया है ।

4. वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के पात्र सदस्य को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है तथा प्रतिनिधि के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।

प्रतिलिपि

सेवा में,

1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सभी सदस्य ।
   i. प्रतिनिधि श्री ए.के.झा, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति ।
   ii. श्री वी.के.गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड- नई दिल्ली ।
   iii. श्री ए.के.झा, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषिभवन, नई दिल्ली ।
2. श्री आर.के.मिश्रा, अपर आयुक्त (बीज) भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली एवं निदेशक एनएससी ।
3. श्री दिनेश अरोड़ा, उप सचिव (वित्त), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली एवं निदेशक, एनएससी ।
4. श्री वी. मोहन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
5. श्री संजय बी. खताल, निदेशक (वाणिज्यिक), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।
6. मैसर्स ललित गुप्ता एडं एसोसिएट्स, 412, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001.
7. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वि. एवं ले.), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ।

NOTES:-

1. A copy of Financial Statements for the year ended 31st March, 2016 alongwith Reports of Directors and Auditors thereon accompany this Notice.
2. The Financial Statements for the year 2015-16 have been forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) U/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The comments, if any, of the CAG will be placed before the Shareholders at the Annual General Meeting.
3. There are 6 Associate Companies of NSC, whose financial statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite repeated reminders, these companies have not finalized and sent the same. In order to avoid needless delay, Financial Statement of NSC are placed accordingly without attaching the consolidated Statement as well as the Financial Statements of Associate Companies. Matter has been taken up with MCA through administrative Ministry for exemption.

4. A member entitled to attend and Vote at this meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and Vote in his/her place.

To,

1. All the Members, NSC Limited, New Delhi:-

   i. Hon'ble President of India through Authorized Representative Shri A.K.Jha, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
   ii. Shri V.K.Gaur, Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
   iii. Shri A.K.Jha, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

2. Shri R.K.Mishra, Addl. Commissioner (Seeds), GOI, MOA & FW, Krishi Bhawan, New Delhi & Director NSC.
3. Shri Dinesh Arora, Dy. Secretary (Finance), GOI, MOA&FW, New Delhi and Director, NSC.
4. Shri V. Mohan, Director (Finance), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
5. Shri Sanjay B. Khatal, Director (Comm), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
6. M/s Lalit Gupta & Associates, 412, Arunachal Bulding, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110 001.
7. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम - मिनीरत्न कंपनी)

"निगम की 53 वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण"

प्रिय शेयरधारकों,

1. मैं, निगम की 53 वीं साधारण बैठक में अपने आदरणीय शेयरधारकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके समक्ष निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2016 के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता हूं तथा आपकी अनुमति से इसे पढ़ा हुआ मान लेता हूं। मोटे तौर पर, विस्तृत कार्य निष्पादन विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं :

2. **कार्य निष्पादन विशिष्टताएं :-**

सर्वप्रथम मैं, माननीय शेयरधारकों के समक्ष यह उल्लेख करना चाहूंगा कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विगत वर्ष की भांति सामान्य से कम वर्षा के साथ-साथ गंभीर प्रतिकूल कृषि जलवायु परिस्थितियां देखी गई हैं। सबसे कम और सामान्य से कम वर्षा हरियाणा तथा पंजाब और राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में हुई थी जहां हमारे चार बड़े फार्म स्थित हैं। 2010 के बाद यह सबसे शुष्क मानसून स्थिति थी। कम वर्षा के कारण हमारे राजस्थान फार्मों पर बाढ़ का पानी प्राप्त नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरुप खरीफ 2015 और रबी 2015-16 में फसली क्षेत्र में कमी आई है। जलाशयों में बहुत कम पानी होने तथा नहर रोस्टर प्रणाली के साप्ताहिक अंतराल से पखवाड़े तथा त्रि - साप्ताहिक में बदलने के कारण भी फसल प्रभावित हुई है । जब फरवरी में रबी फसल परिपक्वता स्तर पर थी, तब वर्षा और ओलावृष्टि के कारण स्थिति और भी अधिक खराब हो गई। इन प्रतिकूलताओं के परिणामस्वरुप देश के समग्र खाद्यान्न उत्पादन को नुकसान हुआ है जो अत्यधिक मात्रा तक नीचे आ गया है। परिणामस्वरुप खाद्य तेल व दलहन के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

सूखे के बावजूद फार्मों के प्रदर्शन में, विशेषकर जल भंडारण व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में, चालू ढांचागत विकास प्रक्रिया के कारण सुधार हुआ है। समय से नए ट्रैक्टरों एवं अन्य मशीनरियों की खरीद से नमी संरक्षण और बुवाई सुनिश्चित हुई है। वर्ष 2015-16 और 2014-15 के दौरान क्रमशः रू. 30.78 करोड़ और रू. 18.77 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया।

लगातार सूखों के प्रभाव को कम करने हेतु विपणन एवं उत्पादन के क्षेत्र में प्रयास किए गए, जिनके परिणामस्वरूप नुकसान न्यूनतम रहा। कुल राजस्व रू. 90762.38 लाख की तुलना में रू.80549.58 लाख रहा। निगम ने पिछले वर्ष के रू. 87557.82 लाख की तुलना में रु. 76171.87 लाख का कारोबार किया है। कमी का मुख्य कारण सोयाबीन एंव मूंगफली की पैरेंटल लाईन मैटीरियल की समस्या के साथ-साथ प्रतिकूल कृषि जलवायु परिस्थितियाँ थी, जिनके कारण सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं और चने की खड़ी फसलें प्रभावित हुई। वित्तीय मोर्चे पर, हमने पिछले वर्ष के रु. 5730.60 लाख की तुलना में 51.34% की वृद्धि के साथ रु. 8672.74 लाख का सकल मार्जिन (ब्याज, मूल्यह्रास और कर पूर्व) प्राप्त किया। वर्ष के दौरान आपके निगम ने सरकार से रुपए 18.20 करोड़ की बट्टा खाता हुई पुरानी सब्सिडी को हासिल किया।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Sh. V. K Gaur, Chairman-cum-Managing Director

*** FROM THE DESK OF CMD, NSC**
53rd ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Shareholders,

1. I warmly welcome our esteemed Shareholders at this 53rd Annual General Meeting of your Corporation. I am placing herewith the Financial Statements for the year ended 31st March, 2016 along with Reports of Directors and Auditors thereon before you and with your permission; I take the same as read. Broadly, the highlights of the statement are as under:-

2. **PERFORMANCE HIGHLIGHTS:-**

At the outset I would like to brief the Hon'ble Shareholders that the year under review witnessed severe adverse agro climatic conditions like Previous Year with the rainfall below the normal. The rainfall was worst & below normal in Haryana and Punjab and Sri Ganganagar District of Rajasthan respectively where our four big Farms are situated. This was driest monsoon situation since 2010. Due to less rainfall, no floods were received in our Rajasthan Farms which resulted in less cropped area in Kharif 2015 and Rabi 2015-16. The crop sown also suffered as the reservoir were having very less water and canal roaster system was changed from weekly interval to fortnightly and triweekly intervals. However, subsequently the situation was further worsened due to rain and hailstorm in the month of February when Rabi crops were at maturity stage. These adversaries have resulted in overall loss of food grain production in the country which has come down to a substantial quantity. This resulted in substantial increase in import of edible Oil & Pulses.

Inspite of drought, the performance of the Farms has improved during the year due to the ongoing process of infrastructural development particularly in water storage & micro irrigation system. With the purchase of new tractors and other mechanization timely moisture conservation and sowing was ensured. The Capital Investment worth Rs. 30.78 crores and Rs. 18.77 crores were done during 2015-16 and 2014-15 respectively.

To mitigate the impact of consecutive drought, efforts were made at Marketing and Production front which resulted in minimum losses. The total revenue was Rs.80549.58 lac as against Rs. 90762.38 lac. The Turnover of the Corporation has been Rs. 76171.87 Lac as compared to Rs. 87557.82 lac last year. There is a shortfall which was mainly due to problem of parental line material of Soyabean & Groundnut as well as adverse agro-climatic conditions which affected the standing crops of Soyabean, Groundnut, Wheat and Gram. On financial front we could achieve, the gross margin (before interest, depreciation and tax) of Rs.8672.74 lac as compared to Rs. 5730.67 lac last year thereby showing an increase of 51.34 %. During the year, your Corporation realised old written off subsidy of Rs.18.20 crores from the Government.

लगभग सभी संस्थानों और विशेषकर राज्य बीज निगम, जो इन फसल समूहों में व्यापार कर रहे थे, ने भी इन्हीं समस्याओं का सामना किया और सामना की गई समस्याओं की गहनता को ध्यान में रखते हुए आपकी संस्था का कार्य निष्पादन अपेक्षित बेहतर रहा।

* रुपए 1000/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर से कमाई वर्ष 2014-15 के रुपए 717.05 की तुलना में रुपए 797.50 रही।
* इक्विटी शेयर के संबंध में, विलय के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती भारतीय राज्य फार्म निगम की समझौता ज्ञापन देयता 2011-12 की अदायगी में एनएससी द्वारा भारत के राष्ट्रपति को रु 1000/- प्रत्येक के 31490 शेयर आबंटित किए गए। इस प्रकार आपकी कंपनी का इक्विटी आधार पिछले वर्ष के रुपए 54,17,09,000/- की तुलना में बढ़कर रुपए 57,31,99,000/- हो गया है।
* आपके निगम की ऋण लिमिट में कुल प्रतिभूत ऋण रुपए 75.00 करोड़ रहा। एक अवसर पर तो अधिकतम ऋण सीमा रू.5.72 करोड़ की धनराशि को पार कर गई, जिस पर निगम को ऋण प्रक्रिया के मद रू. 50.74 लाख की धनराशि देनी पड़ी जोकि पिछले वर्ष की धनराशि रू. 63.23 लाख से कम है। बदलाव का कारण व्यापार की आवश्यकता थी।
* आपके निगम ने एनएससी के तहत विभिन्न राज्य बीज निगमों में निवेश किया है और 31.3.2016 तक निवेश की कुल राशि रुपए 901.87 लाख थी। निवेश किए गए कुछ निगमों से वर्ष 2015-16 के दौरान रू. 36.95 लाख का कुल लाभांश प्राप्त हुआ। हालांकि, आपके निगम ने भी रुपए 135.28 लाख की सीमा तक इस निवेश की गई राशि पर 15% लाभांश का भुगतान किया है। बिहार राज्य बीज निगम जो कि एमसीए के अनुसार एक निष्क्रिय कंपनी है, के संबंध में, वर्ष 2013-14 के दौरान रुपए 106.38 लाख के शेयरों के मूल्य में कमी का प्रावधान किया जा चुका है।

3. संक्षिप्त में कंपनी के वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं :-

वर्ष के दौरान निगम ने ग्रेच्यूटी, अवकाश भत्तों, बोनस, कर्मचारियों के लिए पीआरपी, पिछले 3 वर्षों की औसत पीबीटी के 2% के हिसाब से सीएसआर के लिए प्रावधान करने के पश्चात और आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आस्थगित कर और आयकर के लिए प्रावधान के उपरांत रुपए 43.41 करोड़ का निवल लाभ प्राप्त किया है।

वर्ष के दौरान मूल्यह्रास, ब्याज और कर के साथ-साथ असाधारण और पूर्व अवधि मदों से पूर्व लाभ ,वर्ष 2014-15 के दौरान रुपए 58.20 करोड़ से बढ़कर 47.53 % की वृद्धि के साथ रू 85.86 करोड़ रहा। 31.03.2016 को समाप्त वर्ष का कर पश्चात लाभ रू. 43.41 करोड़ है जो कि पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त रू. 38.84 करोड़ के लाभ से 11.76% अधिक है। मूल्यह्रास जोकि फार्मों तथा क्षेत्रीय कार्यालय के ढांचागत विकास के कारण पिछले वर्ष की तुलना में बढ़े मूल्यह्रास के प्रभाव पीबीडीआईटी की तुलना में पीएटी में बढोत्तरी घटी है।

निगम का निवल मूल्य 31.03.2015 पर रु. 511.99 करोड़ की तुलना में 31.3.2016 पर रू. 541.38 करोड़ था। 31.3.2015 पर रु. 546.12 करोड़ की तुलना में 31.3.2016 पर चालू पूंजी रु.562.71 करोड़ थी।

प्रजनक, आधारीय, प्रमाणित और पौधों सहित बीजों की बिक्री, विगत वर्ष 2014-15 के दौरान रू. 830.72 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान, रू. 707.83 करोड़ रही। निगम ने प्रदर्शन में 14.79% गिरावट दर्ज की। हालांकि, अनाज, तिलहन और दलहन के बीजों पर नकारात्मक प्रभाव के बावजूद निगम ने सब्जी , चारा और हरी खाद बीजों की बढ़ी हुई बिक्री के द्वारा सुधार सुनिश्चित किया है। विपणन पर काफी हद तक प्रभाव पिछले वर्ष बीज उत्पादन की उपलब्धता में बाधाओं के कारण रहा। कृषि जलवायु परिस्थितियों में अनियमितता के कारण बीज उत्पादन खरीफ में 20% और रबी में 58% तक प्रभावित हुआ।

फसलवार विशेषताएं इस प्रकार है:

(i) <u>**सोयाबीन बीज:**</u>- भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विधिवत नोटिस की गई बीज गुणन श्रृंखला में अव्यवस्था, संपूर्ण भारतीय समस्या है, के कारण प्रजनक और आधारीय बीजों की कमी से उत्पन्न लगभग 3.84 क्विंटल की कमी हुई।

(ii)<u>**मुंगफली बीज:**</u> सोयाबीन के समान ही उल्लिखित कारणों से लगभग 66000 क्विंटल बीज की कुल कमी देखी गई।

(iii) <u>**गेहूं :**</u> अनाज परिपक्वन/डफ चरण की अवधि में बहुत अधिक तापमान के कारण गेहूं की उपज कम हुई थी जिसके फलस्वरूप लगभग 1.65 लाख क्विंटल की कमी रही।

Almost all the Organizations and particularly the State Seed Corporations dealing with these crops groups also faced similar situation and considering the intensity of adversities faced, the performance of your organization has been comparatively better.

- Earning per Equity Share of Rs.1000/- each was at Rs. 797.50 in comparision to Rs. 717.05 during 2014-15.

- Regarding Equity Shares, 31490 Shares of Rs. 1000/- each fully paid up were allotted to the President of India by NSC in discharge of MoU Obligation 2011-12 of erstwhile SFCI in consequence of amalgamation. Thus the total Equity Base of your Company has been enlarged to Rs.57,31,99,000/- as against last year's Equity Base of Rs. 54,17,09,000/.

- The total secured loans in C.C. Limit of your Corporation remained to Rs. 75.00 Crores. At one point of time maximum CC utilization was Rs.5.72 crores and the Corporation paid an interest including loan processing fees of Rs.50.74 Lakhs this year as against Rs. 63.23 lakhs during last year. The reasons for variations were due to business needs.

- Your corporation has made investments in various State Seeds Corporations under NSP and as on 31.03.2016, the total amount of investment was Rs. 901.87 lakhs. A total dividend of Rs. 36.95 lakhs was received during the year 2015-16 from few of the investee Corporations. However, your Corporation has paid 15% dividend on these invested amount also to the extent of Rs.135.28 lakhs. In respect of Bihar Rajya Beej Nigam Limited (BRBN), which is a dormant Company as per MCA, provision for diminution in value of Shares of Rs.106.38 lakhs has been made during 2013-14.

3. The Financial results of the Company in brief are as follows:

During the year, the Corporation earned a Net Profit of Rs. 43.41 crores after making provision for Gratuity, Leave benefits, Bonus, PRP for employees, CSR at 2% of average PBT of last three years and provision for Income Tax and Deferred Tax as per the Income Tax Act, 1961.

The Profit before Depreciation Interest and Tax (PBDIT) including exceptional and prior period items during the year has increased by 47.53% to Rs. 85.86 Crores from Rs. 58.20 crores during 2014-15. Profit after Tax for the year ending 31.03.2016 is Rs. 43.41 Crores which is 11.76% more than the profit of previous year at Rs. 38.84 Crores. Increase in PAT in comparision to PBDIT has decreased due to the impact of depreciation which has increased in comparison to last year due to infrastructure development of Farms and Regional Offices.

The Networth of your Corporation as on 31.03.2016 was Rs. 541.38 crores compared to Rs.511.99 crores as on 31.03.2015. The working capital as on 31.03.2016 was Rs.562.71 crores compared to Rs.546.12 crores as on 31.03.2015.

The sale of seeds comprising Breeder, Foundation, Certified and Saplings during 2015-16 has been Rs. 707.83 crores as compared to Rs. 830.72 crores during the previous year 2014-15. The Corporation has witnessed a downfall in performance by 14.79%. However, despite the negative impact on seeds of Cereals, Oilseeds and Pulses the Corporation ensured to make it good through increased sales of Fodder, Vegetable and Green Manure Seeds. The impact on marketing has largely been due to constraints in availability of seed production taken up in the preceding year. The seed production was hit by 20% in Kharif and 58% in Rabi due to vagaries in Agro-Climatic Conditions.

The cropwise significance is as follows :

(i) **<u>Soyabean Seed</u>:** The shortfall was about 3.84 lacs qtls. arising out of shortage of Breeder and Foundation Seed due to disturbance in seed multiplication chain which has been an All India Crisis duly noticed by ICAR and Government of India.

(ii) **<u>Groundnut Seed</u>:-** There was over all shortfall of about 66000 qtls. due to similar reasons mentioned for Soyabean.

(iii) **<u>Wheat:</u>** Due to very high temperature during the period of Grain maturity/dough stage, the yield of Wheat was low resulting shortfall of about 1.65 lakhs qtls.

4. **लाभांश:-** आपके निदेशक मंडल ने निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 20% की दर से लाभांश की घोषणा के लिए सिफारिश की है, जिसमें रू. 2.33 करोड़ के लाभांश वितरण कर सहित रु.13.79 करोड़ की राशि खर्च हुई, जो कर पश्चारत लाभ का 31.78% है।

5. **श्रम शक्ति ढांचा सुदृढ़ करने और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने तथा उनकी तकनीकी कौशल स्थिति को बढ़ाने संबंधी उपाय:**
चूंकि किसी भी संगठन की समृद्धि और दर्शन के लिए श्रमशक्ति उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। भाराफानि के एनएससी के साथ विलय के बाद एकीकृत निगम के कर्मचारियों के कल्याण के लिए इस अवधि में उठाए गए प्रमुख कदमों में से कुछ इस प्रकार हैं :-

* ठहराव को दूर करने के लिए समूह पदोन्नति योजना की शुरुआत व कार्यान्वयन।
* कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली और कार्य निष्पादन संबंधी वेतन की शुरुआत।
* राष्ट्रीय बीज निगम के कार्मिकों हेतु कर्मचारी हितकारी सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत ।
* चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित सीमा में वृद्धि ।
* सेवा नियमों की सामान्य शर्तों का निर्धारण व अधिसूचना।
* छुट्टी एवं कार्यग्रहण संबंधी नियमों का निर्धारण व अधिसूचना।
* वेतन व भत्ते, राष्ट्रीय बीज निगम आचरण, अनुशासन व अपील नियम और ओपीडी तथा इनडोर उपचार के लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध करना।
* कर्मचारी पेंशन योजना को भी 01.04. 2015 से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।उक्त कार्यवाही निगम की कार्यप्रणाली को और अधिक व्यवस्थित करेगी तथा कर्मचारियों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी।

* **प्रशिक्षण:-**

संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यवसायिक कौशल को नए क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण हेतु एक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया गया ताकि संस्था में रचनात्मकता व उत्पादकता में बढ़ावा हो और इस वर्ष के दौरान बाहरी व आंतरिक दोनों ही स्रोतों से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विवरण निदेशकों की रिपोर्ट से देखे जा सकते हैं। हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के अलावा, अन्य कंपनियों के अधिकारियों सहित अन्य हितधारकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

* **राजभाषा कार्यान्वयन:-**
राष्ट्रीय बीज निगम सभी निर्धारित आवधिक प्रशिक्षणों, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करके राजभाषा हिन्दी को अपेक्षित मान्यता दे रहा है।

6. **अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां:-**

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां, मुख्यत: राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा की जाती हैं। हालांकि एनएससी बोर्ड ने अपनी खुद की अनुसंधान एवं विकास नीति अनुमोदित की है। इसके एक अंग के रूप में कंपनी ने किसानों के हित में यथोचित अंगीकरण सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त एनएससी ने अब आयातित किस्मों के प्रजनक बीज के संग्रहक (रिपॉजिटरी) के रूप में कार्य किया है। एनएससी ने यूरिया कोटिंग द्वारा बीज उपचार के साथ साथ मिट्टी प्रयोग, दानों के लिए एनईबी (नाईट्रोजन दक्षता बायोलिजिकल्स) के परीक्षण शुरू कर दिए हैं जिससे पैदावार बढ़ने के साथ-साथ यूरिया के इस्तेमाल में कमी सुनिश्चित होगी और बेहतर मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन होने के साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेगी।

7. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां:-

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन में रा.बी.निगम विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं को शुरू कर रहा है, जिन्हें निदेशकों की रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

8. समझौता ज्ञापन मूल्यांकन :-

वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय बीज निगम का प्रदर्शन लोक उद्यम विभाग द्वारा "बहुत अच्छा" घोषित किये जाने की पूरी-पूरी संभावना है।

4. DIVIDEND:

Your Board of Directors have recommended for declaration of Dividend @ 20% on the paid-up Equity Share Capital of the Corporation thereby absorbing an amount of Rs. 13.79 Crores including dividend distribution tax of Rs. 2.33 Crores in the Year which is 31.78% of PAT.

5. STEPS FOR STRENGTHENING THE MANPOWER SET-UP AND EMPLOYEES RELATED MEASURES FOR BOOSTING THEIR MORALE AND UPGRADING THEIR TECHNICAL SKILL STATUS:

As the manpower of any organization is back-bone for its performance & prosperity, some of the major achievements made during this period for the welfare of the employees of a unified Corporation after amalgamation of SFCI with NSC are as under:-

- Introduction and implementation of Cluster Promotion Scheme to remove stagnation.
- Introduction of Performance Management System and Performance Related Pay.
- Introduction of NSC employees Benevolent Social Security Scheme.
- Enhancement of ceiling for Medical Reimbursement.
- Framing and notification of General Conditions Service Rules.
- Framing and notification of Leave and Joining Time Rules.
- Pay & Allowances, NSC Conduct, Discipline and Appeal Rules & Empanelment of Hospitals for OPD and Indoor Treatment.
- Employees Pension Scheme also has been approved for implementation with effect from 01.04.2015.

As stated the above action will further systematize the working of the Corporation and will motivate the employees to improve the productivity.

- **Training:-**

Further, a focused approach was adopted to train the Officers/ Employees of the Organization for improving their professional skills even in new areas with a view to enhance the creativity and productivity of the organization and several training programmes both in house and from external sources were organized during the year. Details may be seen from Directors' Report. In addition to imparting training to our employees, the training was also arranged for other stake holders including officers from other companies.

- **Impetus to Hindi**:-

  NSC is also giving due recognitions for Rajbhasha Hindi by conducting all the prescribed periodical trainings, programmes, Workshops etc.

6. R&D ACTIVITIES:-

The R&D activities in agriculture are mainly done by National Agriculture Research System. However, NSC Board has approved its own R&D Policy. As a part of this the Company has done to ensure proper adoption in the interest of farmers. In addition NSC has worked now as repository of Breeder seed of imported varieties. NSC has also undertaken trials of NEB (Nitrogen Efficiency Biologicals) both for Seed Treatment as well Soil Application through urea coating which is expected to increase yields as well as ensure reduced application of urea leading to better soil health management as well as increase in farmers incomes.

7. CSR ACTIVITIES:-

To comply with mandatory provisions of Companies Act, 2013, NSC is taking up various CSR Projects as may be seen from Directors' Report.

8. MOU RATING:

Performance of NSC for 2014-15 has been adjudged as "Very Good" by DPE.

9. फार्म की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहायक गतिविधियाँ :-

* कृषि प्रचालनों के ओर अधिक कुशल संचालन को बढ़ावा देने के लिए संस्था ने ट्रैक्टर, कम्बाइन, उर्वरक छिड़काव यंत्र, तुलाचौकी, हैरो इत्यादि को खरीदा है और वर्ष के दौरान पुरानी मशीनरी को बदला गया है।
* इसके अतिरिक्त, जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए जल भंडारण टैंकों, टैंक के साथ फार्म माइनर का निर्माण, जल मार्ग का प्लस्तर और केंद्रीय धुरी प्रणाली की स्थापना की गई है।
* चारा फसल ब्लॉक उत्पादन के लिए परियोजना कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए गए।
* निगम, फार्मो से प्राप्त लाभ को बढ़ाने के लिए गैर कृषि भूमि क्षेत्रों का उपयोग करके सीपीएसई के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यूनियन कैबिनेट ने पहले ही प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कार्यवाही की जा रही है।
* स्वचलित बीज वेंडिंग मशीन की शुरूआत।

मूल रूप से एनएससी अपनी स्थापना से ही बीजों का उत्पादन उत्पादकों के द्वारा ही करवाता रहा है। हालांकि, एसएफसीआई का एनएससी के साथ विलय के उपरांत एनएससी का एसएफसीआई के पांच फार्म विरासत में मिले हैं, जो प्रजनक व आधारीय बीजों का उत्पादन कर रहे हैं और इस तरह के बीज 100% शुद्धता, विश्वसनीयता और क्षमता की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं । उत्पादन की स्वतंत्र गतिविधियों के लिए और अधिक अवसरों का लाभ उठाने के उद्देश्य से एनएससी ने क्रमशः पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की राज्य सरकारों से तीन और फार्मो को पट्टे पर लिया है। एनएससी अब अपने कुल 8 फार्मो पर राज्य सरकारों की अपेक्षानुसार, पैतृक बीजों का उत्पादन करने में सक्षम है। निगम की, भविष्य में उपयुक्त स्थानों पर और फार्मो की स्थापना की योजना है ताकि उत्पादकों पर निर्भरता कम करके पैतृक बीज उत्पादन के स्वतंत्र स्रोतों को बढ़ाया जा सके। गुणवत्ता पैतृक सामग्री से प्रभावित बीजों की गुणवत्ता और अधिक बढ़ेगी।

10. क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रक्षेत्र कार्यालयों की कार्य प्रणाली :

वर्तमान में 8 फार्मो के साथ-साथ, एनएससी के 10 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 65 प्रक्षेत्र कार्यालय हैं। क्षेत्रीय और प्रक्षेत्र कार्यालयों द्वारा, उत्पादकों के माध्याम से बीज उत्पादन, बीजों की खरीद और अंततः प्रमाणित या टी/एल बीजों में इसकी पैकिंग का कार्य निष्पादित किया जा रहा है। पिछले वर्ष से हमारे द्वारा अपने उत्पादन को विपणन के साथ जोड़कर और प्रत्येपक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए निर्दिष्ट बीज उत्पादन द्वारा पूरीबारीकी से योजनाबद्ध करके कार्यान्वयन किया जा रहा है। शिकायतें कम करने हेतु, गुणवत्ता संबंधी शिकायतों का निपटान आंतरिक रूप से किया जाता है और निगम पर देनदारी कम करने के लिए इस तरह के मामलों पर कोर्ट केसों का बचाव ठीक ढंग से किया जाता है।

11. निगम के अभियांत्रिकी विभाग का उत्थान:-

कृषि प्रचालनात्मक कार्यो को अधिक प्रभावी ढ्ग से संचालित करने के लिए निगम ने वर्ष के दौरान अपने स्वयं के संसाधनों से ट्रैक्टरों, कंबाइनों, भूमि समतलकों आदि को मशीनरी पूल में पुरानी मशीनरी से बदलने के लिए नीचे दिए गए विवरण अनुसार बढ़ाया है :-

(i)

विवरण	संख्या	राशि (रु. लाख में)
ट्रैक्टर	3	16.67
कम्बाईन	2	46.31
भूमि नियोजक	7	16.54
ट्रैक्टर मांउटेड फसल रीपर	7	18.90
स्प्रेयर	21	90.62
उभरी हुई क्यारी बुआई मशीन	7	9.25
न्यूमेटिक मक्का बुआई मशीन	4	25.80
डिस्क हेरो	2	3.96
कुल		228.05

9. SUPPORTING ACTIVITIES TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF THE FARMS.

- In order to facilitate agriculture operations more efficiently, the Corporation has added Tractors, Combines, Fertilizer Spreaders, Weighbridge, Harrow etc. and replaced old machinery during the year.
- Further construction of Water Storage Tanks, Farm Minor with Tank, Lining of Water Courses and installation of Central Pivot System were undertaken to maximise water use efficiency.
- Steps were initiated to implement the project for fodder block production.
- Corporation is also proceeding in the direction of installing Solar Power generation systems through another CPSE, utilizing the land areas which are not cultivable to maximise returns from Farms. Union Cabinet has already approved the proposal and action is being taken.
- Introduction of Automatic Seed Vending Machine.

Basically NSC has been getting the Production of seeds since its inception through Growers. However, after amalgamation of SFCI with NSC, five Farms were inherited by NSC from SFCI which are producing the breeder and foundation seeds, such seeds ensures 100 % purity, reliability and ability to confirm the commitment. In order to avail more opportunities for independent activities of production, NSC has subsequently taken up three more Farms on lease basis from the State Government of West Bengal, Jharkhand and Odisha respectively. With the total of eight Farms, now NSC is capable to produce the parental seeds based on the requirement of State Government. Hopefully all the farms are expected to be in Profit from next year onwards. Corporation plans to further establish Farms in suitable places so that the independent source of production of parental seeds may be enlarged thereby reducing the dependency of growers. With the quality parental material the quality of certified seeds will further improve.

10. WORKING OF THE REGIONAL OFFICES & AREA OFFICES:-

Presently in addition to eight Farms, NSC is having 10 Regional Offices and 65 Area Offices. Regional and Area Offices are performing the function of production of seeds through growers, procuring of seeds and finally packing it in certified or T/L seeds. From last year we have meticulously planned our production by linking it with in marketing and designated seed production for individual Regional Office is being implemented. RMs are also doing MOUs with production incharge. Focus is being given on marketing as availability of seeds has become surplus. Alongwith quality timely availability of seed is also being ensured. The quality complaints matters are dealt with internally to minimize complaints and the Court cases on such issues are defended properly to reduce the liability on the Corporation.

11. UPLIFTMENT OF ENGINEERING WING OF THE CORPORATION:-

In order to facilitate agriculture operations more effectively, the Corporation has added Tractors, Combines, Land Planner, Tractor mounted crop Reaper, Harrow, Sprayers etc. into the machinery pools for replacing old machinery during the year out of its own resources as per the details given below:-

(i)

Description	**No.**	**Amount(Rs. in lacs)**
Tractors	3	16.67
Combines	2	46.31
Land Planner	7	16.54
Tractor mounted Crop Reaper	7	18.90
Sprayers	21	90.62
Raised Bed Planter	7	9.25
Pnematic Maize Planter	4	25.80
Disc Harrow	2	3.96
TOTAL		228.05

ii) सिंचाई के पानी की सीमा को ध्यान में रखते हुए जल भंडारण टैंक, जल संचयन स्रोतों का निर्माण तथा 638 हेक्टेयर क्षेत्र में केंद्रीय धुरी प्रणाली को स्थापित किया गया है। सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए।

क्रम सं.	विवरण	उपलब्धि	राशि (रु.लाख में)	टिप्पणियाँ
1.	जल संग्रह टैंक	01 नग	245.55	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई के लिए वर्षा जल/ अधिशेष नहर के पानी का संग्रहण करने हेतु।
2.	केन्द्रीय धुरी पद्धति की स्थापना	9 नग	774.98	638 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए उचित तरीके से पानी के उपयोग हेतु।
3	नालों का स्तर	8.60 कि.मी.	144.50	रिसाव से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु।
4	डीप ट्यूबेल की स्थापना	09 नग	22.82	नहरों और टैंकों के माध्यम से सुरक्षित सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु।

विवरण	संख्या	राशि (रु.लाख में)	टिप्पणियाँ
बीज भंडारण गोदाम- 4 नग	4100 मीट्रिक टन	308.30	बीज के सुरक्षित भंडारण सुविधा में वृद्धि हेतु।
5 हेक्टेयर प्रत्येक जीओटी फार्म की स्थापना	02 नग	99.00	आधारीय बीज व जीओटी लॉटस के उत्पादन हेतु।
ढके हुए खलिहानों का निर्माण	05 नग	175.51	बीज के सुरक्षित भंडारण और प्रकृति के प्रकोप से बचाने के लिए
ईपीओ पर ढांचागत विकास	-	7.98	पाली हाउस, ग्रीन हाउस और नेट हाउस के सुदृढ़ीकरण के लिए।

(ii) Considering the limitation of irrigation water, Water Storage Tanks, Water Harvesting Structures were constructed and Center Pivot System had been installed in 638 ha. area. To increase the irrigation potential following works were taken up during the year.

Sl. No.	Description	Achievement	Amount (Rs. in lakhs)	Remarks
1.	Water Storage tank	01 No.	245.55	To store rain water/ surplus canal water for irrigation through micro irrigation system.
2.	Installation of Center Pivot Systems	9 Nos.	774.98	To utilize the water judiciously for Irrigation of 638 ha.
3	Lining of water courses	8.60Kms	144.50	To reduce seepage loses
4	Installation of Deep tube -wells	09 Nos.	22.82	To provide protective irrigation through canals and tanks

(iii) Infrastructure Development of Farms & ROs - The following works were carried out with the grant received from DAC &FW and with own funds. The details are tabulated below:-

Description	No.	Amount (Rs. in lakhs)	Remarks
Seed Storage Godowns - 4 Nos.	4100 MT.	308.30	For enhancement of safe storage facility of seeds.
Establishing GOT farms of 5 ha each	02 Nos.	99.00	To produce foundation seeds & GOT Lots
Construction of Covered Threshing Floors	05 Nos.	**175.51**	To have safe storage of seed and protect from vagaries of nature
Infrastructure developed at EPO	-	**7.98**	For strengthening of Poly House, Green house & Net House.

12 भावी दृष्टिकोण

मैं भारतीय अर्थव्यवस्था, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभवत 8% से अधिक की दर से बढ़ेगी जबकि वर्ष 2015-16 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.5% तक रहेगी, पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्रीय बजट और देश के आर्थिक प्रदर्शन की व्यापक दिशा को रेखांकित किया है। सर्वेक्षण ने सकल घरेलू उत्पादन गणना के नए सूत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 8% से अधिक की विकास दर का अनुमान लगाया है। हालांकि, उक्त की भविष्यवाणी सामान्य मानसून के आधार पर की गई थी।

आर्थिक सर्वेक्षण ने नई पहल के साथ कृषि अवसंरचना एवं अनुसंधान में निवेश बढ़ाया है और एक सामान्य बाजार की आवश्यकता पर बल दे रहा है। उनका कहना है कि सब्सिडी की प्राप्ति और बेहतर टारगेटिंग से कृषि में निवेश के लिए आवश्यक संसाधनों को भी मुक्त कर सकते हैं, इसके साथ-साथ सार्वजनिक व्यय का ध्यान सब्सिडी के प्रावधान से हटकर उत्पादकता को बढ़ावा देने की तरफ केन्द्रित होना चाहिए।

आपके निगम ने वर्ष के दौरान जिस दुर्भाग्य का सामना किया है, वह सामान्य प्राकृतिक कारकों और बाजार में मंदी की स्थितियों के कारण रहा है, जिससे कारोबार और लाभ में गिरावट हुई परंतु यह एक सामायिक घटना है। चालू वर्ष के दौरान, कम वर्षा के कारण, जो कि औसत से 14% कम है और लगातार दूसरा सूखे का वर्ष है, स्थितियाँ फिर चुनौतीपूर्ण हैं जिसके लिए प्रबंधन समझौता ज्ञापन में बजट लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न उपचारक उपाय कर रहा है। हम आपको आने वाले वर्षों में सुधार का आश्वासन देते हैं।

सरकार के समर्थन से आपका निगम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार के क्रम में पूर्वोत्तर परिषद के सहयोग से एक नए संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी की स्थापना कर सकता है।

सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका निगम कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए तैयारी कर रहा है।

दलहन के आयात को नियंत्रित करने/मूल्य नियंत्रित करने के लिए आपका निगम, अफ्रीकी कंपनियों में कृषक संघ के साथ समन्वय से अफ्रीकी कंपनियों में दलहन उत्पादन के लिए पहल कर रहा है।

आपका निगम कम कीमत पर उच्च पैदावार प्राप्त करने हेतु मौसम पुर्वानुमान और फसल संरक्षण के क्षेत्र में उच्च तकनीक युक्त बनने की योजना बना रहा है।

आपका निगम गैर बीज और विफल बीज को प्रभावी रूप से परिवर्तित करने के लिए मूल्य संवर्धन गतिविधियों में भी संलिप्त हो रहा है। इससे इस प्रकार के बीजों की बिक्री से लाभ में वृद्धि होगी।

13. अनुपालन पहलू:

(i) बोर्ड में स्वंतत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति के कारण लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका है, जिसके लिए प्रस्ताव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है। निगमित प्रशासन पर अन्य दिशा निर्देशों का पालन विधिवत किया जा रहा है। आपके निगम को नैगमिक शासन अनुपालन के मामलों में सरकार द्वारा "उत्कृष्ट" ग्रेड दिया गया है।

(ii) निगम, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और अनुसंधान व विकास के लिए, बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्णत: प्राप्त करके अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि अनियंत्रित कारणों से कुछ गतिविधियों में देरी हुई है। सीएसआर की शेष राशि को अगले वर्ष खर्च किया जाएगा। सीएसआर बजट का इस्तेमाल सामाजिक वानिकी और ग्रामीण विकास के लिए भी किया गया है। एनएससी, एमएसएमई अधिनियम और अन्य लागू कानूनों का भी अनुपालन करता है। इसके अतिरिक्त निगम में अन्य समितियाँ जैसे संचालन समिति, शिकायत समिति आदि हैं। बोर्ड द्वारा गठित जोखिम प्रबंधन समिति में उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए जोखिम के क्षेत्रों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। निष्कर्षत: निगम अपने ऊपर लागू सभी दिशानिर्देशों, लागू कानूनों आदि का पूर्ण अनुपालन कर रहा है।

12. FUTURE OUTLOOK

I would like to focus on India's economy which is likely to grow at a rate of more than 8 % for the Financial Year 2016-17, while consumer inflation will be upto 5.5 % as predicted in the Economic Survey for 2015-16. The economic survey outlined the broad direction of the Union Budget and the economic performance of the Country. The Survey forecasts a growth rate of over 8% for the financial year 2016-17 on the basis of the new GDP calculation formula. However, the above was predicted based on normal monsoon.

With the new initiative the Economic Survey has increased investments in Agricultural Infrastructure and research, and stressing the need for a common market. It also says rationalization and better targeting of subsidies can also free up resources required for investments in agriculture, adding that the focus of public expenditure should shift from provisioning of subsidies towards investments to boost productivity.

The low production and sales turnover which your Corporation achieved during the year was due to abnormal natural factors and slump market conditions which has resulted but this is a short time phenomena. Due to less rainfall during the year which was 14% below average and was the second consecutive drought year, the situation was again challenging for which management has taken various remedial measures to reduce the adverse impact on MoU and Budget Target. We assure you further improvements in the years to come.

With the support of Government, your Corporation is focussing on the North Eastern Regions and is likely to establish a new JV/Subsidiary Company in collaboration with the North Eastern Council in order to improve agricultural productivity in these Regions.

In order to fulfil the Government's objective, your Corporation also is preparing for skill development in agriculture and related areas.

In order to control import of Pulses/Price control your Corporation is taking initiative for Pulses production in African Countries, in coordination with Farmers Federation.

Your Corporation is also planning to go high-tech towards weather forecast and crop protection to have high yield at low cost.

Your Corporation is also engaged in value addition activities in order to effectively convert the non-seed and failed seed. This will improve the profitability from sales of these kind of seeds.

13. COMPLIANCE ASPECTS:

(i) Due to non-appointment of Independent Directors on the Board, the Audit Committee as well as nomination and Remuneration Committee could not be reconstituted for which the matter is pending with the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for consideration. Other Guidelines on Corporate Governance are being duly complied with. Your Corporation is graded as "Excellent" by the Government in the matter of compliance of Corporate Governance.

(ii) Regarding Corporate Social Responsibilities (CSR) and Research & Development (R&D), Corporation is performing well by attending the achievement of full targets as fixed by the Board. However, due to some reasons beyond our control, few activities got delayed. The unspent amount of CSR will be spent in next year. CSR Budget was also utilized for Social Forestry and Rural Developments. NSC is also complying with MSME Act and other applicable laws. In addition there are other Committees like Steering Committee, Grievance Committee etc. in the Corporation. The Risk Management Committee constituted by the Board has started reviewing the risk areas for taking remedial actions. To conclude, the Corporation is fully complying with all the applicable Laws, Guidelines etc. which were applicable to it.

14. आभार:

मैं इस अवसर पर आरदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, आदरणीय राज्य मंत्री, सचिव (कृषि, एवं किसान कल्याण), संयुक्त सचिव (बीज) तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन, सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक एवं शाखा परीक्षकों के समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं निदेशक मंडल के माननीय सदस्यों और निगम के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों का धन्यवाद एवं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन को हर संभव मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान किया है। मैं बैंकरों, उपभोक्ताओं, हितधारकों के प्रति भी उनके निरंतर समर्थन, विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ऐसे समर्पित और मेहनती कार्मिकों के साथ किसानों व अन्य माननीय हितधारकों के बहुमूल्य समर्थन से निगम आने वाले वर्षों में अधिक ऊँचाईयों पर पहुंचेगा और मील का पत्थर साबित होगा।

ह0/-
(विनोद कुमार गौड़)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.10.2016

* इससे आशय 53 वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही के हिस्से से नहीं हैं।

14. ACKNOWLEDGEMENTS:

I take this opportunity to place my sincere thanks and regards to Hon'ble Minister for Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, the Hon'ble Ministers of State for Agriculture, the Secretary (Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare), the Joint Secretary (Seed) and other Officers in the Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare. I am also grateful to Comptroller and Auditor General of India, the Statutory and Branch Auditors of the Corporation for their support and guidance. I would also like to place on record my sincere thanks and high appreciation to my esteemed colleagues on Board and to all the Officers and staff of the Corporation who have provided every possible guidance, support and assistance to the Management in achieving the targets. On behalf of the Shareholders and Management, I also convey my sincere thanks to the Bankers, Customers and other Stake Holders, for their continued support, confidence and trust bestowed upon your Corporation. I have a strong belief that with such dedicated and hard working workforce coupled with valuable support of our Farmers and other esteemed stakeholders in & enlarged, Corporation will establish further high ups and milestones in the years to come.

Sd/-
(Vinod Kumar Gaur)
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Dated: 21.10.2016
* This does not purport to be a part of the proceedings of 53rd Annual General Meeting.

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशक 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आपके निगम के व्यवसाय तथा कार्यकलापों पर निगम के संपरीक्षित लेखाओं के साथ अपनी 53वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के कार्यशील परिणाम पिछले वर्षों के आंकड़ों के साथ नीचे दिए गए हैं:

<u>वित्तीय विशेषताएं</u>

(i) कार्यशील परिणाम

(रूपये लाख में)

विवरण आय	**2015-16**	**2014-2015**
प्रचालन से राजस्व	76171.87	87557.83
अन्य आय	4377.71	3204.47
कुल	**80549.58**	**90762.30**
खर्चे :		
उपभोग की सामग्रियों की लागत	2669.17	2548.28
व्यापारगत माल की खरीद	51068.64	56699.87
तैयार माल, प्रक्रियाधीन माल तथा व्यापारगत माल की अनुसूची में परिवर्तन	(3618.66)	4725.16
कार्मिकों के लाभ के लिए किए गए खर्च	13692.14	12112.59
वित्तीय लागत	50.74	63.23
अन्य खर्चे	8065.55	8945.73
मूल्यह्रास	1831.03	2051.04
कुल	**73758.61**	**87145.90**
असाधारण कर पूर्व लाभ,असाधारण,पूर्व अवधि मदें और कर	**6790.97**	**3616.40**
असाधारण मदें {(आय)/व्यय}	(5.75)	(39.89)
असाधारण से पूर्व लाभ,पूर्वावधि मदें एवं कर	**6796.72**	**3656.29**
असाधारण मदें {(आय)/व्यय}	---	---
पूर्वावधि मदों से पूर्व लाभ एवं कर	6796.72	3656.29
पूर्व अवधि मदें (निवल) {(आय)/व्यय}	92.27	(49.32)
कर पूर्व लाभ	**6704.45**	3705.61
कर संबंधी खर्चे:		
चालू कर	2635.00	1625.00
आस्थगित कर	(271.62)	(1803.69)
कुल	**2363.38**	**(178.69)**
वर्ष के लिए लाभ	**4341.07**	**3884.30**

(ii.) प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन (रू.1000/- प्रत्येक का अंकित मूल्य) :

मूल तथा अवमिश्रित असाधारण मदों से पूर्व	797.50	717.05
मूल तथा अवमिश्रित असाधारण मदों के पश्चात	797.50	717.05

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors have the privilege in presenting the 53rd Annual Report on the performance of your Corporation for the financial year ended March 31, 2016 along with audited Financial Statements of the Corporation. The working results of the Corporation for the year under report are given as below along with the figures for the previous year:

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(a) Working results **(Amount in Rs. Lakhs)**

Particulars INCOME	**2015-16**	**2014-2015**
Revenue from Operations	76171.87	87557.83
Other Income	4377.71	3204.47
Total	**80549.58**	**90762.30**
Expenses :		
Cost of materials consumed	2669.17	2548.28
Purchases of Stock-in-Trade	51068.64	56699.87
Changes in inventories of finished goods work-in-progress and stock-in-trade	(3618.66)	4725.16
Employee Benefits Expense	13692.14	12112.59
Finance costs	50.74	63.23
Other Expenses	8065.55	8945.73
Depreciation	1831.03	2051.04
Total	**73758.61**	**87145.90**
Profit Before exceptional, extraordinary, prior period items and Tax	**6790.97**	**3616.40**
Exceptional items{(Income)/Expenses}	(5.75)	(39.89)
Profit Before extraordinary, prior period items and Tax	**6796.72**	**3656.29**
Extra ordinary item {(Income)/Expenses}	---	---
Profit Before prior period items and Tax	6796.72	3656.29
Prior period items(net) {(Income)/Expenses}	92.27	(49.32)
Profit Before Tax	**6704.45**	3705.61
Tax Expense		
Current Tax	2635.00	1625.00
Deferred Tax	(271.62)	(1803.69)
Total	**2363.38**	**(178.69)**
Profit for the year	**4341.07**	**3884.30**

(ii) Earnings per equity share (Face value of Rs.1000/- each.)

Basic & Diluted before extraordinary items	797.50	717.05
Basic & Diluted after extraordinary items	797.50	717.05

(i.) **फार्मों के कार्य :**

वर्ष के दौरान सूखे के वाबजूद मशीनीकरण , सिचाई एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के निरंतर प्रयास से फार्मो के कार्य निष्पादन में उन्नति हुई, जिससे वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के दौरान, क्रमशः रु. 18.77 करोड़ एवं रु. 30.78 करोड़ का पूजिंकरण किया गया। इस वर्ष सभी फार्मो के बिक्री के अनुपात में लाभ पिछले वर्ष की तुलना मे 5.74% रहा। यही अनुपात सूरतगढ़ फार्म का पिछले वर्ष के नुकसान की तुलना मे 30.86%, जैतसर फार्म का पिछले वर्ष का 9.01% के नुकसान की तुलना में 21.82 % तथा सरदारगढ़ फार्म ने पिछले वर्ष रुपये 6.48 करोड़ के नुकसान की तुलना मे इस वर्ष रुपये 94.00 लाख के नुकसान के साथ थोड़ी उन्नति की है ।

(ii.) वर्ष 2015.16 के दौरान, निगम ने रु.80549.58 लाख की कुल आय अर्जित की जबकि पिछले वर्ष निगम की कुल आय रू. 90762.30 लाख थी । इस प्रकार निगम ने रु 10212.72 लाख की कमी दर्ज की । यह कमी मुख्य रूप से सोयाबीन एवं मूंगफली की मूल सामग्री की समस्या के साथ-साथ प्रतिकूल कृषि जलवायु परिस्थितियों के कारण हुई, जिसके कारण सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं एवं चने की खड़ी फसल प्रभावित हुई । उपर्युक्त के वाबजूद, वर्ष 2015.16 के दौरान ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर से पूर्व सकल मार्जिन रू. 8672.74 लाख रही जबकि 2014-15 में रू. 5730.67 लाख थी । इस प्रकार निगम ने 51.34 % की वृद्धि दर्ज की है ।

(iii.) **पुंजीगत संरचना :**

निगम की 31 मार्च 2016 को प्रदत्त पूंजी रू. 5731.99 लाख थी, जिसमें प्रत्येक रू. 1000/- के 573199 इक्विटी शेयर हैं, इसमें वर्ष के दौरान बोनस शेयर के रूप आंवटित किए गए प्रत्येक रू. 1000/- के 31490 इक्विटी शेयर भी शामिल हैं । भारत सरकार के पास 100% चुकता अंश पूंजी है । आरक्षित निधि और अधिशेष रू. 45781.87 लाख से बढ़ कर रू. 48807.17 लाख हो गई है। वर्ष के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी खरीदने के लिए तथा बीज भंडार गृह एवं भवन का निर्माण करने के लिए प्राप्त पूंजीगत अनुदान को रू.682.41 लाख से पूंजीकृत किया गया तथा पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई परिसम्पसत्तियों पर रू. 747.08 लाख का मुल्यह्रास समायोजित किया गया । उल्लिखित समोजन के पाश्चात 31.03.2016 को पूंजीगत अनुदान आरक्षित निधि का शेष रू. 8773.82 लाख बचा, जबकि 31.03.2015 को यह रू. 8838.49 लाख था। 31.03.2016 को खर्च न की गई पूंजीगत अनुदान, प्रक्रियाधीन कार्य के कारण रू. 1367.87 लाख शेष रही जबकि 31.03.2015 को रू. 2295.51 लाख थी ।

(iv.) **ऋण:**

निगम ने भारतीय स्टेट बैंक से रु 75.00 करोड़ की सीमा तक नकदी ऋण (सीसी)लेने की सुविधा प्राप्त की हुई है । वर्ष के दौरान, निगम ने रू. 50.74 लाख का ब्याज एवं अन्य उधार लागत का भुगतान किया है, जबकि पिछले वर्ष रू. 63.23 लाख का ब्याज चुकाया गया था ।

(v) **निवेश :**

निगम का 31 मार्च 2016 तक विभिन्न राज्य बीज निगमों के इक्विटी एवं अधिमान्य शेयरों में रु 901.87 लाख का निवेश था। जिसमें से वर्ष 2013-14 के दौरान बिहार राज्य बीज निगम के रू. 106.38 लाख के शेयरों की लागत में कमी का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न राज्य बीज निगमों से रू. 36.95 लाख का लाभांश प्राप्त हुआ।

(vi) **लाभांश :**

वर्ष 2015 -16 के दौरान, निदेशक मंडल ने बहुमत के निर्णय के साथ निगम की चुकता अंश पुंजी पर 20 % लाभांश देने की अनुशंसा की है, जिस पर वर्ष 2015 -16 के लिए रू. 2.33 करोड़ का लाभांश वितरण कर (डीडीटी) सहित रू. 13.79 करोड़ की राशि को अवशोषित किया गया है । लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा ।

(i) **Working of the Farms:**

Inspite of drought the performance of the Farms has improved during the year due to the ongoing process of mechanization and irrigational and other infrastructural development under which capitalization worth Rs. 30.78 crores and Rs. 18.77 crores were done during 2015-16 and 2014-15 respectively. Profit to sales ratio this year for all farms combined is Rs. 5.74% against overall loss during the previous year. The same ratio for CSF, Suratgarh is 30.86 % against a loss during the previous year; CSF, Jetsar is 21.82 % against 9.01% during previous year and CSF Sardargarh has drastically improved its performance with a loss of Rs. 94.00 lakhs against Rs. 6.48 crores loss during the previous year.

(ii) During the year 2015-16, the Corporation achieved total Revenue of Rs. 80549.58 lakh as against Rs. 90762.30 lakh during the preceding year, registering Rs. 10212.72 lakh shortfall. The shortfall in performance was mainly due to problem of parental material of Soyabean & Groundnut as well as adverse agro-climatic conditions which affected the standing crops of Soyabean, Groundnut, Wheat & Gram. Inspite of the above, the gross margin before interest, depreciation and tax during 2015-16 is Rs. 8672.74 lakh compared to Rs. 5730.67 lakh of 2014-15, which has increased by 51.34 %.

(iii) **Capital Structure**

As on March 31, 2016, the paid-up share capital of the Corporation was Rs. 5731.99 lakh consisting of 573199 equity shares of Rs. 1000 each including 31490 equity shares of Rs. 1000 each allotted as Bonus Shares during the year. The Government of India held 100% of the paid-up share capital. Reserves & Surplus increased to Rs. 48405.69 lakh from Rs. 45781.87 lakh. During the year capital grant for purchase of Plant & Machinery and construction of Seed Stores & Buildings was capitalized for Rs. 682.41 lakh and depreciation charged on assets acquired against capital grant amount to Rs.747.08 lakh was adjusted. After carrying out above adjustments, balance in utilized Capital Grant as on 31.03.2016 remained at Rs. 8773.82 lakh as against Rs. 8838.49 lakh as on 31.03.2015.The unspent Capital grant, due to work in progress, remained at Rs. 1367.87 lakhs as on 31.03.2016 as against Rs. 2295.51 lakhs as on 31.03.2015.

(iv) **Loans**

The Corporation is having sanctioned Cash Credit (CC) Limit of Rs. 75.00 Crores from the State Bank of India. During the year, the Corporation has paid an interest and other borrowing costs of Rs. 50.74 Lakhs in comparison to Rs. 63.23 Lakhs in the previous year.

(v) **Investment**

Investment of the Corporation in various State Seeds Corporations (SSCs) in equity and preference shares as on 31st March, 2016 was Rs. 901.87 lakhs. Out of which provision for diminution in value of shares of Rs. 106.38 lakhs of Bihar Rajya Beej Nigam Limited has been made during the year 2013-14. A total dividend of Rs. 36.95 lakhs was received during the year 2015-16 from State Seeds Corporations (SSCs).

(vi) **Dividend**

During the year 2015-16, Board of Directors with the majority decision have recommended payment of dividend @ 20% on the paid up share capital of the Corporation, absorbing an amount of Rs. 13.79 Crores including dividend distribution Tax (DDT) of Rs. 2.33 Crores for the year 2015-16. Dividend will be paid after approval at the Annual General Meeting.

(vii) निगमित शासन :

निगम, कार्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, जिससे इसके समग्र व्यवसायिक लेन-देन में नैतिक व्यवहार, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और पारदर्शी प्रकटीकरण ने अपनी पकड़ मजबूत की है और इसके निदेशक मंडल, प्रबंधन एवं कार्मिकों के द्वारा सांझा की गई है।

निगम ने अपनी समग्र जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए अपने निदेशक मंडल की जानकारी हेतु आधुनिक प्रणालियों एवं पद्धतियों को स्थापित किया है और लम्बी आवधिक शेयर धारक मूल्य बनाने हेतु प्रबंधन के लिए एक राजनीतिक दिशा प्रदान करता है।

निगमित शासन पर एक रिपोर्ट **अनुबंध - ।।।** पर दिया गया है ।

अभ्यातसरत कम्पनी सचिव ने अपनी प्रमाणीकरण रिपोर्ट मे, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति का उल्लेख किया है । प्रशासनिक मंत्रालय के पास प्रस्ताव लम्बित है तथा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ।

यह बड़े हर्ष की बात है कि निगम को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए निगमित शासन के अंतर्गत भारत सरकार,कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/ लोक उद्यम विभाग द्वारा **'उत्कृष्ट'** का दर्जा दिया गया है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) ,आर /डब्लयु कंपनी
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसरण में सूचना

1. वार्षिक रिटर्न की कार्यवृत्त-प्रपत्र संख्या एमजीटी-9

31.03.2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष पर

(क) खंड-92 का उपखंड (3) के अंतर्गत प्रदान किए गए वार्षिक रिटर्न का कार्यवृत्त

I **पंजीकरण एवं अन्य विवरण :-**

(i) **सिनः-यू 74899डीएल1963जीओआई003913**

(ii) पंजीकरण की तारीख-**19.03.1963**

(iii) कंपनी का नाम - **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)**

(iv) कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी-**कृषि**

(v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण - **बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली**- 110012
दूरभाष संख्या -25843673, ई-मेलः mraquim@rediffmail.com बेवसाईट- www.indiaseeds.com

(vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है -**नहीं**

(vii) रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो- **लागू नहीं**

(vii) CORPORATE GOVERNANCE:

The Corporation strives to foster a corporate culture in which high standards of ethical behaviour, individual accountability and transparent disclosure are ingrained in all its business dealings and shared by its Board of Directors, Management and Employees.

The Corporation has established systems & procedures to ensure that its Board of Directors is well-informed and well equipped to fulfil its overall responsibilities and to provide the management a strategic direction to create long-term shareholder value.

A report on Corporate Governance is given in **Annexure-III**

Major observations in the Certification Report of Practising Company Secretary are with reference to absence of Independent Directors in the Board of Directors. Proposal is pending with the administrative Ministry and being continuously pursued for appointment of Independent Directors.

It is a matter of pleasure that for the Financial Year 2014-15, the Corporation has been graded as "Excellent" under Corporate Governance by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare/Department of Public Enterprises.

INFORMATION PURSUANT TO SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2013 r/w COMPANIES (MANAGEMENT & ADMINISTRATION) RULES,2014.

1. EXTRACT OF ANNUAL RETURN- FORM NO. MGT-9

As on the financial year ended on 31.03.2016

(a) The extract of the Annual Return as provided under sub-section (3) of Section 92;

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

(i) CIN:- **U74899DL1963GOI003913**

(ii) Registration Date- **19.03.1963**

(iii) Name of the Company- **National Seeds Corporation Limited(A Government of India Undertaking)**

(iv) Category/Sub-Category of the Company- **Agriculture**

(v) Address of the Registered Office and contact details- **Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012.** **Phone No. 25843673- e-mail:** mraquim@rediffmail.com/ **Website-www.indiaseeds.com**

(vi) Whether listed Company - **No**

(vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any- **N.A.**

II **कंपनी के प्रमुख व्यववसायिक क्रियाकलाप :**

कंपनी के कुल कारोबार का 10 %या उससे अधिक का योगदान सभी व्यवसायिक क्रियाकलापों में निर्दिष्ट होगा :-

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार प्रतिशत(%)
1.	अनाज	0001	40.40
2.	दलहन	0010	30.67
3.	तिलहन	3340	15.06
4.	चारा	0080	6.55
5.	रेशा	0031	0.65
6.	हरी खाद	0080 & 0032	2.00
7.	सब्जियाँ जिसमें आलू एवं रोपण सामग्री भी शामिल है ।	0063 & 0061	4.67

III **धारित, सहायक और एसोसिएट कम्पनियों का विवरण :**

क्र.सं.	**कंपनी का नाम एवं पता**	**सिन / जीएलएन**	**धारिता/सहयोगी/ एसोसिएट**	**शेयर का (%)**	**लागू नियम**
1.	हरियाणा राज्य बीज विकास निगम, बायस सं-3-6,सैक्टर -2, पंचकुला-134112	यू01122एचआर1974एसजीसी 007442	एसोसिएट	23.31%	कंपनी अधिनियम,2013 का 2(6)
2.	उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम लि.,पंत नगर, डाक-हल्दी-263146, जिला-उद्यमसिंह नगर (उत्तराखंड)	यू01122 यूआर 1969 एसजीसी 003228	एसोसिएट	23.44%	कंपनी अधिनियम,2013 का 2(6)

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company shall be stated:-

Sl.No.	Name and Description of main products/services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the Company
1.	Cereals	0001	40.40
2.	Pulses	0010	30.67
3.	Oilseeds	3340	15.06
4.	Fodders	0080	6.55
5.	Fibers	0031	0.65
6.	Green Manure	0080 & 0032	2.00
7.	Vegetable including Potato & Planting material	0063 & 0061	4.67

iii. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES-

S. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOL DING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
1.	Haryana State Seeds Development Corpn. Bays No.3 -6 Sector -2, Panchkula - 134112	U01122HR1974SGC 007442	Associate	23.31%	2(6) of the Companies Act, 2013
2.	Uttrakhand Seeds & Taria Development Corpn. Ltd., Pant Nagar, Post Haldi 263146, Distt. Udhamsingh Nagar (Uttrakhand)	U01122 UR 1969 SGC 003228	Associate	23.44%	2(6) of the Companies Act, 2013

3.	पंजाब राज्य बीज निगम लि., एससीओ 835-836,सैक्टर-22, चंडीगढ़ 160022	यू01122 सीएच 1976 पीएलसी003640	एसोसिएट	24.74%	कंपनी अधिनियम,2013 के 2(6)
4.	महराष्ट्र राज्य बीज निगम लि., महाबीज भवन, एनएच सं-6, अमरावती रोड, अकोला 444004	यू01200 एमएच 1976 एसजीसी 018990	एसोसिएट	35.45%	कंपनी अधिनियम,2013 के 2(6)
5.	आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लि.,5-10-13 द्वित्तीय तल, एचएसीए भवन, हैदराबाद-500044	यू01112टीजी1976 एसजीसी002015	एसोसिएट	32.64%	कंपनी अधिनियम,2013 के 2(6)
6.	बिहार राज्य बीज निगम लि., बैंक रोड, पटना	यू01111बीआर1977 एसजीसी 001294	एसोसिएट	20.91%	कंपनी अधिनियम,2013 के 2(6)

टिप्पणी- एनएससी के पास कोई एसोसिएट अथवा संयुक्त उद्यम नहीं हैं। यद्यपि उपरोक्त एसोसिएट कंपनियों को अपने लेखा परीक्षित विवरणों कोभेजने के लिए कई बार कहा गया परन्तु लेखा परीक्षित विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । इसलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 का खंड 129(3) के अनुसार एसोसिएट कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण निर्धारित नहीं किए गए । कार्पोरेट मंत्रालय को प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 2015-16 के लिए छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, चूंकि कुछ एसोसिएट कंपनियों ने समय पर अपनी लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया है । प्रशासनिक मंत्रालय को यह भी अनुरोध किया गया है कि ऐसे एसोसिएट कंपनियों में इनके द्वारा वापसी खरीद के माध्यम से एनएससी की हिस्सेसदारी में 20 प्रतिशत की कमी की जाए । यह प्रस्ताव विचाराधीन है । ये एसोसिएट कंपनियाँ राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं और इनके निदेशक मंडल में एनएससी का प्रतिनिधित्व भी कम संख्या में है, इसलिए इन पर एनएससी का कोई नियंत्रण नहीं है ।

3.	Punjab State Seeds Corpn. Ltd., SCO 835 - 836, Sector 22 , Chandigarh 160022	U01122 CH 1976 PLC0 03640	Associate	24.74%	2(6) of the Companies Act, 2013
4.	Maharashtra State Seeds Corpn. Ltd., MAHABEEJ BHAWAN, NH No. 6, Amravati Road, Akola 444004	U01200 MH 1976 SGC 018990	Associate	35.45%	2(6) of the Companies Act, 2013
5.	Andhra Pradesh State Seeds Development Corporation Ltd., 5-10-13, 2nd Floor, HACA Bhawan, Hyderabad-500044.	U01112TG1976 SGC002015	Associate	32.64%	2(6) of the Companies Act, 2013
6.	Bihar Rajya Beej Nigam Limited, Bank Raod, Patna.	U01111BR1977 SGC 001294	Associate	20.91%	2(6) of the Companies Act, 2013

NOTE: There is no subsidiary or Joint Venture Company of NSC. However, the above Associate Companies have been advised several times to send the copy of their Audited Financial Statement but the same are still awaited. Therefore, the consolidated Financial Statement along with the Associate Companies Financial Statement could not be prepared and laid as per Section 129(3) of the Companies Act, 2013. MCA has been requested through the administrative Ministry to exempt NSC for the year 2015-16 also since few of the Associate Companies are not finalizing their accounts in time. Administrative Ministry also has been requested to approve for reduction of NSC's stake in such Associates, below 20%, through buy-back route by the Associate Companies. The same is under consideration. The Associate Companies are under the administrative control of State Governments and NSC representative on the Board are in minority, hence do not have any control.

IV **शेयर धारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप) :**

(i) **श्रेणी अनुसार शेयर धारण**

शेयर धारकों की श्रेणी	**वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या**				**वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या**				**वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन**
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रोमोटर्स									
(i) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत / एचयूएफ	शून्य	541709	541709	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य
(ख) केन्द्रीय सरकार									
(ग) राज्य सरकार									
(घ) स्वायत निकाय									
(ड) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(च) अन्य कोई									
उप जोड़ (क) (1) :	शून्य	541709	541709	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य
(क) गैर प्रवासी व्यक्ति									
(ख) अन्य व्यक्ति									
(ग) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(ड) अन्य कोई									
उप जोड़ (क) (2) :प्रमोटर्स का कुल शेयर धारण	शून्य	541709	541709	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य
(क)= (क) (1)+ (क) (2)									
ख. सार्वजनिक शेयरधारक									
1. निर्देश									
(क) म्यूचल निधि									
(ख) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(ग) केन्द्रीय सरकार									
(घ) राज्य सरकार									
(ड) उद्यम पूंजी निधि									
(च) बीमा कंपनियां									
(छ) वित्तीय संस्थान									
(ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि			शून्य						
(झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
उप कोड (ख)(1) :-									
2. गैर संस्थान									
(क) निकाय									
(i) भारतीय									
(ii) विदेशी									
(ख) व्यक्तिगत									
(i) रु. 1.00 लाख तक शेयर पूंजी धारित व्यक्तिगत शेयरधारक									
(ii)01 लाख से अधिक शेयर पूंजी धारित व्यक्तिगत शेयरधारक									
(क) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
उप जोड़ - (ख)(2) :-									
कुल सार्वजनिक शेयरधारण (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)									
ग. जीडीआरएस और एडीआरएस के पास धारित शेयर									
कुल जोड़ (क + ख + ग)									

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of total Shares	
A. Promoters									
(I) Indian									
(a) Individual/HUF									
(b) Central Govt.	Nil	541709	541709	100%	Nil	573199	573199	100%	Nil
(c) State Govt(s)									
(d) Bodies Corp.									
(e) Banks/FI									
(f) Any other....									
Sub-total(A)-(I):	Nil	541709	541709	100%	Nil	573199	573199	100%	Nil
(a) NRIs Individuals									
(b) Other Individuals									
(c) Bodies Corp.									
(d) Banks/FI									
(e) Any Other.....									
Sub-total (A)-(2) :									
Total shareholding of promoter (A)=(A)(I)+(A)(2)	Nil	541709	541709	100%	Nil	573199	573199	100%	Nil
B. Public Shareholding									
1. Institutions									
(a) Mutual funds									
(b) Banks/FI									
(c) Central Govt									
(d) State Govt(s)									
(e) Venture Capital Funds									
(f) Insurance Companies									
(g) FIIs									
(h) Foreign Venture Capital Funds									
(i) Other (specify)			N	I	L				
SubTotal (B)(1):									
2. Non-Institutions									
(a) Bodies Corp.									
(i) Indian									
(ii) Overseas									
(b) Individual									
(i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh									
(ii) Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh									
(c) Others (specify)									
Sub-Total (B)(2):									
Total Public Shareholding (B)=(B) (1) + (B) (2)									
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)									

(ii) प्रोमोटर्स का शेयरधारण

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारण			वर्ष के अंत में शेयरधारण			वर्ष के दौरान धारित शेयरों के % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के लिए बंधक/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के लिए बंधक/ भारग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	541709	100%	शून्य	573199	100%	शून्य	---
2.								
3.								
	कुल	**541709**	**100%**	शून्य	**573199**	**100%**	शून्य	**---**

(iii) प्रोमोटर्स का शेयरधारण में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	541709	100%	541709	100%
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स शेयरधारण में तिथिवार वृद्धि/कमी को कारण सहित इंगित करें(जैसे कि आवंटन /स्थानातंरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	31490		31490	
3.	वर्ष के अंत में शेयरधारण	573199	100%	573199	100%

(iv) मुख्य 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न निदेशकों, प्रोमोटर्स एवं जीडीआर एवं एडीआर धारित के अलावा)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी शेयर	
	प्रत्येक 10 प्रमुख शेयर धारकों के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	लागू नही			
	तारीख के अनुसार वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि/कमी को कारण सहित इंगित करें(जैसे कि आवंटन/ स्थानातंरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	लागू नही			
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तारीख, यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	लागू नही			

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumber red to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumber red to total shares	
1.	President of India	541709	100%	Nil	573199	100%	Nil	---
2.								
3.								
	Total	**541709**	**100%**	**Nil**	**573199**	**100%**	**Nil**	**---**

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the year	541709	100%	541709	100%
2.	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/ sweat equity etc): 30.03.2016 Bonus Shares	31490		31490	
3.	At the end of the year	573199	100%	573199	100%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Top **10 Shareholders**	No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
	At the beginning of the year	N.A.			
	Date wise Increase/Decrease in share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease(e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc):	N.A.			
	At the End of the year (or on the date of seperation, if separated during the year)	N.A.			

(v)निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का शेयरधारण

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य		शून्य	
	वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स शेयरधारण में तिथिवार वृद्धि/कमी को कारण सहित इंगित करें(जैसे कि आवंटन/स्थानातंरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	शून्य		शून्य	
	वर्ष के अंत में	शून्य		शून्य	

V. ऋणग्रस्तता:

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया / उपर्जित ब्याज भी शामिल है परंतु भुगतान के लिए नही हैं।

	प्रतिभूत ऋण जमा को छोड़कर	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
(i) मूल राशि	11,10,68,890	2,06,73,855	---	13,17,42,745
(ii) देय ब्याज परंतु भुगतान नही किया	---	---	---	---
(iii) उपार्जित ब्याज परंतु देय नही	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (I + ii + iii)	11,10,68,890	2,06,73,855	शून्य	13,17,42,745
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
*** वृद्धि**	2,40,51,520			2,40,51,520
*** कमी**		1,46,80,314	शून्य	1,46,80,314
निवल परिवर्तन	2,40,51,520	1,46,80,314	शून्य	93,71,206
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
(i) मूल राशि	13,51,20,410	59,93,541	शून्य	14,11,13,951
(ii) देय ब्याज परंतु भुगतान नही किया	---	---	---	---
(iii) उपार्जित ब्याज परंतु देय नही	---	---	---	---
कुल (I + ii + iii)	13,5 1,20,410	59,93,541	शून्य	14,11,13,951

पिछले तुलन–पत्र में प्रत्याभूत श्रेणी के अंतर्गत दिखाई गए रु. 2,06,73,855 की प्रारम्भिक शेष राशि को इस वर्ष के दौरान “अप्रत्याभूत ऋण” के अंतर्गत पुन: वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसके विरुद्ध वर्तमान में कोई चार्ज नहीं है । यद्यपि सावधि जमा के तहत कुछ राशि धारणाधिकार के अंतर्गत बैंक में रखी गई है ।

ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर किया जा रहा है, इसलिए कोई देय एवं भुगतान योग्य राशि नहीं है ।

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For Each of the Director and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
	At the beginning ofthe year	Nil		Nil	
	Date wise Increase/Decrease in share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease(e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc):	Nil		Nil	
	At the End of the year	Nil		Nil	

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
(i) Principal Amount	11,10,68,890	2,06,73,855	---	13,17,42,745
(ii) Interest due but not paid	---	---	---	---
(iii) Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (i + ii + iii)	11,10,68,890	2,06,73,855	NIL	13,17,42,745
Change in Indebtedness during the financial year				
* Addition	2,40,51,520			2,40,51,520
* Reduction		1,46,80,314	NIL	1,46,80,314
Net Change	2,40,51,520	1,46,80,314	NIL	93,71,206
Indebtedness at the end of the financial year				
(i) Principal Amount	13,51,20,410	59,93,541	NIL	14,11,13,951
(ii) Interest due but not paid	---	---	---	---
(iii) Interest accrued but not due	---	---	---	---
Total (i + ii + iii)	13,5 1,20,410	59,93,541	NIL	14,11,13,951

The opening balance of Rs. 2,06,73,855 shown under Secured category in the previous Balance Sheet has been reclassified under 'Unsecured Loan' during this year as no charge exists against the same. However certain amount under Fixed Deposit has been placed with the bank under lien.

Interest is being paid on monthly basis, hence nothing is due & payable.

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मानदेय :

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा प्रबंधकों को मानदेय :

क्र.सं.	मानदेय का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशकों /प्रबंधक का नाम (राशि लाख रु. में)			कुल राशि लाख रु. में
		अ. एवं प्र. नि.	नि. (वित्त)*	नि. (वाणि.)	
1.	**सकल वेतन** (क)आयकर अधिनियम 1961 का नियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम 1961 का नियम 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों की लागत (ग) आयकर अधिनियम 1961 का नियम 17(3) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य परिलब्धियां ।	27.21 0.15	(1) 33.93 (2) 12.31 (1) 0.20 (2) शून्य	22.89 0.26	96.34 0.61
2.	स्टाक का विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन – लाभ का प्रतिशत – अन्य ब्यौरा दें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य कृपया ब्यौरा दें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (क)				शून्य
	अधिनियम के अनुसार सीमा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		27.36	46.44	23.15	96.95

*(1) श्री एम.एम. शर्मा, निदेशक(वित्त)04/2015 से 08/2015

(2) श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त) 09/2015 से 03/2016

ख. अन्य निदेशकों को मानदेय :

क्र.सं.	मानदेय का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
	3. स्वतंत्र निदेशक • निदेशक मंडल, समिति की बैठक में शामिल होने का शुल्क • कमीशन • अन्य कृपया ब्यौरा दें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल (1)					
	4. अन्य गैर कार्यपालक निदेशक • निदेशक मंडल, समिति की बैठक में शामिल होने का शुल्क • कमीशन • अन्य कृपया ब्यौरा दें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल (2)					
	कुल (ख) = (1+2)					
	कुल प्रबंधकीय मानदेय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा					

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL.

A. Remuneration to Managing Director, Whole-tune Directors and/or Manager:

Sl. No.	**Particulars of Remuneration**	**Name of MD/WTD/Manager (Amount Rs. in lakh)**			**Total Amount Rs. in lakhs**
		CMD	Director(F)*	Director (Comm)	
1.	Gross Salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income -ta x Act, 1961. (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income -Tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income -Tax Act, 1961	27.21 0.15 -	(1) 33.93 (2) 12.31 (1) 0.20 (2) Nil -	22.89 0.26 -	96.34 0.61 -
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission - as % of profit - others, specify.......	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total (A)				NIL
	Ceiling as per the Act	NIL	NIL	NIL	NIL
		27.36	46.44	23.15	96.95

* (1) Shri M.M.Sharma, Director(F) from 04/2015 to 08/2015

(2) Shri V. Mohan, Director (F) from 09/2015 to 03/2016

***B.* Remuneration to other directors:**

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
	3. Independent Directors • Fee for attending Board Committee meetings • Commission • Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total (1)					
	4. Other Non-Executive Directors • Fee for attending Board Committee Meetings • Commission • Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total (2)					
	Total (B) = (1+2)					
	Total Managerial Remuneration	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Overall Ceiling as per the Act					

ग. प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशकों / प्रबंधकों के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मानदेय :

क्र. सं.	मानदेय का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (राशि लाख में)			
		मु.का.अ.	मु.वि.अ.	कंपनी सचिव	कुल
1.	सकल वेतन				
	(क)आयकर अधिनियम 1961 का नियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	18.70	18.70
	(ख)आयकर अधिनियम 1961 का नियम 17(2)के अंतर्गत परिलब्धियों की लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	0.62	0.62
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 का नियम 17(3) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य परिलब्धियां ।				
2.	स्टाक का विकल्प	शून्य	शून्य		शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य		शून्य
4.	कमीशन - लाभ का प्रतिशत - अन्य, ब्यौरा दें	शून्य	शून्य		शून्य
5.	अन्य कृपया ब्यौरा दें	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं
	कुल	शून्य	शून्य	19.32	19.32

VII. दंड/जुर्माना/अपराध का समझौता :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड /जुर्माना/ अपराध पर लगाए शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एनसी एलटी कोर्ट)	अपील की गई यदि कोई हो, (विवरण दें)
(क) कंपनी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) निदेशक					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) चूक में अन्य अधिकारी					
दंड	(i) एनएससी आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम, 2013 के अंतर्गत मामूली दंडात्मक कार्रवाई के तहत पांच मामलों में दंड/जुर्माना लगाया गया । (ii) एनएससी आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम, 2013 के अंतर्गत प्रमुख दंडात्मक कार्रवाई के तहत छह मामलों में दंड/जुर्माना लगाया गया ।	--- ---	---- ---	एनएससी अपील आवरण,अनुशासन एवं अपील नियम, 2013 के अंतर्गत एनएससी अपील आवरण,अनुशासन एवं अपील नियम, 2013 के अंतर्गत	
जुर्माना					
समझौता					

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel (Amount in lacs)			
		CEO	CFO	C.S.	Total
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-Tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s17(2) Income-Tax Act,1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income -Tax Act,1961	N.A. N.A.	N.A. N.A.	18.70 0.62	18.70 0.62
2.	Stock Option	NIL	NIL		NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL		NIL
4.	Commission - as % of profit - others, specify.....	NIL	NIL		NIL
5.	Others, please specify	N.A.	N.A.		N.A.
	Total	NIL	NIL	19.32	19.32

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/ COURT)	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
B. DIRECTORS					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	(i) Five Pena lties/puishment awarded under Minor Penalty proceedings under NSC,CDA Rules,2013. (ii) Six penalties/ punishment awarded under Major penalty proceedings under NSC,CDA Rules,2013.	--- ---	---- ---	As per NSC, CDA Rules 2013 As per NSC, CDA Rules 2013	
Punishment					
Compounding					

2. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

2015-16 के दौरान पांच निदेशक मंडल की हुई बैठकों का ब्यौरा :

क्र.सं.	निदेशक मंडल की बैठक संख्या	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख
1.	261वीं	14.05.2015
2.	262वीं	17.08.2015
3.	262वीं स्थगित बैठक	28.08.2015
4.	263वीं	30.09.2015
5.	264वीं	30.12.2015
6.	265वीं	30.03.2016

3. निदेशकों की जिम्मेंदारी का विवरण :

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में सामग्री से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ साथ लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है ।

(ख) निदेशक मंडल ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया एवं उनका अनुप्रयोग किया गया तथा इस प्रकार के न्यायसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय किए एवं अनुमान लगाए,जो वित्त वर्ष के अन्त में निगम की अवस्थिति और इस अवधि के नियम के लाभ हानि खाते की सच्ची एवं स्वच्छ रुप रेखा प्रस्तुत करते हैं ।

(ग) निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लेखा बहियों के रखरखाव के लिए तथा निगम की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा को धोखे एवं अनियमितताओं से बचाव के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की है।

(घ) निदेशक मंडल ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए ।

(ड.) निदेशकों ने, सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पालन किया है तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी रुप से कार्य कर रहे थे। -लागू नहीं

कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है । हालांकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पालन किया गया है जोकि पर्याप्त है तथा 31.03.2016 को प्रभावी रूप से कार्यरत थे जैसे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में जांचा एवं प्रमाणित किया है ।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन हेतु शब्द "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" का अर्थ है कम्पनी के कारोबार को सुव्वस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाए गए नीतियों एवं प्रक्रियाओं से है। जिसमें कम्पनी के नीतियों का पालन,अपनी परिसम्पत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं इनका पता लगाना,लेखा-अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करना भी शामिल है, और

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनो के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की और इस तरह की व्यवस्थायें पर्याप्त थे एवं प्रभावी ढ़ग से कार्य कर रहे थे।

4. नियम 149 का उपनियम 6 के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर विवरण :

लागू नहीं, चूंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं हुई । प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय में विचाराधीन है ।

5. नियम 178 उपनियम 1 के अंतर्गत शामिल कंपनी के मामलों में, निदेशकों की नियुक्ति एवं मानदेय पर कंपनी की नीति जिसमें योग्यता का निर्धारण करने के मानदण्ड, सकारात्मक गुण, निदेशक की स्वतंत्रता एवं नियम 178 का उपनियम 3 के अंतर्गत प्रदान किए गए अन्य मामलें भी शामिल हैं।

2. Number of Meetings of the Board

Five Board Meetings held during 201516 as below:-

S.No.	Number of Board Meeting	Date of Board Meeting
1.	261st	14.05.2015
2.	262nd	17.08.2015
3.	262nd Adjourned	28.08.2015
4.	263rd	30.09.2015
5.	264th	30.12.2015
6.	265th	30.03.2016

3. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT.

(a) In the preparation of the Annual Accounts, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) The Directors had selected such Accounting Policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the State of Affairs of the Company as at 31.03.2016 and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate Accounting Records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities;

(d) The Directors had prepared the Annual Accounts on a going concern basis; and

(e) The Directors, in the case of a listed company, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. N.A.

The Company is not a listed Company. However, the internal financial controls to be followed which are adequate and are operating effectively as at 31.03.2016 were checked and certified by the Statutory Auditors in their report, as per the provisions of the Companies Act, 2013.

Explanation:- For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the Accounting Records, and the timely preparation of reliable financial information; and

(f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

4. A STATEMENT ON DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTORS UNDER SUB-SECTION (6) OF SECTION 149.

N.A. as there is no Independent Director appointed by President of India. Proposal is under consideration in the administrative Ministry.

5. IN CASE OF A COMPANY COVERED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 178, COMPANY'S POLICY ON DIRECTORS' APPOINTMENT AND REMUNERATION INCLUDING CRITERIA FOR DETERMINING QUALIFICATIONS, POSITIVE ATTRIBUTES, INDEPENDENCE OF A DIRECTOR AND OTHER MATTERS PROVIDED UNDER SUB-SECTION (3) OF SECTION 178;

निगम में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं हैं इसलिए मानदेय समिति गठित नही है और इसके परिणामस्वरूप काई मानदेय का भुगतान नही किया गया। वर्तमान निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं तथा प्रशासनिक मंत्रालय के नामिती हैं ।

6. निदेशक मंडल द्वारा प्रत्येक अर्हता, आरक्षण अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा किए गए दावे पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी –

(i) लेखा परिक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में, और (वार्षिक रिपोर्ट के प्रपत्र भाग)

(ii)अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा अपनी सचिवालीय लेखा परिक्षा रिपोर्ट में –लागू नहीं –

7. नियम 186 के तहत ऋण , गांरटी अथवा निवेश का विवरण :

ऋण एवं गांरटी को ' शून्य' माना जाए, जबकि राज्य बीज निगमों में निवेश रू. 906.88 लाख है ।

8. निर्धारित प्रपत्र में नियम 188 का उप नियम (1)में संबंद्ध पार्टियों के साथ अनुबंध अथवा व्यवस्था का विवरण :

किसी भी निदेशक ने इस तरह का विवरण नहीं दिया ।

टिप्पणी : एनएससी एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों के बीच लेनदेन – क्योंकि यह सभी सरकारी कम्पनियाँ हैं जोकि सरकारी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 एवं अधिनियम की धारा 188(1) का प्रावधान ।।। से छूट प्राप्त है ।

9. **शासकीय कार्य :**

(i) **लेखा परीक्षा समिति**

लेखा परीक्षा समिति का गठन सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 18(8)2005–जीएम दिनांक 14 मई, 2010 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। यद्यपि, 16 जनवरी, 2012 से की पदावधि समाप्त हो जाने के कारण लेखा परीक्षा समिति अब विद्यमान में नहीं है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद ही लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय के पास प्रक्रियाधीन है ।

(ii) **लेखा परीक्षक:**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स ललित गुप्ता एवं एसोसिएटस,सनदी लेखाकार को सांविधिक लेखा परीक्षक के रुप तथा अन्य सनदी लेखाकारों की फर्मो को शाखा लेखा परिक्षक के रुप में वित्त वर्ष 2015–16 के लिए नियुक्त किया।

(iii) **सूचना अधिकार अधिनियम 2005 :**

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान निगम ने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 105 आवेदन प्राप्त किए और 08 प्रथम अपील प्राप्त की और इन आवेदनों को समय–सीमा के भीतर निपटान किया गया। तिमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट को भी मुख्य सूचना आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार के पास प्रस्तुत किये गए। मुख्य सूचना आयुक्त के पास 03 मामले सूचीबद्ध किए गए, उनके आदेशों का विधिवत पालन किया गया ।

N.A. There is no Independent Director in the Corporation, therefore, Nomination and Remuneration Committee is not functioning and consequently no sitting fee is paid to them. The existing Directors are appointed by the Government of India and nominees of the administrative Ministry.

6. **EXPLANATION OR COMMENTS BY THE BOARD ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE-**

(i) BY THE AUDITOR IN HIS REPORT; AND
(Forms Part of Annual Report)

(ii) BY THE COMPANY SECRETARY IN PRACTICE IN HIS SECRETARIAL AUDIT REPORT;

N.A.

(iii) BY THE CAG ON THE FINANCIAL STATEMENT 2015-16.

Forming Part of Annual Report.

7. **PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186;**

Loans and Guarantees may be treated as 'NIL' whereas investment in SSCs & others is Rs. 906.88 lakhs.

8. **PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES REFERRED TO IN SUB-SECTION (1) OF SECTION 188 IN THE PRESCRIBED FORM;**

None of the Directors has reported any such details.

NOTE: The dealings between NSC and its Associates Companies, all of which are Government Companies, are exempt pursuant to Proviso III of Section 188 (1) of the Act r/w Govt. Notification dated 05.06.2015.

9. **STATE OF AFFAIRS.**

(i) AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was constituted in accordance with the directions issued by Department of Public Enterprises vide O.M. No. 18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010 on Corporate Governance for Public Sector Enterprises. However, with the expiry of the term of independent Directors w.e.f. 16.01.2012, the Audit Committee is not functioning as no Independent Directors have been appointed. The Audit Committee will be reconstituted upon appointment of independent Directors by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The proposal is under process in the administrative Ministry.

(ii) AUDITORS

The Comptroller and Auditor General of India appointed M/s Lalit Gupta & Associates, Chartered Accountants, the Statutory Auditors and other C.A. Firms were appointed as Branch Auditors for the financial year 2015-16.

(iii) RTI Act, 2005:

During the Financial Year 2015-16, Corporation received 105 Nos. applications & 08 First Appeals under the RTI Act and these were disposed off within time. Quarterly and Annual Returns were also submitted with Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and C.I.C. 03 Cases were listed before C.I.C., whose Orders were duly complied with.

(iv) **शेयरों की वापसी :**

वर्ष के दौरान निगम द्वारा शेयरों की वापसी नहीं की गई। इसलिए, कम्पनी अधिनियम,2013 के नियम 68 के अनुसार सूचना शून्य मानी जाए।

(v) **कार्य स्थनल पर महिलाओं का यौन शोषण के अन्तर्गत प्रकटीकरण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 :**

कम्पनी ने "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013" के अनुसार अपने यहाँ यौन शोषण के विरुद्ध एक नीति अपना रखी है। यौन शोषण से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। सभी कर्मचारियों (स्थाई, अस्थाई, संविदा आधार पर कार्यरत, प्रशिक्षु) को इस नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

वर्ष 2015-16 के दौरान यौन शोषण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(vi) **सम्प्रेषण का माध्यम :**

साधारण महा बैठक की सूचना, निगम के परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन, निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर अपलोड किए जाते हैं । स्टेकहोल्डर्स अपने सम्प्रेषण को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /निदेशक (वित्त) / कम्पनी सचिव को निगम के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012 पर भेज सकते हैं ।
ई-मेल- mraquim@rediffmail.com/ फोन नं. 25846295 एवं 25846272

(vii) **लेखा परीक्षा अर्हता :**

निगम का हमेशा यह प्रयास रहता है कि शर्त रहित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जाएं । 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबन्ध का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी में दिया गया है ।

(viii) **कम्पनी के अंशधारियों का पेटर्न :**

निगम के शत प्रतिशत अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम हैं ।

(ix) **व्हिसल ब्लोअर नीति :**

i. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीआईडीपीआई के अंतर्गत शिकायत दाखिल करने के तरीके को एनएससी की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ।
ii. लोकायुक्त अधिनियम 2013 के विवरण एवं प्रारूप को एनएससी की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ।
iii. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए रिकार्ड खुले हैं ।

(x) **निगम में सामाजिक उत्तरदायित्वि एवं सतत विकास :**

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसार, कम्पनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित प्रावधानों का अनुपालन किया है । निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विभिन्न कार्यकलापों के खर्च हेतु पिछली बचत के साथ-साथ : रु. 120.00 लाख का प्रावधान किया गया है । विभिन्न कार्यकलापों पर इस प्रकार की योजना बनाई गई है कि क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों का असर समाज के चुने हुए हिस्से् पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे ।

(xi) **सतर्कता रिपोर्ट :**

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार एनएससी, मुख्यालय, नई दिल्ली तथा देश भर में स्थित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / फार्मों में 26.10.2015 से 31.10.2015 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2015" मनाया गया । इस वर्ष "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" का विषय "सुशासन का एक साधन के रूप में निवारक सतर्कता" था । इस अवसर पर, कर्मचारियों को प्रतिज्ञा दिलाई गई और सप्ताह के विषय पर सीबीआई के अपर अधीक्षक द्वारा व्याख्यान दिया गया । व्याख्यान के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वाणिज्यिक), निदेशक (वित्त) एवं मुख्ये सतर्कता अधिकारी भी मौजूद थे । मुख्यालय के कर्मचारियों हेतु निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आयोजन किए गए । जांच अधिकारी / पेश अधिकारी की भूमिका तथा अनुशासनात्मक कार्य पद्धति पर दो सतर्कता कार्यशालाओं तथा कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निविदा प्रक्रियाओं का भी आयोजन किया गया ।

(iv) BUY BACK OF SHARES:

There was no buy back of shares by the Corporation during the year. Therefore, the information pursuant to Section 68 of the Companies Act, 2013 be treated as Nil.

(v) Disclosure under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

The Company has in place an Anti Sexual Harassment Policy in line with the requirements of "The Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013". Internal Complaint Committee (ICC) has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. All employees (Permanent, contractual, temporary, trainees) are covered under this policy.

No Sexual Harassment Complaints received during the Financial Year 2015-16.

(vi) MEANS OF COMMUNICATIONS

Notice for AGM, operational and financial performance of the Corporation has been uploaded on Corporation's website www.indiaseeds.com. Stakeholders can address their Communications to CMD/D(F)/C.S. of the Corporation at the Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi 110012.
e-mail-mraquim@rediffmail.com /Phone No. 25846295 & 25846272

(vii) AUDIT QUALIFICATIONS:

It is always the Corporation's endeavour to present an unqualified financial statement. Management's reply to the Statutory Auditors' observations on the Accounts of the Corporation for the year ended 31st March, 2016, if any, is forming part of Annual Report.

(viii) SHAREHOLDING PATTERN OF THE CORPORATION

100% shares of the Corporation are held by President of India.

(ix) WHISTLE BLOWER POLICY:

i. Procedure for filing complaint under PIDPI as per CVC guidelines has been uploaded on NSC website.
ii. The details and format of Lokayukt Act 2013 has been uploaded on NSC website.
iii. Records open to CAG.

(x) Corporate Social Responsibility & Sustainable Development:

As per Companies Act, 2013 and Companies (CSR Policy) Rules, 2014, the Corporation has been complying with the provisions concerning Corporate Social Responsibility. A Budget of about Rs. 120.00 lakhs was passed for funding along with previous savings various activities under CSR which were planned in a manner that the impact of implementation became visible on the selected segment of society.

(xi) VIGILANCE REPORT:

In accordance with the directives of Central Vigilance Commission, Vigilance Awareness Week-2015 was observed at National Seeds Corporation Limited, Beej Bhawan, PUSA Complex, New Delhi from 26.10.2015 to 31.10.2015 and in its Regional/Farms Offices. This year the theme of observing Vigilance Awareness Week was "Preventive Vigilance as a tool of Good Governance". At this occasion, the pledge was administered and a lecture was delivered by Additional Superintendent of Police, CBI, Delhi on theme of the week. During the lecture, CMD, NSC, Director (Commercial), Director (Finance) & Chief Vigilance Officer were also present. Essay & Quiz Competitions were organized for employees of Head Office. Two Vigilance workshops on Disciplinary proceedings & Role of IO/PO and tendering process were also organized to create awareness among the employees.

उपरोक्त के अलावा, निवारण उपाय के रूप में जैसे- निरीक्षण / आकस्मिक जांच / ठेकों की जांच भी आयोजित किए गए । लंबित अनुशासनात्मक मामलों एवं शिकायतों की नियमित रुप से निगरानी की जाती है । समय-समय पर प्रबंधन के साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त / डीओपीटी / डीपीई द्वारा जारी दिशा – निर्देशों के अनुसार, अनुशासनात्मक एवं सतर्कता मामलों पर उपर्युक्त सलाह प्रदान करने के लिए निरंतर बातचीत की जाती है ।

अपराध पर दण्ड/जुर्माना/ माफी

प्रकार	**कंपनी अधिनियम की धारा**	**अपराध का संक्षिप्त विवरण**	**दंड/जुर्माना/अपराध पर समझौता का विवरण**	**अधिकारी (आरडी/ एनसीएलटी/कोर्ट**
(क) कंपनी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई दंड / जुर्माना नहीं लगाया गया । हालांकि, निगम के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ।

(xii) प्रशिक्षण कार्यक्रम :

क्र.सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**तारीख/स्थान**	**आयोजन / संकाय**	**भाग लेने वालों का नाम**
1.	प्रथम पंक्ति के पर्यवेक्षकों के लिए पर्यवेक्षी विकास कार्यक्रम	21-22.05.2015 एन.एस.सी., मुख्यालय	मैसर्स वीएमसी प्रबंधन परामर्श प्राई. लि., नई दिल्ली।	26 प्रतिभागी
2.	सचिवालय लेखा परीक्षा	16.06.2015 स्कोप- नई दिल्ली	स्कोप - भारतीय कम्पनी सचिव का संस्थान ।	श्री मो. राकिम, कम्पनी सचिव
3.	अभिनव प्रशिक्षण अभ्यास	20.06.2015 स्कोप- नई दिल्ली	प्रशिक्षण एवं विकास हेतु भारतीय संस्थाए नई दिल्ली	श्री ए.के. घिल्डियाल, अपर महा प्रबंधक (सतर्क.) / मु.स.अ.
4.	मुख्य सतर्कता अधिकारियों का प्रशिक्षण	31.08.15-04.09.2015	सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद	श्री ए.के. घिल्डियाल, अपर महा प्रबंधक (सतर्क.) / मु.स.अ.

Apart from above, preventive measures like inspections/surprise checks/scrutiny of contracts were also conducted. Regular monitoring of pending disciplinary cases and complaints is being done. Regular interaction with Management is maintained for rendering suitable advice on Disciplinary/Vigilance matter as per guidelines issued by CVC/DOPT/DPE from time to time.

Penalties/punishment/compounding of offences:

Type	Section of the Companies Act	Brief description of offence	Details of penalty/punishment	Authority (RD/NCLT/Court)
(A) Company	NIL	NIL	NIL	NIL
(B) Directors	NIL	NIL	NIL	NIL
(C) Other	NIL	NIL	NIL	NIL

No punishment/penalty have been given under Companies Act, 2013. However, disciplinary actions have been taken under CDA Rules of the Corporation.

(xii) TRAINING REPORT

S. No.	Name of Programme	Date/place	Organised by/ Faculty	Attended by
1.	Supervisory Development Programme for first line supervisors	21 -22nd May, 2015 H.Q.	M/s VMC Management Consulting Pvt. Ltd. New Delhi.	26 Officers (Upto E -0)
2.	Secretarial Audit	16th June, 2015, SCOPE Convention Centre, Lodhi Road, New Delhi.	SCOPE- The Institute of Company Secretaries of India.	Shri M. Raquim, Company Secretary
3.	Innovative Training Practices	20th June, 2015 SCOPE Convention Cen tre, Lodhi Road, New Delhi.	India Society for Training & Development, New Delhi.	Shri A.K. Ghildiyal, DGM(Vig. & Trg)/CVO
4.	Chief Vigilance Officers Training	31.08.15 to 04.09.2015 at CBI Academy, Ghaziabad.	CBI Academy, Ghaziabad	Shri A.K. Ghildiyal, DG M (Vig.) & CVO

5.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए संवेदीकरण	11.09.2015 / एनएससी, मुख्यालय	डॉ. समिधा पाण्डेय, पटना	26 प्रतिभागी
6.	अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. की सेवाओं में आरक्षण	05.10.2015– 07.09.2015	आई.एस.टी.एम., नई दिल्ली	श्री राम नाथ तिवारी, सहायक अधिकारी (मा.सं.)
7.	समझौता मामलों पर प्रशिक्षण	07.10.2015– 14.10.2015	सिकन्दराबाद	सहा.महाप्रबंधक(वित्त) एवं लेखा अधिकारी सहित अवर सचिव (बीज)
8.	ओईसीडी विविधता प्रमाणीकरण	12–14.10.2015	एनएसआरटीसी, वाराणसी	-श्रीमती मौसमी सरकार कुंडु, सहायक प्रबंधक (गु.नि.), मुख्यालय -श्री जय प्रकाशए बीज अधिकारी, वाराणसी
9.	श्रम कानूनों पर नवीनतम निर्णयों पर कार्यक्रम	15.10.2015	सत्यम परामर्श प्राई. लि. / इण्डिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड़, नई दिल्ली ।	श्री शीलेन्द्र कुमार, उप महा प्रबंधक (मा.सं.)
10.	निवारक सतर्कता	26.10.2015	एन.एस.सी., मुख्यालय	मुख्यालय के सभी अधिकारी / कर्मचारी
11.	नवीन डिजाईन प्रशिक्षण स्तर –।।।	02–06.11.2015	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।	श्री बी.एस. रावत, सहायक अधिकारी (राजभाषा)
12.	सार्वजनिक खरीद एवं उद्योग क्षेत्र के लिए प्रतियोगिता पर कार्यशाला	17.11.2015	भारत के यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रायोजित, आईआईसीए, मानेसर, गुडगांव,	श्री कुलदीप सिंह, व. महा प्रबंधक (उत्पादन / सा. प्र.)
13.	बीज प्रमाणीकरण एवं बीज का विपणन	14–18.12.2015	कृषि प्रबंधन संस्थान, जयपुर	25 प्रतिभागी

5.	Sensitization for prevention of sexual harassment at work place	11.09.2015 at NSC HQ	Dr. Samidha Pandey, Patna	26 Participants (HQ Officers/employees only)
6.	Reservation in services of SC/ST/ OBC.	05.10. 2015 to 07. 10 .2015.	ISTM, New Delhi	Shri Ram Nath Tiwari, Asstt. Officer (HR).
7.	Training on MoU matters at Secunderabad.	07.10.2015 to 10.10.2015	Secunderabad	AGM(F&A) & AO (Accounts) along with US (Seeds).
8.	OECD Varietal Certification	12.10.2015 to 14.10.2015	NSRTC, Varanasi	Ms. Mousmi Sarkar Kundu, AM(QC), HQ Mr. Jai Prakash, SO, Varanasi.
9.	Programme on recent judgements in labour laws.	15.10.2015.	Satvam Consulting Private Limited, Habitat World at India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi.	Shri Sheelendra Kumar, Asstt. GM(HR)
10.	Preventive Vigilance	26.10.2015	NSC, HQ	All employees/ Officers of NSC.
11.	New Design Training Stage -III	02.11.2015 to 06.11.2015	Kendriya Aunwad Bureau, Paryavaran Bhawan, Lodhi Road, New Delhi.	Shri B.S. Rawat, Asstt. Officer (Hindi)
12.	Work shop on Public Procurement & Competition for Industry Sector.	17.11.2015	IICA, Manesar, Gurgaon Haryana Sponsored by delegation of the European Union of India.	Shri Kuldeep Singh, SGM(Prodn./MM)
13.	Seed Certification & Marketing of Seed.	14-18th December , 2015	RO, Jaipur at State Institute of Agriculture Management,	25 participants.

14.	शाकीय बीज उत्पादन	18-19.11.2015	केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़	100 किसान
15.	सीपीजीआरएएमएस का प्रशिक्षण संचालन	29.12.2015	कार्मिक लोक शिकायत एवं पैंशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली	श्रीमती शशि ढींगड़ा, स.नि.स.
16.	कटाई पूर्व एवं उपरान्त फसल प्रबंधन तकनीक	21-25.12.2015	आईसीएआर बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ, उ.प्र.	25 प्रतिभागी
17.	जय किसान-जय विज्ञान दिवस	29.12.2015	केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़	17 किसान
18.	बीज प्रशिक्षण पारम्परिक एवं गैर-पारम्परिक तरीके (बागवानी एवं जैविक खेती)	11-15.01.2016	केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़	25 प्रतिभागी
19.	पौध संरक्षण एवं बीज गुणवत्ता तकनीक	18-22.01.2016	एसआईएइटी, भोपाल	25 प्रतिभागी
20.	उत्पादकता में वृद्धि	16.02.2016	मानव संसाधन विकास केन्द्र, लाजपत नगर, नई दिल्ली ।	21 प्रतिभागी
21.	तनाव प्रबंधन एवं प्राकृतिक चिकित्सा	18.02.2016	मैसर्स विकप सामाजिक एवं धर्माथ न्यास, नागपुर	मुख्यालय के सभी कार्मिक
22.	बीज उत्पादन एवं कृषि क्षेत्र की गतिविधियों में प्रशिक्षण	26.02.2016-08.04.2016	केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़	गुरू काशी विश ववि़द्यालय, भटिण्डा, पंजाब के 36 विद्यार्थी - प्रशिक्षण (एमओयू)
23.	किसान प्रशिक्षण एवं कृषि उन्नत मेला का भ्रमण	19-21.03.2016	एन.एस.सी., मुख्यालय	120 किसान पटना / हिसार / मेरठ / करनाल / भरतपुर

14.	Vegetable Seed Production	18 -19.11.2015	CSF, Suratgarh	100 Farmers.
15.	Operation training of CPGRAMS	29.12.2015	M/o Personnel, Public Grievances & Pension Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi.	Smt. Shashi Dhingra, APS to D(F).
16.	Pre & Post Harvest Management Techniques.	21 -25 Dec., 2015.	RO, Lucknow at ICAR - Directorate of Seed Research (ICAR), Mau, U.P.	25 Participants.
17.	Jai Kissan -Jai Vigyan Diwas	29.12.2015	CSF, Suratgarh	17 Growers.
18.	Seed Testing Convention & Non Conventional Methods (Horticulture farming & Organic farming)	11 -15 January, 2016,	CSF, Suratgarh	25 Participants.
19.	Plant Protection & Seed Quality Techniques.	18 -22 January, 2016.	RO, Bhopal at SIAET, Bhadbad Road Barkhedal Kala, Bhopal.	25 Participants.
20.	Productivity Enhancement	16.02.2016	Human Resource Development Centre, Lajpat Nagar, New Delhi.	21 Participants.
21.	Stress Management and Naturopathy.	18.02.2016	M/s Vikap social & Charitable Trust, Nagpur.	All employees at HQ.
22.	Training in seed Production and agricultural field activities.	26.02.2016 to 08.04.2016	CSF, Suratgarh.	36 Students of University of Guru Kashi, Bathinda, Punjab -training (MOU)
23.	Farmers training & visit of Unnati Mela.	19.03.2016 to 21.03.2016.	NSC, HQ	Farmers from Patna/ Hissar/Meerut/Karnal/ Bharatpur (120 Farmers)

(xiii) **गुण नियंत्रण**

एनएससी की प्राथमिकता फसल किस्मों की एक व्यापक श्रेणी के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन एवं वितरण करना है । भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुसार कड़ाई से खेत स्तर के साथ-साथ बीज स्तर पर गुण नियंत्रण उपायों का पालन किया जा रहा है और किसानों के लिए गुणवत्ता वाले बीज सुनिश्चित करने हेतु सिफारिश भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुरूप बीज लॉट का प्रापण किया जा रहा है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गुण नियंत्रण विभाग द्वारा कई नई पहलें की जा रही हैं । अनुसंधान एवं विकास की नीति बनाई गई है तथा निदेशक मंडल से अनुमोदित कराया गया है । बीज परीक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और बीज परीक्षण में एकरूपता बनाए रखने के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या 6 से 4 तक कर दी गई है । गुण नियंत्रण प्रयोगशाला नई दिल्ली, भोपाल, सूरगतढ़ एवं सिकन्दराबाद में कार्यरत हैं । जहां पर इन प्रयोगशालाओं को नई परीक्षण सुविधाओं के साथ-साथ वैज्ञानिक उपकरणों के साथ उन्नयन किया गया है । गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं में 23483 बीज नमूनों का परीक्षण किया गया ।

केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर एवं सूरतगढ़ फार्म पर आधारीय एवं संकर बीजों की अनुवांशिक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खेतों पर ही बीज परीक्षण सुविधा (ग्रो आऊट टैस्ट) की स्थापना की गई है । अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्था (आईएसटीए) सचिवालय, स्विटजरलैंड से फैगस सिलवाटिका, ग्लाईसिन मैक्स, ट्रिफोलियम प्रेटैंस एवं ओरजा सतिवा धान में प्रत्येक के 4 नमूने प्राप्त हुए । आईएसटीए की मान्यता के लिए प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम के तहत परीक्षण किए गए ।

एनएससी के पास खेत स्तर पर बीजों की गुणवत्ता शिकायतों को निपटाने हेतु कार्य पद्धति है । जब भी गुणवत्ता शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका शीघ्र ही निपटान किया जाता है । यहां पर बीज स्टश्वक की पहचान के लिए एक नियमित व्यवस्था भी है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया में गैर मानक बन जाती है और गुणवत्ता नियंत्रण में से एक ही रूप में गैर बीज के रूप में इसके निपटान के लिए कार्यवाही की जाती है ।

उत्कृष्ट ग्रेडिंग के लिए समय सीमा के साथ समझौता ज्ञापन 2015-16 के दायित्व के अधीन संकर धान एवं धान की 2 फसलों पर आणविक बाजारों का परीक्षण किया गया ।

(xiv) **प्रस्वीकरण :**

आईएसओ 9001:2008 एवं ईएमएस 14001:2004

एनएससी गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम और पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम के लिए क्रमशः 19.03.2007 और 21.03.2009 से प्रमाणित है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैनुअलों में निहित प्रावधानों और विशिष्ट प्रक्रियाओं का एनएससी पालन कर रही है , आन्तरिक तथा वाहरी लेखा परीक्षकों से वार्षिक लेखा परीक्षा करवायी जाती है । इस लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, एनएससी को आईएसओ 9001:2008 के लिए दो वर्ष की अवधि हेतु पुनः प्रमाणित किया गया है जोकि 15.09.2018 तक वैध है और क्यूएमएस, आईएसओ 14001:2004 के लिए भी प्रमाणित किया गया है, जोकि 30.03.2018 तक वैध है।

(xv) **आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण:**

(क) **बीज भंडार गृहो एवं संयत्र भवनों का निर्माण :**

निगम ने वर्ष 2015-16 के दौरान 41,000 क्विंटल क्षमता के बीज भण्डारण का निर्माण किया । एनएससी के पास 31 मार्च, 2016 तक 12.11 लाख क्विंटल बीज भण्डारण की क्षमता एवं 13500 क्विंटल के लिए वातानुकूलित बीज भण्डार की क्षमता उपलब्ध है।

(ख) **बीज संसाधन क्षमता का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण:**

एनएससी के पास 31.03.2016 तक वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 21.86 लाख क्विंटल हो गई है ।

(xiii) QUALITY CONTROL:

NSC's priority is to produce and market high quality seeds of a wide range of crop varieties and hybrids so as to increase the agricultural productivity. Strict quality control measures are being followed as per Indian Minimum Seed Certification Standards(IMSCS), 2013 at field level as well as seed stage and the seed lots confirming to standard of IMSCS, 2013 are only procured to ensure quality seeds to the farmers.

Many new initiatives had been taken by QC, Division during the reporting period. R&D policy had been framed and got it approved in the Board. In order to improve the quality of seed testing and to maintain the uniformity in practices new equipments have been added to the laboratories. The no. of laboratories have been reduced from 06 to 04 to optimize resources particularly manpower. The Quality Control Laboratory at New Delhi, Bhopal, Suratgarh and Secunderabad are maintained where the laboratory facilities are upgraded with new and scientific equipments. Around 23483 seed samples were tested in the Quality Control Laboratories. All seeds lots are also analysed by a notified State Seed Testing Laboratory from the composite drawn sample in accordance with the prescribed procedure.

Two Grow Out Test (GOT) Farms have been established at CSF, Raichur and CSF, Suratgarh for conducting GOT of Foundation and Hybrid seeds for ascertaining its genetic purity. Four samples each of *Fagus sylvatica, Glycine max, Trifolium pratense and Oryza Sativa* were received from ISTA Secretariat, Switzerland and tested under Proficiency Test Programme of ISTA Accreditation.

NSC has proper mechanism to redress the quality complaint of seed at field level. The complaints are immediately redressed as and when received. There is also a regular system of identifying the seed stocks which have become sub-standard in the natural process and action is being taken for its disposal as non-seed as one of the quality control measures.

Testing of molecular markers were done in two crops i.e. hybrid paddy and pigeon pea under MoU obligation for 2015-16 within the time frame for excellent rating.

(xiv) Recognitions :

ISO 9001:2008 and EMS 14001:2004:

NSC is certified for Quality Management System and Environment Management System since 19.03.2007 and 21.03.2009 respectively. In order to ensure that NSC is following the provisions contained in the manuals and following the specified process, internal and external audit is conducted annually. As a result of this audit, NSC has been recertified for QMS, ISO 9001:2008 for a period of 2 years which is valid upto 15.09.2018 and also was certified for EMS, ISO 14001:2004 for which certification is valid till 30.03.2018.

(xv) Strengthening of infrastructure:

(a) Construction of Ware House & Plant Building :

Corporation added Ware Housing capacity of 41,000 Qtls. during the year 2015-16. NSC, now has a seed storage capacity of 12.11 lakh Qtls. and Air Conditioned seed storage capacity of 13,500 Qtls. as on 31.03.2016.

(b) Creation of Processing capacity and strengthening :

NSC having annual processing capacity of 21.86 lakh Qtls. as on 31.03.2016.

(ग) **निजी क्षेत्रों में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता :**

नोडल एजेन्सी के रूप में, निगम ने निजी क्षेत्रों में बीज उत्पादन बढ़ाने के घटक के लिए कृषि विस्तार एवं प्रोद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन को लागू किया है । आंध्रप्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के 41 इकाईयों को बैंक एण्डिड वित्तीय सहायता के लिए प्रदान की गई ।

(घ) **परामर्श सेवा :**

एनएससी ने बीज संसाधन संयंत्रों पर परामर्श देने का कार्य आरम्भ कर दिया है। इसी क्रम में गुजरात राज्य बीज निगम से एक परियोजना प्रक्रियाधीन है ।

(ड) **चारा ब्लॉक इकाई :**

प्रति घण्टा 2 टन विनिर्माण क्षमता का चारा ब्लॉक इकाई का कार्य प्रगति पर है और यह शीघ्र ही विनिर्माण कार्य करना शुरू करेगा ।

(च) **सूचना तकनीक :**

एनइजीपी–ए योजना के अंतर्गत सभी इकाईयों, उप इकाईयों एवं फार्मों को हार्डवेयर के साथ पुन: सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त निगम में निम्नरलिखित गतिविधियां चल रही हैं :-

1. सूचना तकनीक की बुनियादी सुविधायें
2. ईआरपी (बीज प्रबंधन) एप्लीकेशन का कार्यान्वयन
3. वेबसाईट का रखरखाव जिसमें ट्वीटर व फेसबुक भी शामिल है
4. ई–खरीद का कार्यक्रम

लेखा खातों को इलैक्ट्रोनिक मोड में रखे जाने की पद्धति:

एनएससी के पास वेब आधारित 'बीज प्रबंधन ' एप्लीकेशन है जिसमें उत्पादन, विपणन स्टॉक, एवं वित्त के मॉडयूल सम्मिलित हैं। लेखा खातो को एक समर्पित सर्वर सी–डैक, नोएडा (आईएसओ 27001:2013 मानक) पर इलैक्ट्रोनिक मोड पर रखा जाता है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय /फार्मों की पुष्टि के पश्चात मुख्यालय में डाटा को बन्द किया जाता है । सर्वर का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ
क	सेवा प्रदाता का नाम	सी–डैक, नोयडा (आईएसओ27001:2013 स्टैनडर्ड)
ख	सेवा प्रदाता का आईपी प्रोटोकॉल पता	http://220.156.188.25:7778
ग	सेवा प्रदाता का स्थान	सी–56/1, अनुसंधान भवन, इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र, सैक्टर–62,नोएडा–201307 उ.प्र.(भारत)
घ	लेखा खातों, अन्य खातों एवं कागजातों को क्लाउड पर रखा जाता है, सर्वर का पता ।	एप्लीकेशन को समर्पित सर्वर पर रखा जाता है। एप्लीकेशन का डोमेन है www.nscl.in (http://220.156.188.25:7778) अन्य वित्तीय सूचनाओं को indiaseeds.com (सी–डैक) पर रखा गया है।

(c) Assistance for Boosting Seed Production in Private Sector :

As a nodal Agency, the Corporation has implemented the Sub-mission on Seeds & Planting Material (SMSP) under National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET) for the component of "Assistance for Boosting Seed Production in Private Sector". 41 Nos. Of Units were provided the back ended subsidy linked to Bank Finance in the state of Andhra Pradesh, Punjab, Gujarat, Haryana, Karnataka, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttrakhand & West Bengal.

(d) Consultancy Services:

NSC has started giving consultancy on seed processing plants. A project of Gujarat State Seed Corporation is under progress.

(e) Fodder Block Unit:

Establishment of 2 Ton per hour manufacturing capacity unit of fodder block is under progress and it will start manufacturing shortly.

(f) INFORMATION TECHNOLOGY :

Units, Sub-units & Farms are re-strengthened with Hardware under NeGP-A Scheme apart from above following activities are going on.

1. Providing IT infrastructure to the Corporation.
2. Implementation of ERP (Beej Prabandhan) application in the Corporation.
3. Maintenance of NSC website including updating Twitter & Facebook account.
4. Implementation of E-procurement.

MANNER OF BOOKS OF ACCOUNTS TO BE KEPT IN ELECTRONIC MODE:-

NSC having web based application "Beej Prabandhan" consisting of Seed Production, Marketing, Inventory and Finance Module. The books of account are kept in electronic mode at a dedicated server reside at CDAC, Noida Data Centre (ISO27001:2013 standards).The data is locked at Head Office after confirming from the concerned RO/Farm. The details of the servers are as under:

S.No	Particulars	Response
a	Name of Service Provider	C-DAC,Noida (ISO 27001:2013 standards)
b	IP Protocol address of the Service provider	http://220.156.188.25:7778
c	Location of service provider	C-56/1,Anusandhan Bhawan,Institutional Area,Sector - 62,Noida-201 307 U.P (India)
d	Where the books of account and other books and papers are maintained on cloud,address of the server	The application is hosted on a dedicated Server. Domain of the application is www.nscl.in(http://220.156.188.25:7778) Other Financial informations are kept at web site i.e www.indiaseeds.com (Reside at CDAC,Noida)

(xvi) राजभाषा का कार्यान्वयन :

सरकारी काम काज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष के दौरान 14 सितम्बर, 2015 से 28 सितम्बर, 2015 तक 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया गया । इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए । मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों/फार्मों में भी दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन किया गया ।

मुख्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, कोलकाता एवं केन्द्रीय राज्य फार्म, एनएससी, हिसार का राजभाषा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया और सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश दिए गए ।

वर्ष के दौरान एनएससी की वेबसाईट को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया और इसको समय–समय पर अद्यतन किया जाता है ।

वर्ष के दौरान 04 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई, इन कार्यशालाओं में निगम के कार्मिकों ने भाग लिया । सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर चर्चा करने के लिए मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से बैठकें आयोजित की गई और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय / गृह मंत्रालय को समीक्षा के लिए भेजी गई ।

संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए वर्ष 2015–16 के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए प्रावधानों का पालन करने तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयत्न किए गए ।

(xvii) मानव संससाधन विभाग :

31.03.2016 को सभी वर्गों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 1538 थी, जबकि 31.03.2015 को यह 1650 थी।

31.03.2016 को समूह 'क','ख','ग' और 'घ' के कार्मिक की संख्या निम्न प्रकार से है :

समूह	कार्मिकों की कुल संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या
क	167	219
ख	192	300
ग	446	911
घ	733	784
कुल	1538	2214

2015–16 के दौरान पदोन्नति / सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद एवं अ.जा./ अ.ज.जा.से संबंधित उम्मीदवारो की संख्या के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है:

(क) पदोन्नति :

समूह	भरे गए पदों की संख्या	अ.ज./ अ.ज.जा. से संबंद्ध उम्मीदवारों की संख्या	
		अ.जा.	अ.ज.जा.
क	35	4	--
ख	12	1	--
ग	32	5	2
घ	04	1	--
कुल	83	11	2

(xvi) OFFICAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

With a view to promote the use of Hindi in Official work, "Hindi Pakhwara" was organized from 14 September, 2015 to 28 September, 2015. During this period various competitions were organized and successful participants were given cash prizes. Hindi Pakhwara closing ceremony was celebrated on 30th September, 2015 at HQ as well as in RO/Farms.

Official Language Inspection of Regional Offices, Chandigarh, Kolkatta and Hissar were conducted by Head Office and necessary instructions were given to the all Regional Offices/Farms for ensuring the progressive use of Hindi in day to day official work.

The website of NSC is available in bilingual form i.e. in English and Hindi both the languages and it is being updated from time to time.

During the year Four Hindi Workshops were organized and various Officers/employees participated in these workshop. Meetings of Official language implementation Committee at Head Office was conducted regularly in each quarter to discuss the progressive use of Official Language in Official Work and the quarterly reports on progressive use of Hindi were regularly sent to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare/Home Ministry.

Constant efforts were made to comply with the provisions enumerated in the "Annual Programme" for transacting the Official work of the Union in Hindi for the year 2015-16.

(xvii) HUMAN RESOURCE DEPARTMENT:

The total number of employees of all categories as on 31.03.2016 was 1538 against 1650 as on 31.03.2015. The staff strength in Group A,B,C & D as on 31.03.2016 was as under:-

Group	Total No. of Employees	Sanctioned Strength
A	167	219
B	192	300
C	446	911
D	733	784
Total	1538	2214

The information with regard to the posts filled-up by promotion/direct recruitment and number of candidates belonging to SC/ST promoted/appointed during the year 2015-16 is as under:-

A. PROMOTION:

Group	No. of Posts filled	No. of candidates belonging to SC/ST	
		SC	ST
A	35	4	--
B	12	1	--
C	32	5	2
D	04	1	--
TOTAL	83	11	2

(ख) सीधी भर्ती :

समूह	भरे गए पदों की संख्या	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.क्षे./शा.अ. से सबंद्ध उम्मीदवारों की संख्या			
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.क्षे.	शा.अ.
क	01	---	---	---	---
ख	---	---	---	---	---
ग	---	---	---	---	---
घ	63	16	01	20	---
कुल	**64**	**16**	**01**	**20**	---

(ग) 31.03.2016 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का एनएससी में विभिन्न समूह के कर्मचारियों में प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार हैः- :

समूह	क्रर्मचारियों की संख्या	अ.जा./अ.ज.जा. से सबंद्ध क्रर्मचारी की संख्या	
		अ.जा.	अ.ज.जा.
क	167	21	02
ख	192	32	12
ग	446	85	17
घ	733	165	22
कुल	**1538**	**303**	**53**

(घ) अपंग व्यक्तियों का नियोजनः-
निम्नलिखित प्रत्येक अपंगता के लिए चिह्नित पदों पर 31.03.2016 को अपंग कर्मचारीयों की संख्या निम्न प्रकार है :-

i)	अन्धत्व के कारण अपंग	3
ii)	बहरेपन के कारण अपंग	शून्य
iii)	मस्तिष्क संबंधी पक्षाघात के कारण दोनो पैरों से अपंग	13

(ड) भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन :-

श्रेणी	**संख्या**
समूह-ग	1
समूह-घ	1
कुल	**2**

निगम 'पदों पर आधारित' आरक्षण रोस्टर रखने के संबंध में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर प्राप्त मार्गदशी सिद्धांतों का पालन करता है।

(xviii) बीज उत्पादन क्रियाकलाप :

निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के आंबटन के अनुसार, एनएससी अपने फार्मो पर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के अंतर्गत वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नई किस्मों का परीक्षण स्टॉक बीज का उत्पादन कर रहा है ।

इसी प्रकार इन फार्मो पर प्रजनक एवं आधारीय बीजों का सतत उत्पादन का कार्य भी किया जा रहा है ताकि बीजों की अनुवांशिक शद्धता सुनिश्चित हो सके। प्रमाणित बीजों का उत्पादन बड़े स्तर पर बीज उत्पादक किसानों के माध्यम से किया जा रहा है । इस प्रकार खेती के क्षेत्र में उद्यमशीलता के अवसर पैदा हो रहे हैं। ये कार्य कौशल उन्मुख हैं, इसलिए गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए किसानों को निरन्तर प्रशिक्षित किया जा रहा है। एनएससी के फार्मो पर प्रमाणित बीजों का उत्पादन भी किया जा रहा है।

B. DIRECT RECRUITMENT:

Group	No. of posts filled	No. of candidates belonging to SC/ST/OBC/PH			
		SC	ST	OBC	PH
A	01	---	---	---	---
B	---	---	---	---	---
C	---	---	---	---	---
D	63	16	01	20	---
Total	**64**	**16**	**01**	**20**	**---**

C. Representation of SC/ST in various grou ps of employees as on 31.03.2016 was as under:

Group	Total No. of Employees	No. of Employees belonging to SC/ST	
		SC	ST
A	167	21	02
B	192	32	12
C	446	85	17
D	733	165	22
Total	**1538**	**303**	**53**

D. Employment of disabled Persons:

The strength of Disabled Persons as on 31.03.2016 was as under:-

i)	Blindness of low vision	3
ii)	Hearing impairment	Nil
iii)	Locomoter disability or cerebral palsy (including Orthop edically handicapped) in post identified for each disability	13

E. Employment of Ex. Servicemen as on 31.03.2016 was as under:

Category	**Strength**
Group-C	1
Group-D	1
Total	**2**

The Corporation is following guidelines received from Department of Public Enterprises, Govt. of India, New Delhi from time to time in regard to maintaining "Post Based" reservation roster.

(xviii) SEED PRODUCTION ACTVITIES:

The Corporation is producing test stock seed of new varieties developed by Scientists & Researchers under the National Agricultural Research system at the Farms of NSC as per mandate given by ICAR.

Similarly sustainable production of Breeder seed and Foundation is undertaken at the Farms to ensure genetic purity of seed. The Certified seed production is largely done through seed grower farmers thus creating entrepreneurship opportunities in the farming sector. This activity is skill oriented and hence farmers are being trained on a continual basis for quality seed production. Certified seed production is implemented on NSC Farms too.

अधिक पैदावार सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन विभाग का ध्यान नई किस्मों के बीज उत्पादन पर तथा रोग एवं कीट प्रतिरोधक फसलों पर रहता है ताकि किसान कम इनपुट लागत से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं । तद्नुसार वर्ष 2015-16 में विभिन्न फसलों की 20 नई किस्मों को जोड़ा गया है, इस प्रकार वैराइटल प्रतिस्थापन दर में मदद मिल रही है, जोकि विभिन्न शासकीय योजनाओं में बीज घटक का महत्वपूर्ण मिशन है । निगम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजनाओं विशेषकर निम्नलिखित बीज घटकों पर महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों की वार्षिक कार्य योजना को सक्रिय रूप से लागू कर रही है :.

1. एनएमओओपी के अंतर्गत तिलहनों का बीज उत्पादन ।
2. सब्जियों के बीजों का उत्पादन एवं कंदमूल फसल, किसानों को प्रशिक्षण और एमआईडीएच के अंतर्गत सब्जी बीज प्रसंस्करण आधारिक संरचना का निर्माण ।
3. एनएफएसएम वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत पटसन बीज का उत्पादन ।
   निगम ने वर्ष के दौरान एनएमओओपी के अंतर्गत लगभग रू. 16.35 करोड़ एवं एमआईडीएच के अंतर्गत लगभग रू. 7.85 करोड़ के लिए एएपी का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है ।

पौध : फार्मों में अभिजात वर्ग वंशज बगीचों पर फलों के पौधे (विशेषकर चकोतरा), फूल एवं सामाजिक वानिकी पेड़ों का उत्पादन किया जा रहा है ।

(xix) विपणन क्रियाकलाप :

वर्ष 2015-16 के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों का कुल कारोबार रु. 71295.65 लाख था ।

(मूल्य लाख में)

2015 -16	2014 -15
71295.65	84502.35

मुख्य बातें :

क. बिना आर्थिक सहायता के बीज बिक्री (कारोबार का %)

2015-16	2014-15
86%	75%

ख. चैनलवार बीज बिक्री (कारोबार का %)

2015-16		2014-15	
सरकारी एजेंसी	गैर-सरकारी एजेंसी	सरकारी एजेंसी	गैर-सरकारी एजेंसी
54%	46%	45%	55%

ग. सब्जियों के बीजों की बिक्री में वृद्धि (कारोबार का %)

2015-16	2014-15
4.6%	2.9%

घ. नई किस्मों / योजनाओं के अंतर्गत बिक्री :

i निगम ने एनएमओओपी के अंतर्गत खरीफ 2015 एवं रबी 2015-16 के दौरान 18.36 करोड़ मूल्य के 32237.34 कुन्तल तिलहन बीज मिनिकिट की आपूर्ति की । इस प्रकार एक मिशन के रूप में वैराइटल प्रतिस्थापन दर में सुधार से किसानों को नई किस्मों अपनाने में मदद मिल रही है ।

The focus of the Production Deptt. is to produce seed of new varieties for ensuring higher productivity and other desirable crop attributes such as resistance to diseases and pests so that farmer incomes can increase with lower input costs. Accordingly 20 new varieties are added in 2015-16 for different crops thus aiding the Varietal Replacement Rate (VRR) which is important mission of the seed component in various Government Schemes.

The Corporation has been actively implementing the Annual Action Plan of important Government programs for schemes implemented by the Ministry of Agriculture & Farmer Welfare more particularly for the seed component as follows:-

1. Seed Production of Oilseeds under NMOOP.
2. Seed production of Vegetables and Tuber crops, Training of farmers and Creation of vegetable seed processing infrastructure under MIDH.
3. Production of Jute Seed under NFSM Commercial crops.

The Corporation ensured implementation of AAP for about Rs. 16.35 Cr under NMOOP and for about Rs. 7.85 Crores under MIDH during the year.

Saplings- Saplings of fruits (particularly Citrus), Flowers and Social Forestry trees are being produced at Elite Progeny Orchards at the Farms.

(xix) MARKETING ACTIVITIES:-

The turnover on account of sale of certified/quantity seed during the year 2015-16 was Rs. 71295.65 Lakhs.

(Value in Lacs)

2015-16	2014 -15
71295.65	84502.35

HIGHLIGHTS:

a. Seed Sold without subsidy (%age of turnover)

2015-16	2014-15
86%	75%

b. Channel wise Seed Sale (%age of turnover)

2015-16		2014-15	
Government Agencies	Non-Government Agencies	Government Agencies	Non-Government Agencies
54%	46%	45%	55%

c. Increase in Sale of Vegetable Seeds (%age of turnover)

2015-16	2014-15
4.6%	2.9%

d. Sales under New Varieties/Schemes:

i. The Corporation has supplied Minikits of oil seeds 32237.34 qtls. under NMOOP during Kharif-2015 and Rabi 2015-16 worth of Rs. 18.36 Crores thus facilitating adoption of newer varieties by farmers as a mission for improving Varietal Replacement Rate (VRR).

ii निगम ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को बीज की आपूर्ति की है जिनमें शामिल हैं :-

1. एनएमओओपी - तिलहन बीज
2. एनएफएसएम - चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज एवं वाणिज्यिक फसलें (जूट)
3. एमआईडीएच - सब्जी बीज कंदमूल फसल सहित
4. एएफडीपी - चारा
5. बीजीआरइआई

iii निगम ने कृषि विस्तार एवं प्रोद्योगिकी के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए बीज एवं रोपण सामग्री के उप - मिशन में भाग लिया :-

1. राष्ट्रीय बीज आरक्षित (कृषि - जलवायु के विपरीत परिस्थितियों में बीज की आपूर्ति के उपायों को सदृढ़ीकरण करने हेतु)
2. परिवहन सबसिडी (दूरदराज के पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु)

iv निगम ने लो वोल्यूम हाई मार्जिन, उचित मूल्या के सब्जी बीज खंड पर ध्यान केन्द्रित करके विपणन में जोखिम प्रबन्धन रणनीति को अपनाया है । वर्ष 2014-15 में रू. 25.00 करोड़ बिक्री की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान रू. 44.00 करोड़ की बिक्री हुई, इस प्रकार बिक्री में 76% की वृद्धि हुई ।

v केला टिशु कल्चर पौधों की बिक्री में निरन्तर उत्साह जारी रहा , इस प्रकार रू. 1.02 करोड़ की लागत के 9.77 लाख की संख्या में बिक्री हुई

ड. <u>स्वचलित मशीन</u> :

सब्जी बीजों की बिक्री के लिए कृषि भवन, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय, एनएससी, चंडीगढ़ के अंतर्गत प्रक्षेत्र कार्यालय, एनएससी, करनाल में स्वचलित मशीन की स्थापना की गई है ।

च. <u>पुर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता</u> :

एनएससी ने देश के दूरदराज क्षेत्रों, साधारण तौर पर पूर्वी राज्यों और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में बीज की उपलब्धता एवं आपूर्ति को प्राथमिकता दी है । पिछले वर्ष 17338 कुन्तल बीज आपूर्ति की तुलना में, वर्ष 2015-16 के दौरान निगम ने पूर्वोत्तर राज्यों को 27410 कुन्तल बीजों की आपूर्ति की ।

छ. <u>बीज का निर्यात</u> :

निगम ने नेपाल को :. 1,62,40,500/- मूल्य के 8 कुन्तल सब्जी बीजों का निर्यात किया ।

ज. <u>डीलर नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण</u> :

निगम ने बीजों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान 119 नये डीलर नियुक्त किए ।

(xx) <u>अभियांत्रिक क्रियाकलाप</u> :

निगम का अभियांत्रिक विभाग फार्मो पर विभिन्न तकनीकी, भूमि एवं जल तथा सिविल गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । इस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यो को मौटे तौर पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :-

- फसल उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप
- बीज प्रसंस्करण
- भूमि विकास
- सिंचाई एवं जल निकासी कार्य
- फार्म संरचनाएं
- विविधीकरण एवं नवीन परियोजना

ii. The Corporation has supplied seeds to various State Governments under important Schemes implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. These includes:-

(1) NMOOP- Oilseeds.
(2) NFSM- Rice, Wheat, Pulses, Coarse cereals and Commercial crops(Jute).
(3) MIDH- Vegetable including Tuber crops.
(4) AFDP- Fodder.
(5) BGREI.

iii. The Corporation has participated in the Sub-Mission on Seeds & Planting Material (SMSP) under National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET) for the Components of:
(1) National Seed Reserve (for strengthening contingency measures to supply seeds in situations of Agro-climatic aberrations).
(2) Transport subsidy (for ensuring seed supplies to difficult hilly areas and North East India).

iv. The Corporation has strategized Risk Management in Marketing by focusing on Low Volume- High Margin, High Value vegetable seed segment. The sales have increased by 76% from Rs. 25.00 Crores in 2014-15 to Rs. 44.00 Crores in 2015-16.

v. The Sales of Banana Tissues Culture Plants continued with sustained vigour and the sales were 9.77 lakhs nos. Valued at Rs. 1.02 Crores.

e. Automation:
Auto vending machines for sale of vegetable seeds have been installed at Krishi Bhawan, New Delhi and at Area Office, Karnal under Regional Office, Chandigarh.

f. Priority in North Eastern States:
NSC has accorded due priority to seed availability and supplies in the country's remote areas and Eastern states in general and North Eastern states in particular. During the Year 2015-16 the corporation has supplied 27410 qtls. of seed to North Eastern States as compared to 17338 qtls. in the last year.

g. Export of Seed:
Eight quintals of vegetable seeds valued at Rs. 1,62,40,500/- were exported to Nepal.

h. Strengthening of Dealer Net Work:
During the year, 119 nos. of new dealers were appointed to boost up the sale of seed.

(xx) ENGINEERING ACTIVITIES:

Engg. Division of the Corporation plays vital role in various mechanical, Land & Water & Civil activities at the farms. The activities broadly undertaken by this Division can be classified as under:-
- Crop production related activities.
- Seed Processing
- Land Development
- Irrigation and drainage works.
- Farm structures
- Diversification & Innovative Project

कृषि कार्यों की सुविधा के लिए निगम ने वर्ष के दौरान अपने स्वयं के संसाधनों से ट्रैक्टर, कम्बाईन, लैंड प्लानर, ट्रैक्टर द्वारा फसल कटाई मशीन, हैरो, छिड़काव यंत्र इत्यादि उपलब्ध कराए हैं और पुरानी मशीनरी को बदला गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

विवरण	**संख्या**	**राशि (रु. लाख में)**
ट्रैक्टर	3	16.67
कम्बाईन	2	46.31
लैंड प्लानर	7	16.54
ट्रैक्टर द्वारा फसल कटाई मशीन	7	18.90
छिड़काव यंत्र	21	90.62
बुआई की मशीन	7	9.25
न्यूमैटिक मक्का बोने की मशीन	4	25.80
डिस्क हैरो	2	3.96
योग		228.05

सिंचाई के पानी की सीमित मात्रा को देखेते हुए जल संग्रहण टैंक और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है तथा 638 है0 क्षेत्र में केन्द्रीय धुरी पद्धति की स्थापना की गई है । सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए।

क्र.सं.	**विवरण**	**उपलब्धि**	**राशि (रु.लाख में)**	**टिप्पणी**
1.	जल संग्रहण टैंक	01	245.55	सूक्ष्म सिचाई पद्धति के माध्यम से सिचाई के लिए वर्षा जल/अधिशेष नहरी जल के संग्रहण हेतु।
2.	केन्द्रीय धुरी पद्धति की स्थापना	9	774.98	सिचाई के लिए विवेकपूर्ण तरीके से जल का प्रयोग।
3	नालियों का पलस्तर	8.60 कि.मी.	144.50	रिसाव से होने वाले नुकसान में कमी लाने के लिए ।
4	गहरे नलकूपों की स्थापना	09	22.82	नहरों एवं टैंकों के माध्यम से संरक्षित सिचाई उपलब्ध कराने हेतु ।

5. फार्म एवं क्षेत्रीय कार्यालय संरचना :

कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के खर्चे से निम्नलिखित कार्य किए गए। विवरण नीचे तालिकाबद्ध है : -

विवरण	**संख्या**	**राशि (रु.लाख में)**	**टिप्पणी**
बीज भंडारण गोदाम	4100 मैट्रिक टन	308.30	बीजों के सुरक्षित भंडारण की सुविधा में वृद्धि हेतु ।
प्रत्येक 5 है. क्षेत्र में जीओटी फार्म की स्थापना	02	99.00	आधारीय बीज उत्पादन के लिए।
आच्छादित खलिहानों का निर्माण	05	175.51	बीजों के सुरक्षित भंडारण एवं प्रकृति के प्रकोप से बचाव के लिए
ईपीओ पर बुनियादी ढ़ाचें का विकास	-	7.98	पोली हाऊस, ग्रीन हाऊस एवं नेट हाऊस के सुदृढ़ीकरण के लिए

In order to facilitate agriculture operations more effectively, **the Corporation has provided Tractors, Combines, Land Planner, Tractor mounted crop Reaper, Harrow, Sprayers etc & replaces old machinery** during the year out of its own resources as per the details given below:-

Description	No.	Amount(Rs. in lacs)
Tractors	3	16.67
Combines	2	46.31
Land Planner	7	16.54
Tractor mounted Crop Reaper	7	18.90
Sprayers	21	90.62
Raised Bed Planter	7	9.25
Pnematic Maize Planter	4	25.80
Disc Harrow	2	3.96
TOTAL		228.05

Considering the limitation of irrigation water, Water Storage Tanks, Water Harvesting Structures were constructed and Center Pivot System had been installed in 638 ha. area. To increase the irrigation potential following works were taken up during the year.

Sl. No.	Description	Achievement	Amount (Rs. in lakhs)	Remarks
1.	Water Storage tank	01 No.	245.55	To store rain water/ surplus canal water for irrigation through micro irrigation system.
2.	Installation of Center Pivot Systems	9 Nos.	774.98	To utilize the water judiciously for Irrigation of 638 ha.
3	Lining of water courses	8.60Kms	144.50	To reduce seepage losses
4	Installation of Deep tube -wells	09 Nos.	22.82	To provide protective irrigation through canals and tanks

5. **Farm Structures & RO**- The following works were carried out with the grant received from DAC &FW and with own funds. The details are tabulated below:-

Description	No.	Amount (Rs. in lakhs)	Remarks
Seed Storage Godowns - 4 Nos.	4100 MT	308.30	For enhancement of safe storage facility of seeds.
Establishing GOT farms of 5 ha each	02 Nos.	99.00	To produce foundation seeds
Construction of Covered Threshing Floors	05 Nos.	175.51	To have safe storage of seed and protect from vagaries of nature
Infrastructure developed at EPO	-	7.98	For strengthening of Poly House, Green house & Net House.

नई पहलें :.

- ⋆ पानी की कमी को देखते हुए, विकसित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का और अधिक क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है ।
- ⋆ केराफा, रायचूर में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोगी चारा ब्लॉक में कृषि अवशेषों को परिवर्तित करने हेतु चारा ब्लॉक विनिर्माण इकाई की स्थापना की जा रही है ।
- ⋆ केराफा, जैतसर में एनटीपीसी / एसईसीआई इत्यादि जैसे सीपीयू के साथ मिल कर 250 मेगावॉट के सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी ।
- ⋆ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सहायता से किसानों को सस्ती दरों पर फार्म ट्रैक्टर / कम्बाईन हारवेस्टर / उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है ।

(xxi) एमएसईएस आदेश 2012 का अनुपालन :

सूक्ष्म, लघु उद्यम की लोक प्रापण नीति के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान वार्षिक खरीद एवं वर्ष 2015-16 के लिए खरीद की योजना निम्न प्रकार से है : -

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य
1.	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में)	28.00	36.58
2.	एमएसईएस से खरीदे गए माल एवं सेवा की कुल लागत (अनु.जा/अनु.ज.जा. उद्यम भी शामिल है)	19.89	18.29
3.	अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम द्वारा सिर्फ एमएसईएस से खरीदे गए माल एवं सेवा की कुल लागत	शून्य	1.46
4.	एमएसईएस से खरीद का % (कुल खरीद के अलावा अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम द्वारा स्वयं एमएसईएस भी शामिल है)	71.02%	50%
5.	अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम द्वारा कुल खरीद के अलावा सिर्फ एमएसईएस से खरीद का %	शून्य	4%
6.	एमएसईएस के लिए विक्रेता विकास कायर्क्रम की कुल संख्या	1	2
7.	क्या एमएसईएस से खरीद के लिए वार्षिक प्रापण योजना को वेबसाईट पर अपलेड कर दिया गया है ?	हॉं	हॉं
8.	क्या लक्ष्यों को वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है ?	हॉं	हॉं

10. राशि, यदि कोई, जिस पर कम्पनी किसी आरक्षित खाते में प्रस्तावित करना चाहती हो ।

खर्च न की गई सीएसआर राशि रू. 64,82,347/-

11. राशि, यदि कोई है, जिस पर कम्पनी लाभांश के द्वारा सिफारिश करने पर विश्वास रखती है ।

चुकता शेयर पूँजी का 20%

New Initiatives-

- Looking at the shortage of water, **Improved Sprinkler and Micro Irrigation System** will be extended in large area.
- Fodder Block Manufacturing Unit is being established at CSF, Raichur to convert farm residue in useful fodder block for increasing milk production.
- Solar Power plant of capacity 250 MW shall be established in marshy land at CSF Jetsar in association with CPEs like NTPC/SECI etc.
- Custom Hiring Centers might be established with the assistance of MOA &FW to make available Farm Tractors/Combine Harvesters/Equipment's etc at affordable cost to Farmers.

(xxi) COMPLIANCE OF MSEs ORDER 2012.

As per Public Procurement Policy of MSE, the Annual Procurement done during the year 2015-16 and procurement plan for the year 2016-17 are mentioned as under:-

(Figure in Crore)

S. No.	Particulars	Year 2015-16	Proposed target for the year 2016-17
1.	Total Annual Procurement (In Values)	28.00	36.58
2.	Total value of goods & services procured from MSEs (including MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs)	19.89	18.29
3.	Total value of goods &services procured from only MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs .	NIL	1.46
4.	%age of procurement from MSEs (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs out of total procurement .	71.02%	50%
5.	%age of procurement from only MSEs owned by SC/ST entrepreneur out of total procurement .	NIL	4%
6.	Total number of vender development programs for MSEs.	1	2
7.	Whether Annual procurement plan for purchases from Micro & small Enterprises are uploaded on the official website.	Yes	Yes
8.	Whether targets reported in Annual Report.	Yes	Yes

10. THE AMOUNTS, IF ANY, WHICH COMPANY PROPOSES TO CARRY TO ANY RESERVES.

Rs. 64,82,347/- towards unspent CSR amount

11. THE AMOUNT, IF ANY, WHICH COMPANY RECOMMENDS SHOULD BE PAID BY WAY OF DIVIDEND;

20% of Paid up Share Capital

12. महत्वपूर्ण बदलाव एवं वचनबद्धता यदि कोई, जिससे कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जिससे कम्पनी के वित्तीय वर्ष के अन्त में वित्तीय विवरणों से संबंधित तथा रिपोर्ट की तिथि पर प्रभाव पड़ता हो ।

शून्य

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय :

i. **ऊर्जा संरक्षण :** निगम, फार्मों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं साथ ही मुख्यालय में सभी ट्रैक्टरों और मशीनरी को स्वचलित बना कर उनके व्यर्थ परिचालन को बचा कर ईधन और विद्युतीय ऊर्जा के संरक्षण का हर सम्भव प्रयास कर रहा है । इस संबंध में अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निगरानी तथा औचक परीक्षण किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्तत, फार्म अधिकारीगण ईंधन की बचत हेतु वाहनों की भागीदारी कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त पुराने ट्रैकटरों, कम्बाईनों और मशीनों, जो अत्यधिक मात्रा में ईंधन की खपत कर रही थी, को ऊर्जा की बचत के लिए चरणबद्ध कर व्यवस्थित पद्धति से समाप्त किया जा रहा है तथा ऊर्जा बचाने व उत्पादन बढ़ाने के लिए नया मशीनरी बेड़ा स्थापित किया जा रहा है ।

ii. **प्रौद्योगिकी आमेलन :** उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजनार्थ निगम नवीन प्रौद्योगिकी और तकनीकें अपनाता रहा है तथा अपने मशीनी बेड़े में परिवर्तन कर रहा है । सिंचाई एवं उपलब्ध जल के अंतर्गत अधिक क्षेत्र की वृद्धि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है । फसलों की बुआई एवं कटाई के लिए नई विकसित मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है ।

iii. **विदेशी मुद्रा अर्जन - शून्य**

विदेशी मुद्रा व्यय

i श्री वी.के. गौड, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का चाईना भ्रमण पर केवल विदेशी मुद्रा परिवर्तन में पर रू. 1895/- का भुगतान किया गया। अन्य सभी खर्चे जैसे हवाई यात्रा, होटल इत्यादि का भुगतान चाईना सरकार द्वारा किया गया ।

ii अंतराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ, स्विटजरलैंड को वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 3,33,109/- का भुगतान किया गया ।

iii एशिया एवं पेसिफिक बीज संघ, थाईलैंड को वार्षिक सदस्यता शुल्क रु.38,946/- का भुगतान किया गया ।

विदेशी मुद्रा पर कुल व्यय रु. 3,73,950/-

14. कम्पनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति का विकास एवं कार्यान्वयन का विवरण जिसमें जोखिम के प्रकार, यदि कोई जिस पर कम्पनी के गठन के पश्चात निदेशक मंडल के विचार :

निगम ने जोखिम प्रबंधन नीति अपना रखी है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जोखिमों से बचने के लिए जोखिम प्रबंधन के कार्य किए जाते हैं । सभी माल, मशीनरी, मदें, भवन एवं अन्य सामग्रियों का बीमा पालिसी के तहत बीमा करवाया हुआ है । प्रबंधन द्वारा प्रति वर्ष जोखिम से बचने के लिए बीमा पालिसी का मूल्यांकन किया जाता है । निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 26.03.2014 को हुई अपनी 253 वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की तथा संशोधित नीति का अनुमोदन किया ।

15. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पालिसी का विकास एवं कार्यान्वयन :

निदेशक मंडल ने अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में वृहद सीएसआर नीति का अनुमोदन किया है । नीति को वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है ।

टिप्पणी : सीएसआर पहल एवं सीएसआर नीति का कार्यान्वयन क्रमश: अनुबंध- । एवं अनुबंध- ।। पर दिया गया है।

12. **<u>MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT;</u>**

NIL

13. **<u>THE CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO.</u>**

(i) **<u>Conservation of Energy:</u>** The Corporation is taking every step to conserve the fuel and electrical energy at the Farms, R.Os and H.O. Time to time circulars are being issued to switch off the light, fans and ACs, whenever the Officer/staff is not available on their seat. Farm Officers are sharing the vehicle for visiting the fields to minimize the fuel consumption. The tractors and other machinery are fitted with self starter to reduce the idle running. Old and outdated machineries are being replaced periodically to reduce the consumption of fuel and to increase the operational efficiency. Effective monitoring and surprise checks are being done for ensuring the compliance of instructions.

(ii) **<u>Technology absorption:</u>** For increasing the seed Production, the Corporation is adopting latest techniques and technology. The Micro Irrigation Systems are being used for increasing the more area under irrigation with the available water. Newly developed machines are being used for sowing and harvesting of crops.

(iii) **<u>Foreign exchange earning</u> – Nil**

Foreign exchange outgo

i. Tour of Shri V. K. Gaur, CMD to China
Only Rs. 1,895/- paid on account of difference in foreign exchange as Air fare of CMD & expenses paid by China Government.

ii. International Seed Testing Association, Switerzerland towards Annual Membership Fees Rs. 3,33,109/-.

iii. Asia & Facific Seed Association, Thiland- Annual Membership fees – Rs.38,946/-

<u>TOTAL EXPENDITURE IN FOREIGN EXCHANGE IS Rs. 3,73,950/-</u>

14. **<u>STATEMENT INDICATING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A RISK MANAGEMENT POLICY FOR THE COMPANY INCLUDING IDENTIFICATION THEREIN OF ELEMENTS OF RISK, IF ANY, WHICH IN THE OPINION OF THE BOARD MAY THREATEN THE EXISTENCE OF THE COMPANY;</u>**

The Corporation is having a Risk Management Policy under which Risk Management is properly done to avoid consequences of risks of all types. Adequate insurance coverages have been made in respect of the Stock, Machinery items, Buildings and other material which are used in the business. The assessment on the Risk is done by Management for the adequate coverage every year to avoid risks. The Risk Management Policy was reviewed by Board of Directors in its 253rd Meeting held on 26.03.2014 and approved the revised policy.

15. **<u>DETAILS ABOUT THE POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES TAKEN DURING THE YEAR.</u>**

Board of Directors have approved a comprehensive CSR Policy in Compliance of the Provisions of the Act. The Policy is also uploaded on the website.

<u>NOTE:</u> Implementation of CSR initiatives and CSR Policy are provided in Annexure-I & II respectively.

आभारोक्ति :

मैं इस अवसर के लिए आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, आदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण),संयुक्त सचिव (बीज) एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ । मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कम्पनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक को उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूँ । मैं निदेशक मंडल में अपने माननीय सहयोगियों और निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना एवं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन को हरसम्भव मार्गदर्शन, सहयोग व सहायता दी है । शेयर धारकों एवं प्रबंधन की तरफ से मैं केन्द्रीय मंत्रीमंडल, बैंकरों, ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों का भी उनके द्वारा निगम को दिए गए उनके सतत सहयोग, विश्वास एवं भरोसे के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ । मेरा दृढ़ विश्वास है कि अपने आदरणीय हितधारकों के अनमोल समर्थन के साथ जुड़े समर्पित एवं मेहनती कार्यबल के साथ निगम आने वाले वर्षों में उच्च शिखर पर पहुँचेगा तथा मील का पत्थर साबित होगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह0/-
(विनोद कुमार गौड़)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.09.2016

ACKNOWLEDGEMENTS:

I take this opportunity to place my sincere thanks and regards to Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers Welfare, the Hon'ble Ministers of State for Agriculture, the Secretary, Agril., Coop. & Farmers Welfare, the Joint Secretary (Seeds) and other Officers in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. I am also grateful to Comptroller and Auditor General of India, the Statutory and Branch Auditors of the Corporation for their support and guidance. I would also like to place on record my sincere thanks and high appreciation to my esteemed colleagues on Board and to all the Officers and staff of the Corporation who have provided every possible guidance, support and assistance to the Management in achieving the targets. On behalf of the Shareholders and Management, I also convey my sincere thanks to the Union Cabinet, Bankers, Customers and other Stake Holders, for their continued support, confidence and trust bestowed upon your Corporation. I have a strong belief that with such dedicated and hard working workforce coupled with valuable support of our esteemed stakeholders and enlarged treasure of resources, Corporation will establish further high ups and milestones in the years to come.

By Order of the Board of Directors

Sd/-
(Vinod Kumar Gaur)
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Dated: 09.09. 2016

अनुबंध - ।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र
(सीओएस. (सीएसआर नीति नियम, 2014 का नियम 08))

1. **कम्पनी के सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का वेबसाईट संदर्भ भी शामिल है ।**

कम्पनी की सीएसआर नीति कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं नियम के प्रावधानों के आधार पर है । सीएसआर नीति कम्पनी की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर अपलोड की गई है। इसकी एक प्रति निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुबंध-।। पर भी संलग्न है ।

2. **सीएसआर समिति के सदस्य ।**

i श्री वी. के. गौड़, अप्रनि / अध्यक्ष
ii श्री दिनेश अरोड़ा, निदेशक एवं सदस्य
iii श्री वी. मोहन, निदेशक (वित्त) एवं सदस्य

3. **कम्पनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसतन निवल लाभ (रू. लाख में)**

i	2012-13	रू. 6226.44
ii	2013-14	रू. 8066.51
iii	2014-15	रू. 3705.61
		रू.17998.56

औसतन कर-पूर्व लाभ रू. 5999.52 लाख

4. **निर्धारित सीएसआर व्यय (जैसा कि उपरोक्त मद सं. 3 पर इंगित राशि का दो प्रतिशत)।**

औसतन कर-पूर्व लाभ का 2%	-	रू. 1,19,99,040
वर्ष 2014-15 के दौरान खर्च न की गई राशि	-	रू. 5,01,467
कुल	-	**रू. 1,25,00,507/-**

5. **वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर पर किए गए खर्च का विवरण :**

(क) वित्त वर्ष 2015-16 में कुल खर्च की गई राशि :

प्रथम स्तरीय सीएसआर समिति की दिनांक 04.06.2016 एवं अन्य पूर्व तिथियों पर हुई को हुई अपनी बैठकों की सिफारिशों के अनुसार, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के तहत निम्नलिखित राशि को शामिल करते हुए निधि की मंजूरी दी, जिन्हें सीएसआर के अंतर्गत निम्न रूप से खर्च किए गए :-

(i) प्रथम स्तरीय सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर एवं निदेशक मंडल के अनुमोदन से रू. 55,16,693 की राशि खर्च की, जोकि समझौता ज्ञापन 2015-16 के अनुसार, पर्यावरणीय सतत वृक्षारोपण पर आगे पैरा में विवरण दिया गया है और सुरक्षित पीने का पानी, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण से संबंधित अन्य कार्य किए गए हैं ।

(ii) कार्यो की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(क) सीएसआर सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण कार्यक्रम वर्ष 2015-16.

कार्य की प्रकृति	**लक्ष्य (सं.)**	**उपलब्धि (सं.)**
वृक्षारोपण	**10000**	**10680**

Annexure-I.

FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT

(Pursuant to Rule 8 of the Companies. (C.S.R. Policy) Rules, 2014)

1. A brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.

   CSR Policy of the Company is based on the provisions of Companies Act, 2013 and Rules thereunder. CSR Policy is uploaded on the Company's website www.indiaseeds.com. A copy also forms part of Directors' Report at Annexure-II.

2. The Composition of the CSR Committee.
   i. Shri V.K. Gaur, CMD/Chairman
   ii. Shri Dinesh Arora, Director & Member
   iii. Shri V. Mohan, Director (Finance) & Member

3. Average net profit of the company for last three financial years. (Rs. in Lakhs)

   i. 2012-13 Rs. 6226.44
   ii. 2013-14 Rs. 8066.51
   iii. 2014-15 Rs. 3705.61
   Rs. 17998.56
   Average PBT Rs. 5999.52 Lacs

4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above).

   2% of Average PBT = Rs. 1,19,99,040/-
   \+ Unspent amount during 2014-15 = Rs. 5,01,467/-
   GRAND TOTAL **= Rs. 1,25,00,507/-**

5. Details of CSR spent during the financial year:
   (A) Total amount spent for the financial year 2015-16;

As per recommendations of 1st Tier CSR Committee at their meeting held on 04.06.2016 and other prior dates which were approved by the Board who sanctioned funds under various CSR activities involving the following amounts which were spent under CSR as below:-

I. Based on the recommendations of 1st Tier Committee and the approval of Board CSR funds of Rs. 55,16,693/- have been spent as detailed in forthcoming paras on environmental sustainability plantation work as per MoU 2015-16 and other works concerning Safe drinking water, road construction in rural areas.

II. The Status of work completion Activities are as under:-

(a) CSR Social Forestry Plantation Programme 2015 -16.

Nature of work	Targeted (Nos.)	Achievement (Nos.)
Plantation	10000	**10680**

ख) सीएसआर सतत वानिकी वृक्षारोपण कार्यक्रम वर्ष 2015-16.

कार्य की प्रकृति	लक्ष्य (सं.)	उपलब्धि (सं.)
वृक्षारोपण	80000	85097

(ग) अन्य कार्यों की स्थिति :-

i. बिहार के गांव चकिया, जिला पूर्वी चम्पारण में 5 स्थानों पर खडंजा/ सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है ।

ii. बिहार के पूर्वी मोतियाहारी, पटना के 3 मदरसों में 50 एलपीएच क्षमता के 3 आरओ की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमिशनिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है ।

iii. उ.प्र. के मुजफ्फर नगर जिले के 3 गांवों में सड़कों का डामरीकरण एवं एक शेल्टर का निर्माण किया गया है ।

(घ) विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर क्षेत्रवार किए गए व्यय :

बेंगलुरू (कर्नाटक)	रू. 86,206,00
जयपुर (राजस्थान)	रू. 11,200,00
पटना (बिहार)	रू. 16,70,248,00
केराफा, सूरतगढ़, श्री गंगानगर (राजस्थान)	रू. 2,11,721,00
केराफा, जैतसर, श्री गंगानगर (राजस्थान)	रू. 6,27,197,00
मुख्यालय	रू. 29,10,121,00
योग :	**रू. 55,16,693,00**

(ख) खर्च न की गई राशि : रू 69,83,814/-

टिप्पणी :

क) यद्यपि ग्राम धूम, माणिकपुर, जिला गौतम बुद्धनगर (उ.प्र.) में लघु सिंचाई चैनल पार करने के लिए आरसीसी स्लैब पुलिया का निर्माण कार्य भी प्रगति पर था परन्तु प्रस्ताव में कुछ बदलाव जो बाद में उत्पन्न हुई, के कारण, इस प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप दिया जाना शेष है । इसलिए इसको उपरोक्त गतिविधियों में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है ।

ख) एक अन्य प्रस्ताव गांव चकिया, जिला पूर्वी चंपारण (बिहार) में सड़क का डामरीकरण के निर्माण के लिए रू. 10.00 लाख की स्वीकृत राशि से लिया जाना था परन्तु 08 मार्च, 2016 को निविदा खुलने के उपरान्त क्षेत्रीय कार्यालय, पटना ने नई निविदा आमंत्रण के लिए सिफारिश की है, चूंकि वहां पर साधनहीन प्रतिक्रिया थी ।

(b)Sustainability Social Forestry Plantation Programme 2015 -16.

Nature of work	Targeted (Nos.)	Achievement (Nos.)
Plantation	80000	85097

(c) <u>Status of other Works:-</u>

i. Construction of Kharanja Road in village Chakiya, East Champaran at 5 Places in Bihar Work completed.

ii. Supply, installation, testing and commissioning of 3 Nos. RO System capacity 50 LPH in 03 Madarsas at East Motihari, Patna- Work completed.

iii. Construction of CC road and one shelter at 3 villages in Muzaffar Nagar (UP)- work completed.

(d) Expenses incurred Region-wise on various CSR activities:

Bengaluru (Karnataka)	Rs. 86,206.00
Jaipur (Rajasthan)	Rs. 11,200.00
Patna (Bihar)	Rs. 16,70,248 .00
CSF,Suratgarh, Sri Ganganagar (Rajasthan)	Rs. 2,11,721.00
CSF, Jetsar, Sri Ganganagar (Rajasthan)	Rs. 6,27,197.00
Head Office	Rs. 29,10,121.00
TOTAL	**Rs. 55,16,693.00**

(B) Amount unspent : Rs. 69,83,814/-

NOTES:

a) Although construction of RCC Slab Culvert for minor irrigation Channel crossing in Dhoom Manikpur, Gautam Budhnagar (UP) was also in process but due to some changes in the proposal which were arisen at later stage, this proposal is yet to be finalized. Hence it is not needed to be taken up for inclusion in the aforementioned activities details.

b) Another proposal for construction of CC Road in village Chakiya, East Champaran, Bihar was to be taken up within sanctioned amount of Rs. 10.00 lacs but upon opening of tender on 08.03.2016, the Regional Office, Patna recommended for inviting fresh tender as there was poor response.

ग) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	परियोजना में शामिल क्षेत्र	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1)स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2)विर्निदिष्ठ करें राज्य एवं जिला जहां पर परियोजना अथवा कार्यक्रम किया जाना है	राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की जाने वाली राशि उप-शीर्ष: (1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (2)उपरी शीर्ष :	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा लागू करने वाली एजेन्सी के माध्यम से खर्च की गई राशि*
1.	भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी कार्य	सामाजिक पर्यावरणी गतिविधियां	निगम की इकाईयों के नजदीकी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी कार्य किए गए क्षेत्र : संदर्भ 5(ii) घ	रू. 3846445/-	रू. 3846445/-	रू. 3846445/-	रू. 3846445/- आंतरिक निगरानी के द्वारा
2.	बिहार के जिला पूर्वी चंपारण में 3 सड़कों का डामरीकरण का कार्य	ग्रामीण विकास	निगम की इकाईयों के नजदीकी क्षेत्र : संदर्भ 5(ii) घ				रू.1670248/- मैसर्स हिमांशु रंजन, ठेकेदार मोतीहारी, बिहार के द्वारा
3.	उ.प्र.के मुजफ्फर नगर जिले क तीने गॉव में सड़कों का डामरीकरण एवं एक शेल्टर का निर्माण का कार्य	-तदैव-	-तदैव- क्षेत्र : संदर्भ 5(ii) घ	1670248/-	1670248/-	1670248/-	मैसर्स ध्रुव एसोशिएट, मुजफ्फर नगर के द्वारा
4.	बिहार के मोतिहारी जिले के स्कूलों में 3 आरओ की स्थापना की गई।	-तदैव-	-तदैव- क्षेत्र : संदर्भ 5(ii) घ				मैसर्स शिवम ठेकेदार, गुड़मंडी,दिल्ली के द्वारा

6. पिछले तीन वित्तीय वर्षो का औसतन निवल लाभ का 02 प्रतिशत खर्च न करने के कारण :

खर्च न की गई राशि में से, चिन्हित क्रियाकलाप प्रगति पर हैं जैसे बिहार के 2 स्कूलों में 2 आरओ की स्थापना, उत्तराखंड में वृक्षारोपण के लिए वन अनुसंधान संस्थान को भुगतान, उत्तरप्रदेश में सिंचाई नहर, बिहार के चकिया गांव में सड़क का डामरीकरण इत्यादि के कार्य किए गए, जिस पर लगभग रू. 41,54,000/- पूरे नहीं हो सके । क्योंकि बाद में कुछ परियोजनाओं के प्रस्ताव में परिवर्तन होने के कारण, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण, निविदा दाताओं से प्राप्त खराब उत्तर के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका । ये सभी कार्य प्रगति पर हैं चूंकि उक्त कार्यो की प्रगति से, शेष रू. 28,29,814/- के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है और इसे अगले वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च किया जाएगा ।

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व विवरण, कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन एवं निगरानी, कम्पनी की सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में हैं ।

ह0/-

(विनोद कुमार गौड़)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the Project is covered	Projects or Programmes (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs **Sub-heads:** (1) Direct expenditure on projects or programs + (2) Overheads:	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency *
1.	Social Forestry in different parts of India	Social Environmental activity	Social Forestry work done in areas nearby Units of the Corporation. Location : Refer 5(II)(d)	3846445/-	3846445/-	3846445/-	Rs.3846445/- Internal monitoring
2.	Construction of 3 Kharanja Road in villages of Champaran district of Bihar	Rural Development	Nearby Units of Corporation Location : Refer 5(II)(d)	1670248/-	1670248/-	1670248/-	Rs.1670248/- Through Contractor M/s Himanshu Ranjan, Motihari, Bihar
3.	Construction of CC Road and one Road Shelter in 3 villages of Muzaffer-Nagar, UP.	-do-	-do- Location : Refer 5(II)(d)				Through Contractor M/s Dhruv Associates, Muzaffer Nagar (UP)
4.	Installation of 3 ROs in Schools of Motihari district of Bihar.	-do-	-do- Location : Refer 5(II)(d)				Through Contractor M/s Shivam Traders, Gurmandi, Delhi

6. Reasons for not spending in full the two per cent of the average net profit of the last three financial years.

Out of the total unspent amount, the works in progress for the identified activities like installation of 2 Nos. ROs in two schools at Bihar, Payment to FRI towards Melia Composita Plantation at Uttrakhand, construction of culvert for crossing minor irrigation channel and road soiling with interlocking tiles in UP, construction of CC road in village Chakiya, Bihar etc. covering around Rs. 41,54,000/- could not be completed due to changes in project proposals arisen at later stage, non-submission of Report by the Committee, poor response to tenders called etc. These works are in progress. Since the above works are in progress, for the balance Rs. 28.29,814/- no plan was made and this will be taken care during the next financial year 2016-17.

7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

Sd/-
(V.K. Gaur)
Chairman-cum-Managing Director

वेबसाईट/ Wbsite : www.indiaseeds.com
ई–मेल/ E-mail : nsc@indiaseeds.com

दूरभाष (Phone No.) : 91-11- 25846292, 25846295,
फैक्स (Fax) : 91-11-25846462, 25842904

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली – 110 012
सीआईएन : U74899DL1963GOI003913
(आईएसओ 9001:2008 एवं14001:2004 प्रमाणित कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking - Mini Ratna Company)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI - 110012
CIN : U74899DL1963GOI003913
(An ISO 9001:2008 and 14001 : 2004 Certified Company)

एनएससी के निदेशक मंडल की दिनांक 30.12.2015 को हुई अपनी 264वीं बैठक में पारित संकल्प की प्रति

"**संकल्प किया जाता है की** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 अनुसूची– vii के साथ पढ़े तथा इसके अंतर्गत नियमों के अनुसरण में,कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों में नवीनतम संशोधन को देखते हुए संशोधित सीएसआर नीति को अनुमोदित किया जाता है और इसे निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने से पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को संशोधित सीएसआर पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाता है ।

प्रमाणित प्रति

ह0/–
मो. राकिम
कम्पनी सचिव
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली–110012

इस उपक्रम में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।

वेबसाईट/ Wbsite : www.indiaseeds.com
ई–मेल/ E-mail : nsc@indiaseeds.com
दूरभाष (Phone No.) : 91-11- 25846292, 25846295,
फैक्स (Fax) : 91-11-25846462, 25842904

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली – 110 012
सीआईएन : U74899DL1963GOI003913
(आईएसओ 9001:2008 एवं14001:2004 प्रमाणित कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking - Mini Ratna Company)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI - 110012
CIN : U74899DL1963GOI003913
(An ISO 9001:2008 and 14001 : 2004 Certified Company)

COPY OF RESOLUTION PASSED BY BOARD OF DIRECTORS OF NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED AT THEIR 264 th MEETING HELD ON 30.12.2015

"RESOLVED THAT" pursuant to the provisions of section 135 read with Schedule VII of the Companies Act.2013 and Rules thereunder , the CSR Policy as amended in view of the latest amendment in the relevent provisions of the Companies Act, 2013 be and the same are hereby approved and that the CMD be and is hereby authorized to sign the duly amended CSR Policy before uploading the same on the website of the Corporation.

Certified to the true cpoy

Sd/-
Md. Raquim
Company Secretary
National Seeds Corporation Limited
Beej Bhawan, Pusa Complex
New Delhi-110012

इस उपक्रम में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)

(सिन: यू 74899डीएल1963जीओआई003913)

"आईएसओ 9001: 2008 एवं आईएसओ 14001 : 2004 कंपनी"

बेवसाइट – www.indiaseeds.com

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर नीति

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली–110012

दूरभाष : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

NATIONAL SEEDS COPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-**Miniratna** Company)
(CIN: U74899DL1963GOI003913)

"An ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Company"
Website- www.indiaseeds.com

POLICY DOCUMENT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Regd. & Corporate Office

Beej Bhavan, Pusa Complex,
NEW DELHI-110012.

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

प्रस्तावना

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता, कंपनी की हितधारकों के प्रति, आर्थिक, सामाजिक और परिवेश की दृष्टि से स्थायी तौर पर व्यापार का संचालन करने के लिए, एक पारदर्शी और नैतिक प्रतिबद्धता है । हितधारकों में बड़े पैमाने पर कर्मचारी, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, व्यापार भागीदार, पक्षधार, नागरिक, सरकारी और गैर- सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, परिवेश और समाज शामिल हैं। यथा कंपनियों से हर समय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए सामाजिक, आर्थिक और परिवेश की दृष्टि से जिम्मेदार तरीके से स्वंय को संचालित करने हेतु उम्मीद की जा रही है ।

कंपनियों की सीएसआर एवं स्थिरता दायित्वों को विनियमित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियम विनिर्दिष्ट कंपनियों हेतु निगमित सामाजिक उत्तरदायत्वि से संबंधित अनिवार्य दायित्वों अनुपालन हेतु प्रदत्त करता है । अधिनियम के अंतर्गत एक नीति तय करने की आवश्यकता है जो कंपनी की सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए । तद्नुसार बोर्ड की सीएसआर समिति द्वारा विचार करने के पश्चात सुनिश्चित और अनुशंसित वर्तमान में तैयार नीति दस्तावेजों पर निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 31.07.2014 को आयोजित 255 वीं बैठक में सीएसआर नीति दस्तावेजों के क्रियान्वयन हेतु अनुमति दे दी है । अधिनियम की अनुसूची – vii में कुछ अनिवार्य परिवर्तनों के कारण वर्तमान सीएसआर नीति को संशोधित किया गया है ।

ह0/–
(वी.के.गौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

PREFACE

Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability is a Company's Commitment to its Stakeholders to conduct business in an economically, socially and environmentally sustainable manner that is transparent and ethical. Stakeholders include employees, investors, shareholders, customers, business partners, clients, Civilians, Government and Non-Government organizations, local communities, environment and Society at large. Thus the Companies are expected to conduct themselves in a socially, economically and environmentally responsible manner at all times for the cause of the National and International Interest.

In order to regulate the CSR and Sustainability obligations of Companies, the Companies Act, 2013 and Rules thereunder provide for Mandatory obligations concerning CSR to be complied with by specified Companies. The Act requires framing of a Policy by the Company which should be recommended by its CSR Committee and approved by Board of Directors. Accordingly, after considering the present Policy document prepared, finalized and recommended by the CSR Committee of the Board, the Board of Directors of the Corporation have approved the CSR Policy Document at its 255th meeting held on 31.07.2014 for implementation . In view of certain mandatory change brought out in Sechdule VII of the Act, the present CSR Policy is being revised.

Sd/-
(V.K.GAUR)
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

निगम की सीएसआर नीति

1.0 उद्देश्य

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत तैयार नियमों तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों (बाद में अधिनियम के रुप में संदर्भित) के अंतर्गत सीएसआर और स्थिरता के प्रावधानों का अनुपालन करना ।

(ii) निगम पर भारत सरकार द्वारा लागू समझौता ज्ञापन के सीएसआर और स्थिरता से संबंधित उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए ।

नोट: वह गतिविधियां जो कंपनी के कर्मचारियों या उनके परिवारों के हित से सीधे या पूरी तरह से संबंधित नहीं हैं, उन्हें सीएसआर गतिविधि के रुप में स्वीकार किया जाएगा ।

2.0 कार्यक्षेत्र/अवसर

निगम की सीएसआर नीति के दायरे में सभी हितधारकों को कवर किया जाएगा जिनको निगम की इकाईयों के नजदीकी या आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदाय के लिए सामाजिक आर्थिक, पर्यावरण संबंधी और सांस्कृतिक उत्थान की गतिविधियां शामिल होगी और समुदाय के लिए राहत/लाभ/कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा । कंपनी अधिनियम, 2013 साथ संलग्न अनुसूची vii में प्रदत्त एवं कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संशोधित सीएसआर गतिविधियाँ निम्नानुसार है:.

(i) भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करने, निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए योगदान एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्ध करवाना भी शामिल है ।

(ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना और विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और शारिरिक रुप से विकंलागों के बीच व्यवसाय कौशल को बढ़ाना और जीविका वृद्धिधारियों को बढ़ाना ।

(iii) महिलाओं को सशक्त बनाने, लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम,दिन देखभाल केन्द्र और इस तरह की अन्य सुविधाओं की स्थापना और सामाजिक व आर्थिक रुप से पिछड़ें, समूहों द्वारा सामाना की जाने वाली असमानताओं को दूर करने के उपाय।

(iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरण सतुंलन, वनस्पति और जीव संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा व पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना एवं गंगा नदी का पुनरुद्धार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित नमामि गंगे कोष में योगदान देना भी शामिल है ।

(v) राष्ट्रीय धरोहर, इमारतों और ऐतिहासिक प्रभुत्ता व कलाकृति स्थलों की मरम्मत सहित कला एवं संस्कृति का सरंक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारस्परिक कला और हस्तशिल्प का विकास और संवर्धन।

(vi) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के हितलाभ के लिए उपाय।

(vii) ग्रामीण खेल कूद, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल पैरालम्पिक खेल और ओलम्पिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या सामाजिक आर्थिक विकास एवं राहत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किसी अन्य फंड के लिए अंशदान ।

CSR POLICY OF CORPORATION

1.0 Objectives

(i) To comply with the provisions of Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder on CSR and Sustainability, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act).

(ii) To fulfil the MoU obligations as may be imposed upon by Government of India on the Corporation concerning CSR and Sustainability.

NOTE:- Only activities which are not directly or wholly related for the benefit of employees of the Company or their family members shall be considered as CSR activity.

2.0 Scope

The scope of CSR Policy of the Corporation will cover all Stakeholders which will also include socio-economic, environmental and cultural up-liftment activities for the Society at large dwelling in the areas surrounding to or nearby the Units of the Corporation. The focus will be on Community relief/benefits/welfare. The CSR activities as are provided in the Schedule VII appended to the Companies Act, 2013 and amended by MCA from time to time as under:-

i) Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting preventive health care including preventive health care and sanitation including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water;

ii) Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects;

iii) Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;

iv) Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water including contribution to the Clean Ganga Fund setup by the Central Government for rejuvenation of the river Ganga;

v) Protection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional arts and handicrafts;

vi) Measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents;

vii) Training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and Olympic sports;

viii) Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government

(ix) शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटेरों के लिए अंशदान या धनराशि उपलब्ध करवाना ।

(x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं ।

(xi) स्लम क्षेत्रों का विकास ।

टिप्पणी : – इस मद के उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित वह क्षेत्र, जिसे 'स्लम क्षेत्र' घोषित किया गया हो ।

3.0 पहल :

3.01 सीएसआर के तहत निम्न चहुंमुखी पहल की जाएंगी :.

i) **निगम प्रवर्तक के रुप में कार्य कर सकता है :** प्रथम चरण पर, निगम समझौता ज्ञापन के दायित्वों की पूर्ति हेतु सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों को क्रियान्वित करेगा । इसके साथ ही निगम अन्य अधिनियम के प्रावधानानुसार अन्य सीएसआर एवं सतत विकास गतिविधियों को अपने स्तर पर किन्तु निर्धारित बजट सीमा के भीतर क्रियान्वित करेगा ।

(ii) **निगम भागीदारी के रुप में कार्य करेगा :** निगम एक स्थायी आधार पर कारपोरेट रणनीति के दायित्व परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए स्वैच्छिक निकायों, स्वायत्त निकायों, सांविधिक ऐजेंसियों, राज्य और केन्द्र सरकार की ऐजेंसियों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से साझेदारी बढ़ाएगा ।

(iii) **निगम सूत्रधार के रुप में कार्य करेगा :** निगम इकाईयों में और उनके आसपास और साथ ही भारत के किसी भी हिस्से में विभिन्न सामाजिक हितलाभ परियोजनाओं के लिए योगदान करेगा ।

(iv) **निगम एक सलाहकार के रुप में कार्य करेगा :** निगम तकनीकी विशेषज्ञता, प्रबंधकीय विशेषज्ञता आदि के मामलें में निम्नलिखित कल्याण और विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करेगा ।

4.0 कंपनी नियम (सीएसआर नीति) , 2014 का विश्लेषण :

27.02.2014 को अधिसूचित कंपनी अधिनियम, (सीएसआर नीति) , 2014 के नियम 2(ग)के अनुसार "निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व" सीएसआर का आशय और सम्मिलित केन्द्र अंतिम नहीं है : (i) अधिनियम की अनुसूची vii में निर्धारित गतिविधियों हेतु संबंधित कार्यक्रम या परियोजनाए अथवा (ii) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में कंपनी की घोषित सीएसआर नीति के अनुसार शुरू की गई परियोजना या कार्यक्रम, बशर्ते ऐसी नीति अधिनियम के अनुसूची साथ में शामिल विषय को कवर करती है, तक ही सीमित नहीं है ।

सीएसआर नीति :

कंपनी अधिनियम (सीएसआर नीति), 2014 के नियम 2(ड़) के अनुसार "सीएसआर नीति" द्वारा शुरु की गई गतिविधियों जैसे कि अधिनियम की अनुसूची vii में निर्धारित है, और इन पर हुए व्यय, कंपनी के व्यवसायिक सामान्य कोर्स के अनुसार शुरू की गई गतिविधियों को छोड़कर से संबंधित है । धारा 135 (1) के तहत गठित सीएसआर सीमित कंपनी की सीएसआर नीति तैयार करेंगे जो कि निम्नलिखित को सम्मिलित करेंगे (क) अधिनियम के अनुसूची vii के संबंध में आने वाली परियोजना कार्यक्रम जो कंपनी के निष्पादन की एकरुपता / रुप रेखा और उनके कार्यान्वयन को निर्धारित कर रहे है और (ख) ऐसी परियोजना व कार्यक्रम की निगरानी ।

for socio-economic development and relief and welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women;

ix) Contribution or funds provided to technology incubators located within academic institutions which are approved by the Central Government;

x) Rural development projects.

xi) Slum area development

Explanation- for the purpose of this item,the term 'slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force

3.0 Initiatives

3.01CSR strategy will have fourfold initiative as under:

(i) **Corporation may act as Promoter**: In the first instance, the Corporation will take up CSR and Sustainability activities to fulfil MoU obligations. Simultaneously, the Corporation will take up other CSR and Sustainability activities on its own but within over all budgeted limit as per provisions of the Act.

(ii) **Corporation may act as a Partner:** Corporation will be building up partnership with Voluntary Bodies, Autonomous Bodies, Statutory Agencies, State and Central Government Agencies/PSUs, to take up Corporate Strategic Responsibility Projects on a sustainable basis.

(iii) **Corporation may act as Facilitator**: Corporation may make contributions to various Socially Beneficial Projects in and around its Units as well as in any part of India.

(iv) **Corporation may act as a Consultant**: Corporation may extend assistance in terms of technical expertise, managerial expertise, etc. to the following Welfare and Developmental Projects:-

4.0 Analysis of Companies (CSR Policy) Rules, 2014:

As per Rule 2(c) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rule, 2014 notified on 27.2.2014, "Corporate Social Responsibility (CSR)"means and includes but is not limited to: (i) Projects or programs relating to activities specified in S chedule VII to the Act; or (ii) Projects or programs relating to activities undertaken by the board of directors of a company (Board) in pursuance of recommendations of the CSR Committee of the Board as per declared CSR Policy of the company subject to the condition that such policy will cover subjects enumerated in Schedule VII of the Act.

CSR Policy:

Rule 2(e) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, states that "CSR Policy" relates to the activities to be undertaken by the company as specified in Schedule VII to the Act and the expenditure thereon, excluding activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company. The CSR Committee constituted under section 135(1), shall prepare the CSR Policy of the company which shall include the following; (a) a list of CSR projects or programs which a company plans to undertake falling within the purview of Schedule VII of the Act, specifying modalities of execution of such project or programs and implementation schedules of the same; and (b) monitoring process of such projects or programs.

यद्यपि सीएसआर गतिविधियों में कंपनी के व्यवसायिक सामान्य कोर्स के अनुसरण में, शुरु की गई गतिविधियां शामिल नहीं है आगे निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करें कि कपनी द्वारा सीएसआर नीति में शामिल गतिविधियां अधिनियम की अनुसूची vii में शामिल गतिविधियों से संबंधित है ।

5.0 **कंपनियां जिन्हें सीएसआर नीति नियमों का अनुपालन करना है :**

नियम 3 : कंपनी नियम (सीएसआर नीति) के नियम 3(1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी अपने होल्डिंग व सहायकों को शामिल कर और अधिनियम की धारा 2(42) के तहत परिभाषित उसे विदेशी कंपनी जिसके शाखा कार्यालय या परियोजना कार्यालय भारत में हो, जो अधिनियम की धारा 135 (1) में निर्धारित मानकों को पूरा करते है, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों और इन नियमों का अनुपालन करेंगी । तथापि अधिनियम की विदेशी कंपनी के निवल मूल्य, कारोबार व निवल लाभ की गणना अधिनियम की धारा 198 और धारा 381 (1) (क) के प्रावधानों के अनुसार ऐसी कंपनी के तैयार किए गए तुलनपत्र और लाभ-हानि खातों के अनुसार होगा ।

नियम 3(2) : आगे, नियम 3(2) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जो लगातार 3 वर्षो तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के तहत कवर की गई कंपनी नहीं है तो उसे (क)सीएसआर समिति का गठन, और (ख) उक्त धारा की उपधारा (2) से (5) तक में न्यूनतम प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह अधिनियम की धारा 135 (1) में निर्धारित मानदंडों को हासिल नहीं करता है ।

नियम 4(1) : कंपनी को अपने सीएसआर नीति के अनुसार , जैसा कि परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों (या तो नया अथवा चालू) को व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसरण में लिए गए क्रियाकलापों को छोड़कर सीएसआर क्रियाकलाप में लेना होगा ।

नियम 4 (2) : कंपनी का निदेशक मंडल, सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलापों को किसी पंजीकृत न्यास अथवा पंजीकृत सोसायटी अथवा कंपनी के द्वारा स्थापित सहयोगी कंपनी अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत हिस्सेदारी अथवा सहयोगी कंपनी के माध्यम से अपने सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय कर सकती है । यद्यपि, (i) यदि ऐसे न्यास, सोसायटी अथवा कंपनी के द्वारा स्थापित नहीं है अथवा इसके धारित अथवा हिस्सेदारी सहयोगी कंपनी नहीं है, तो इस तरह के कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं को शुरू करने में 03 वर्षो का एक स्थापित ट्रैक रिकार्ड होगा ।
(ii) कंपनी को इन संस्थाओं के माध्यम से किए जाने वाले इन स्तर के परियोजना अथवा कार्यक्रमों की निगरानी एवं रिपोटिंग तंत्र पर धन के प्रयोग के तौर तरीकों को निर्दिष्ट करना होगा ।

6.0 **सीएसआर क्रियाकलापों के लिए संसाधनों की पुलिंग :**

नियम 4(3) : कंपनी इस तरीकों से अन्य कंपनियों के साथ भी इन परियोजना अथवा कार्यक्रम अथवा गतिविधियों को संचालित कर सकती है, जिसे कि संबंधित कंपनी के सीएसआर समिति, नियमानुसार इस तरह के परियोजना अथवा कार्यक्रमों अलग से रिपोर्ट देने की स्थिति में हो सके ।

नियम 4(4) : अधिनियम की धारा 135 (5) उपबंधों के अधीन रहते हुए सीएसआर परियोजना अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों को सिर्फ भारत में खर्च करने के लिए ही सीएसआर राशि होगी, भारतीय समाज को सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित किया जाना चाहिए ।

नियम 4(5) : कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, कंपनी के कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों को सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से होने वाले लाभ को सीएसआर गतिविधियों के रुप में नहीं माना जाएगा ।

नियम 4(6) : कंपनियां कम से कम 3 वित्तीय वर्ष स्थापित ट्रैक रिकार्ड के साथ संस्थानों के माध्यम से अपने कार्मिकों के साथ साथ कार्यान्वयन करने वाली ऐजेंसियों के साथ सीएसआर क्षमता का निर्माण कर सकती है, परंतु इस तरह का व्यय एक वित्त वर्ष में कंपनी के कुल सीएसआर व्यय का 05% से अधिक नहीं होगा।

However, the CSR activities do not include the activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company. Further, that the Board of Directors shall ensure that activities included by a company in its Corporate Social Responsibility Policy are related to the activities included in Schedule VII of the Act.

5.0 Companies that are required to comply with CSR policy Rules:

Rule 3: Rule 3(1) of Companies (CSR Policy) Rules provides that every company including its holding or subsidiary, and a foreign company defined under section 2(42) of the Act having its branch office or project office in India, which fulfils the criteria specified in section 135(1) of the Act shall comply with the provisions of section 135 of the Act and these rules. However, net worth, turnover or net profit of a foreign company of the Act shall be computed in accordance with balance sheet and profit and loss account of such company prepared in accordance with the provisions of section 381(1) (a) and section 198 of the Act.

Rule 3(2): further, Rule 3(2) states that every company which ceases to be a company covered under section 135(1) of the Companies Act, 2013 for three consecutive financial years shall not be required to (a) constitute a CSR Committee and (b) comply with the provisions contained in sub-section (2) to (5) of the said section, till such time it meets the criteria specified in section 135(1) of the Act.

Rule 4(1): The CSR activities shall be undertaken by the company, as per its stated CSR Policy, as projects or programs or activities (either new or ongoing), excluding activities undertaken in pursuance of its normal course of business.

Rule 4(2): The Board of a Company may decide to undertake its CSR activities approved by the CSR Committee, through a registered trust or a registered society or a company established by the company or its holding or subsidiary or associate company under section 8 of the Act or otherwise: However (i) if such trust, society or company is not established by the company or its holding or subsidiary or associate company, it shall have an established track record of three years in undertaking similar programs or projects; (ii) the company has specified the project or programs to be undertaken through these entities, the modalities of utilization of funds on such projects and programs and the monitoring and reporting mechanism.

6.0 Pooling of resources for CSR activities:

Rule 4(3): A company may also collaborate with other companies for undertaking projects or programs or CSR activities in such a manner that the CSR Committees of respective companies are in a position to report separately on such projects or programs in accordance with these rules.

Rule 4(4): Subject to provisions of section 135(5) of the Act, the CSR projects or programs or activities undertaken in India only shall amount to CSR Expenditure. It implies that the Indian Society must be benefited out of the CSR projects.

Rule 4(5): The CSR projects or programs or activities that benefit only the employees of the company and their families shall not be considered as CSR activities in accordance with section 135 of the Act.

Rule 4(6): Companies may build CSR capacities of their own personnel as well as those of their implementing agencies through Institutions with established track records of at least three financial years but such expenditure shall not exceed five percent of total CSR expenditure of the company in one financial year.

नियम 4(7) :अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी के लए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से किसी भी राशि का अनुदान सीएसआर गतिविधियों के रुप में नहीं किया जायेगा ।

नियम 6 : कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली के नियम 6 में सीएसआर नीति के साथ समझौता नियम 6 (1) के अनुसार कंपनी के सीएसआर नीति में निम्निलिखित शामिल है:.

(क) सीएसआर परियोजना अथवा कार्यक्रम की एक सूची, जिस पर कम्पनी ने अधिनियम की अनुसूची vii के दायरे में इस तरह की परियोजना या कार्यक्रम के निष्पादन के तौर-तरीके एवं उसके क्रियान्वयन के तरीके शामिल किए हों ।

(ख) ऐसी परियोजनायें या कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया। यद्यपि, सीएसआर गतिविधियों में कम्पनी के सामान्य व्यापार की गतिविधियॉ शामिल नहीं हैं । इसके अलावा निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी द्वारा अपनी सीएसआर नीति में शामिल की गई गतिविधियॉ अधिनियम की अनुसूची vii में शामिल गतिविधियों से संबंधित है ।

(ग) सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष :

नियम 6(2) के अनुसार, कम्पनी की सीएसआर नीति में विनिर्दिष्ट होगा कि सीएसआर परियोजना अथवा कार्यक्रम अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष कम्पनी के लाभ के रूप में नहीं होगा ।

7.00 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची vii के अंतर्गत निर्धारित सीएसआर कार्यकलापों के क्रियान्वयन की कार्य प्रणाली :

7.01 उन्मूलन, भूखमरी, गरीबी इत्यादि :

बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूखमरी, आग, गृहयुद्ध, दंगा, मलेरिया एवं अन्य प्राकृतिक और अप्राकृतिक वातावरण की स्थिति में, जहां पर लोग अपनी आजीविका के लिए पैसा कमाने की स्थिति में नहीं है और आसपास के बाजारों में खाद्यान्न वस्तुएँ उपलब्ध नहीं होती है, जिसके कारण व्यापक भूख, गरीबी, कुपोषण इत्यादि हो जाता है तो इस प्रकार सीएसआर की राशि को ऐसी जगहों पर खर्च किया जाता हैए बशर्ते कि ऐसी स्थिति के लिए, स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई हो ऐसी जगहों पर सीएसआर की राशि खर्च की जाती है । इसके अलावा निगम स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बीज उत्पादन एवं अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तथा खाद्यान्न की कमी को कम करने के लिए निगम प्रयासरत रहता है । बजट में सीएसआर राशि उपलब्ध रहने पर, एनएससी केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में साफ सफाई एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने में योगदान दे सकता है ।

7.02 शिक्षा आदि का संवर्धन :
निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :-

(क) स्थानीय लोगों के बीच साक्षरता लाने में सरकार के मिशन में योगदान करना, जोकि कृषि विषय पर केन्द्रित होगा ।

(ख) सीएसआर बजट की राशि उपलब्ध होने पर, निगम के आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना करना ।

(ग) निगम की ईकाईयों के नजदीकी गॉवों / कालोनियों के निवासियों में साक्षरता को बढ़ावा देना और विशेषकर कृषि संबंधी कार्यों पर प्रशिक्षण प्रदान करना ।

(घ) निगम की ईकाईयों के नजदीकी क्षेत्रों के आदिवासीय क्षेत्रों में विशेष सहायता प्रदान करना जिसमें स्कूल के बस्तें, किताबें और अन्य पठन सामग्री का वितरण तथा छात्रवृत्ति इत्यादि के लिए अनुदान देना शामिल हैं ।

Ruled 4(7): Contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the Act, shall not be considered as CSR activity.

Rule 6: Rule 6 of Companies (CSR Policy) Rules deal with CSR Policy. According to Rule 6(1), the CSR Policy of the company shall, interalia, include the following, namely:-

(a) A list of CSR projects or programs which a company plans to undertaken falling within the purview of Schedule VII of the Act, specifying modalities of execution of such project or programs and implementation schedules for the same; and

(b) Monitoring process of such projects or programs.

However, the CSR activities do not include the activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company. Further, the Board of Directors shall ensure that activities included by a company in its CSR policy are related to the activities included in Schedule VII of the Act.

(c) Surplus arising out of CSR activities:

According to Rule 6(2), the CSR Policy of the company shall specify that the surplus arising out of the CSR projects or programs or activities shall not form part of the business profit of a company.

7.00 Modus Operandi on the Implementation of CSR Activities prescribed under Schedule VII of Companies Act, 2013:

7.01 Eradicate hunger, poverty etc.:

In case of flood, drought, cyclones, earthquakes, fires, civil wars, riots, Malaria and other natural and un-natural calamities where the people are not in a position to earn money for their livelihood or edible items are not available in the local & nearby markets due to which pervasive hunger, poverty, malnutrition etc. are prevailing, the CSR funds towards such objects may be deployed provided that such a situation is announced by the local authorities, State Government or Central Government. Besides, Corporation will also make contribution to boost seed production and other agricultural activities for providing means of livelihood to the local employment of people and to curtail the shortage of food grains. Subject to availability of CSR funds in the Budget, NSC may contribute to Swachh Bharat Kosh set-up Central Government for sanitation and making available safe drinking water.

7.02 Promotion of Education etc. :

Following targets are set:-

(a) To contribute Government's Mission in bringing total literacy amongst local people, which will be centralized on agricultural subjects.

(b) Subject to availability of CSR budgeted amount, to establish Schools preferably in the areas nearby the Units of the Corporation.

(c) Promotion of literacy amongst residents of Colonies and villages nearby the Units of the Corporation, with specific attention to provide training and exposure on agricultural related works.

(d) Specific support for tribal students in areas nearby the Units of the Corporation by distribution of school bags, book and other reading materials, grant of scholarships etc.

7.03 लैंगिक समानता, महिलाओं को सशक्त बनाना इत्यादि :

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि के साथ बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, आश्रय प्रदान करने के लिए उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में निगम कंधे से कंधा मिला कर कार्य करेगा । उपरोक्त मामलों में निगम लैंगिकता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा ।

(ख) महिलाओं के लिए समान सुविधा प्रदान करना । यदि किसी भी कारण भेदभाव उत्पन्न होता है तो निगम उसका हल निकालने का प्रयास करेगा, यदि इस प्रकार की शिकायत पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जाती है ।

(ग) निगम सीएसआर की राशि को नियमानुसार, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की योजनाओं के अनुसार इन उद्देश्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य साधनों में भी सीएसआर की राशि का खर्च उठायेगा बशर्ते जहॉं पर निगम की ईकाईयां स्थापित हों ।

7.04 पर्यावरण स्थिरता इत्यादि सुनिश्चित करना :

निगम प्रत्यक्ष तौर पर अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ भागीदारी के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करेगा ।

क) पर्यावरण प्रबंधन इत्यादि पर संवेदनशील कार्यक्रमों का आयोजन ।

ख) पर्यावरण प्रबंधन में हितधारकों की चिन्ता को दूर करने के उपाय ।

ग) सामाजिक उपयोगिता के लिए वृक्षारोपण / ग्रीनबेल्ट विकास / पौध सामग्री अथवा फलों के बीजों /वानिकी / उपयोगिता /सब्जियों आदि के कार्यो को लेना ।

घ) समग्र प्रदूषण नियंत्रण के उपाय ।

ड़) महत्वपूर्ण मानदंडों की सतत निगरानी ।

च) बजट में सीएसआर राशि उपलब्ध रहने पर, एनएससी केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित नमामि गंगे कोष में गंगा पुनरुद्वार के लिए योगदान दे सकता है ।

छ) सीएसआर समिति के निर्णय के अनुसार इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम ।

7.05 राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण जिसमें इमारतों एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्य भी शामिल हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारम्परिक कला और हस्तशिल्प का संवर्द्धन एवं विकास ।

(क) राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण के संबंध में, भारत सरकार का पुरातत्व विभाग सभी ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों का संरक्षक है ।

(ख) निगम बीज के क्रियाकलापों को करता है, इसलिए उपरोक्त कार्यो को करना सम्भव नहीं है जैसा कि उल्लिखित कार्यो में अपने स्वयं का शाखा के या विभाग में उपलब्ध कार्यो को करना सम्भव नहीं है । अत: राशि की उपलब्धता एवं सीएसआर समिति की सिफारिशों की शर्तो पर निदेशक मंडल कुछ सरकारी विभागों / संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार कर सकता हैए जो पहले से ही ऐसे कार्यो से जुड़े हुए हों ।

7.03 Promoting gender equality, empowering women etc. :

(a) Corporation will join hands with Central Government, State Government, Local Authorities, Social Organizations, NGOs etc. in attaining the above objectives for the provisions of basic general facilities, education, shelters, dwelling Units etc. No discrimination will be made merely on the basis of gender in any of the above matters.

(b) Equal facilities will be provided to the women class. In case of any causes concerning discrimination, the same will be resolved by corporation if these are reported by the aggrieved concerned.

(c) NSC will also incur expenses of CSR towards other means for facilitating these objectives as per laws, Rules, Schemes of Government of India or the Government of State where Units of the Corporation are located.

7.04 Ensuring environmental sustain ability etc.:
The Corporation will take up following programmes either directly or through partnerships with other PSUs.

a) Organising sensitizing programmes on environment management, etc.

b) Environment Management Measures to address the concerns of stake holders

c) Green Belt Development /distribution/plantation of social utility trees/planting material or seeds of f fruits/forest/utility/vegetable etc.

d) Total Pollution Control Measures

e) Continuous monitoring of Vital Parameters

f) Subject to availability of CSR funds, NSC may contribute to the Clean Ganga fund set up by Central Government for rejuvenation of river Ganga

g) Such other programmes as may be decided by CSR Committee.

7.05 Protection of National Heritage, Art & Culture including restoration of Buildings and Sites of Historical Importance and Works of Art, Setting up public Libraries, Promotion and Development of Traditional Art and Handicrafts.

(a) As regards protection of National Heritage etc. the Archaeological Department of Government of India is the custodian of all the Historical Buildings and Sites.

(b) Moreover, the Corporation is engaged in Seed Activities, therefore, it is not possible for it to carry out the above works by making a set up at its own or a wing or a department to work on the targets as mentioned above. Therefore, subject to availability of funds and recommendations of CSR Committee, the Board of Directors may consider the proposal for contributing to some Government Department/ Organizations who are already engaged in taking up these activities.

(ग) सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के संबंध में निगम ऐसे गाँवों एवं क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना कर सकता है, जहाँ पर इसकी ईकाईयाँ हों ।

(घ) पारम्परिक कला एवं हस्तशिल्प में संवर्धन एवं विकास के संबंध में, निगम स्थानीय निवासियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने पर विचार कर सकता है बशर्ते लोक उद्यम विभाग द्वारा, संबंधित वित्त वर्ष के समझौता ज्ञापन में प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया हो ।

7.06 सशस्त्र बलों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए हित के उपाय ।

निगम विशेष रूप से, युद्ध के दौरान ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिकतम समर्थन / योगदान देने के प्रयास करेगा । निगम उनको आजीविका का अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करेगा ।

7.07 ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल पैरालम्पिक खेल और ओलम्पिक खेलों के लिए प्रशिक्षण ।

बजट की उपलब्धता के अनुसार, निगम की ईकाईयों के आसपास रहने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों को वित्तीय मदद करा सकता है ताकि वे पैरालिम्पिक / ओलम्पिक खेलों में भाग ले सके ।

7.08 **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक, आर्थिक विकास और राहत के लिए अन्य कोष में अंशदान, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के कल्याण के लिए योगदान के कार्यों को करना ।**

निगम उपरोक्त उद्देश्यों के लिए भी अपनी सीएसआर बजट में से राशि प्रदान करने पर विचार कर सकती है ।

7.9 **केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थाओं के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर को प्रदत्त राशि या अंशदान ।**
इन उद्देश्यों के लिए भारत सरकार द्वारा रख-रखाव की गई संस्थाओं को निगम धनराशि प्रदान कर सकता है ।

7.10 ग्रामीण विकास परियोजना :

साधारणतय: निगम के फार्म ग्रामीण विकास में स्थापित है जोकि अत्याधिक विकसित नहीं है ओर फार्म न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार देता है बल्कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, पीने का पानी इत्यादि भी उपलब्ध करा रहें हैं । यद्यपि, निगम परियोजना के माध्यम से अन्य विविधिकरण और नवीन गतिविधियों की योजना को लक्षित कर रहा है जिससे ग्रामीण विकास में संतोषजनक वृद्धि हो सकें और समग्र रुप से लाभन्वित हो सके विशेषकर जहां पर निगम की इकाई स्थापित हो अथवा उसके आसपास ।

7.11 स्लम क्षेत्र का विकास :

सीएसआर राशि उपलब्ध रहने पर, एनएससी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित स्लम क्षेत्र विकास में राशि खर्च कर सकता है ।

8.00 बजट का आंबटन :

जब तक निगम की निवल संपत्ति रु. 500 करोड़ अथवा अधिक बनी रहती है अथवा कुल कारोबार रु. 1000/- करोड़ से कम नहीं है अथवा शुद्ध लाभ रु. 5 करोड़ से कम नहीं है । कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निगम ने सीएसआर गतिविधियों पर आगामी 3 वित्तीय वर्षो के दौरान निवल लाभ का कम से कम 2% निर्धारित किया है । औसत शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधान के अनुसार की जाएगी ।

(c) Regarding establishment of a Public Library, Corporation may consider for establishing such Library in the Towns/area where its Units are located.

(d) As regards Promotion and Development of Traditional Arts and Handicrafts, the Corporation may consider to provide Training to the local inhabitants if the stipulation for providing the Training is imposed by DPE in the MoU of the Financial Year concerned.

7.06 Measures for the benefits of Armed Forces veterans, war widows and their dependents.

The Corporation shall endeavour its best to make maximum support/contribution to such persons particularly during war period, if any, and thereafter. The Corporation will also make efforts to provide the opportunities of their livelihood.

7.07 Training to promote Rural Sports, nationally recognized sports, paralympic sports and Olympic sports.

Subject to availability of budget cushion, the Corporation may promote opportunities preferably to the people who are residing in the areas where the Units of the Corporation are located and in case of talented persons, may financially support them to participate in paralympic /Olympic sports.

7.08 Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government or the State Governments for socio-economic development and relief and funds for the welfare of the Scheduled Casts, Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women.

Corporation may also consider to contribute funds for the above purpose out of the CSR budget.

7.09 Contribution or funds provided to technology incubator located within Academic Institutions which are approved by the Central Government.

The Corporation may contribute to the funds maintained by Government of India for this purpose.

7.10 Rural Development Projects.

Generally the Farms of the Corporation are located in Rural areas which are not very much developed and the Farms are not only providing the employment to the local people but also directly or indirectly providing education, medical facilities, availability of drinking water etc. However, the Corporation may target to plan other diversification and innovative activities through projects which may enhance the degree of Rural Development to a satisfactory level and local population may be benefited from the overall advantages which may accrue by establishing the Rural Projects particularly in the areas where Units of the Corporation are located or in their vicinities.

7.11 Slum Area Developmeny

Subject to availability of CSR funds, NSC will incur amounts on Slom Area Development as declared by Central of State Government or any authority under any law.

8.00 Budget Allocation

So far the net worth of the Corporation remains Rs. 500.00 Crores or more or Turnover remains not less than Rs.1000.00 Crores or a Net Profit remains not less than Rs. 5.00 Crores, the Corporation shall earmark at least 2% of the Average Net Profit of the Corporation made during the three immediately preceding Financial years towards CSR activities in compliance of the Provisions of the Companies Act, 2013. The average net profit shall be calculated as per the provisions of the Section 198 of the Companies Act, 2013.

9.0 सीएसआर राशि के लिए आंबटित किए गए राशि को उस वर्ष में खर्च नहीं किए जाने की परिस्थितियॉं :

(क) निगम सीएसआर बजट की राशि उस वर्ष खर्च करना सुनिश्चित करेगा । यद्यपि, किसी भी कारण से राशि खर्च न करने के कारणों को अपने निदेशक मंडलों की रिपोर्ट में बताना होगा। इस मद में बची हुई राशि को अगले वर्ष में खर्च किया जाएगा ।

(ख) निगम के निर्धारित सीएसआर नीति, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित होगी। इसके अलावा,सीएसआर गतिविधियों के तहत व्यय किए गए राशि को भी निदेशक मंडल की रिपोर्ट में बताना होगा और इस संबंध में निगम द्वारा प्रस्तावित गतिविधियां भी परिलक्षित करनी होगी ।

10.0 शक्तियों का प्रत्यायोजन :

निगम की सीएसआर नीति के शर्तो के अनुसार, सीएसआर समिति कंपनी की नीतियों को तैयार करेगी जिसमें निम्न शामिल होंगे :-

(i) किए जाने वाले परियोजना व कार्यक्रमों का उल्लेख,

(ii) सीएसआर परियोजना/कार्यक्रमों की सूची तैयार करना जिसमें लागू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा शुरू करने की योजना हो और चुने हुए क्षेत्रों में क्रियान्वयन एवं निष्पादन के तौर तरीकों को निर्दिष्ट करना ।

(iii) कंपनी की सीएसआर परियोजना/कार्यक्रम, सामाजिक व पर्यावरण संबंधी प्राथमिकताओं के साथ व्यापार मंडल को एकीकृत करने पर ध्यान केन्द्रित करना ।

(iv) कंपनी की सीएसआर नीति में, यह होना चाहिए कि सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष राशि कंपनी के लाभ का हिस्सा नहीं होगी ।

11.0 सीएसआर व्यय :

नियम 7 के अंतर्गत, सीएसआर के खर्चो में, सीएसआर गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं / कार्यक्रमों के लिए कॉर्पस का अंशदान भी शामिल होंगा जिन्हें सीएसआर समिति की सिफारिशों पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो । परंतु मद के अनुरुप अथवा गतिविधियों से संबंधित खर्च शामिल नहीं है, जोकि अधिनियम की अनुसूची 7 के दायरें में आते है ।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सीएसआर की रिपोटिंग : नियम 8(1) के तहत 01.04.2014 को अथवा इसके पश्चात प्रांरभिक वित्त वर्ष से संबंधित इन नियमों के तहत शामिल कंपनी की निदेशक मंडल की रिपोर्ट में - सीएसआर नीति,नियम, 2014 को अनुबंध के रुप में शामिल करना होगा। इसके अलावा, विदेशी कंपनियों के मामलें में, नियम 381 का उप नियम (1) (ख) के अंतर्गत दाखिल किए गए तुलनपत्र में सीएसआर से संबंधित रिपोर्ट नियम 8(2) के तहत अनुबंध के रुप में शामिल होगा ।

नियम 9 : सीएसआर गतिविधियों को अपने वेबसाइट पर डालना :

कंपनी का निदेशक मंडल, सीएसआर समिति द्वारा किए गए सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लिए सीएसआर नीति का अनुमोदन तथा ऐसी नीतियों की विषयवस्तु को अपनी रिपोर्ट में प्रकटीकरण करेगा और सीएसआर नीति नियम, 2014 के अनुबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार उसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करेगा ।

9.0 Circumstances where the budgeted CSR amount of the Current year is not utilized in the same year.

a. The Corporation will ensure to spend the CSR budgeted amount within the same year. However, if for what so ever reasons, the amount is not spent, the Corporation shall disclose the reasons in its Directors' Report for not spending the amount. The unspent amount will be carried forward for utilization in the next year.

b. The statement that the Corporation has framed a CSR Policy will have to be inserted in the Directors' Report. Moreover, the amount incurred under CSR activities will have to be described in the Directors' Report and all further initiatives proposed by the Corporation in this regard will also be reflected.

10.0 Delegation of Powers:

In terms of the Corporation's CSR Policy, the CSR Committee shall prepare the Policy of the Company which shall include the following:-

i) Specify the projects and programmes that are to be undertaken.

ii) Prepare a list of CSR projects/programmes which a company plans to undertake during the implementation year, specifying modalities of execution in the areas/sectors chosen and implementation schedules for the same.

iii) CSR projects/programmes of a company may also focus on integrating business models with social and environmental priorities and processes in order to create shared value.

iv) CSR policy of the Company should provide that surplus arising out of the CSR activity will not be part of business profits of a Company.

11.0 CSR Expenditure:

Under Rule 7, CSR expenditure shall include all expenditure including contribution to corpus for projects or programs relating to CSR activities approved by the board on the recommendation of its CSR Committee, but does not include any expenditure on an item not in conformity or not in line with activities which fall within the purview of schedule VII of the Act.

CSR Reporting in Board's Report: Rule 8(1) requires that the Board's Report of a company covered under these rules pertaining to a financial year commencing on or after the 1st day of April, 2014 shall include an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure to the CSR Policy Rules, 2014. Further, in case of a foreign company, the balance sheet filed under sub-clause (b) of sub-section (1) of section 381 shall contain an Annexure regarding report on CSR (Rule 8(2).

Rule 9 : Display of CSR activities on its website:

The Board of Directors of the Company shall, after taking into account the recommendations of CSR Committee, approve the CSR Policy for the company and disclose contents of such policy in its report and the same shall be displayed on the company's website, if any, as per the particulars specified in the Annexure of CSR Policy Rules, 2014.

12.0 कारपोरेट समाज के लिए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का अवसर :

आर्थिक पर्यावरण के बदलें माहौल में, कारपोरेट समाज के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है । गतिविधियों के संबंध में, अधिसूचना संख्या 1/15/2013–सीएल.बी दिनांक 27.2.2014 की अधिसूचना के द्वारा अनुसूची 7 संशोधित की गई थी जिससे कंपनियों को अपने सीएसआर नीति में शामिल किया था। यह अधिसूचना 01.04.2014 से अस्तित्व में आया ।

13.0 अर्हता प्राप्त कंपनियों द्वारा अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए सीएसआर पहल का प्रारुप :

कंपनियों के लिए अनुबंध (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 निम्नलिखित निर्धारित रिपोटिंग प्रारुप :

(i) कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त रुपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजना अथवा कार्यक्रम का अवलोकन सीएसआर नीति एवं परियोजना अथवा कार्यक्रम हेतु वेबलिंक का संदर्भ भी शामिल है ।

(ii) सीएसआर समिति की संरचना ।

(iii) कंपनी के पिछले 03 वित्तीय वर्षो का औसतन निवल लाभ ।

(iv) निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद संख्या 3) के अनुसार राशि का 2%

(v) वित्त वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण :

(क) वित्त वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि ।
(ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो ।
(ग) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधियों	परियोजना क्षेत्र, जिसमें शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (i)स्थानीय क्षेत्र अन्य (ii) विनिर्दिष्ट करें : राज्य / जिला, जहां यह कार्यक्रम / परियोजना शुरु की जानी है ।	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि की रूपरेखा (बजट)	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष: (i)प्रत्यक्ष व्यय अथवा कार्यक्रम (ii) उपरी शीर्ष	रिपोटिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष अथवा लागू करने वाली ऐजेंसी के माध्यम से *
1	2	3	4	5	6	7	8

* लागू करने वाली एजेन्सी का ब्योरा दें।

12.0 Greater opportunities for corporate to benefit society:

In the changed economic environment, corporate have a greater responsibility to society as a whole. Schedule VII was amended by Notification F.No. `1/15/2013-CL. V, dated 27.2.2014 in respect of activities which may be included by companies in their CSR policies. This notification came into force with effect from 1.4.2014.

13.0 Format for the Annual Report on CSR initiatives to be included in the Board Report by the Qualifying Companies:

The Annexure to the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, prescribe the following reporting format:

1. A brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.

2. The Composition of the CSR Committee

3. Average net profit of the company for last three financial years.

4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above)

5. Details of CSR spent during the financial year;
   (a) Total amount to be spent for the financial year;
   (b) Amount unspent, if any;
   (c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:-

Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or programmes (1) Local area or other (2)Specify the State and di strict where projects or programms was undertaken	Amount outlay (budget) project or programms wise	Amount spent on the projects or programms Sub-heads: (1) Direct expenditure or programms (2) Overheads:	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through impleme nting agency*
1	2	3	4	5	6	7	8

* Give details of implementing agency:

अनुबंध - III

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. निगमित शासन प्रणाली:

निगम ने अपना, जहाँ तक सम्भव हो सका लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन के दिशा-निर्देश, 2010 को क्रियान्वित किया और कई नाजुक क्षेत्रों में पहल करते हुए बड़े-बड़े कार्य किए हैं जिनका सामान्य जनजीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है ।

यह निगम ईमानदारी पर विश्वास करता है और टिकाऊ सफलता के लिए इसे आवश्यक शर्त मानता है। पारदर्शिता, निष्पक्षता, जबावदेयता और उत्तरदायित्व कम्पनी के व्यापारिक कार्यकलापों के स्तम्भ हैं। निगम की इस पहलात्मक कार्रवाई से सर्वोतम निगमित शासन आचरण अपनाने की निगम की वचनबद्धता को प्रवलता मिलती है।

2. निदेशक मण्डल:

क) निदेशक मण्डल का आकार:

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी है, जिसकी कुल चुकता अंश पूंजी का शत प्रतिशत अंश भारत के राष्ट्रपति के पास है। कम्पनी के संस्था अंतर्नियम के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

निगम के संस्था अन्तर्नियम की शर्तों के अनुसार इसके निदेशक मण्डल में दो से कम और पच्चीस से ज्यादा निदेशक नहीं होने चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक अथवा अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

ख) गठन:

लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निदेशक मण्डल में कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों का एक इष्टतम सम्मिश्रण होना चाहिए। 31 मार्च, 2016 को निदेशक मण्डल में पॉच निदेशक थे, जिनमें से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत सरकार की ओर से नामित दो निदेशक तथा दो प्रकार्यात्मक निदेशक शामिल है। अनेक लिखित अनुरोधों एवं अनुस्मारकों के वाबजूद सरकार ने अब तक स्वतंत्र निदेशकों की पुन: नियुक्ति नहीं की है ।

ग) निदेशक मण्डल की बैठकें :

निदेशक मण्डल / समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके समुचित अग्रिम सूचना देने के बाद निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित की जाती है। विशेष आवश्यक मामलों पर विचार करने के लिए लघु अवधि की सूचना पर भी बैठकें आयोजित की जाती हैं जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(प्रथम व द्वितीय प्रावधान) के तहत अनुमति दी गई है। संकटकाल अथवा अत्यावश्यकता की स्थिति में, निदेशक मण्डल से परिचालन के माध्यम से भी संकल्प पारित कराये जाते हैं।

निदेशक मण्डल के सदस्यों को समय रहते विस्तृत कार्यसूची, प्रबन्ध रिपोर्ट एवं अन्य व्याख्यात्मक विवरण परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठकों में अर्थपूर्ण, सूचनापरक तथा सकेन्द्रित निर्णय लेने में सुविधा हो। जिन मामलों में किसी दस्तावेजों को परिचालित करना व्यवहारिक न हो अथवा कार्यसूची गोपनीय प्रकृति की हो तो ऐसे दस्तावेजों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर इन्हें बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाता है।

घ) निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या :

क्र.सं.	निदेशक मंडल की बैठक की संख्या	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख
1.	261वां	14.05.2015
2.	262वां	17.08.2015
3.	262वां स्थगित बैठक	28.08.2015
4.	263वां	30.09.2015
5.	264वां	30.12.2015
6.	265वां	30.03.201 6

Annexure-III

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. CORPORATE GOVERNANCE PHILOSOPHY

Your Corporation has implemented the Corporate Governance Guidelines, 2010 of the DPE to the extent possible and has undertaken major initiatives in several critical areas which impact the lives of the common man in a positive way.

Corporation believes in integrity as a necessary condition for enduring success. Transparency, fairness, accountability and responsibility are the pillars of the Corporation's business activities. The initiative further reinforces the commitment of the Corporation to adopt best corporate governance practices.

2. BOARD OF DIRECTORS

a) Size of Board

National Seeds Corporation Limited is a Government Company within the meaning of section 2(45) of the newly enacted Companies Act, 2013 as the President of India holds 100% of the total paid-up share capital. As per Articles of Association, the power to appoint Directors vests in the President of India.

In terms of the Articles of Association of the Corporation, the strength of NSC Board shall not be less than two Directors and not more than twenty five Directors. These Directors may be whole-time functional Directors, part-time Directors and Govt. Directors.

b) Composition

As per Corporate Governance Guidelines of DPE, the Board of Directors should have an optimum combination of executive and non-executive Directors. As on 31st March, 2016 the Board comprised five Directors out of which one is full time Chairman cum Managing Director, two directors are nominees of Government of India and two are functional Directors. No Independent Director has been re-appointed so far by the Government despite written requests and reminders.

c) Board Meetings

The meetings are convened by giving appropriate advance notice after obtaining approval of the Chairman of the Board/Committee. To address specific urgent need, meetings are also being called at a shorter notice as permitted under Section 173(1st & 2nd Proviso) of Companies Act, 2013. In case of exigencies or urgency, resolutions are also got passed by circulation, by the Board.

Detailed agenda, management reports and other explanatory statements are circulated in advance in the defined agenda format amongst the members for facilitating meaningful, informed and focussed decisions at the meetings. Where it is not practicable to circulate any document or the agenda as being of confidential nature, the same is tabled at the meeting with the approval of Chairman.

d) NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD

S.No.	Number of Board Meeting	Date of Board Meeting
1.	261st	14.05.2015
2.	262nd	17.08.2015
3.	262nd Adjourned	28.08.2015
4.	263rd	30.09.2015
5.	264th	30.12.2015
6.	265th	30.03.2016

निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यतया कम्पनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मण्डल की पांच बैठकें आयोजित की गई। प्रत्येक निदेशक द्वारा बैठक में शामिल होने की उपस्थिति के साथ-साथ उनका अन्य कम्पनियों में निदेशक पद का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	निदेशक	निदेशक मण्डल की बैठकें		अन्य कितनी संस्थाओं में निदेशक है
		आयोजित की गई	शामिल हुए	
1.	श्री वी.के. गौड़ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5	5
2.	श्री आर.के. मिश्रा	5	4	**शून्य**
3.	श्री दिनेश अरोड़ा	5	5	**शून्य**
4.	श्री एम.एम. शर्मा , निदेशक (वित्त)*	5	2	4
5.	श्री वि. मोहन ** निदेशक (वित्त)	5	3	4
6.	श्री संजय खताळ निदेशक (वाणिज्यिक)	5	4	1

★ 31.08.2015 को सेवानिवृत हुए
★★ 09.09.2015 कार्य ग्रहण

ड.) निदेशकों का पारिश्रमिक :

i) प्रकार्यात्मक निदेशक

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	सकल परिलब्धियां
1.	श्री वी.के. गौड़ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**रु.** 27,35,663/-
2.	श्री एम.एम. शर्मा * निदेशक (वित्त) (01.04.2015 से 31.08.2015 तक)	**रु.** 34,13,050/-
3.	श्री वि. मोहन ** निदेशक (वित्त) (09.09.2015 से 31.03.2016 तक)	**रु.** 12,31,278/-
4.	श्री संजय खताळ निदेशक (वाणिज्यिक)	**रु.** 23,15,191/-

★ 31.08.2015 को सेवानिवृत हुए
★★ 09.09.2015 कार्य ग्रहण

ii) अंशकालिक सरकारी निदेशक :

निगम द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रामिक नहीं दिया गया।

iii) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक :

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को बैठक शुल्क एवं यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता को छोड़कर अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, जब भी नियुक्ति होती है।

3. जोखिम प्रबन्धन :

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुच्छेद 7.3 के अनुसरण में, निदेशक मंडल ने दिनांक 26.03.2014 को हुई अपनी 253वीं बैठक में निगम की जोखिम प्रबंधन नीति का अनुमोदन कर दिया है । इस प्रकार एनएससी ने अपनी परिसम्पत्तियों को किसी प्रकार के चोट, नुकसान या क्षति से रक्षा के लिए अपनी रणनीति के तहत जोखिम प्रबन्धन के लिए वचनबद्ध है, जिससे कि

The meetings of the Board of Directors are normally held at the Corporation's Registered Office at New Delhi. 05 Board Meetings were held during the financial year 2015-16. Details of Board meetings attended by each of the Directors along with further details of their directorships in other companies are given below:-

S.No	Directors	Board meetings		No. of other Director -ships
		Held during the period	Attended	
1.	Shri V.K. Gaur Chairman -cum -Managing Director	5	5	5
2.	Shri R.K. Mishra	5	4	Nil
3.	Shri Dinesh Arora,	5	5	Nil
4.	Shri M.M. Sharma, Director (F)*	5	2	4
5.	Shri V.Mohan * * Director (F)	5	3	4
6.	Shri Sanjay Khatal, Director (C)	5	4	1

*** Superannuated on 31.08.2015.**
**** Joined w.e.f. 09.09.2015.**

e) Remuneration of the Directors

i) Functional Directors

S.No.	Name & Designation	Gross Emoluments
1.	Shri V.K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director	Rs. 27,35,663/-
2.	Shri M.M. Sharma, Director (F)* w.e.f. 01.04.2015 to 31.08.2015	Rs. 34,13,050/-
3.	Shri V.Mohan ** Director (F) w.e.f. 09.09.2015 to 31.03.2016	Rs. 12,31,278/-
4.	Shri Sanjay Khatal, Director (C)	Rs. 23,15,191/-

*** Superannuated on 31.08.2015.**
** Joined w.e.f. 09.09.2015.

ii) Part-time Official Director

No remuneration is paid to the Part-time Official Directors by the Corporation.

iii) Part time Non-official Director

No remuneration other than sitting fee and T.A./D.A. is paid to Part-time Non-official Directors, whenever appointed.

3. RISK MANAGEMENT:

In pursuance of Clause 7.3 of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, Board of Directors at their 253rd Meeting held on 26.03.2014 had approved Risk Management Policy of the Corporation. As such, NSC is committed for risk management as an element of its strategy to safeguard the Corporation's assets from any injury, loss or damage that could materially affect its ability to discharge its responsibility towards farmers, employees and other

किसानों, कार्मिकों एवं जन साधारण के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने की क्षमता पर असर पड़ेगा । जोखिम प्रबन्धन की प्रक्रिया में, जोखिम का मूल्यांकन, जोखिम के शमन हेतु वर्गीकरण करना और जोखिम के लिए जोखिम उपचार योजना शामिल हैं । निगम की सारी स्थायी परिसम्पत्तियों का बीमा पॉलिसी के तहत बीमा करवाया हुआ है और धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने के लिए निगम में एक समुचित आन्तरिक नियंत्रण सिस्टम है । त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए एवं वर्ष के अंत में संपत्तियों के सत्यापन हेतु मुख्यालय के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वंतत्र सनदी लेखाकारों की नियुक्ति हेतु यहाँ पर स्पष्ट कार्य प्रक्रिया है । यदि किसी धोखाधड़ी का पता चलता है तो अन्वेषण एवं जांच करने के बाद अनुमोदित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है ।

4. निदेशकों की जवाबदेयता:

निगम और भारत सरकार के बीच वर्ष के प्रारम्भ में एक वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें वित्तीय तथा गैर वित्तीय कार्यक्षेत्रों के लक्ष्य तथा इनकी गुरुता भारत सरकार के परामर्श से नियत किए जाते हैं । वर्ष के अंत में इन लक्ष्यों की तुलना में निगम के कार्य निष्पादन का जायजा लिया जाता है। समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य निष्पादन की समीक्षा निगम द्वारा तिमाही आधार पर नियमित रुप से की जाती है।इसमें किसी भी प्रकार की कमी की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में समझोता ज्ञापन की उपलब्धियों की रिपोर्ट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भेजी जाती है और लोक उद्यम विभाग के कार्य दल द्वारा निगम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन,हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है।

5. साधारण सभा बैठक :

वार्षिक साधारण बैठक

पिछले तीन वार्षिक बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान के बारे में विवरण इस प्रकार है:-

तिथि	26.09.2013	26.09.2014	30.09.2015/ 07.10.2015 (स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक)
समय	पूर्वाहन 11.45 बजे	पूर्वाह्न 10.00 बजे	पूर्वाह्न 11.00 बजे एवं अपराह्न 5.00 बजे
स्थान	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय
विशेष संकल्प	हाँ	शून्य	शून्य
उपस्थिति	1. श्री वी.के. गौड़	1. श्री वी.के. गौड़	1. श्री वी.के. गौड़
	2. श्री राम कुमार, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि	2. श्री राम कुमार, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि	2. श्री ए.के. झा भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि
	3. श्री राम कुमार, अवर सचिव (बीज)	3. श्री राम कुमार, अवर सचिव (बीज)	3. श्री ए.के. झा अवर सचिव (बीज)
	4. श्री आर. के. मिश्रा	4. श्री आर. के. मिश्रा	4. श्री दिनेश अरोड़ा
	5. श्री दिनेश अरोड़ा	5. श्री दिनेश अरोड़ा	5. श्री वि. मोहन
	6. श्री एम.एम. शर्मा	6. श्री एम.एम. शर्मा	6. श्री संजय खताळ
	7. श्री संजय खताळ	7. श्री संजय खताळ	

6. प्रकटन :

क) सम्बद्ध पार्टी सौदे:

निगम के निदेशकों द्वारा सम्बद्ध पार्टी सौदे के प्रकटीकरण के लिए कोई सूचना नही दी है ।

टिप्पणी :

एन.एस.सी. और इसकी सहयोगी कम्पनियों के बीच लेनदेन, क्योंकि ये सभी सरकारी कम्पनियां हैं, जोकि अधिनियम की धारा 188(1) का प्रावधान- iii R/W सरकारी अधिसूचना दिनांक 05.06.2016 के तहत छूट प्राप्त है ।

members of the public. Risk management process includes risk identification, risk assessment, risk valuation, categorization and risk treatment plan for mitigation of the risks. All the assets of the Corporation are insured through insurance policies and there is a proper internal control system to check the frauds. There is a clear laid-down practice for appointing the independent Chartered Accountants for all the Regional Offices as well as Head Office for undertaking quarterly internal audit and verification of the assets at the end of the year. Once a fraud is detected, disciplinary action is taken by following the set of approved procedure after conducting investigation and enquiry.

4. ACCOUNTABILITY OF DIRECTORS

Memorandum of Understanding (MoU) is entered into annually by the Corporation with Government of India (GOI) in the beginning of the year setting the targets in financial and non financial parameters with weightages decided in consultation with GOI. The performance of the Corporation is measured at the end of the year vis-à-vis these targets. The performance with regard to MoU is reported and reviewed regularly within the Corporation on quarterly basis. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are taken.

At the end of each financial year, the MoU achievements Report is furnished to Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and performance of the Corporation is evaluated by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and Department of Public Enterprises Task Force on the basis of actual achievements as per signed MoU.

5. GENERAL BODY MEETING

Annual General Meetings

Date, time and location where the last three Annual General meetings were held are as under:

Date	26.09.2013	26.09.2014	30.09.2015/ 07.10.2015 (Adjourned AGM)
Time	11.45 AM	10.00 AM	11.00 AM & 5.00 PM Respectively.
Venue	Registered Office at Beej Bhaw an, Pusa Complex, New Delhi	Registered Office at Beej Bhaw an, Pusa Complex, New Delhi	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi
Special Resolution	Yes	NIL	NIL
Attendance	1. Shri V.K. Gaur	1. Shri V.K. Gaur	1. Shri V.K. Gaur
	2. Sh. Ram Kumar, Representative of President of India	2. Shri Ram Kumar, Representative of President of India	2. Shri A.K. Jha, Representative of President of India
	3. Sh. Ram Kumar, US(Seeds)	3. Shri Ram Kumar, US(Seeds)	3. Shri A.K. Jha, US (Seeds)
	4. Shri R.K. Mishra	4. Shri R.K. Mishra	4. Sh. Dinesh Arora
	5. Sh. Dinesh Arora	5. Sh. Dinesh Arora	5. Sh. V.Mohan
	6. Sh. M.M. Sharma	6. Sh. M.M. Sharma	6. ShSanjay Khatal
	7. Sh. Sanjay Khatal	7. Sh. Sanjay Khatal	

6. DISCLOSURES

a) Related Party Transactions

No notice for disclosure of Related Party Transactions have been given by the Board Members.

NOTE: The dealings between NSC and its Associates Companies, all of which are Government Companies, are exempt pursuant to Proviso III of Section 188 (1) of the Act r/w Govt. Notification dated 05.06.2016.

ख) लेखा व्यवस्था :

वित्तीय विवरण नए कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अधीन लागू नियमों के अंतर्गत आवश्यक रुप से लागू लेखा मानकों और सम्बद्ध प्रदर्शन संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

7. सम्प्रेषण का माध्यम :

साधारण महा बैठक की सूचना, निगम के परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन, निगम की वैबसाइट:-www.indiaseeds.com पर अपलोड किए जाते हैं । स्टेकहोल्डर्स अपने सम्प्रेषण को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (वित्त) / कम्पनी सचिव को निगम के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली- 110012 को भेज सकते हैं ।

ई-मेल: mraquim@rediffmail.com / फोन नं. 25846295 एवं 25846272

8. लेखा परीक्षा की मर्यादा :

निगम का हमेशा यह प्रयास रहता है कि शर्त रहित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाए । 31मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबन्ध का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी में दिया गया है।

9. कंपनी के अंशधारियों का पेटर्न :

निगम के शत प्रतिशत अंश भारत के राष्ट्रपति के पास हैं ।

10. व्हिसल ब्लोअर नीति :

i. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार पीआईडीपीआई के तहत शिकायत दर्ज करने के तरीकों को एनएससी की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ।

ii. लोक आयुक्त, अधिनियम, 2013 के प्रपत्र एवं विवरण को एनएससी की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ।

iii. सीएजी के लिए रिकार्ड खुला है ।

11. निगम में सामाजिक उत्तररदायित्व एवं सतत विकास :

नए कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसार, कम्पनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित प्रावधानों का अनुपालन किया है । निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए रु. 1,19,99,040/-का बजट का प्रावधान किया गया है । विभिन्ना कार्यकलापों पर इस प्रकार की योजना बनाई गई है कि क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों का असर समाज के चुने हुए हिस्से पर स्पष्ट रूप से दिखाई दें ।

वनरोपण (वृक्षारोपण) :
वृक्षारोपण कार्य के अंतर्गत एनएससी के सीएसआर एवं सतत विकास के तहत सामाजिक वानिकी में 90,000/- वृक्ष लगाए और इसके अलावा वर्ष 2015-16 के दौरान सड़कों का निर्माण, सड़कों पर शेल्टर और विद्यालयों में 3 आरओ का प्रतिष्ठापन किया गया ।

....

b) Accounting Treatment:

The financial statements are prepared with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of the Companies Act, 2013 and applicable Rules thereunder.

7. MEANS OF COMMUNICATIONS

Notice for AGM, operational and financial performance of the Corporation is uploaded on Corporation's website www.indiaseeds.com. Stakeholders can address their Communications to CMD/D(F)/C.S. of the Corporation at the Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi 110012.
e-mail-mraquim@rediffmail.com /Phone No. 25846295 & 25846272

8. AUDIT QUALIFICATIONS:

It is always the Corporation's endeavour to present an unqualified financial statement. Management's reply to the Statutory Auditors' observations on the Accounts of the Corporation for the year ended 31st March, 2016 are forming part of Annual Report.

9. SHAREHOLDING PATTERN OF THE CORPORATION

100% shares of the Corporation are held by President of India.

10. WHISTLE BLOWER POLICY:

i. Procedure for filing complaint under PIDPI as per CVC guidelines has been uploaded on NSC website.
ii. The details and format of Lokayukt Act 2013 has been uploaded on NSC website.
iii. Records open to CAG.

11. Corporate Social Responsibility & Sustainable Development:

As per Companies Act, 2013 and Companies (CSR Policy) Rules, 2014, the Corporation complied with the provisions concerning Corporate Social Responsibility. A Budget of Rs. 1,19,99,040/- was passed for utilization on various activities under CSR. Various activities were planned in a manner that the impact of implementation programmes became visible on the selected segments of society.

Afforestation (Tree Plantation):

Under afforestation Programme, NSC planted 90,000 Social Forestry trees under C.S.R. and Sustainability besides carrying on construction of Roads, Road Shelter and installation of 03 R.O. Systems in Schools, during 2015-16.

****

रवि एस. शर्मा एवं एसोसिएटस
कंपनी सचिवगण

निगमित शासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्यगण,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ,
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली -110012

हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (निगम) की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तो के अनुपालन की जाँच की , जैसा कि भारी उद्योग एवं लोक उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग,भारत सरकार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जी एम दिनांक 14 मई, 2010 में परिकल्पित है।

निगमित शासन की शर्तो के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है । हमारी जाँच निगमित शासन की शर्तो के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रियाओं तथा इनके कार्यान्वयन तक सीमित है । यह न ही वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा है और न ही उन पर विचारों की अभिव्यक्ति है ।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम द्वारा रखे गए रिकार्ड व दस्तावेजों के अनुसार हम सत्यापित करते हैं कि निगम ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) के लिए निगमित शासन की शर्तो का अनुपालन किया है सिवाय (i) निगम के निदेशक मंडल में ईष्ठतम संयोजन नहीं हैं (ii) निदेशक मंडल की 01 बैठक का समय अंतराल 03 माह से अधिक का था (iii) निगम ने वित्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया (iv) निगम ने वित्त वर्ष के दौरान मानदेय समिति का पुन: गठन नहीं किया (V) प्रक्रियात्मक निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक कुल संख्या का 50% से अधिक है ।

यद्यपि कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक मंत्रालय को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया है जोकि लेखा परीक्षा समिति एवं मानदेय समिति के लिए अनिवार्य है, अभी तक इन निदेशकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है और इसलिए वर्तमान में लेखा परीक्षा समिति मौजूद नहीं है ।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य में जीवन क्षमता को आश्वस्त करता है और न ही निगम के कार्यकलापों से संचालन में प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता का द्योतक है ।

कृते रवि एस. शर्मा एवं एसोसिएटस
कंपनी सचिव

ह0/-
रवि एस. शर्मा
(प्रोपराईटर)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2016

कार्यालय:2749, चतुर्थ तल, मैन पटेल रोड, रंजीत नगर, नई दिल्ली-8

Ravi. S. Sharma & Associates
Company Secretaries

CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of
National Seeds Corporation Limited,
Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by **National Seeds Corporation Limited**, ["the Corporation"] for the year ended on 31st March 2016, as envisaged in the Office Memorandum No.18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and according to the records and documents maintained by the Corporation, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in the guidelines on corporate governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) except (i) *Corporation does not have optimum combination of Board of Directors; (ii) The time gap between one Board meeting exceeded more than three months; (iii) The Corporation has not reconstituted Audit Committee during the financial year; (iv) The Corporation has not reconstituted Remuneration Committee during the financial year; and(v)The number of functional directors exceeded50 percent of the actual strength of the Board.*

However it has been clarified by the company that despite repeatedly requesting the administrative Ministry to appoint the independent Directors who are mandatory to have optimum combination of Board of Directors, in the Audit Committee & Remuneration Committee, these Directors have not been appointed as yet and therefore the Audit committee & Remuneration Committee are not in existence.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For, Ravi S Sharma & Associates
Company Secretaries

Ravi S Sharma
(Proprietor)
C. P.- 6007

Place: New Delhi
Date:16-08-2016

Office : 2749, 4th Floor, Lane No.13, Main Patel Road, Ranjeet Nagar, New Delhi-110008, Tel/Fax : +91-11-25701748
Mob. :-+91-9310675151, 8447444929, E-mail : csravisharma@gmail.com

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली.
Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member Audit Board -IV, New Delhi

<u>गोपनीय</u>

सं0 : 474-पीडीसीए/एचएस/एमएबी- iv/ए/सीएस/एनएससी/16.17
दिनांक : 19.10.2016

सेवा में,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदशक,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली - 110012

विषय : राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

महोदय,

मैं इसके साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां संलग्न कर रहा हूँ ।

कृपया पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

संलग्नः उपर्युक्त

ह0/-
(डॉ आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड. IV

संलग्नः उपरोक्त

आठवीं व नवीं तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.
8th &9th Floor, Annexe Building,10, Bhadur Shah Zafer Marg,New Delhi-110002
Tel./ दूरभाष : 23239413,23239415,23239419,23239420, फैक्स / Fax :23239416
ईमेल / email: mabnewdelhi4@cag.gov.in

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली.
Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member Audit Board -IV, New Delhi

Confidential

No.474-PDCA/HS/MAB-IV/A/cs/NSC/16-17
Dated :- 19.10.2016

To,

The Chairman-cum-Managing Director,
Beej Bhawan, Pusa Complex,
New Delhi-110012.

Sub: Comment of the Comptroller & Auditor General of India under 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of National Seeds Corporation Limited for the year ended 31st March 2016.

Sir,

I am to enclose herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of **National Seeds Corporation Limited** for the year ended 31st March 2016.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl :As above

Sd/-
(Dr. Ashutosh Sharma)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex- Officio Member, Audit Board -IV

आठवीं व नवीं तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.
8th &9th Floor, Annexe Building,10, Bhadur Shah Zafer Marg,New Delhi-110002
Tel./ दूरभाष : 23239413,23239415,23239419,23239420, फैक्स / Fax :23239416
ईमेल / Email: mabnewdelhi4@cag.gov.in

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियमए 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां :-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत विनिहित वित्तीय सूचना की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **राष्ट्रीय बीज निगम** का वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार स्वतंत्र रूप से किए गए लेखापरीक्षा पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 29.08.2016 के अनुसार यह बताया गया है कि उन्होंने ऐसा कर लिया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा करवा ली है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षाए सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजातों को बिना देखें, स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कम्पनी के कर्मचारियों से की गई पूछताछ और कम्पनी के कुछ लेखा रिकार्डो की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित रही है। मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत निम्नेलिखित महत्वूनपर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा, जो मेरे संज्ञान में आ गए हैं और मेरे विचार से वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को एक बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं :-

i. **तुलन पत्र**
गैर-वर्तमान देयताएं
अन्य दीर्घावधि देयताएं रू. 61,76,24,208/- (टिप्पीणी सं0 6)
कार्यशील पूंजी के लिए सीमांत राशि रू. 11,70,000/-

निगम ने भारत सरकार से सीमांत राशि के रूप में कार्यशील पूंजी के उपयोग के लिए रू. 11.70 करोड़ [रू. 7.24 करोड़ (1992), रू. 2.80 (1993) एवं रू. 1.66 (1994)] का पूंजीगत अनुदान प्राप्त किया। उपयुक्त शीर्ष को रू. 11.70 करोड़ से अधिक बताया गया है, हालांकि पूरी राशि 31 मार्च, 1995 तक उपयोग किया गया है।

ii. **31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता**
राजस्व -
अन्य आय : रू. 43,77,70,606/- (टिप्पिणी सं0 24)

उपर्युक्त शीर्ष में अलाउन्स/प्रावधान एवं देयताएं के खाते पर रू. 2.00 करोड़ की आय भी शामिल है, जिनकी अब जरूरत नहीं है, जिसे बट्टे खाते डाल दिया गया है। इसका लेखा मानक - 5 का पैरा 12 एवं 14 (जी) के अनुसार, अलग से खुलासा किया जाना चाहिए था।

iii. **खातों पर टिप्पणियां**
आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धता
प्रतिबद्धता रू. 3,22,84,215/- (टिप्पणी सं0 34)

निगम ने 31 मार्च, 2016 को रू. 3.56 करोड़ की बजाए शेष निष्पादित किए जाने वाले ठेके की अनुमानित राशि के रूप में रू. 3.23 करोड़ का प्रकटीकरण किया है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी प्रतिबद्धता के विवरण में रू. 0.33 करोड़ की राशि कम है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से
ह0/-
(डॉ आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड. IV

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19.10.2016

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

The preparation of financial statements of **National Seeds Corporation limited** for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statuary auditor / auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **29 August, 2016**

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6) (a) of the Act of the financial statements of **National Seeds Corporation Limited** for the year ended 31 March, 2016 This supplementary audit has been carried out independently without access to the paper of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting record. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report :-

1. Balance Sheet
Non Current Liabilities
Other Long-terms Liabilities -₹ 61,76,24,208/- (Note no.6)
Margin Money for working capital- ₹ 11,70,00,000/-

The Corporation received Capital Grand from Government of India amounting to ₹ 11.70 crore {₹ 7.24 crore(1992), ₹ 2.80 crore (1993),and ₹ 1.66 crore (1994) ,} for utilization as margin money for working capital. Above head if overstated by ₹ 11.70 crore though the entire amount has been utilized as on March 1995.

II. Profit and loss account for the year 31st March 2016
Revenue
Other income: ₹ 43,77,70,606/-(Note no.24)

Above head include an income of ₹ 2.00 crore on account of Allowances/ provisions & Liabilities no longer required being written back. It should have been disclosed separately as per Para 12 and 14 (g) of Accounting Standard-5.

III. Notes to accounts
Contingent Liabilities and Commitments
Commitments - ₹ 3,22,84,215/- (Note no.34)

The Corporation disclosed ₹ 3.23 crore as estimated amount of contracts remaining to be executed instead of ₹ 3.56 crore as on 31 March, 2016. This resulted in understatement of capital commitment by an amount of ₹ 0.33 crore.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place : New Delhi
Date : 19.10.2016

Sd/-
(Dr. Ashutosh Sharma)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex- Officio Member, Audit Board-IV

ललित गुप्ता एडं एसोसियेटस के निमित्त
(सनदी लेखाकार)
412, अरूणांचल भवन, 19-बाराखंभा रोड़
नई दिल्ली-110001
दूरभाष सं0 : 23717400, 23719600

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** ("कंपनी") के अद्वितीय वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 समाप्त हुए वर्ष का तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा उक्त तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है । इन वित्तीय विवरणों में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय-चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ एवं भोपाल भी सम्मिलित हैं, के लेखों की लेखा परीक्षा हमने की है तथा 6 अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों चैन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता एवं पटना तथा 05 फार्मो सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर, हिसार एवं रायचूर के लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के महा लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जिनको हमने अपने रिपोर्ट के आधार पर विचार कर लिया है ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के तहत इन अद्वितीय वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही एवं उचित रुप से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है, जिसमें निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह विवरण में विनिर्दिष्ट लेखा मानक और भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखाकंन सिद्धांतों के अनुसार विशिष्टतया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 तथा इसे कंपनी (लेखा) नियम 2014 का नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, शामिल हैं । इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा अभिलेख तैयार करना, कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखना और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाना एवं पता लगाना उचित लेखाकंन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करना अनुमान लगाना और निर्णय करना जोकि उचित एवं विवेकपूर्ण हों और डिजाईन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, लेखा अभिलेखों का उचित रख रखाव, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयार की जाने की प्रांसगिकता शामिल है जो लेखा अभिलेखों की पूर्णतया: और शुद्धता सुनिश्चित करें एवं शुद्ध एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके और जो सामग्री के गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हो, से मुक्त हों ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है ।

लेखा परीक्षा के दौरान, हमने अधिनियम के प्रावधान एवं इसके नियमों के तहत लेखाकंन एवं अंकेक्षण मानकों और अन्य सामग्री को शामिल किया है, जोकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट बनाने में आवश्यक थे ।

हमारी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत अंकेक्षण के मानकों के अनुरूप है । उन मानकों में नैतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप अंकेक्षण किया जाना एवं इन लेखा मानकों की आवश्यतानुसार योजना बनाना और अंकेक्षण हेतु उचित आश्वासन प्राप्त करना ताकि वित्तीय विवरण गलत सामाग्री से मुक्त हो ।

LALIT GUPTA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS
412,ARUNACHAL BUILDING,
19,BARAKHAMBA ROAD,
CONNAUGHT PLACE
NEW DELHI-110 001
Tel: 23717400,23719600
Telefax:-91-11-23718900

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of **NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (**''the company''**),** which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2016 and the statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the accounts of the Head Office and Regional Offices at Chandigarh, Jaipur, Lucknow and Bhopal audited by us and six other Regional offices at Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Kolkata and Patna and five other Farms at Suratgarh, Sardardgarh, Jetsar, Hisar and Raichur audited by branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India whose reports have been considered by us in framing our report.

Management's responsibility for the Financial Statements

The Management is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act 2013 (“the Act”) with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including Accounting Standards referred specified under section 133 of the Companies Act, 2013 (“the Act”) read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

While conducting the audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters, which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and rules made there under.

We conducted our audit in accordance with standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

एक लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और खुलासों के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियायें शामिल है । वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत विवरणों, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण जोखिमों के मुल्याकंन सहित, चयनित प्रक्रियायें लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। इन जोखिमों का आंकलन करने में लेखा परीक्षक परिस्थितिनुसार सुव्यवस्थित ढ़ग से लेखा परीक्षा प्रक्रिया नियत करने के क्रम में कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुती के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं । एक लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और कंपनी के निदेशकों द्वारा अनुमानित लेखाकंन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन के साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतियों का मूल्यांकन भी शामिल है ।

हमारा यह मानना है कि वित्तीय विवरण के संदर्भ में हमें एवं शाखा लेखा परीक्षकों को जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं एवं उपलब्ध कराए गए हैं वह हमारे अद्वितीय वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षण राय के लिए उचित एवं पर्याप्त है ।

उचित राय का आधार

1. टिप्पणी संख्या 39- कुछ कार्यालयों की जमीन के भुगतान विवरण तथा पट्टा विलेख उपलब्ध न होने तथा हक विलेखों/पट्टा विलेखों का निष्पादन न होना/अनुपलब्धता तथा कुछ संपत्तियों की पट्टा राशि को अंतिम रूप दिए जाने तक, उनका लेखाओं पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं चल सका है ।

2. टिप्पणी संख्या 40- व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अंग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण /पुनर्गणना के अध्याधीन है। लेखों पर इस तरह की पुष्टिकरण / पुनर्मिलान पर उसका परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं चल सका है ।

3. निगम के विभागीय विवरण (शाखाओं सहित) में प्राप्त अनुदानों से संबंधित जमा शेष राशि रू0 1,69,09,094.00/-शामिल है, जिसका समाधान नहीं किया गया है। निगम के पास इसे प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि जिस प्रकार निगम प्रबन्धन द्वारा उल्लेख किया गया है, ये जमा शेष विगत वर्ष के दौरान निगम द्वारा प्राप्त अनुदानों से संबंधित है, जिनका उपयोग विगत वर्षो के दौरान अपेक्षित प्रयोजन के लिए किया गया है किन्तु निगम के पास इनको सत्यापित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं है ।

4. शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार भण्डारों में बहुत सारी गैर-चलित मालसूची है और अचल परिसंपत्तियों में कलपुर्जे तथा अप्रचलित मशीनरी है । इन अप्रचलित मदों के संबंध में कोई प्रमाणित रिपोर्ट या किसी तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा इन अप्रचलित कल-पुर्जो और अचल संपत्तियों पर नुकसान की गणना करने के लिए कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसलिए ऐसी किसी रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण इनका प्रभाव सुनिश्चित करने योग्य नहीं है ।

5. वर्ष 2007-08 से संबंधित उत्पादन सब्सिडी की रू0 5,80,00,000/- (पाँच करोड़ अस्सी लाख मात्र) की अवितरित राशि भोपाल शाखा की लेखा खातों में निहित है। लगभग 700 किसान हैं जिनके बीच यह सब्सिडी वितरित की जानी थी, जिनमें से वित्त वर्ष 2015 के अन्त तक केवल 139 की पहचान की गई। पहचान किए गए किसानों में से, निगम द्वारा अब तक ऐसे 23 किसानों को सब्सिडी राशि का भुगतान किया गया और 116 किसानों को राशि का भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि निगम के पास उक्त किसानों के बैंक विवरण उपलब्ध नहीं है । शेष 561 किसानों का विवरण निगम के पास नहीं है ।

6. निगम से संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार से फार्म स्तर पर खेती के उद्देश्य से जमीन ली है, परन्तु निगम के पास ऐसे अधिकार के इस्तेमाल के लिए कोई दस्तावेज/पट्टानामा/करारनामा उपलब्ध नहीं है ।

7. पूर्ववर्ती एसएफसीआई के पाँच फार्मो एवं एक क्षेत्रीय कार्यालय को पिछले वर्षो के दौरान बंद किया गया है, इन शाखाओं के रू0 5,14,55,512.00/- के निवल ऋण शेष को बही खातों में दर्शाया जा रहा है । हमारी राय में, इन शाखाओं की सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को सकल आधार पर खातों में लेखाबद्ध किया जाए ताकि इनकी परिसंपत्तियों और देयताओं की स्पष्ट स्थिति उपलब्ध करवाई जा सके ।

8. निगम ने सम्पूर्ण परिसंपत्तियों पर हानि के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया है जैसा कि परिसंपत्तियों की हानि का निपटान करने वाले लेखांकन मानक 28, जो सुनिश्चित करता है कि परिसंपत्तियाँ वसूली योग्य राशि से अधिक पर परिसंचलित किए गए हैं, के तहत आवश्यक हैं । लाभ पर इसका प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है ।

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors considers internal financial control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements that give a true and fair views, in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and Branch and others auditors, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

Basis for Qualified Opinion:

1. Note No. 39 regarding non-availability of details of payment for land and lease deeds in respect of certain offices and non-execution/non-availability of title deeds/lease deeds and finalization of lease amount in respect of certain properties, the financial impact of which on the account, if any, is not ascertainable.

2. Note no. 40 regarding balances of trade receivables, loans and advances, other current assets, trade payables and other current liabilities being subject to confirmations/reconciliation. This precise effect of consequential adjustments upon such confirmations/reconciliation, if any, on the accounts is not ascertainable.

3. The Financial Statements of the corporation (including branches) contains Credit Balances related to various grants received amounting to Rs. 1,69,09,094.00, which are not reconciled. Further, there is no document available with the corporation to verify the same. However, as explained by the management of corporation these credit balances relate to Grants received by corporation during previous years, which have been utilized for intended purposes during earlier years but no documents are available with the Corporation to verify the same.

4. As per the Branch Auditors' Reports, there are many non- moving inventories in stores and spares and obsolete machinery in the Fixed Assets. There is no certified report provided regarding these obsolete items or any report from any technical expert to quantify the loss on obsolete spares parts and Fixed Assets. In absence of any such report, the impact of the same is not ascertainable hence not provided.

5. An Undistributed amount of production subsidy for Rs. 5,80,00,000 (Rupees five crore eighty lacs only) related to 2007-08 is still lying in the books of Bhopal branch. There were around 700 farmers to whom the subsidy was to be distributed out of which only 139 had been identified till the end of financial year 2015. Out of these identified farmers, the corporation has paid the amount of subsidy 23 of such farmers till financial year 2013-14 and remaining 116 farmers have not been paid since the bank details of these farmers are not available in the Corporation. Details regarding the balance 561 farmers are not available with the Corporation.

6. The Corporation has taken land for cultivation purpose at Farms level from respective state governments/central government; however the corporation is not in possession of any documents/lease deed/agreements for such right to use.

7. There were five farms and one regional office of erstwhile SFCI which were closed during earlier years, net debit balance of Rs. 5,14,55,512.00 of these farms and regional office are being shown in the books of accounts. In our opinion, all assets and liabilities of these branches must be accounted for in the books on gross basis so as to provide clear position of their assets and liabilities.

8. The Corporation on the whole has not made any assessment for impairment of assets as required under the Accounting Standard 28 dealing with Impairment of Assets to ensure that the assets are carried at not more than their recoverable amount. The impact of the same on the profit is not ascertainable.

9. निगम के पास लगभग 20 सालों से भूमि राजस्व व्यय परिशोधन(mortising)पालिसी है । हमारी राय में, लीज़ के लिए लेखों पर लेखा मानक 19 के अनुसार भूमि विकास व्यय, लीज अवधि में परिशोधित किया जाना चाहिए । हालांकि, लीज/पट्टा विलेखों के अभाव में, निगम के लाभ पर प्रभाव की राशि, अपरिमेय है ।

10. सूरतगढ़ फार्म स्थित भूमि एवं भवन (शूटिंग लॉज) का मोटेशन होना लम्बित है ।

11. जयपुर शाखा में बीजों की ढुलाई पर रिवर्स प्रभार प्रक्रिया के अंतर्गत सेवा कर जमा नहीं किया गया है । राशि पता लगाने योग्य नहीं है ।

उचित राय :

हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उचित राय के लिए आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर संभावित प्रभावों, उक्त संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना को सही एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं तथा भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा सिद्धातों के अनुरूप सुव्यवस्थित ढगं से प्रस्तुत करते है ।

(क) कंपनी का 31 मार्च 2016 तक के कार्यो का तुलनपत्र ।
(ख) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का लाभ – हानि का विवरण ।
(ग) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण ।

विषय का महत्व

किसानों, जिन्हें बीज बेचा जा रहा है, के साथ किए गए मानक समझौते के अनुसार प्रत्याशित पैदावार की वापसी खरीद के लिए कंपनी के पास इस संबंध में, प्रत्येक समझौते के उल्लघंन के लिए राशि की गणना हेतु कोई प्रणाली नहीं है और न ही रिकार्ड में लिया जाता है, वसूली/माफी के लिए कार्रवाई की जाए । प्रबंधन ने कोई व्यवस्था का निर्धारण नहीं किया, इसके बावजूद प्रबंधन का यह तर्क है कि क्षेत्रीय प्रबंधकों ने बीज के न मिलने के कारणों पर विश्लेषण किया और यहां पर रिकार्ड में लिए जाने के लिए कोई वसूली शेष नहीं है और तुलनपत्र में कोई माफ योग्य / वसूली योग्य प्रभाव नहीं है। हमने इस तरह के अभ्यावेदन पर भरोसा रखा है और तद्नुसार इस मामले पर हमारी रिपोर्ट अर्हता प्राप्त नहीं है ।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) (इसके बाद "आदेश" के रूप में संदर्भित) की शर्तो में भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 द्वारा अपेक्षित और कंपनी के लेखों एवं रिकार्ड की जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टी करण के अनुसार, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण संलग्न अनुबंध "क" पर देते हैं ।

2. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (3) के द्वारा अपेक्षित, हम रिपोर्ट देते हैं कि :

(क) हमने अपनी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए थे जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ।
(ख) हमारी राय में, कंपनी ने विधि द्वारा यथोपेक्षित लेखा बहियां रखी हुई हैं, ऐसे बही खातों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है ।
(ग) इस रिपोर्ट से सम्बद्ध तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाता है ।

9. The Corporation has a policy of amortizing the Land Revenue Expenditure over 20 years. In our opinion, the Land Development Expenses should be amortized over the period of lease in accordance with Accounting Standard 19 on Accounting for Leases. However, in absence of Lease deeds, the amount of impact on profit of the Corporation is indeterminable.

10. Mutation of land and building (Shooting lodge) at Suratgarh farm is pending.

11. The Service Tax has not been deposited under reverse charges mechanism on transportation of seeds at Jaipur Branch. Amount is unascertainable.

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:-

a. In the case of the accompanying **BALANCE SHEET,** of the state of affairs of the Company as at March 31, 2016 and

b In the case of the accompanying **STATEMENT OF PROFIT AND LOSS,** of the Profit of the Company for the year ended on that date.

c In the case of the accompanying **CASH FLOW STATEMENT,** of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

In terms of standard agreements entered into with the farmers to whom seeds are sold with a buy back agreement for the anticipated yields, the company neither has a system for computation of the amounts in breach of each agreement in this regard nor has it taken, on record, action for recovery/waiver. The management, notwithstanding that there was no laid down system, has contended/represented that the regional managers have analyzed the causes of non-receipt of the seed and there is no recovery to be recorded and that there is no waiver/recoverable effect in the financial statements. We have placed reliance on such representation and accordingly do not qualify our report on this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 issued by the Central Government of India in terms of Sub-section (11) of Section 143 of the Companies Act 2013 (hereinafter referred to as the "order"), and on the basis of such checks of the books & records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we give in Annexure-A hereto a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the said order.

2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:

   a. We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

   b. In our opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the company, so far as it appears from our examination of those books:

   c. The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.

(घ) उचित राय के लिए आधार पैराग्राफ में उल्लिखित किए गए संभावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में उक्त अद्वितीय वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का नियम 7 के साथ पढ़ें, के तहत लेखा मानकों का अनुपालन करते है ।

(ड) सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.829 (ई) दिनांक 21अक्टूबर, 2003 के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (3) (जी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीपय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा इस तरह के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में हमारी दूसरी रिपोर्ट अनुबंध-ख का संदर्भ लें ।

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 का नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलें हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्न प्रकार से हैं :

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों की वित्तीय स्थिति के प्रभाव को प्रकटीकरण किया है-संदर्भ वित्तीय विवरणों की टिप्पणी एफए ।

(ii) हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास यौगिक अनुबंध सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं था जोकि महत्वपूर्ण निकट नुकसान के लिए लागू कानूनों अथवा लेखा मानकों के तहत आवश्यक है ।

(iii) यहां पर कोई भी राशि नहीं थी, जिसे कंपनी के द्वारा "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष" में स्थानांतरित किए जाने हेतु आवश्यक था ।

ललित गुप्ता एडं एसोसियेटस के निमित्त

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण संख्या 004540एन

ह0/-

(एल.के.गुप्ता)

साझेदार

सदस्यता सं: 82727

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक : 29 अगस्त, 2016

d. Except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Company (Accounts) Rules, 2014.

e. Being a Government Company, Pursuant to the Notification no. GSR 829(E) dated 21.10.2003 issued by Government of India, Provisions of clause (g) of sub-section (3) of section 143 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operation effectiveness of such control, refer to our separate Report in "Annexure-B" and

g. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i. The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements-Refer Note AF to the financial statements.

   ii. In our opinion and as per the information and explanations provided to us, the company did not have any long-term contracts including derivative contracts, requiring provisions under applicable laws or accounting standards, for material foreseeable losses.

   iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For LALIT GUPTA & ASSOCIATES,
(Chartered Accountants)
Firm Registration No.004540N

PLACE : NEW DELHI
DATE : AUGUST 29,2016

Sd/-
(L.K.GUPTA)
Partner
M.No.82727

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए सीएआरओ, 2016 के द्वारा अपेक्षित समदिनांकित अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर हमारी स्वंतत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा -1 में संदर्भित अनुबंध-क ।

(1) (क) कंपनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के उचित अभिलेख रखे हुए हैं जिसमें इसके मात्रात्मक विवरण तथा स्थाई परिसंपत्तियों की स्थिति के संपूर्ण विवरण दर्शाए गए हैं ।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी द्वारा सत्यापन हेतु अपनाए गए चरणबद्ध कार्यक्रमानुसार प्रबंधन द्वारा अधिकांश परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है । हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए सत्यापन की आवृति तर्कसंगत है । हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पाई गई ।

(ग) वित्तीय आंकडों की सही एवं स्पष्ट जानकारी के लिए लेखा परीक्षा के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पहष्टीकरण के अनुसार अचल परिसंपत्तियों के पट्टा विलेख कम्पनी के नाम पर दर्ज हैं ।

(2) जैसा कि हमें बताया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा माल का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित अंतराल पर किया गया है । हमारी राय में, ऐसे सत्यापन की आवृत्ति कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है । लेखा बहियों की तुलना में स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन पर पाई गई विसंगतियाँ महत्विपूर्ण नहीं थी, उन्हें लेखा बहियों में समुचित रूप से दर्शाया गया है ।

(3) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में, किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, प्रत्याभूत अथवा अप्रत्याभूत ऋण नहीं दिया है ।

(4) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के तहत किसी प्रकार का ऋण अथवा गारंटी अथवा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं इसलिए उन पर कोई टिप्पेणी नहीं की गई है ।

(5) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनीज (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का नियम 2 (ख) "जमा" के तहत किसी प्रकार का ऋण अथवा जमा स्वीकार नहीं किया है ।

(6) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार, हमने मौटे तौर पर कम्पनी के द्वारा रखे गए लेखा बहियों की समीक्षा की । हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया कम्पनी ने लेखा बहियां एवं रिकार्ड रखे हैं । हालांकि हमने रिकार्डो की विस्तृत जांच रिपोर्ट नहीं बनाई ।

(7) (क) हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निर्विवादित सांविधिक देय राशि, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर , संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर तथा लागू अन्य सांविधिक देय राशियों को सामान्यता नियमित रूप से समुचित प्राधिकारियों के पास जमा करा रही है ।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, लागू आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर के सांविधिक देय राशियों के संबंध में कोई निर्विवादित राशियाँ देय नहीं हैं जो 31 मार्च, 2016 तक, इनको भुगतान किए जाने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया हो ।

(ग) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर के बकाये देय, विवाद के कारण जमा नहीं की गई हैं ।

M/S NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED.

ANNEXURE-A REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 OF OUR INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS TO THE MEMBERS REQUIRED BY CARO, 2016. NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, ON THE ACCOMPANYING FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016.

1 a. The company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.

b. According to the information and explanations given to us, a major portion of the fixed physically verified by the management in accordance with a phased programme of verification adopted by the company. In our opinion, frequency of verification is reasonable having regard to the size of the company and nature of the assets. To the best of our knowledge, no material discrepancies have been noticed on such verification.

c. Based on our audit procedures performed for the purpose of reporting the true and fare view of the financial statements and according to information and explanations given by the management, the titled deeds of immovable properties are held in the name of the Company.

2. As explained to us, the inventory has been physically verified during the year by the management at reasonable intervals. In our opinion, the frequency of such verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its business. The discrepancies noticed on physical verification of stocks as compared to books records, were not material and have been properly dealt with in the books of accounts.

3. The company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the Registers maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013.

4 In our opinion, and according to the information and explanation given to us, the company has not granted any loans, made investments or provided guarantees or securities in respect to which provisions of Section 185 and 186 of the Act are applicable and hence not commented upon.

5 In our opinion, and according to the information and explanation provided by the management, the company has not accepted any loans or deposits, which are 'deposits' within the meaning of Rule 2(b) of the Companies (Acceptance of Deposits (Rules), 2014.

6 We have broadly reviewed the books of accounts maintained by the company pursuant to the rule made by the Central Government for maintenance of cost records under Section 148 (1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that *prima facie* the prescribed accounts and records have been made and maintained. However, we have not made a detailed examination of the records.

7 a. According to the information and explanation given to us, the company is generally regular in depositing undisputed statutory dues with appropriate authorities including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-tax, Sales-tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess and other statutory dues applicable to it.

b. According to the information and explanations given, there are no undisputed statutory dues payable in respect of Income-tax, Sales-tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, and Value Added Tax applicable to it which are outstanding as at 31st March, 2016 for a period of more than six months from the date they became payable.

c. According to the information and explanations given, dues outstanding of Income-tax, Sales-tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess, which have not been deposited on account of any dispute.

क्र. सं.	संविधि का नाम	देय की प्रकृति	राशि (रू.)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम, जहां विवाद लम्बित पड़ा है
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	18,110.00	1987-88	संयुक्त आयुक्त (अपील) –लखनऊ
2	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	39,202.00	1988-89	संयुक्त आयुक्त (अपील) –लखनऊ
3	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	35,700.00	1989-90	संयुक्त आयुक्त (अपील) लखनऊ
4	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	78,846.00	1989-90	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, –लखनऊ
5	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	36,140.98	1993-94	उच्च न्यायालय –लखनऊ
6	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,28,498.61	1998-99	संयुक्त आयुक्त (अपील) –लखनऊ
7	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,30,150.00	1999-2000	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
8	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	16,16,006.00	2000-01	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
9	उत्तरांचल	अतिरिक्त बिक्री कर	3,47,678.00	2000-01	उपायुक्त हल्दवानी
10	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	55,663.00	2000-01	संयुक्त आयुक्त (अपील), लखनऊ
11	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,39,649.65	2001-02	संयुक्त आयुक्त (अपील) –लखनऊ
12	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,40,545.00	2002-03	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
13	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,01,664.55	2003-04	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
14	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	75,662.00	2004-05	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
15	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,76,192.00	2005-06	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
16	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,85,787.00	2006-07	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ

Sr. No.	Nature of the Statute	Nature of the dues	Amount	Period to which Amount relate	Forum where dispute is pending
1	Central Sales Tax Act, 1956	Additional sales tax	18,110.00	1987-88	Jt. Commissioner(App.-Lucknow)
2	Central Sales Tax Act, 1956	-do-	39,202.00	1988-89	-do-
3	Central Sales Tax Act, 1956	-do-	35,700.00	1989-90	-do-
4	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	78,846.00	1989-90	Trade Tax Tribunal-Lucknow
5	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	36,140.98	1993-94	High Court-Lucknoe Bench
6	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	128,498.61	1998-99	Jt. Commissioner(App.-Lucknow)
7	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	130,150.00	1999-00	Trade Tax Tribunal-Lucknow
8	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1,616,006.00	2000-01	Trade Tax Tribunal-Lucknow
9	Uttaranchal	-do-	347,678.00	2000-01	Dy.Commossioner-Haldwani
10	Central Sales Tax Act, 1956	-do-	55,663.00	2000-01	Jt. Commissioner(App.-Lucknow)
11	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	139,649.65	2001-02	Jt. Commissioner(App.-Lucknow)
12	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	140,545.00	2002-03	Trade Tax Tribunal-Lucknow
13	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	101,664.55	2003-04	Trade Tax Tribunal-Lucknow
14	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	75,662.00	2004-05	Trade Tax Tribunal-Lucknow
15	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	176,192.00	2005-06	Trade Tax Tribunal-Lucknow
16	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	185,787.00	2006-07	Trade Tax Tribunal-Lucknow

17	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,62,212.00	1.04.2007-31.12.07	आकंलन अधिकारी, लखनऊ
18	सामान्य कर	नगर निगम कर	5,36,975.00	1.4.1987-31.03.02	नगर निगम-कानपुर
19	उत्तरप्रदेश कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1964	मंडी शुल्क (काशीपुर)	8,03,307.00	1.4.2000 to 31.03.2004	कृषि विपणन मंडल, रूद्रपुर (उत्तराखंड)
20	कर्मचारी राज्य बीमा अशदान	शाहजहापुर	6,82,542.00	-	कर्मचारी राज्य बीमा
23	अमरावती महानगर पालिका, पुणे	नगर पालिका कर	2,81,697.00	2004.05 to 2011.12	अमरावती महानगर पालिका, पुणे
24	बिक्री कर, बिहार	बी.एस.टी निर्धारण	1,35,204.82	2004.05	वाणिज्यिक कर के संयुक्त आयुक्त (अपील), पटना प्रभाग, पटना (बिहार)
25	बिक्री कर, बिहार	सी.एस.टी.निर्धारण	3,12,232.00	2004-05	वाणिज्यिक कर के संयुक्त आयुक्त (अपील), पटना प्रभाग, पटना (बिहार)
26	आसाम सामान्य बिक्री कर एवं सीएसटी	बिक्री कर	19,25,730.00	2003-04 to 2005-06	असम बिक्री कर ट्रिब्यूनल, गुवाहाटी
27	पश्चिम बंगाल, बिकी कर	बिक्री कर	2,19,44,105.00	2009-10	बिक्री कर प्राधिकारी पश्चिम बंगाल
28	आयकर विभाग	बिक्री कर	86,00,000.00	-	आय कर ट्रिब्यूनल, असम
29	आयकर विभाग	बिक्री कर	1,17,76,541.00	2006-07	आयकर आयुक्त की आईटीएटी द्वारा खारिज
30	आयकर विभाग	बिक्री कर	3,71,17,183.00	2007-08	निगम के पक्ष में सीआईटी अपील
31	आयकर विभाग	बिक्री कर	2,94,29,200.00	2008-09	आयकर आयुक्त की आईटीएटी द्वारा खारिज
32	आयकर विभाग	बिक्री कर	8,81,89,390.00	2009-10	निगम के पक्ष में आईटीएटी द्वारा अपील की अनुमति
33	आयकर विभाग	बिक्री कर	4,33,79,711.00	2010-11	निगम के पक्ष में सीआईटी अपील
34	आयकर विभाग	बिक्री कर	5,82,39,270.00	2011-12	सीआईटी मे अपील
35	आयकर विभाग	बिक्री कर	4,38,72,770.00	2012-13	सीआईटी मे अपील

17	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	162,212.00	1.4.07 to 31.12.07	Remand to Assessing officer
18	General Tax	Municipal Tax	536,975.00	1.4.1987 to 31.03.02	Municipal Corporation
19	Uttar Pradesh Agriculture Produce Market Act, 1964	Mandi Fee (Kashipur)	803,307.00	1.4.2000 to 31.3.04	Agriculture Marketing Board, UP
20	ESI Contribution	Shajahanpur	682,542.00	-	ESI
23	Amravati Mahanagar Palika, Pune	Municipal Tax	281,697.00	2004-05 to 2011-12	Amravati Mahanagar Palika, Pune
24	Sales Tax Bihar	BST Assessment	135,204.82	2004-05	Appellate tribunal (Joint Commissioner of Commission Taxes, Appeals) Patna (Bihar)
25	Sales Tax Bihar	CST Assessment	312,232.00	2004-05	Appellate tribunal (Joint Commissioner of Commission Taxes, Appeals) Patna (Bihar)
26	Assam General Sales Tax & CST	Sales Tax	1,925,730.00	2003-04 to 2005-06	Sales Tax Tribunal Assam
27	West Bengal Sales Tax_Kolkata	Sates Tax	21,944,105.00	2009-10	Sales Tax Authority-West Bengal
28	Income tax department	Income tax	8,600,000.00	-	Income Tax Tribunal-Assam
29	Income Tax Department	Income tax	11,776,541.00	2006-07	Commissioner Appeal of I.T. dismissed by ITAT
30	Income Tax Department	Income tax	37,117,183.00	2007-08	CIT Appeal in favour of Corporation
31	Income Tax Department	Income tax	29,429,200.00	2008-09	Commissioner Appeal of I.T. dismissed by ITAT
32	Income Tax Department	Income tax	88,189,390.00	2009-10	Appeal allowed by ITAT in favour of Corporation
33	Income Tax Department	Income tax	43,379,711.00	2010-11	CIT (Appeal) in favour of Corporation
34	Income Tax Department	Income tax	58,239,270.00	2011-12	Appeal filed with CIT (Appeal)
35	Income tax Department	Income tax	43,872,770.00	2012-13	Appeal filed with CIT (Appeal)

36	आयकर विभाग	बिक्री कर	25,28,565.00	2010-11	सीआईटी मे अपील
37	आयकर विभाग	बिक्री कर	1,57,24,290.00	2012-13	विभाग में 154 के अंतर्गत आवेदन दाखिल

(8) हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों अथवा सरकार अथवा ऋण पत्र धारकों के बकाये राशि की अदायगी में चूक नहीं की है ।

(9) कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों से उधार अथवा कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है। इसलिए हमारी राय में, वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों अथवा ऋणपत्र धारकों को देय राशि की वापसी की अदायगी में चूक पर रिपोटिंग का सवाल ही नहीं उठता है।

(10) निष्पादित लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर इसके अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा अथवा कंपनी द्वारा किसी प्रकार का छल-कपट नहीं देखा गया है ।

(11) निष्पादित लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 "अनुसूची- V" पढ़े, के प्रावधान के द्वारा अनिवार्य अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है ।

(12) हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी, एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश का पैरा- 3 (Xii) लागू नहीं होता है ।

(13) निष्पादित लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 जहां भी लागू, के अनुपालन में हैं और वित्तीय आंकडों की टिप्पणियों में ब्यौरा दिया गया है जैसा कि लागू लेखा मानक में अपेक्षित है ।

(14) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शेयरों का अधिमान्य आंवटन अथवा निजी प्लेसमेंट अथवा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है । तद्नुसार आदेश का पैरा- 3 (XiV) कंपनी पर लागू नहीं होता है ।

(15) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों अथवा उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर नकदी लेनदेन नहीं किया, जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 में निर्धारित है ।

(16) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है ।

ललित गुप्ता एडं एसोसियेटस के निमित्त
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या 004540एन

ह0/-

स्थानः नई दिल्ली **(एल.के.गुप्ता)**
दिनांक : 29 अगस्त, 2016 **साझेदार**
सदस्यता सं: 82727

36	Income tax Department	Income tax	2,528,565.00	2010-11	Appeal filed with ITAT
37	Income tax Department	Income tax	15,724,290.00	2012-13	Rectification U/s 154 filed with Department

8 Based on our audit procedures and the information and explanations given by the management, we are of the opinion that the company has not defaulted in the repayment of dues to a financial institution or bank or government or debenture holders.

9 According to the records of the company, the company has not borrowed from financial institutions or banks or issued debentures during the financial year. Hence, in our opinion. The question of reporting on defaults in repayment of dues to financial institution or bank or debenture holder does not arise.

10 Based on our audit procedures performed and the information and explanations given by the management, we report that no fraud on the company by its officers or employees and any fraud by the company has been noticed or reported during the course of our audit.

11 Based on our audit procedures performed and the information and explanations given by the management, we report that managerial remuneration has been paid/provided in accordance with the requite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V to the Companies Act, 2013.

12 In our opinion, and according to the information and explanation provided by the management, we are of the opinion that the company is not a nidhi company, hence, in our opinion, paragraph 3(xii) of the order do not apply to the company.

13 Based upon the audit procedures performed and information and explanations given by the management, transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the notes to the financial statements, as required by the applicable accounting standard.

14 According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, paragraph 3(xiv) of the order is not applicable to the company.

15 According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him, as prescribed under Section 192 of the Companies Act, 2013

16 The company is not required to be registered under Section 45-1A of the Reserve Bank of India, 1934.

For LALIT GUPTA & ASSOCIATES,
(Chartered Accountants)
Firm Registration No.004540N

PLACE : NEW DELHI
DATE : AUGUST 29, 2016

Sd/-
(L.K. GUPTA)
Partner
M. N -82727

ललित गुप्ता एंड एसोसियेटस के निमित्त
(सनदी लेखाकार)
412, अरूणांचल भवन, 19-बाराखंभा रोड़
नई दिल्ली-110001
दूरभाष सं0 : 23717400, 23719600

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए सीएआरओ, 2016 के द्वारा अपेक्षित समदिनांकित अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर हमारी स्वंतत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 2 (च) में संदर्भित अनुबंध-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 का खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट ।

हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय आंकड़ों तथा उक्त तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन के रूप में शामिल आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्ती य रिपोर्टिंग मानदंड के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि भारत की सनदी लेखाकारों का संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देश में इंगित है । इन जिम्मेदारियों में डिजाईन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना शामिल हैं, जोकि अपने व्यवसाय के कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनियों की नीतियों का अनुपालन, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सम्पूर्णता एवं शुद्धता तथा वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना भी शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है । हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशा-निर्देश") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के अनुसार तथा सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किया समझा। जैसा कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं, दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं । उन मानकों एवं दिशा-निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार हमने नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना के अनुरूप पालन किया है और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा था और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित थे, के अनुसार हमने लेखा परीक्षा का निष्पादन किया ।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए और उनके प्रभावी प्रचालन शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में एक समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन कि सामग्री की वर्तमान कमजोरी का आंकलन, परीक्षण और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाईन एवं प्रचालन प्रभावशीलता भी शामिल है । जोखिमों के मूल्याकंन सहित, चयनित प्रक्रियायें लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की वस्तुगत गलत विवरण के जोखिम का आकलन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो ।

LALIT GUPTA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

412,ARUNACHAL BUILDING,
19,BARAKHAMBA ROAD,
CONNAUGHT PLACE
NEW DELHI-110 001
Tel: 011-23717400, 23718900

ANNEXURE-B REFERRED TO IN PARAGRAPH 2(f) OF OUR INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS TO THE MEMBERS REQUIRED BY CARO, 2016 OF NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED** ("the Company") as of 31 March 2016 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

हम मानते हैं कि हमारे अंकेक्षण राय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर प्राप्त् किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य उचित एवं पर्याप्त हैं ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं साधारणतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाऐं (1) अभिलेखों का रखरखाव से संबंधित उचित विवरण, सटीकता एवं शुद्धता तथा कंपनी के सम्पत्तियों का लेनदेन एवं स्वभाव को काफी हद तक दर्शाना शामिल है (2) उचित आश्वासन उपलब्ध करवाना कि साधारणतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए लेनदेन को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय, कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के अनुसार किया जा रहा है और (3) उचित आश्वासन उपलब्ध करवाना कि अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम अथवा उपयोग अथवा अनधिकृत अधिग्रहण का समय पर पता लगाना, कंपनी की परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में पता लगाना जिसे वित्तीय विवरण प्रभावित होने की संभावना हो ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमायें

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमायें जिसमें मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रण का अनुचित प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण हो जाना और जिनका पता नहीं लग सकना भी शामिल है । इसके अलावा भविष्यि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्योंकन के अनुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थितियों में बदलाव की अपर्याप्तहता हो सकती है अथवा नीतियों या प्रतिक्रियाओं के अनुपालन की उपाधि खराब हो सकती है ।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी महत्व पूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धतियां हैं और ऐसी पद्धतियां 31 मार्च, 2016 को प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे और कंपनी के द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मापदंड के आधार पर तथा भारत के सनदी लेखाकारों का संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के दिशा–निर्देश में इंगित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है ।

ललित गुप्ता एडं एसोसियेटस के निमित्त
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या 004540एन

ह0/–
(एल.के.गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं : 82727

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2016

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2016, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For LALIT GUPTA & ASSOCIATES,
(Chartered Accountants)
Firm Registration No.004540N

PLACE : NEW DELHI
DATE : AUGUST 29, 2016

Sd/-
(L.K. GUPTA)
Partner
M. N –82727

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

कम्पंनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत समदिनांकित हमारे रिपोर्ट के पैरा 1 एवं निर्देश के संदर्भ में ।

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा और हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट देते है कि :

क. विभिन्न कार्यालयों / भूमि भवनों से संबंधित पट्टा विलेख/ लीज डीड तथा अन्य संबंधित कागजातों का गैर-निष्पायदन /गैर उपलब्धसता तथा कुछ परिसंपत्तियों के हक विलेख/पट्टा विलेख को अन्तिम रूप नहीं देने के कारण हम इस बिन्दु पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कम्पनी के पूर्ण स्वाममित्व वाली भूमि एवं पट्टे वाली जमीन के लिए स्पष्ट हक विलेख/पट्टा विलेख है ।

ख. कंपनी पर वर्ष के दौरान ऋण, उधार/ब्याज इत्यादि को माप करने/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं थे ।

ग. कंपनी ने तीसरी पार्टियों के पास पड़े हुए माल के पर्याप्त अभिलेख रखे हुए हैं । वर्ष के दौरान, कंपनी ने सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रुप में कोई भी संपत्ति प्राप्त नहीं की ।

ANNEXURE OF INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Referred to in paragraph 1 of our report of even date and Direction under section 143(5) of the Companies Act, 2013

On the basis of checking we considered appropriate and according to the information and explanations given to us during the course of our audit, we report that:

a. Due to non-execution/non-availability of title deeds/lease deeds and other relevant documents for land in respect of certain offices and finalization of lease in respect of certain properties, we are unable to comment on the issue whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land.

b. There were no cases of waiver/ write off of the debts, loan / interest etc. during the year.

c. The company has maintained adequate record in respect of inventories lying with the third parties. The company has not received any assets as gift from Government or Other authorities during the year.

एनएससी NSC

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन पर प्रबंधन का उत्तर

मुख्य रिपोर्ट	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1	टिप्पणी संख्या 39 . कुछ कार्यालयों की जमीन के भुगतान विवरण तथा पट्टा विलेख उपलब्ध न होने तथा हक विलेखों/पट्टा विलेखों का निष्पादन न होना/अनुपलब्धता तथा कुछ संपत्तियों की पट्टा राशि को अंतिम रूप दिए जाने तक, उनका लेखाओं पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं चल सका है ।	वर्तमान स्थिति के बारे में टिप्पणी संख्या 39 में पहले ही बता दिया गया है। फिर भी, प्रबंधन संबंधित प्राधिकारियों से हक/पट्टा विलेख निष्पादित कराए जाने के लिए निरंतर पता लगा रहा है।
2	टिप्पणी संख्या 40 . व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अंग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण / पुनर्गणना के अध्याधीन है। लेखों पर इस तरह की पुष्टिकरण / पुनर्मिलान पर उसका परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं चल सका है।	जैसे कि टिप्पणी संख्या 40 पर प्रकटीकरण किया गया है, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष, पुष्टिकरण / पुनर्गणना के अध्यधीन हैं। संदिग्ध ऋणों के लिए अपेक्षित प्रावधानों को लेखा बहियों में सृजित किया गया है। शेष राशि की पुष्टि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्राप्त कर ली गई है तथा पुष्टि पत्रों में स्पष्ट इंगित किया गया है कि यदि शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि पार्टियों को भेजी गई शेष राशि बाकी है।
3	निगम के वित्तीय विवरण में प्राप्त अनुदानों से संबंधित जमा शेष राशि रू0 1,69,09,094/-शामिल है, जिसका समाधान नहीं किया गया है। निगम के पास इसे प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि, निगम प्रबन्धन द्वारा उल्लेख किया गया है कि ये जमा शेष विगत वर्ष के दौरान निगम द्वारा प्राप्त अनुदानों से संबंधित है, जिनका उपयोग विगत वर्षो के दौरान अपेक्षित प्रयोजन के लिए किया गया, किन्तु निगम के पास इनको सत्यापित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं है ।	उल्लिखित रु. 1,69,09,094/-के पुराने अनुदान में, रु.33,97,610/- "एनएसपी के अंतर्गत अनुदान" है, जोकि 80 एवं 90 के दशक में प्राप्त हुआ था। शेष रु. 1,35,11, 484/- "बीज बैंक योजना" में क्रेडिट है। निधि का इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया, परंतु पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2016-17 के दौरान आवश्यक समायोजन हेतु विवरणों का पता लगाने के प्रयास जारी है।
4	शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार भण्डारों में बहुत सारी गैर-चलित मालसूची है और अचल परिसंपघियों में कलपुर्जे तथा अप्रचलित मशीनरी है । इन अप्रचलित मदों के संबंध में कोई प्रमाणित रिपोर्ट या किसी तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा इन अप्रचलित कल-पुर्जो और अचल संपत्तियों पर नुकसान की गणना करने के लिए कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । इसलिए ऐसी किसी रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण इनका प्रभाव सुनिश्चित करने योग्य नहीं है ।	उपकरणों और कल-पुर्जो में अप्रचलित इनवेंटरिज और पुरानी मशीनों का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है और मुख्यालय से यथोचित मंजूरी लेने के बाद नियमित रूप से नीलामी की जाती है । तत्पश्चात, खातों में आवश्यक प्रविष्टियाँ पारित की जाती हैं प्रबंधन को बाह्य प्रमाणीकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

ADDENDUM TO THE DIRECTORS' REPORT

Management's Reply to the observations made by the Statutory Auditors on the financial statement of National Seeds Corporation of India Limited for the year ending 31/03/2016

S.No.	Statutory Auditor's Comments	Management Reply
1.	Note No. 39 regarding non-availability of details of payment for land and lease deeds in respect of certain offices and non-execution/non-availability of title deeds/lease deeds and finalization of lease amount in respect of certain properties, the financial impact of which on the account, if any, is not ascertainable.	The present status has already been indicated in note no. 39. However, the management is pursuing constantly to get the title/lease deed executed from the concerned authorities.
2.	Note no. 40 regarding balances of trade receivables, loans and advances, other current assets, trade payables and other current liabilities being subject to confirmations/ reconciliation. This precise effect of consequential adjustments upon such confirmations /reconciliation, if any, on the accounts is not ascertainable.	As disclosed in note no 40 regarding balance of trade receivables, loans and advances, other current assets, trade payables and other current liabilities being subject to confirmation/ reconciliation. The required provision for doubtful debts has been created in books of accounts. Confirmations of the balance are being obtained at Regional office level and it is clearly mentioned in the confirmation letter that in case, no confirmation is received, it will be presumed that balance communicated to the party is confirmed. .
3.	The Financial Statements of the corporation (including branches) contains Credit Balances related to various grants received amounting to Rs. 1,69,09,094.00, which are not reconciled. Further, there is no document available with the corporation to verify the same. However, as explained by the management of corporation these credit balances relate to Grants received by corporation during previous years, which have been utilized for intended purposes during earlier years but no documents are available with the Corporation to verify the same.	Of the total Rs. 1,69,09,094.00 old grants mentioned, Rs. 33,97,610.00 is 'Grant under NSP' which was received in the 80's. and 90's. The balance Rs. 1,35,11,484.00 is credit lying in 'Seed Bank Scheme Fund'. The fund has been utilized for the intended purpose but the complete details are not available. Efforts are on to trace the details for necessary adjustment during 2016-17.
4.	As per the Branch Auditors' Reports, there are many non-moving inventories in stores and spares and obsolete machinery in the Fixed Assets. There is no certified report provided regarding these obsolete items or any report from any technical expert to quantify the loss on obsolete spares parts and Fixed Assets. In absence of any such report, the impact of the same is not ascertainable hence not provided.	The non-moving inventories in stores and spares and obsolete machinery are periodically reviewed and regular auctions are held to sell off obsolete machinery, after taking approval from the Head Office. Thereafter, necessary entries are passed in the books. The management doesn't feel the necessity for outside certification.

मुख्य रिपोर्ट	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
5	वर्ष 2007-08 से संबंधित उत्पादन सब्सिडी की अवितरित राशि रू0 5,80,00,000/- (पाँच करोड़ अस्सी लाख मात्र) भोपाल शाखा की लेखा खातों में निहित है। लगभग 700 किसानों के बीच यह सब्सिडी वितरित की जानी थी, जिनमें से वित्त वर्ष के अन्त तक केवल 139 की पहचान की गई । पहचान किए गए किसानों में से निगम द्वारा ऐसे 23 किसानों को सब्सिडी राशि का भुगतान किया गया और शेष 116 किसानों को भुगतान नहीं किया गया । क्योंकि इनके बैंक विवरण निगम के पास उपलब्ध नहीं हैं। शेष 561 किसानों के विवरण निगम के पास उपलब्ध नहीं हैं ।	दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे किसानों को ट्रैक करने के उद्देश्य से गठित एक समिति सत्यनिष्ठा से प्रयास कर रही है । इससे पहले बी डी ओ से सम्पर्क किया गया था, जो इस कार्य के लिए अनिच्छुक थे । निगम को वर्ष 2016-17 में एक बड़ी सफलता की उम्मीद है ।
6	निगम ने संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार से फार्म स्तर पर खेती के उद्देश्य से जमीन ली है, परन्तु निगम के पास ऐसे अधिकार के इस्तेमाल के लिए कोई दस्तावेज/पट्टानामा/करार नहीं हैं ।	जमीन के मालिकाना हक से संबंधित सभी कागजात, भारत सरकार के पास हैं, क्योंकि फार्मे की भूमि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं, सिवाए केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को छोड़ कर । यहाँ पर एनएससी ने हरियाणा सरकार के साथ एक पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं ।
7	पाँच फार्मो एवं एक क्षेत्रीय कार्यालय को पिछले वर्षो के दौरान बंद किया गया है, इन शाखाओं के रू. 5,62,00,475/- के निवल ऋण शेष को बही खातों में दर्शाया जा रहा है । हमारी राय में, इन शाखाओं की सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को सकल आधार पर खातों में लेखाबद्ध किया जाए ताकि इनकी परिसंपत्तियों और देयताओं की स्पष्ट स्थिति उपलब्ध करवाई जा सके ।	इसमें रु. 5,02,26,784/-भी शामिल है, जोकि बेहराइच फार्म बंद होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त होने है। शेष रु. 61, 96, 530/- काफी समय पहले बंद हो चुके 05 फार्मो से संबंधित निवल नामे की शेष राशि है, परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में रु. 61.96 लाख की राशि का विभाजन हेतु अभिलेखों का पता नहीं चल सका। पता लगाने का प्रयास जारी है।
8	निगम ने सम्पूर्ण परिसंपत्तियों पर हानि के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया है जैसा कि परिसंपत्तियों की हानि का निपटान करने वाले लेखांकन मानक 28, जो सुनिश्चित करता है कि परिसंपत्तियाँ वसूली योग्य राशि से अधिक पर परिसंचलित किए गए हैं, के तहत आवश्यक हैं । लाभ पर इसका प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है ।	प्रबंधन मानता है कि पुरानी परिसंपत्तियों की प्रभार राशि जैसा कि निगम के खातों में प्रतीत हो रहा है वसूली योग्य राशि से कम हैं। अत: वर्ष के दौरान पुरानी परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई और तद्नुसार लेखा मानक-28 अर्थात परिसंपत्तियों के नुकसान, के तहत कोई खुलासे नहीं किए गए ।
9	निगम के पास लगभग 20 सालों से भूमि राजस्व व्यय परिशोधन (Amortising) पालिसी है । हमारी राय में, लीज़ के लिए लेखों पर लेखा मानक 19 के अनुसार भूमि विकास व्यय, लीज अवधि में परिशोधित किया जाना चाहिए । हालांकि, लीज, पट्टा विलेखों के अभाव में, निगम के लाभ पर प्रभाव की राशि अपरिमेय है ।	भविष्य में अनुपालन हेतु संज्ञान में ले लिया है। पूर्ववर्ती एसएफसीआई के लेखा मानक के संदर्भ में वर्तमान नीति की समीक्षा की जायेगी जोकि वर्ष 2016-17 से लागू है ।

5.	An Undistributed amount of production subsidy for Rs. 5,80,00,000.00 (Rs. five crore eighty lacs only) related to 2007-08 is still lying in the books of Bhopal branch. There were around 700 Farmers to whom the subsidy was to be distributed, out of which only 139 had been identified till the end of financial year 2016. Out of these identified farmers, the corporation has paid the amount of subsidy to 23 of such farmers till financial year 2013-14 and remaining 116 farmers have not been paid since the bank details of these farmers are not available in the corporation. Details regarding the balance 561 farmers are not available with the Corporation.	A committee formed for the purpose is making efforts earnestly to track the farmers placed in remote areas. Earlier BDOs were also approached for help which they were reluctant to extend. The Corporation is making all efforts and expecting a major breakthrough in the year 2016-17.
6.	The Corporation has taken land for cultivation purpose at Farms level from respective state governments/central government; however the corporation is not in possession of any documents/ lease deed/ agreements for such right to use.	All the papers regarding the ownership of land are with the Government of India, as the Land at the Farms are in the name of the President of India except CSF Hisar, where the Corporation has signed a Lease deed with Govt. of Harayana.
7.	There were five farms and one regional office of erstwhile SFCI which were closed during earlier years, net debit balance of Rs. 5,14,55,512.00 of these farms and regional office are being shown in the books of accounts. In Our Opinion, all assets and liabilities of these branches must be accounted for in the books on gross basis so as to provide clear position of their assets and liabilities.	This includes Rs. 5,02,26,784.00 receivable from Govt. of UP towards closure of Bahraich Farm. Remaining debit balance pertains to five old farms closed long back, whose records are not traceable to bifurcate the amount separately into Assets and Liabilities. Process is on to trace them.
8.	The Corporation on the whole has not made any assessment for impairment of assets as required under the Accounting Standard 28 dealing with Impairment of Assets to ensure that the assets are carried at not more than their recoverable amount. The impact of the same on the profit is not ascertainable.	The management perceived that the carrying amount of old assets as appearing in the books of the Corporation is less than its recoverable amount. Hence, the need for revaluing old assets during the year was not felt and accordingly no disclosures were made under AS-28, i.e. Impairment of Assets
9.	The Corporation has a policy of amortizing the Land Revenue Expenditure over 20 year. In our opinion, the Land Development Expenses should be amortized over the period of lease in accordance with Accounting Standard 19 on Accounting for Leases. However, in absence of Lease deeds, the amount of impact on profit of the Corporation is indeterminable.	Noted for future compliance. Existing policy of erstwhile SFCI will be reviewed in the context of Ind AS which is applicable from 2016-17.

मुख्य रिपोर्ट	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
10	सूरतगढ़ फार्म स्थित भूमि एवं भवन (शूटिंग लॉज) का मोटेशन होना लम्बित है ।	मुख्यालय द्वारा सम्पत्तियों के स्थानांतरण के लिए सभी इकाईयों को परिपत्र जारी कर दिए गए हैं । फार्मों के द्वारा शासकीय प्राधिकरणों के साथ कार्य प्रक्रियाधीन है ।
11	जयपुर शाखा में बीजों की ढुलाई पर रिवर्स प्रभार प्रक्रिया के अंतर्गत सेवा कर जमा नहीं किया गया है । राशि पता लगाने योग्य नहीं है ।	बीजों की ढुलाई पर सेवा कर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/फार्मों में जमा हो रहे हैं, सिवाए जयपुर कार्यालय एवं राजस्थाजन स्थित तीनों फार्मो को छोड़कर कृषि उत्पादो की ढुलाई पर सेवा कर माफ है, हालांकि कृषि उत्पादों की श्रेणी में "बीज" की स्थिति स्पष्ट नहीं है । इस संबंध में कई राय ली गई हैं । प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान एक विशेष राय ली जाएगी ।
12	कम्पंनी अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत निदेश, स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं । कुछ कार्यालयों की जमीन के पट्टा विलेख/लीज डीड तथा अन्य विवरण उपलब्ध न होना और हक विलेखों/पट्टा विलेखों का निष्पादन न होना तथा कुछ संपत्तियों के पट्टा विलेखों को अंतिम रूप नहीं देने के कारण, हम इस बिन्दु पर राय देने में असमर्थ हैं, क्योंकि कंपनी के पास फ्री होल्ड/लीज होल्ड के लिए स्पष्ट पट्टा विलेख/लीज डीड नहीं है ।	कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों के जमीन के पट्टा विलेख/लीज डीड को या तो अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के पास उक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं । इस संबंध में तथ्यों को संदर्भ टिप्पणी संख्या 39 के तहत पहले ही प्रकटीकरण किया गया है ।

सीएआरओ, 2016 के द्वारा अपेक्षित समदिनांकित अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर स्वंतत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के पैरा-2 में संदर्भित अनुबंध ।

पैरा तथ्यों की अभिव्यक्ति है, इसलिए उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

10.	Mutation of land and building (Shooting lodge) at Suratgarh farm is pending.	Circular for transfer of assets were issued by the Head Office to all the units. The matter is being taken up by the farm with the Government Authorities.
11.	The service Tax has not been deposited under reverse charges mechanism on transportation of seeds at Jaipur Branch. Amount is unascertainable	Service Tax on transportation of seeds is being deposited at all the Regional Offices and Farms except Jaipur Regional Office and three remaining farms of Rajasthan. Service Tax on transportation of Agriculture produce is exempted, however, whether 'seeds' comes within the definition of Agriculture produce is still not clear. Several opinion in this regard has been taken. The management is of the view to take an expert opinion in this regard during the year 2016-17.
12.	**Direction under section 143(5) of the Companies Act, 2013 as an Annexure to the Independent Auditor's Report** Due to non-execution/ non-availability of title deeds/ lease deeds and other relevant documents for land in respect of certain offices and finalization of lease in respect of certain properties, we are unable to comment on the issue whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold land	Title deeds/ lease deeds in some regional offices are either not yet finalized or are not available with the respective units. The fact has already been disclosed under Note No. 39

ANNEXURE REFERRED TO IN PARAGRAPH II OF INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS REQUIRED BY CARO, 2016.

Paras being statement of facts, needs no reply.

निदेशक रिपोर्ट की संयोजनी - ।।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्रम सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1.	**तुलन पत्र** **गैर-वर्तमान देयताएं** **अन्य दीर्घावधि देयताएं - रू. 61,76,24,208६-** **(टिप्पणी सं0 6)** **कार्यशील पूंजी के लिए सीमांत राशि रू. 11,70,000/-** निगम ने भारत सरकार से सीमांत राशि के रूप में कार्यशील पूंजी के उपयोग के लिए रू. 11.70 करोड़ {रू. 7.24 करोड़ (1992), रू. 2.80(1993) एवं रू. 1.66 (1994)} का पूंजीगत अनुदान प्राप्त किया । उपयुक्त शीर्ष को रू. 11.70 करोड़ से अधिक बताया गया है, हालांकि पूरी राशि 31 मार्च, 1995 तक उपयोग किया गया है ।	भारत सरकार कार्यशील पूंजी के लिए सीमांत राशि के रूप में रू-11.70 करोड़ प्राप्त हुए, जो कि उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में वर्ष 1995 में असमायोजित थे । जबकि वैधानिक लेखा अर्केक्षण हो चुके थे, प्रबंधन ने इस मामले को देखा और काफी पुराने उपयोगिता प्रमाण पत्र /सनदी लेखकार का प्रमाण पत्र खोज निकाला, जिससे उपयोगिता प्रमाण पत्र की पुष्टी हो सकी। इस मामले को वर्ष 2016-17 के खातों में समायोजित किया जाएगा।
2.	**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता** **राजस्व -** **अन्य आय : रू. 43,77,70,606/-(टिप्पणी सं0 24)** उपर्युक्त शीर्ष में छूट/प्रावधान एवं देयताएं के खाते पर रू. 2.00 करोड़ की आय भी शामिल है, जिसकी अब जरूरत नहीं है, जिसे बट्टे खाते डाल दिया गया है । इसका लेखा मानक - 5 का पैरा 12 एवं 14 (जी) के अनुसार अलग से खुलासा किया जाना चाहिए था ।	लेखा मानक - 5 का पैरा 12 एवं 14 (जी) "प्रावधान के दूसरे उलट" खुलासा करने का उल्लेख है, जो वर्ष के दौरान रू. 9.82 लाख ही है, रू. 2.00 करोड़ में शामिल है, शेष देयताएं बट्टे खाते में डाल दिये गये, दर्शाता है । वर्ष 2016-17 में असाधारण मदों के अंतर्गत, यदि कोई, की बेहतर प्रस्तुति दिखाई जाएगी । यद्यपि इसका वर्ष 2015-16 के लाभ हानि विवरण अथवा तुलन पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
3.	**खातों पर टिप्पणियां** **आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धता** **प्रतिबद्धता - रू. 3,22,84,215/- (टिप्पणी सं0 34)** निगम ने 31 मार्च, 2016 को रू. 3.56 करोड़ की बजाए शेष निष्पादित किए जाने वाले ठेके की अनुमानित राशि के रूप में रू. 3.23 करोड़ का प्रकटीकरण किया है । इसके परिणाम स्वरूप पूंजी प्रतिबद्धता के विवरण में रू. 0.33 करोड़ की राशि कम दिखाई है।	यह रायचूर फार्म से संबंधित है, जहां पर पूंजी प्रतिबद्धता में रू. 33 लाख कम बताया गया है । इसके अतिरिक्त प्रकटीकरण आकस्मिक देयता है, जिसका लाभ हानि विवरण या तुलन पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । अवलोकन को मार्गदर्शन के लिए संज्ञान में ले लिया गया है ।

ADDENDUM TO THE DIRECTORS REPORT-II

Management's Reply to the Comments of the Comptroller & Auditor General of India Under Section 143 (6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of National Seeds Corporation Limited for the year ended 31st March, 2016.

S.No.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	Management Reply
1.	Balance Sheet Non-current Liabilities Other Long-term Liabilities- Rs. 61,76,24,208/- (Note No.6) Margin Money for Working Capital- Rs.11,70,00,000/- The Corporation received capital grant from Govt. of India amounting to Rs. 11.70 crore {Rs. 7.24 crore (1992), Rs. 2.80 crore (1993) and Rs. 1.66 crore (1994)} for utilization as margin money for working capital. Above head is overstated by Rs. 11.70 crore though the entire amount has been utilized as on March, 1995.	The amount of Rs. 11.70 crore received as capital grant from Govt. of India for utilization as margin money for working capital was lying unadjusted since 1995 for want of utilization certificates. Subsequent to Statutory Audit only the Management could lay hand and trace the very old utilization certificate/Chartered Accountant's Certificate confirming utilization. The same will be adjusted in 2016-17 as assured by the Management.
2.	**Profit & Loss Account for the Year ended 31st March, 2016** **Revenue** **Other Income: Rs. 43,77,70,606/- (Note No. 24)** Above head includes an income of Rs. 2.00 crore on account of allowances/provisions and liabilities no longer required being written back. It should have been disclosed separately as per Para-12 & 14(g) of Accounting Standard-5.	Para-12 & 14(g) of AS-5 refers to disclosure of "**other reversal of provision**", which during the year is Rs. 9.82 lakhs only, included in Rs. 2.00 crore. Balance represents liabilities written back. For better presentation, will be shown under Exceptional Items if any from 2016-17. However, this has no impact either on the Statement of profit & loss or balance sheet for the year 2015-16.
3.	**Notes to Accounts** **Contingent Liabilities & Commitments** **Commitments – Rs. 3,22,84,215/- (Note No. 34)** The Corporation disclosed Rs. 3.23 crore as estimated amount of contracts remaining to be executed instead of Rs. 3.56 crore as on 31st March, 2016. This resulted in understatement of capital commitment by an amount of Rs. 0.33 crore.	This pertains to CSF Raichur where Capital commitment was understated by Rs. 33 lakh. Since an additional disclosure is a contingent liability which has no impact on the Statement of profit & loss or balance sheet, the observation is noted for guidance.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2016 तक का तुलन पत्र

		टिप्पणी संख्या	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिग अवधि के आंकड़ें (₹)	31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें (₹)
I	इक्विटी एवं देयताएं			
(1)	शेयरधारियों की निधियाँ			
	शेयर पूंजी	3	573,199,000	541,709,000
	आरक्षित एवं अधिशेष	4	4,840,569,089	4,578,186,549
	कुल (1)		5,413,768,089	5,119,895,549
(2)	लंबित आबंटन शेयर आवेदन राशि		-	-
	कुल (2)		-	-
(3)	गैर चालू देयताएं			
	पूंजीगत अनुदान	5	1,014,168,780	1,113,399,799
	दीर्घाकालीन उधार	5A	5,993,541	13,173,855
	अन्य दीर्घकालीन देयताएं	6	617,624,208	570,875,304
	दीर्घकालीन प्रावधान	7	454,133,794	399,502,810
	कुल (3)		2,091,920,323	2,096,951,768
(4)	चालू देयताएं			
	अल्पकालीन उधार	8	135,120,410	111,068,890
	व्यापार प्रदेय	9	1,579,773,533	1,453,143,687
	अन्य चालू देयताएं	10	979,664,264	1,092,361,702
	अल्पकालीन प्रावधान	11	466,185,954	283,301,652
	कुल (4)		3,160,744,161	2,939,875,931
	कुल (1+2+3+4)		10,666,432,573	10,156,723,248
II	परिसम्पत्तियां			
(5)	गैर चालू परिसम्पत्तियां			
	स्थाई परिसम्पत्तियां			
	- चल परिसम्पत्तियां	12	1,394,721,022	1,206,118,965
	- अचल परिसम्पत्तियां	13	1,455,503	2,125,011
	- कार्यशील पूंजी	14	48,629,757	135,057,578
	गैर वर्तमान निवेश	15	80,051,302	80,051,302
	अस्थगित कर परिसम्पत्तियां(निवल)	16	312,848,844	285,686,731
	दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	17	40,868,705	46,566,238
	कुल (5)		1,878,575,133	1,755,605,825
(6)	वर्तमान परिसम्पत्तियां			
	माल	18	2,072,919,816	1,666,104,218
	व्यापार पाप्य	19	2,591,291,364	2,308,879,391
	नकदी एवं नकदी समकक्ष	20	1,113,675,801	1,639,377,428
	अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	21	1,160,429,580	1,096,119,937
	अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	22	1,849,540,879	1,690,636,449
	कुल (6)		8,787,857,440	8,401,117,423
	कुल (5+6)		10,666,432,573	10,156,723,248
	निगमित सूचना	1	-	-
	उल्लेखनीय लेखा नीतियां	2		
	वित्तीय विवरणों के भाग 1 से 59 तक संलग्न टिप्पणियां	-		

ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-
मो.राकिम	**कौशिक रक्षित**	**वि. मोहन**	**बी.के.गौड़**
कंपनी सचिव	वरिष्ठ महा पबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		डिन सख्या - 07296539	डिन सख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
ललित गुप्ता एंड एसोसिएटेस के निमित्त
सनदी लेखाकार
एफआरएन-0045401एन
ह0/-
एल.के.गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं : 082727

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2016

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Balance Sheet as at March 31, 2016

		Note No.	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016 (₹)	Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015 (₹)
I	**EQUITY AND LIABILITIES**			
(1)	**Shareholders' funds**			
	Share capital	3	**573,199,000**	541,709,000
	Reserves and surplus	4	**4,840,569,089**	4,578,186,549
	TOTAL (1)		**5,413,768,089**	5,119,895,549
(2)	**Share application money pending allotment**		**-**	-
	TOTAL (2)		**-**	-
(3)	**Non-current liabilities**			
	Capital grant	5	**1,014,168,780**	1,113,399,799
	Long term borrowings	5A	**5,993,541**	13,173,855
	Other long-term liabilities	6	**617,624,208**	570,875,304
	Long term provisions	7	**454,133,794**	399,502,810
	TOTAL (3)		**2,091,920,323**	2,096,951,768
(4)	**Current liabilities**			
	Short-term borrowings	8	**135,120,410**	111,068,890
	Trade payables	9	**1,579,773,533**	1,453,143,687
	Other current liabilities	10	**979,664,264**	1,092,361,702
	Short-term provisions	11	**466,185,954**	283,301,652
	TOTAL (4)		**3,160,744,161**	2,939,875,931
	TOTAL (1+2+3+4)		**10,666,432,573**	10,156,723,248
II	**ASSETS**			
(5)	**Non-current assets**			
	Fixed assets			
	- Tangible assets	12	**1,394,721,022**	1,206,118,965
	- Intangible assets	13	**1,455,503**	2,125,011
	- Capital work-in-progress	14	**48,629,757**	135,057,578
	Non-current investments	15	**80,051,302**	80,051,302
	Deferred tax assets (net)	16	**312,848,844**	285,686,731
	Long-term loans and advances	17	**40,868,705**	46,566,238
	TOTAL (5)		**1,878,575,133**	1,755,605,825
(6)	**Current assets**			
	Inventories	18	**2,072,919,816**	1,666,104,218
	Trade receivables	19	**2,591,291,364**	2,308,879,391
	Cash and cash equivalents	20	**1,113,675,801**	1,639,377,428
	Short-term loans and advances	21	**1,160,429,580**	1,096,119,937
	Other current assets	22	**1,849,540,879**	1,690,636,449
	TOTAL (6)		**8,787,857,440**	8,401,117,423
	TOTAL (5+6)		**10,666,432,573**	10,156,723,248

Corporate Information 1
Significant accounting policies 2
The accompanying notes from 1 to 59 form part of the financial statements.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mohd. Raquim	**Kaushik Rakshit**	**V. Mohan**	**V.K.Gaur**
Company Secretary	SGM(F&A)	Director (Finance)	Chairman-cum-Managing Director
		DIN - 07296539	DIN- 03289716

As per our report of even date
For Lalit Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 004540N
Sd/-
L.K. Gupta
Partner
Membership No. 082727

Place : New Delhi
Dated : 29 August,2016

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31.03.2016 को समाप्त लाभ-हानि विवरण

		टिप्पणी संख्या	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिग अवधि के आंकड़ें (₹)	31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें (₹)
	राजस्व:			
I.	प्रचालन से राजस्व	23	7,617,186,987	8,755,782,496
II	अन्य आय	24	437,770,606	320,447,234
III	कुल राजस्व		8,054,957,593	9,076,229,730
IV	व्यय:			
	उपयोग की गई सामग्रियों की लागत	25	266,916,545	254,828,024
	व्यापरगत माल की खरीद	26	5,106,864,175	5,669,986,939
	तैयार माल की तालिका एवं व्यापारगत माल में परिवर्तन	27	(361,866,489)	472,515,911
	कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय	28	1,369,214,040	1,211,258,974
	वित्त लागत	29	5,073,940	6,322,734
	मूल्याह्रस एवं परिशोधन व्यय	12 & 13	183,103,360	205,104,336
	अन्य व्यय	30	806,555,314	894,572,849
	कुल व्यय		7,375,860,885	8,714,589,767
V	विशेष, असाधारण, पूर्वावधि मदों से पूर्व लाभ तथा कर		679,096,708	361,639,963
VI	असाधारण मदें (आय/व्यय)	31	(575,117)	(3,989,023)
VII	असाधारण, पूर्वावधि मदों से पूर्व लाभ तथा कर		679,671,825	365,628,986
VIII	असाधारण मदें (आय/व्यय)	32	-	-
IX	पूर्वावधि मदों से पूर्व लाभ तथा कर		679,671,825	365,628,986
X	पूर्वावधि मदें (आय/व्यय)	33	9,227,264	(4,932,462)
XI	कर पूर्व लाभ		670,444,561	370,561,448
XII	कर व्यय:			
	(1) वर्तमान कर		263,500,000	162,500,000
	(2) अस्थगित कर (निवल)	16	(27,162,113)	(180,368,442)
	कुल		236,337,887	(17,868,442)
XIII	वर्ष के लिए लाभ		434,106,674	388,429,890
	प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन (रू. 1000 का अंकित मूल्य)			
	असाधारण मदों से पूर्व बेसिक एवं डिलूटेड		797.50	717.05
	असाधारण मदों से पश्चात बेसिक एवं डिलूटेड		797.50	717.05
	निगमित सूचना	1		
	उल्लेखनीय लेखा नीतियां	2		
	वित्तीय विवरणों का भाग 1 से 59 तक संलग्न टिप्पणियां			

ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-
मो.राकिम	**कौशिक रक्षित**	**वि. मोहन**	**वी.के.गौड़**
कंपनी सचिव	वरिष्ठ महा पबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		डिन सख्या - 07296539	डिन सख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
ललित गुप्ता एंड एसोसिएटेस के निमित्त
सनदी लेखाकार
एफआरएन-0045401एन
ह0/-
एल.के.गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं : 082727

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2016

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Statement of Profit and Loss for the year ended at March 31, 2016

		Note No.	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016 (₹)	Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015 (₹)
	REVENUE:			
I.	Revenue from operations	23	**7,617,186,987**	8,755,782,496
II	Other Income	24	**437,770,606**	320,447,234
III	**Total Revenue**		**8,054,957,593**	9,076,229,730
IV	**EXPENSES:**			
	Cost of materials consumed	25	**266,916,545**	254,828,024
	Purchases of stock-in-trade	26	**5,106,864,175**	5,669,986,939
	Changes in inventories of finished goods and stock-in-trade	27	**(361,866,489)**	472,515,911
	Employee benefits expense	28	**1,369,214,040**	1,211,258,974
	Finance costs	29	**5,073,940**	6,322,734
	Depreciation and amortisation expenses	12 & 13	**183,103,360**	205,104,336
	Other expenses	30	**806,555,314**	894,572,849
	Total Expenses		**7,375,860,885**	8,714,589,767
V	**Profit before exceptional, extraordinary, prior period items and tax**		**679,096,708**	361,639,963
VI	Exceptional Items {(Income)/Expense}	31	**(575,117)**	(3,989,023)
VII	**Profit before extraordinary, prior period items and tax**		**679,671,825**	365,628,986
VIII	Extraordinary items {(Income)/Expense}	32	-	-
IX	**Profit before prior period items and tax**		**679,671,825**	365,628,986
X	Prior period items {(Income)/Expense}	33	**9,227,264**	(4,932,462)
XI	**Profit before tax**		**670,444,561**	370,561,448
XII	Tax expense:			
	(1) Current tax		**263,500,000**	162,500,000
	(2) Deferred tax(net)	16	**(27,162,113)**	(180,368,442)
	Total		**236,337,887**	(17,868,442)
XIII	**Profit for the year**		**434,106,674**	388,429,890
	Earnings per equity share (Face Value of ₹ 1,000 each)			
	Basic and Diluted before extraordinary items		**797.50**	717.05
	Basic and Diluted after extraordinary items		**797.50**	717.05

Corporate Information 1

Significant accounting policies 2

The accompanying notes from 1 to 59 form part of the financial statements.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mohd. Raquim	**Kaushik Rakshit**	**V. Mohan**	**V.K.Gaur**
Company Secretary	SGM(F&A)	Director (Finance)	Chairman-cum-Managing Director
		DIN - 07296539	DIN- 03289716

As per our report of even date
For Lalit Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 004540N
Sd/-
L.K. Gupta
Partner
Membership No. 082727

Place : New Delhi
Dated : 29 August,2016

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. **निगमित सूचना :**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी) की स्थापना आधारीय एवं प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए वर्ष 1963 में हुई। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है । यह अनुसूची 'बी'-मिनीरत्न, श्रेणी-I कम्पनी है ।

सन् 1974 में राष्ट्रीय बीज परियोजना (एनएसपी) के आने के साथ ही, एनएससी को देश में बीज उद्योग के विकास के लिए मुख्य नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया । यह अपने पंजीकृत उत्पादकों के माध्यम से 60 फसलों के लगभग 600 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर रहा है । यहाँ पर पूरे देश में लगभग 8000 पंजीकृत बीज उत्पादक हैं जोकि विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में बीज उत्पादन के कार्यक्रमों को ले रहे हैं ।

एन.एस.सी. के पास 10 क्षेत्रीय कार्यालय, 65 प्रक्षेत्र कार्यालय, 44 बीज प्रसंस्करण संयंत्र, 7 वातानुकूलित बीज भण्डारण सुविधा, 2 सब्जी बीज पैकिंग केन्द्र, 4 बीज प्रशिक्षण प्रयोगशालायें और एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला हैं जोकि सम्पूर्ण देश में कृषि जलवायु के अनुसार मांग को पूरा करता है । इसके अतिरिक्त एन.एस.सी. गुणवत्ता बीजों का उत्पादन एवं वितरण तथा इसके अलावा निगम केले के पौध, टिशू कलचर उत्पादन में भी शामिल हैं । यह समझौता ज्ञापन साझेदारी द्वारा, प्रापण के माध्यम से, फलों के पौध/सीडलिंग्स की आपूर्ति का कार्य भी करता है । बीज विपणन 3 चौनलों के माध्यम से किया जाता है जैसे कि डीलरों एवं वितरकों के माध्यम से, सरकारों (राज्य एवं केन्द्र) के माध्यम से तथा स्वयं के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बीज की बिक्री का कार्य करता है । यहां पर निगम के लगभग 2550 डीलर हैं जोकि बिक्री का 50% से अधिक का कारोबार करते हैं ।

एन.एस.सी. ने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिनमें तिलहनों एवं, तेल पाम (एनएमओओपी), " राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन " (एनएफएसएम) एवं "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (एनएचएम) योजनाऐं है। यह बीज उत्पादक एजेन्सियों को तकनीकी सहयोग भी प्रदान करता है जिसमें राज्य बीज निगमें भी शामिल हैं तथा वे संस्थान जो बीज के उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं, के कार्मिकों को बीज प्रशिक्षण प्रदान करता है । विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र में बीज प्रसंस्करण संयंत्र तथा बीज भण्डार की स्थापना हेतु बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में "सेंण्ट्रल सैक्टर स्कीम" को लागू करने के लिए , एन.एस.सी., एक नोडल एजेन्सी है ।

2. **उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ :**

2.1 **लेखाकंन का आधार:**

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लेखांकन लागत अभिसमय के तहत, प्रोद्धवन आधार पर, भारत में साधारणतया: स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों एवं लेखा मानकों के अनुसार, जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्र संख्या 15/2013 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के साथ पढ़ें, के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता का पालन करता है । अधिनियम की अनुसूची-III में निर्धारित मार्ग दर्शन के अनुरूप, जहां कहीं भी लागू हो, सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं, चालू अथवा गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं ।

2.2 **आंकलन का उपयोग :**

स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी, वित्तीय विवरणों की तिथि पर संपत्तियों एवं देयताआं की बताई गई राशि तथा देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण पर अनुमान एवं अवधारणाओं को प्रभावित किए जाने की आवश्यकता है एवं समीक्षाधीन अवधि के दौरान आय एवं व्यय की बताई गई राशि तथा संचालन के परिणामों की आवश्यकता है ।

वास्तविक परिणाम एवं अनुमान के बीच का अंतर उस अवधि में अभिज्ञात किया जाता है जिस अवधि में परिणाम कार्यान्वयित हुआ है ।

2.3 **राजस्व अभिज्ञान :**

2.3.1 बिक्री एवं सेवाओ से राजस्व को उस समय अभिज्ञात किया जाता हैं जब वह बिक्री अथवा सेवा प्रतिपादन के समय आकंलन योग्य हो और कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो कि बिक्री अथवा सेवा प्रतिपादन से निर्धारित राशि प्राप्त हो जाएगी ।

1 **CORPORATE INFORMATION:**

National Seeds Corporation Limited (NSC) was established in 1963 to undertake production of foundation and certified seeds. It is wholly owned by Government of India under the administrative control of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It is a Schedule 'B'-Miniratna Category-I Company.

With the launching of the National Seed Project (NSP) in 1974, NSC was assigned the lead role to develop the industry in the country on sound lines. It undertakes production of certified seeds of nearly 600 varieties of 60 crops through its registered seed growers. There are about 8,000 registered seed growers all over the country who are undertaking the seed production programmes in different agro-climatic conditions.

NSC has 10 Regional Offices, 65 Area Offices, 44 Seed processing plants, 7 Air-conditioned seed storage facilities, 2 vegetable seed packing centers, 4 seed testing labs and one DNA finger printing lab to meet the demands of diverse agro ecological situations across the country. Besides production and distribution of quality seeds, NSC is also involved in the production of Tissue Culture Plants like banana. It also undertakes supply of seedlings/saplings of fruits crops through procurement from the MOU Partners. Seed marketing is carried out through three channels namely sale through dealers/ distributors, Government (State/Central) and through its own sales counter. There are about 2,550 dealers of the Corporation who account for more than 50% of the sales turn over.

NSC plays a key role in the implementation of various schemes of the Government of India like, "National Mission on Oilseeds and Oil Palm" (NMOOP), "National Food Security Mission (NFSM)" and "National Horticulture Mission" (NHM). It also provides technical support to the seed producing agencies including State Seed Corporations by imparting training of personnel engaged in the production of seeds in that organization. NSC is the nodal agency for the implementation of the Central Sector Scheme to create infrastructure facilities for establishment of processing plants and storage godowns in different states in the private sector.

2 **SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:**

2.1 **Basis of accounting:**

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis and in accordance with generally accepted accounting principles and accounting standards as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 15/2013 dated 13th September 2013 issued by Ministry of Corporate Affiars. The financial statements adhere to the relevant presentational requirement of the Companies Act 2013. All assets and liabilities are classified as current or non-current, wherever applicable as per the guidance as set out in schedule III to the Act

2.2 **Use of Estimates:**

The preparation of the financial statements in conformity with the accepted accounting principles, requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities on the date of the financial statements and the reported amounts of the income and expenses and the results of operations during the reporting period.

Difference between the actual results and the estimates are recognized in the period in which the results materialise.

2.3 **Revenue Recognition:**

2.3.1 Revenue from sales and services is recognized when the same is measurable at the time of sale or the rendering of the service and no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration that will be derived from the sale or rendering the service.

2.3.2 बिक्री में शामिल लेन-देन, स्टॉक में सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व का पुरस्कार तथा सेवा प्रतिपादन के मामले में योग्य निष्पादन क्रेता को स्थानांतरण के आधार पर है ।

2.3.3 अंतिम संग्रह की अनिश्चितता के कारण राजस्व की पहचान स्थगित कर दी गई तथा राजस्व को उस अवधि में अभिज्ञात किया गया जब ऐसी अनिश्चितता का आस्तित्व समाप्त हो गया ।

2.4 व्यय

खर्चों को उपार्जन आधार पर लेखाबद्ध किया गया है तथा सभी ज्ञात हानियों एवं देनदारियों के लिए प्रावधान किए गए है ।

2.5.1 स्थाई परिसंपत्तियों को लागत के रूप में बताया गया है जिसमें मूल्यह्रास / परिशोधन तथा क्षति यदि कोई हो को घटाया गया है ।

लागत में शामिल सभी प्रत्यक्ष लागतें अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं अधिष्ठापन के कारण है जिसमें कर, शुल्क, माल भाड़ा तथा आकस्मिक लागत भी शामिल हैं तथा खर्चे अपने कार्य के लिए सम्पत्ति लाने के परिणामस्वरूप हैं ।

2.5.2 पट्टा अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए प्रीमियम को लागत माना गया है ।

2.5.3 कार्यशील पूंजी लागत पर किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय तथा यहां तक की उधार पर ब्याज भी शामिल है ।

2.5.4 **निर्माण के दौरान व्यय:-** सभी व्यय परियोजना के निर्माण/ क्रियान्वयन स्तर पर किए गए जैसे कि शीर्ष परियोजना के तहत दिखाए गए है और पूर्व प्रभावी व्यय परियोजना के चालू होने पर विभिन्न अचल परिसंपत्तियों की लागत को अनुपातिक आधार पर पूंजीकृत किया गया है ।

2.5.5 **उधार लेने पर आई लागत :-** अर्हता प्राप्त स्थायी परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण अथवा निर्माण के लिए गए उधार पर आई लागत को ऐसे परिसंपत्तियों के लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया गया है । एक अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति के लिए यह जरूरी है कि यह अपने उद्देश्य के उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में यह समय की पर्याप्त अवधि लेता है ।

अन्य सभी उधार लागत, किए गए खर्च के रूप में, लाभ /हानि विवरण में दिखाए जाते है ।

2.6 मुल्यह्रास एवं परिशोधन :

2.6.1 परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार उल्लिखित ह्रासित मूल्य पद्धति दरो पर प्रावधान किया गया है ।

2.6.2 वर्ष के दौरान खरीदे गए / बेचे गए परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए दिखाया गया है, यदि परिसंपत्तियों का 15 दिन से अधिक उपयोग किया गया हो, बजाय इसे खरीद / बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर दिखाने के।

2.6.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुपालन में, सभी संपत्तियों का अविशिष्ट मूल्य, जिनका उपयोगी जीवन 31.03.2014 को समाप्त हो गया है और रखरखाव राशि नए लागत को नए प्रतिशत से 5 प्रतिशत से कम है, को रखरखाव राशि पर किया गया है । अन्य परिसंपत्तियों के मामलों में, अविशिष्ट जीवन परिसंपत्ति की मूल लागत का 05 प्रतिशत से कम रखा गया है ।

2.6.4 स्थाई पट्टे के अलावा अन्य पट्टेदारी भूमि पर प्रीमियम पट्टे की अवधि में परिशोधित किया गया है ।

2.6.5 एक अमूर्त/अगोचर संपत्ति की पहचान की गई है जहां यह संभव है कि परिसंपत्ति के कारण भविष्य में कंपनी को आर्थिक लाभ हो । अगोचर संपत्ति की मूल्याह्रास राशि को इसकी उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम एवं व्यवस्थित आधार पर आबटित किया गया है ।

2.7 माल सूची :

2.7.1 माल का मूल्यांकन न्यूनतम लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के आधार पर किया जाता है ।

2.7.2 माल के संबंध में लागत का निर्धारण का आधार निम्न प्रकार है :

क. बीज के लिए भारित औसत लागत ।

ख. भण्डार, अतिरिक्त कल-पुर्जे तथा उपभोज्य सामग्रियां जैसे प्रमाणीकरण पैंकिग एवं उपचार सामग्रियों के लिए अनुमानित लागत / वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है ।

ग. बेकार/बिक्री योग्य तथा उपयोग में न आने वाले बीजों के स्टॉक का मूल्यांकन वर्ष के दौरान वास्तव में बेचे गए ऐसे स्टॉक के बिक्री मूल्य भारित औसत के आधार पर संगणित अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है या यदि वर्ष के दौरान ऐसे स्टॉक का निपटान नहीं किया जाता है तो पिछले वर्ष की दर पर यह मूल्यांकन किया जाता है ।

2.3.2 Transactions involving sales are based on transfer to the buyer, of all significant risks and rewards of ownership in the goods and, in the case of rendition of service, of the eligible performance.

2.3.3 Recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainties of ultimate collection, and revenue is recognized in the period when such uncertainties cease to exist.

2.4 **Expenditure:**

Expenses are accounted for on accrual basis and provisions are made for all known losses and liabilities.

2.5 **Fixed Assets:**

2.5.1 Fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation/ amortization and impairment loss, if any.

Cost includes all direct costs attributable to the acquisition and installation of fixed assets, including taxes, duty, freight and incidental cost and expenses directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use.

2.5.2 Premium paid on acquisition of leasehold land, is treated as cost.

2.5.3 Capital work-in-progress is carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and interest on borrowing to the extent attributed to them.

2.5.4 **Expenditure during construction:-** All expenditure incurred during construction /implementation stage of the project as shown under the head Project and Pre-operative expenditure has been capitalized on pro-rata basis to the cost of various Fixed Assets on commissioning of the Project.

2.5.5 **Borrowing costs:-** Borrowing costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

All other borrowing costs, as incurred, are charged to the Statement of Profit and Loss.

2.6 **Depreciation and Amortisation:**

2.6.1 Depreciation on assets is provided on Written down value method in accordance with the useful lives prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013.

2.6.2 Depreciation on assets purchased/ sold during the year is charged for the full month if the asset is in use for more than 15 days, instead of charging the same on prorate basis from the date of purchase/sale.

2.6.3 The residual value of all assets, whose useful life has been exhausted as on 31.3.2014 following scheduled-II of the Companies Act 2013 and the carrying amount is below 5% of the new cost, has been carried at carrying amount. In case of all other assets, the residual life is kept at 5% of the original cost of assets.

2.6.4 Premium on leasehold land, other than on perpetual lease, is amortized over the period of the lease. .

2.6.5 An intangible Asset is recognized where it is probable that the future economic benefits attributable to the assets will flow to the company.The depreciable amount of an intangible asset is allocated on a systematic basis over the best estimate of its useful life but not exceeding a period of 5 years.

2.7 **Inventories:**

2.7.1 Inventories are valued at lower of cost and net realizable value.

2.7.2 The basis of cost determination in respect of inventories carried is:

a. the Weighted Average cost for seeds.

b. estimated cost/realizable value for stores, spares and consumables comprising certification, packing and treatment materials.

c. Condemned and unserviceable seed stocks are valued at estimated realizable value calculated on the basis of weighted average of sale price of such stocks actually disposed off during the year or at previous year rate if such stocks are not disposed off during the year.

2.7.3 (क) प्रयुक्त बोरियों का मूल्यांकन खरीद मूल्य के 50% पर किया जाता है ।

(ख) फार्मो की सीमाओं/परती भूमि अथवा अन्य जगहों पर उगाये गए व खराब हो चुके पौधे/वृक्षों को, जिनके लिए सक्षम अधिकारी की आज्ञा आवश्यक नहीं तथा जहां निपटान के लिए आवश्यक है वहां इनके लिए आज्ञा प्राप्त कर ली जाती है । चालू कार्य शीर्ष के अधीन खड़े पेड़ों की प्राप्त होने वाली अनुमानित कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है। लकड़ी के स्टॉक का मूल्यांकन वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है। खड़े पेड़ों के लिए वसूली योग्य मूल्य धन मीटर में परिधि पर लागू वन विभाग द्वारा तय दरों पर आधारित है।

(ग) रबी की खड़ी फसलों और नर्सरी की मालसूची का मूल्यांकन निवल वसूली मूल्य पर फसल/नर्सरी को विपणन योग्य बनाने के लिए किए जाने वाले व्यय की अनुमति देने और विपणन व्यय तथा कृषि कार्यकलापों से संबद्ध जोखिमों की व्यवस्था करने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा । खरीफ-पूर्व की लागत पर मूल्यांकित किया जाएगा ।

(घ) निर्मित माल की खपत को प्रत्यक्ष लागत पर संबंधित अन्य ऊपरी व्ययों (ओवरहैड) को जोड़ कर हिसाब में लिया जाता है।

2.8 <u>निवेश</u> :

2.8.1 अधिकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो रहे निवेश एवं विशिष्ट इरादें से किए गए निवेश को अधिकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर किए निपटान को अल्पावधि / वर्तमान निवेश के रुप में वर्गीकृत किया गया है और उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य / वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया गया है ।

2.8.2 अल्पावधि / वर्तमान निवेश के अलावा निवेशो को उनके अधिकरण की लागत पर लिया गया है, निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान यदि कोई, यदि किया जाता है, प्रबंधन के विचार में, ऐसा ह्रास अस्थाई के अतिरिक्त है ।

2.9 <u>विदेशी मुद्रा व्यापार</u> :

2.9.1 विदेशी मुद्रा में लेनदेन के रिकार्ड को संचलन तिथि पर परिचालित विनिमय दर पर रखा जाता है । विदेशी मुद्रा के लेनदेन के निपटान पर विनिमय अन्तर आने पर मामले को लाभ-हानि विवरण में अभिज्ञात किया जाता है ।

2.9.2 विदेशी मुद्रा में अनामित मौद्रिक मदों को फिर से बताया गया है तथा तुलनपत्र की प्रचलित विनियम दर से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया है और विनिमय अंतर के परिणामस्वरूप लाभ-हानि विवरण में दिखाया गया है।

2.10 <u>सरकारी अनुदान</u> :

2.10.1 प्रमोटर अंशदान की आर्थिक सहायता को पूंजीगत आरक्षित माना गया है ।

2.10.2 अनुदान सहायता से संबंधित एवं इसके बाहर के अधिग्रहित मूल्य ह्रास योग्य स्थाई परिसंपत्तियों की लागत "उपयोग किए गए पूंजी सहायता" में जमा किए जाते हैं, जोकि आरक्षित प्रकृति का है एवं ऐसे परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की कटौती इस आरक्षित से की जाती है तथा लाभ हानि विवरण में "आय " के रूप में अभिज्ञात किया गया है ।

2.10.3 अप्रयुक्त/ खर्च न की गई अनुदान की राशि को पूंजीगत अनुदान के अधीन प्रकटित किया गया है ।

2.11 <u>कर्मचारियों के लिए प्रसुविधाएं</u> :

2.11.1 <u>पूर्व नियोजन लाभ तथा अन्य दीर्घावधि लाभ की योजनाऐं</u> :

परिभाषित लाभ योजनाएँ तथा अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं के लिए लाभ प्रदान करने की लागत को बीमांकिक मूल्याकंन के साथ अनुमानित ऋण पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया गया है ।

बीमांकिक लाभ-हानि को घटित अवधि के लिए पूर्ण रूप से लाभ-हानि विवरण में अभिज्ञात किया गया है ।

2.11.2 <u>उपदान</u> :

2.7.3 a The used gunny bags are valued at 50% of the procurement cost.

b. The commercial trees grown on waste land/boundaries or otherwise including out lived plantation trees for which either the permission of appropriate authority for its disposal is not required or where it is required, such permission has been obtained for disposal, are valued on estimated realizable value of standing trees under the head Work-in-Progress. The realizable value for standing trees is based on rates fixed by forest department applied on girth in cubic meters. Stock of wood is being valued at estimated realizable value.

c. Rabi standing crops and inventory of nursery is valued at the net realizable value after making allowance for the expenses yet to be incurred to make the crop/nursery marketable and after providing for risks associated with the agricultural operations. The pre-kharif would be valued at cost.

d. The fabricated material consumed is accounted for at direct cost plus related overheads.

2.8 **Investments:**

2.8.1 Investments maturing within one year from the date of acquisition and investment made with the specific intention to dispose off within one year from the date of acquisition are classified as short term / current investments and are carried at their cost or market value/realizable value, which ever is lower.

2.8.2 Investments other than short term/current investments are carried at their cost of acquisition, Provision for diminution in value of investments, if any, is made if, in the opinion of the management, such diminuation is other than temporary.

2.9 **Foreign Currency Transactions:**

2.9.1 Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss.

2.9.2 Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

2.10 **Government Grants:**

2.10.1 Grants-in-aid of the nature of promoter's contribution are treated as Capital Reserve.

2.10.2 Cost of depreciable fixed assets acquired out of and having nexus to grant-in-aid, is credited to "Utilised Capital Grant" which is in the nature of a reserve. Depreciation on such assets is deducted from this reserve and is recognized as 'Income' in the Statement of Profit and Loss.

2.10.3 Unutilised/unspent amount of the grants are disclosed under Capital Grants.

2.11 **Employee Benefits:**

2.11.1 **Post employment benefits and other long term benefits plans:**

For defined benefit schemes and other long term benefit plans, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at the balance sheet date.

Actuarial gains and losses are recognized in full in the Statement of Profit and Loss for the period in which they occur.

2.11.2 **Gratuity:**

To meet its liability towards gratuity covering eligible employees (including daily rated workers), in compliance of Accounting Standard AS 15 – Employee Benefits, the Corporation has created a Gratuity Trust and funds of the trust are managed by LIC. Corporation pays premium based on actuarial valuation applying the Project Unit Credit Method for this purpose to LIC as per requirement/availability of the funds.

2.11.3 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ योजना :

लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा निदेशक मण्डल के अनुमोदन से पिछले वर्ष का कर-पूर्व लाभ का निर्धारित प्रतिशत की दर पर गणना की गई राशि को लाभ-हानि खाते में दिखाया गया है और इस राशि हेतु एक आरक्षित शीर्षक "सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण निधि" बनाई गई है ।

2.11.4 भविष्य निधि एवं पेंशन योजना में अंशदान :-

परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्त योजना एवं इस तरह की अन्य निधियों के भुगतान को खर्च के रूप में लिया गया है ।

(क) **भविष्य निधि** :-निगम कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार एक सांविधिक भविष्य निधि में अंशदान करता है । कंपनी द्वारा स्थापित भविष्य निधि न्यास मंडल को एक परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना गया है । चूंकि कंपनी को ब्याज एवं अन्य कमियों को पूरा करना होता है, यदि कोई हो । तद्नुसार, भुगतान किया गया अंशदान अथवा प्रदेय ब्याज को देय और व्यय, यदि कोई हो, को उस अवधि में व्यय के रूप में माना गया है जिस अवधि में कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान की गई है।

(ख) **पेंशन निधि** :- निगम, कर्मचारी के मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 % के बराबर अथवा नियोक्ता द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे अन्य प्रतिशत के रूप में अंशदान देता है और इस तरह के अंशदान का भुगतान तब तक होता रहेगा जब तक कोई वित्तीय समस्या उत्पन्न न हो ।

इस तरह का अंशदान आने वाले वर्षो में रोका जा सकता है, यदि निगम का कर पश्चात लाभ रू. 20 करोड़ से कम रहता है जिस पर न्यास, बीमाकर्ता एवं सदस्यों को तीन माह का नोटिस दिया जाएगा । यद्यपि रोके गए अंशदान को फिर से चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा यदि पिछले वर्षो के सभी संचित घाटे पूरे हो जाए और कर पश्चात लाभ रू. 20 करोड़ से अधिक हो और पहले के रोके गए मासिक अंशदान की बकाया राशि न्यास मंडल को बगैर ब्याज की जारी की जाएगी ।

2.11.5 अन्य कर्मचारी लाभ :-

लेखा मानक -15 (संशोधित) के अनुसार कंपनी का अर्जित अवकाश एवं अर्धवेतन अवकाश के प्रति दायित्व को बीमांकिक आधार पर निर्धारित एवं प्रदान किया गया है ।

2.11.6 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / स्वैच्छा से अलग होने का विकल्प की पेशकश तत्समय प्रवृत्त के लिए एक योजना के तहत एकत्रित क्षतिपूर्ति को उस वर्ष के लाभ / हानि विवरण में दिखाया जाता है, जिस वर्ष कर्मचारी उक्त योजना के लिए विकल्प देता है।

2.11.7 अल्पावधि कर्मचारी लाभ :-

अल्पावधि कर्मचारी लाभ की गैर रियायती राशि, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओ के लिए विनिमय में किए जाने वाले संभावित भुगतान को उस अवधि के दौरान खर्च के रूप में अभिज्ञात किया गया है जिस अवधि में कर्मचारियों के द्वारा सेवाएं प्रदान की गई है ।

2.12 आय पर कर

2.12.1 वर्ष के करों में वर्तमान आयकर एवं अस्थगित कर शामिल हैं ।

2.12.2 वर्तमान कर को लागू कर प्रावधान के अनुसार कर प्राधिकरण को भुगतान किए जाने वाली संभावित राशि पर निर्धारित किया जाता है ।

2.12.3 "आय पर करों के लिए लेखांकन " पर भारत के सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी लेखा मानक व्याख्या 3 के साथ लेखा मानक(एएस-22) के अनुसार, पुस्तक लाभ एवं कर लाभ के बीच समय के अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर, समय अंतराल का पता लगने की उम्मीद के साथ वर्तमान दरों में हिसाब में लिया गया है, उचित निश्चितता के साथ अस्थगित कर देनदारियों के मामलों में तथा अभासी निश्चितता के साथ अस्थगित कर के मामलों में कि भविष्य में कराधान आय होगी जिसके विरुद्ध अस्थगित कर परिसंपत्तियो प्राप्त किए जा सकते है ।

2.11.3 **Medical Benefit Scheme for retired employees:**
In accordance with the guidelines of the Department of Public Enterprises, Government of India and the approval of the Board of Directors, an amount computed at the prescribed percentage of the Profit before Tax of the previous year is charged to the Statement of Profit and Loss and a Reserve titled "Retired Employees Welfare Reserve" is created for the corresponding amount.

2.11.4 **Contributions to Provident Fund and Pension scheme:**
Payments to defined contribution retirement schemes and other similar funds are expensed as incurred.

a) **Provident Fund:** The Corporation makes contributions to a statutory provident fund in accordance with the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The provident fund trust set up by the Company is treated as a defined benefit plan since the Company has to meet the interest and other shortfalls, if any. Accordingly, the contribution paid or payable and expenses, if any are recognized as an expense in the period in which services are rendered by the employee.

b) **Pension Fund:-** The Corporation makes Contributions equal to 10% of Basic Pay + DA or such other percentage as the employer may decide from time to time and such contribution shall be payable until the happening of payment events.
Such contribution at the prescribed rate shall be withheld in subsequent year if in a particular financial year profit after tax of the Corporation dips below Rs.20 Crores, after giving three months notice to the Trust, the Insurer and all the Members. However, the withheld contribution shall be released in a phased manner to the Trust from the financial year subsequent to the year when all the previous accumulated losses are wiped out and the profit after tax becomes more than Rs.20 Crores, without any interest on such arrears of monthly contributions.

2.11.5 **Other Employee Benefits:**
The Company's obligation towards earned leave and half pay leave, are actuarially determined and provided for, as per Accounting Standard – 15 (Revised).

2.11.6 Compensation accruing under a scheme for the time being in force, offering option for voluntary retirement/ separation to employees is charged to the statement of profit and loss, in the year when the employees exercise option under such scheme.

2.11.7 **Short Term Employee Benefits:**
The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by the employees, is recognized as an expense during the period when the employees rendered those services.

2.12 **Taxes on Income:**

2.12.1 Tax expense for the year comprises of current Income tax and deferred tax.

2.12.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities using the applicable tax rates.

2.12.3 In accordance with the Accounting Standard interpretation 3 issued by The Institute of Chartered Accountants of India with the Accounting Standard (AS-22) on "Accounting for taxes on Income", Deferred Tax resulting from timing difference between book profit and tax profit is accounted for, at the current rate of Tax, to the extent the timing differene are expected to crystallize, in case of Deferred Tax liabilities with reasonable certainty and in case of Deferred Tax with virtual certainty that there would be adequate future taxable income against which Deferred Tax assets can be realized.

2.12.4 अनुवशोषित मूल्याह्रास तथा घाटे को आगे ले जाने की स्थिति में अस्थगित कर केवल उस सीमा तक अभिज्ञात किए जाते है जब यह निश्चित हो जाए कि इस तरह की संपत्तियों के उपयोग हेतु पर्याप्त भविष्य कराधान आय उपलब्ध हो जाएगा । अन्य स्थिति में, अस्थगित कर को उस सीमा तक अभिज्ञात किया जाता है जब यह निश्चित हो जाए कि इस तरह की संपत्तियों के उपयोग हेतु पर्याप्त भविष्य कराधान आय उपलब्ध हो जाएगा ।

2.13 प्रति शेयर उपार्जन

2.13.1 प्रारंभिक

इक्विटी शेयरधारकों के लिए प्रति शेयर उपार्जन गणना अवधि के दौरान बकाए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से शुद्ध लाभ अथवा हानि को विभाजित करके गणना की जाती है । इस अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस इश्यू एवं शेयर विभाजन के मामलें में समायोजित किया जाता है ।

2.13.2 डिलूटिव :

डिलूटिवः प्रति शेयर उपार्जन की गणना के उद्देश्य हेतु, इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि तथा इस अवधि के दौरान बकाए शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डिलूटिव संभावित इक्विटी के प्रभाव के लिए समायोजित किए गए है ।

2.14 परिसम्पत्तियों में मूल्यह्रास

जब किसी परिसम्पत्ति की रख-रखाव लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जाती है तो उस परिसम्पत्ति को ह्रासयुक्त माना जाता है । जिस वर्ष परिसम्पति में ह्रास चिहि्नत होता है, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में वह ह्रास नामे डाली जाती है । वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन के परिणामस्वरूप चिह्नित ह्रास को पूर्व लेखा अवधि में अभिज्ञात किया गया है ।

2.15 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

2.15.1 ऐसे प्रावधान जिनका आकंलन व्यापक अनुमानित सीमा युक्त हो सकता हैं, की पहचान तब की जाती है, जब विगत घटना के परिणामस्वरूप में वर्तमान में बाध्यता आती है और तथा ऐसी संभावना होती है कि उसमें साधनों का बर्हिगमन होगा ।

2.15.2 आकस्मिक देयताओं की लेखा पहचान नहीं की जाती है परन्तु टिप्पणियों में प्रकटित किया गया है ।

2.15.3 आकस्मिक परिसम्पत्तियों की न तो लेखा पहचान की जाती है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है ।

2.12.4 In the event of unabsorbed depreciation and carry forward losses, deferred taxes are recognized only to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available to realize such assets. In other situations, deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available to realize these assets.

2.13 **Earnings per share:**

2.13.1 **Basic:**

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. The weighted average number of equity shares outstanding during the period are adjusted for events of bonus issue and share split.

2.13.2 **Dilutive:**

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

2.14 **Impairment of Assets:**

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which an asset is identified as impaired.

Impairment loss recognized in prior accounting period(s), is reversed consequent upon a change in the estimate of the recoverable amount.

2.15 **Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:**

2.15.1 Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when, as a result of past events, there is a present obligation that can be estimated reliably and it is probable that the there will be an outflow of resources.

2.15.2 Contingent liabilities are not recognized, but disclosed in the Notes.

2.15.3 Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
3 शेयर पूंजी:				
प्राधिकृत :				
प्रत्येक 1000 रू. के 17,36,100 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 17,36,100)		**1,736,100,000**		1,736,100,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता :				
प्रत्येक 1000 रू. के पूर्णत: प्रदत्त 5,73,199 (पिछले वर्ष 5,41,709)		**573,199,000**		541,709,000
कुल		**573,199,000**		541,709,000

i) इक्विटी शेयरों की संख्या एवं बकाया राशि का मिलान:

विवरण	2015-16		2014-15	
	संख्या	(₹)	संख्या	(₹)
वर्ष के प्रारंभ में लंबित शेयर	**541,709**	**541,709,000**	226,812	226,812,000
वर्ष के दौरान जारी /जोड़ें गए	**31,490**	**31,490,000**	314,897	314,897,000
वर्ष के अंत तक लंबित शेयर	**573,199**	**573,199,000**	541,709	541,709,000

ii) शेयरों की प्रत्येक श्रेणी से संबंध राइटस , अधिनामी एवं प्रतिबंधित शेयर :

कंपनी के पास रु 1000 के सम मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की एक ही श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। निदेंशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, आगामी शेयर धारकों की बैठक के अनुमोदन के अधीन होता है, सिवाय आंतरिम लाभांश के । परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमानी राशि के वितरण के बाद कंपनी के बाद कंपनी के शेष संपत्ति को अपने शेयर धारण के अनुपात में प्राप्त करने के हकदार है ।

iii) शत प्रतिशत शेयर भारत सरकार के नाम है

iv) (क) एनएससी ने पूर्णत: चुकता पूंजी पर प्रत्येक रु. 1000 के अंकित मूल्य के साथ सिर्फ इक्विटी शेयर जारी किए है ।
(ख) एनएससी ने कोई अधिमानी शेयर जारी नहीं किए ।
(ग) एनएससी के द्वारा जीडीपी के विरुद्ध गैर परिवर्तनीय डिवेंचर, बौण्ड, परिवर्तनीय अवधि ऋण, शेयरवांरट जारी नहीं किए गए हैं।
(घ) एनएससी के द्वारा शेयरों की जब्ती नहीं की गई और इसके परिणामस्वरुप जब्त शेयरों का पुन: र्निगम नहीं हुआ ।
(ड) एनएससी के पास कोई सहायक कंपनी नहीं है इसलिए बोनस जारी करने का सवाल ही नही उठता ।
(च) एनएससी ने अब तक अपने शेयरों की वापसी खरीद नहीं की ।
(छ) सभी इक्विटी शेयर, जैसे ही एनएससी के द्वारा जारी किए गए, वे सभी भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं ।

v) आंबटित इक्विटी शेयरों की समग्र संख्या बोनस शेयर के रूप में पूर्ण रूप से प्रदत्त है।

	संख्या	(₹)	संख्या	(₹)
बोनस शेयर के रूप में पूर्ण रूप से प्रदत्त आंबटित इक्विटी शेयर		**31,490**	**31,490,000**	-

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016	Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015
	(₹)	(₹)
3 SHARE CAPITAL:		
AUTHORISED:		
17,36,100 (Previous Year 17,36,100) equity shares of ₹ 1,000 each	**1,736,100,000**	1,736,100,000
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP:		
5,73,199 (Previous Year 5,41,709) equity shares of ₹ 1000 each fully paid up	**573,199,000**	541,709,000
TOTAL	**573,199,000**	541,709,000

i) Reconciliation of number of Equity Shares and amount outstanding:

Particulars	2015-16 Nos.	2015-16 (₹)	2014-15 Nos.	2014-15 (₹)
Shares outstanding as at the beginning of the year	**541,709**	**541,709,000**	226,812	226,812,000
Issued/Addition during the year	**31,490**	**31,490,000**	314,897	314,897,000
Shares outstanding as at the end of the year	**573,199**	**573,199,000**	541,709	541,709,000

ii) Rights, preferences and restrictions attached to each class of shares:

The Company has one class of equity shares having a par value of ₹ 1,000 per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting, except in case of interim dividend. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

iii) 100% Equity Shares are held by the Government of India.

iv) a. NSC have issued only equity shares with face value of Rs.1000/- each fully paid up.
b. No preference shares have been issued by NSC.
c. No convertible debentures, bonds, convertible term loan, share warrants against GDF has been issued by NSC.
d. No forfeiture of shares have been done by NSC and consequently there is no reissue of forfeited shares.
e. NSC does not have any subsidiary company, therefore, no question arises for issue of bonus shares.
f. NSC did not buy back its own shares so far.
g. All the equity shares as have been issued by NSC are in the name of President of India.

v) Aggregate number of equity shares allotted as fully paid up by way of bonus shares:

	Nos.	(₹)	Nos.	(₹)
Equity shares allotted as fully paid up by way of bonus shares	**31,490**	**31,490,000**	-	-

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
4 आरक्षित एवं अधिशेष :				
क) लाभ हानि विवरण में अधिशेष				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4,504,761,866**		4,230,333,825	
घटाएं : जारी किए गए बोनस शेयर	**31,490,000**			
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ	**434,106,677**		388,429,890	
	4,907,378,543		4,618,763,715	
घटाएं :-				
नए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार मूल्याह्रास गणना में परिवर्तन के कारण अपने पास रखे आय का समायोजन	-		18,434,532	
प्रस्तावित लाभांश	**114,639,800**		81,256,350	
लाभांश वितरण कर	**23,337,966**		13,809,500	
लाभांश वितरण कर - 2014-15	**2,436,976**		-	
खर्च न किए गए सी.एस.आर आरक्षित में स्थानातंरित	**6,482,347**		501,467	
	146,897,089		114,001,849	
वर्ष के अंत तक शेष		**4,760,481,454**		4,504,761,866
ख) खर्च न किए गए सी.एस.आर आरक्षित				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**26,187,704**		25,686,237	
जोड़ें: लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष से स्थानातंरित	**6,482,347**		501,467	
वर्ष के अंत तक शेष		**32,670,051**		26,187,704
ग) सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित				
वर्ष के प्रारंभ में शेष,	**15,252,589**		16,285,708	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क	**287,430**		148,000	
	15,540,019		16,433,708	
घटाएं :				
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	**1,610,171**		1,181,119	
वर्ष के अंत तक शेष		**13,929,848**		15,252,589
घ) भूमि विकास आरक्षित				
वर्ष के प्रारंभ में शेष,	**31,984,390**		30,566,000	
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,503,346**		1,418,390	
वर्ष के अंत तक शेष		**33,487,736**		31,984,390
कुल		**4,840,569,089**		4,578,186,549
5 पुंजीगत अनुदान :				
(क) उपयोग किया गया पुंजीगत अनुदान				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**883,849,131**		945,589,077	
जोड़े: वर्ष के दौरान प्रयोग किया गया	**68,240,608**		-	
जोड़े : मुख्यालय /फार्म से /को स्थानातंरित	-		12,996,272	
	952,089,739		958,585,349	
वर्ष के अंत में शेष		**877,382,133**		883,849,131

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2016

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
4 RESERVES AND SURPLUS:				
a) Surplus in Statement of Profit and Loss:				
Balance as at the beginning of the year	**4,504,761,866**		4,230,333,825	
Less: Bonus shares issued	**31,490,000**		-	
Add: Profit for the year	**434,106,677**		388,429,890	
	4,907,378,543		4,618,763,715	
Less:				
Adjustment of Retained Earnings due to change in Depreciation calculations as per new Companies Act,2013	**-**		18,434,532	
Proposed Dividend	**114,639,800**		81,256,350	
Dividend Distribution Tax	**23,337,966**		13,809,500	
Dividend Distribution Tax - 2014-15	**2,436,976**		-	
Transferred to Unspent CSR Reserve	**6,482,347**		501,467	
	146,897,089		114,001,849	
Balance as at the end of the year		**4,760,481,454**		4,504,761,866
b) Unspent CSR Reserve:				
Balance as at the beginning of the year	**26,187,704**		25,686,237	
Add: Transferred from Surplus in Statement of Profit & Loss	**6,482,347**		501,467	
Balance as at the end of the year		**32,670,051**		26,187,704
c) Retired Employees Welfare Reserve:				
Balance as at the beginning of the year	**15,252,589**		16,285,708	
Add: Subscription received during the year	**287,430**		148,000	
	15,540,019		16,433,708	
Less:				
Amount utilised during the year	**1,610,171**		1,181,119	
Balance as at the end of the year		**13,929,848**		15,252,589
d) Land Development Reserve:				
Balance as at the beginning of the year	**31,984,390**		30,566,000	
Add: Addition during the year	**1,503,346**		1,418,390	
Balance as at the end of the year		**33,487,736**		31,984,390
TOTAL		**4,840,569,089**		4,578,186,549
5 CAPITAL GRANT:				
a) Utilised capital grant:				
Balance as at the beginning of the year	**883,849,131**		945,589,077	
Add:Utilised during the year	**68,240,608**		-	
Add:Transferred from /to HO/Farms	**-**		12,996,272	
	952,089,739		958,585,349	
Less:Deductions during the year (Depreciation)	**74,707,606**		74,736,218	
Balance as at the end of the year		**877,382,133**		883,849,131

NSC

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें (₹)	(₹)	31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें (₹)	(₹)
(ख)खर्च न किया गया पूंजीगत अनुदान				
i) बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं जीओटी फार्मर्स के उपकरणों की खरीद				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**19,100,000**		4,500,000	
जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**		19,100,000	
	19,100,000		23,600,000	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	**9,555,014**		2,661,272	
अनुपयोगित राशि जो एमओए को वापस की गई।	**-**		1,838,728	
वर्ष के अंत में शेष		**9,544,986**		19,100,000
ii) बीज भंडारण गोदाम के लिए	**86,494,865**		88,994,865	
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त	**66,880,000**		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	**58,685,594**		-	
घटाएं: रायचूर को स्थानातंरित की गई राशि	**-**	**94,689,271**	2,500,000	86,494,865
iii) कम्प्यूटरीकरण के लिए	**3,415,000**		11,250,000	
घटाएं: प्रयोग की गई राशि	**-**	**3,415,000**	7,835,000	3,415,000
iv) प्रशिक्षण के लिए	**1,225,221**		2,400,000	
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त की गई राशि	**1,200,000**		-	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	**1,225,221**	**1,200,000**	1,174,779	1,225,221
v) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए	**20,079,029**		24,108,825	
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त की गई राशि	**58,870,708**		-	
जोड़े: रायचूर से स्थानातंरति राशि	**-**		212,818	
घटाएं: प्रयोग की गई राशि	**60,248,900**	**18,700,837**	4,242,614	20,079,029
vi) राष्ट्रीय बीज आरक्षित के लिए	**90,000,000**		90,000,000	
घटाएं: प्रयोग की गई राशि	**90,000,000**	-	-	90,000,000
viii) अनुदान		**675,069**		675,069
कुल		**136,786,647**		229,550,668
कुल		**1,014,168,780**		1,113,399,799

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
(b) **Unspent Capital Grant**				
i) For Procurement of equipment of Seeds Testing Labs & For G.O.T. Farms				
Balance as at the beginning of the year	**19,100,000**		4,500,000	
Add: Addition during the year	**-**		19,100,000	
	19,100,000		23,600,000	
Less: Utilised during the year	**9,555,014**		2,661,272	
Unutilised amount refunded to MOA	**-**		1,838,728	
Balance as at the end of the year		**9,544,986**		19,100,000
ii) For Seed Storage Godown	**86,494,865**		88,994,865	
Add:Received during the year	**66,880,000**		-	
Less: Utilised during the year	**58,685,594**		-	
Less: Transferred to Raichur	**-**	**94,689,271**	2,500,000	86,494,865
iii) For Computerisation	**3,415,000**		11,250,000	
Less: Amount utilised	**-**	**3,415,000**	7,835,000	3,415,000
iv) For conduction training	**1,225,221**		2,400,000	
Add: Received during the year	**1,200,000**		-	
Less: Amount utilised	**1,225,221**	**1,200,000**	1,174,779	1,225,221
v) For National Hort. Mission	**20,079,029**		24,108,825	
Add: Received during the year	**58,870,708**		-	
Add:Amt transferred from Raichur	**-**		212,818	
Less:Amount utilised	**60,248,900**	**18,700,837**	4,242,614	20,079,029
vi) For National Seeds Reserve	**90,000,000**		90,000,000	
Less: Amount utilised	**90,000,000**	-	-	90,000,000
vii) Deferred Govt. Grant (CSF Bahraich)		**8,561,484**		8,561,484
viii) Grant in aid		**675,069**		675,069
Total		**136,786,647**		229,550,668
TOTAL		**1,014,168,780**		1,113,399,799

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
5 क. **दीर्घावधि उधार**				
बैंक से:				
प्रतिभूत		-		-
अप्रतिभूत		5,993,541		13,173,855
कुल		5,993,541		13,173,855
6 **अन्य दीर्घावधि देयताएं:**				
सुरक्षित एवं अन्य जमाएं		144,753,240		120,225,466
परिक्रामी निधी के लिए:				
- सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन*	15,000,000		15,000,000	-
- बीज बैंक योजना की स्थापना एवं रख-रखाव **	37,954,900		37,954,900	
- बीज बैंक योजना की स्थापना एवं रख-रखाव पूर्ववर्ती एसएफसीआई	28,916,752		28,916,752	
- क्रैश प्रोग्राम (दलहन) - पूर्ववर्ती एसएफसीआई	15,000,000	120,246,652	15,000,000	120,246,652
-कार्यशील पूंजी के लिए सीमांत राशि ****		117,000,000		117,000,000
उपदान देयताऐं ****		235,624,316		213,403,186
कुल		617,624,208		570,875,304

* सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि में अनुदान राशि प्रदान की । यह निधि अलग खाते में रखी गई थी और इसे कार्यशील पूंजी के रुप में प्रयोग किया जायेगा। यह भी बताया गया है कि उपयोग किया निधि वापस जमा हो गए थे । ताकि इस खाते से कोई कमी नहीं होनी चाहिए ।

** बीज बैंक योजनाओं की स्थापना एवं रखरखाव- परिक्रामी निधि- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बीज बैंक की स्थापना एवं रखरखाव के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण हेतु निधि की मंजूरी प्रदान कर दी है । यह सहायता उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं दिशा निर्देश के अनुसार उपयोग किया जाना था तथा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को कार्यान्वयन योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी ।

*** तिलहन एवं दलहन की गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी क्रैश प्रोग्राम लागू करने के लिए परिक्रामी निधि :- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दलहन की गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण हेतु निधि की मंजूरी प्रदान कर दी है । दलहनों के उत्पादन के लिए क्रैश प्रोग्राम की आयोजन हेतु निधि का प्रयोग किया जाना था ।

**** कार्यशील पूंजी के लिए सीमांत राशि - राष्ट्रीय बीज परियोजना फेस-III (एनएसपी-III) के अंतर्गत कार्यशील पूंजी सीमांत राशि के रुप में एनएससी को नगद सहायता दी गई थी । यह राशि तीन किस्तों में इस शर्त पर दी गई थी कि इन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित उत्पाद मिश्रण में सुधार के लिए एनएससी की एफडीआर और कार्य योजना में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(*****संदर्भ नोट संख्या 43)

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
5A LONG - TERM BORROWINGS:				
From Bank:				
Secured		-		-
Unsecured		**5,993,541**		13,173,855
TOTAL		**5,993,541**		13,173,855
6 OTHER LONG -TERM LIABILITIES:				
SECURITY & OTHER DEPOSITS		**144,753,240**		120,225,466
Revolving Fund For:				
-Seed Production under Drought Prone Area*	**15,000,000**		15,000,000	
-For Establishment and Maintenance of Seed Bank Scheme **	**37,954,900**		37,954,900	
-For Establishment and Maintenance of Seed Bank Scheme - erstwhile SFCI	**28,916,752**		28,916,752	
-Crash Programme (Oil Seeds)***	**14,700,000**		14,700,000	
-Crash Programme (Oil Seeds)-erstwhile SFCI	**6,000,000**		6,000,000	
-Crash Programme(Pulses)***	**2,675,000**		2,675,000	
-Crash Programme(Pulses)-erstwhile SFCI	**15,000,000**	**120,246,652**	15,000,000	120,246,652
Margin Money for Working Capital****		**117,000,000**		117,000,000
Gratuity Liability *****		**235,624,316**		213,403,186
TOTAL		**617,624,208**		570,875,304

* Revolving fund for seed production under drought prone area:-The Ministry of Agriculture granted approval of fund for seed production under drought prone areas. This fund was to be kept in a separate account and to be used as working capital. It was also stated that the funds utilized were to be deposited back so that there should be no depletion from this account.

** Revolving fund for establishment and maintenance of Seed Bank Scheme :- The Ministry of Agriculture granted approval for release of funds for creation of revolving fund for the purpose of establishment and maintenance of seed bank. This assistance was to be used as per the guidelines and utilization certificate and progress of implementation scheme was to be submitted to DAC & FW.

*** Revolving fund for implementation of Crash Programme for Quality Seed Production of Oilseeds and Pulses:- The Ministry of Agriculture granted aproval of revolving fund for the purpose of implementation of qulaity seed production of pulses. The funds were to be used for organizing crash programs for production of pulses.

**** Margin money for working capital:- Cash assistanace was given to NSC as working capital margin money under National Seeds Project Phase-III(NSP-III). These amounts were given in three installements with the condition that these would be placed in FDRs and action plan of NSC for improving product mix as approved by MOA & FW.

(***** Refer Note No. 43)

		31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
7	**दीर्घावधि प्रावधान:**				
	क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ *				
	वर्ष के प्रांरभ में शेष	**368,297,960**		321,288,331	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**49,072,984**		47,009,629	
	वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	**-**		-	
	वर्ष के अंत में शेष		**417,370,944**		368,297,960
	सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण				
	वर्ष के प्रांरभ में शेष	**31,204,850**		19,105,850	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**5,558,000**		12,099,000	
	वर्ष के अंत में शेष		**36,762,850**		31,204,850
	कुल		**454,133,794**		399,502,810

*संदर्भ नोट संख्या 43

8	**अल्पावधि के ऋण:**		
	मांग पर पुन: देय ऋण		
	बैंक से:		
	प्रत्याभूत(नकद उधार)*	**135,120,410**	111,068,890
	अत्प्रयाभूत	**-**	-
	कुल	**135,120,410**	111,068,890

*कंपनी की सभी वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रांरभिक प्रतिभूति एवं देश के विभिन्न भागों में स्थित 26 परिसंपत्तियों पर साम्यिक बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूति ।

9	**व्यापार प्रदेय :**				
-	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय*	**65,825,506**		10,039,511	-
	अन्य	**1,513,948,027**	**1,579,773,533**	1,443,104,176	1,453,143,687
	कुल		**1,579,773,533**		1,453,143,687

*संदर्भ नोट संख्या 41

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
7 LONG -TERM PROVISIONS:				
For compensated Absences*				
Balance as at the beginning of the year	**368,297,960**		321,288,331	
Additions during the year	**49,072,984**		47,009,629	
Amounts utilised during the year	**-**		-	
Balance as at the end of the year		**417,370,944**		368,297,960
For Retired Employees welfare				
Balance as at the beginning of the year	**31,204,850**		19,105,850	
Additions during the year	**5,558,000**		12,099,000	
Balance as at the end of the year		**36,762,850**		31,204,850
TOTAL		**454,133,794**		399,502,810

* Refer Note No. 43

8 SHORT-TERM BORROWINGS:				
Loan repayable on Demand:				
From Banks:				
Secured(Cash Credit)*		**135,120,410**		111,068,890
Unsecured		**-**		-
TOTAL		**135,120,410**		111,068,890

*Primarily secured by first charge on all present and future current assets of the company and collaterally secured by equitable mortgage on 26 properties located at different parts of the country.

9 TRADE PAYABLES:				
- Due to Micro, small & medium Enterprises*	**65,825,506**		10,039,511	
- Others	**1,513,948,027**	**1,579,773,533**	1,443,104,176	1,453,143,687
TOTAL		**1,579,773,533**		1,453,143,687

* Refer Note No.41

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
10 अन्य वर्तमान देयताएं :				
नरीक्षण शुल्क, पंजीकरण शुल्क इत्यादि		**3,636,620**		3,281,585
अन्य प्रदेय :				
सांविधिक देय	**32,851,395**		37,118,936	
सुरक्षित एवं अन्य जमा,	**216,309,072**	**249,160,467**	192,172,974	229,291,910
अन्य वर्तमान देयताएं:				
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिवक्वता	-		7,500,000	
स्थाई परिसंपत्तियों को प्रदेय	**20,394,987**		11,021,965	
अन्य	**581,849,548**	**602,244,535**	704,424,478	722,946,443
के लिए अग्रिम :				
यू.एन.डी.पी के अंतर्गत संकर				
मक्का के प्रमाणित बीज का उत्पादन	**280,919**		41,051,263	
धान के बीजो का उत्पादन के खाते में	-		2,672,160	
आर्थिक सहायता/अनुदान	**38,294,153**		40,024,793	
सिचाई के विकास के लिए पूंजीगत अनुदान	**33,900,000**		33,900,000	
अनुपयुक्त अनुदान एनएचएम	-		992,708	
संकर बीज का उत्पादन	-		-	
जीओटी फार्म के लिए	**26,332**		-	
निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन संवर्धन के लिए सहायता	**34,062,066**	**106,563,470**	11,903,670	130,544,594
एन.एफ.एस.एम. की परियोजना मिशन के लिए अंग्रिम		**18,059,172**		6,297,170
कुल		**979,664,264**		1,092,361,702
11 अल्प- अवधि के प्रावधान :				
क्षतिपूरक अनुपस्थितियों के लिए★				
वर्ष के प्रांरभ में शेष	**55,461,842**		45,005,105	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**18,991,321**		61,638,500	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	**65,785,773**		51,181,763	
दीर्घावधि प्रावधान में स्थानातंरण	-		-	
वर्ष के अंत में शेष		**8,667,390**		55,461,842
कराधान के लिए (भुगतान किए गए करों का निवल)				
वर्ष के प्रांरभ में शेष	**47,396,797**		125,318,904	
वर्ष 2015-16 के दौरान वृद्धि	**263,500,000**		162,500,000	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	**168,731,660**		240,422,107	
वर्ष के अंत में शेष		**142,165,137**		47,396,797

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
10 OTHER CURRENT LIABILITIES :				
Inspection fee, Registration fee etc.		**3,636,620**		3,281,585
Other Payable:				
Statutory Dues	**32,851,395**		37,118,936	
Security and Other Deposits	**216,309,072**	**249,160,467**	192,172,974	229,291,910
Other current liabilities:				
Current maturities of Long Term Debt	-		7,500,000	
Payable for fixed assets	**20,394,987**		11,021,965	
Others	**581,849,548**	**602,244,535**	704,424,478	722,946,443
Advances for:				
Production of maize hybrid Certified seeds Under UNDP	**280,919**		41,051,263	
On account of Production of Paddy seeds	-		2,672,160	
Grant in Aid/Subsidy	**38,294,153**		40,024,793	
Capital Grant for Development of Sprinkler Irrigation	**33,900,000**		33,900,000	
Unutilised Grant NHM	-		992,708	
For GOT farm	**26,332**		-	
Assistance for boosting seeds production in private Sector	**34,062,066**	**106,563,470**	11,903,670	130,544,594
Advance for National Food Security Mission Project Mission etc.		**18,059,172**		6,297,170
TOTAL		**979,664,264**		1,092,361,702

11 SHORT -TERM PROVISIONS:				
For Compensated Absences:*				
Balance as at the beginning of the year	**55,461,842**		45,005,105	
Additions during the year	**18,991,321**		61,638,500	
Amounts utilised during the year	**65,785,773**		51,181,763	
Transfer to Long-term Provision	-		-	
Balance as at the end of the year		**8,667,390**		55,461,842
For Taxation(Net of taxes paid)				
Balance as at the beginning of the year	**47,396,797**		125,318,904	
Additions for the year 2015-16	**263,500,000**		162,500,000	
Amounts utilised during the year	**168,731,660**		240,422,107	
Balance as at the end of the year		**142,165,137**		47,396,797

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
प्रस्तावित लाभांश :				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**81,256,350**		64,867,173	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**114,639,800**		81,256,350	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	**81,256,350**		64,867,173	
वर्ष के अंत में शेष		**114,639,800**		81,256,350
लाभांश वितरण कर :				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**13,809,419**		11,024,095	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**23,337,966**		13,809,500	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	**13,809,419**		11,024,176	
वर्ष के अंत में शेष		**23,337,966**		13,809,419
पेंशन :				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**-**		80,039,000	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**62,500,000**		-	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	**-**		80,039,000	
वर्ष के अंत में शेष		**62,500,000**		-
निष्पादन संबंधी वेतन:				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**85,377,244**		77,108,487	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**29,500,000**		8,400,000	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	**1,583**		131,243	
वर्ष के अंत में शेष		**114,875,661**		85,377,244
कुल		**466,185,954**		283,301,652

(*संदर्भ नोट संख्या 43)

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
Proposed Dividend:				
Balance as at the beginning of the year	**81,256,350**		64,867,173	
Additions during the year	**114,639,800**		81,256,350	
Amounts utilised during the year	**81,256,350**		64,867,173	
Balance as at the end of the year		**114,639,800**		81,256,350
Dividend Distribution Tax:				
Balance as at the beginning of the year	**13,809,419**		11,024,095	
Additions during the year	**23,337,966**		13,809,500	
Amounts utilised during the year	**13,809,419**		11,024,176	
Balance as at the end of the year		**23,337,966**		13,809,419
Pension:				
Balance as at the beginning of the year	**-**		80,039,000	
Additions during the year	**62,500,000**		-	
Amounts utilised during the year	**-**		80,039,000	
Balance as at the end of the year		**62,500,000**		-
Performance Related Pay:				
Balance as at the beginning of the year	**85,377,244**		77,108,487	
Additions during the year	**29,500,000**		8,400,000	
Amounts utilised during the year	**1,583**		131,243	
Balance as at the end of the year		**114,875,661**		85,377,244
TOTAL		**466,185,954**		283,301,652

(*Refer Note No. 43)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

स्थाई परिसंपत्तियां:

टिप्पणी सं.	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		As at 01.04.2015	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	31.03.2016को	31.03.2015 तक	वर्ष के लिए	कटौतियाँ	31.03.2016 तक	31.03.2016 को	31.03.2015 को
12	गोचर परिसंपत्तियां										
	फ्री होल्ड भूमि	45,994,148	51,917	-	46,046,065	-	-	-	-	46,046,065	45,994,148
	पट्टे वाली भूमि	21,993,134	-	-	21,993,134	2,059,247	375,087	-	2,434,334	19,558,800	19,933,887
	भूमि विकास(फार्म)	60,534,294	6,750,834	-	67,285,128	-	-	-	-	67,285,128	60,534,294
											-
	भवन	716,325,659	76,916,812	-	793,242,471	200,639,578	46,999,566	-	247,639,144	545,603,327	515,686,081
											-
	संयंत्र एवं मशीनरी	602,816,181	24,123,756	87,687	626,852,250	324,499,349	62,048,991	80,636	386,467,704	240,384,546	278,316,832
	पौध रोपण बागवानी	20,202,753	2,716,341	25,124	22,893,970	6,981,071	2,042,468	-	9,023,539	13,870,431	13,221,682
	सिंचाई	352,449,876	251,743,713	-	604,193,589	125,004,115	55,191,493	-	180,195,608	423,997,981	227,445,761
	फर्नीचर/फिक्सर	53,118,861	4,101,681	19,073	57,201,469	33,760,077	5,082,561	19,073	38,823,565	18,377,904	19,358,784
	कार्यालय उपस्कर	36,590,802	605,297	39,280	37,156,819	31,300,761	2,123,391	38,212	33,385,940	3,770,879	5,290,041
	कंप्यूटर	38,659,495	2,281,580	13,000	40,928,075	32,889,696	3,713,972	13,000	36,590,668	4,337,407	5,769,799
	रु. 5000/- से कम राशि की परिसंपत्तियां	4,737,101	124,307	-	4,861,408	4,737,101	103,964	-	4,841,065	20,343	-
	किताबें	480,102	-	-	480,102	476,308	270	-	476,578	3,524	3,794
	वाहन	28,051,879	110,126	-	28,162,005	22,576,725	2,074,994	-	24,651,719	3,510,286	5,475,154
	तिरपाल एवं धूनी आवरण	4,731,462	638,440	-	5,369,902	4,143,499	295,374	-	4,438,873	931,029	587,963
	सड़कें	11,665,528	683,718	-	12,349,246	3,164,782	2,161,092	-	5,325,874	7,023,372	8,500,746
	कुल	**1,998,351,275**	**370,848,522**	**184,164**	**2,369,015,633**	**792,232,309**	**182,213,223**	**150,921**	**974,294,611**	**1,394,721,022**	**1,206,118,966**
	पिछले वर्ष	650,080,563	1,372,084,459	23,813,747	1,998,351,275	266,573,713	520,001,934	-5,656,662	792,232,309	1,206,118,966	383,506,850
13	अगोचर परिसंपत्तियां										
	सॉफ्टवेयर	**8,571,826**	220,629	-	**8,792,455**	**6,446,815**	**890,137**	-	**7,336,952**	**1,455,503**	**2,125,011**
	पिछले वर्ष	5,213,070	3,358,756	-	8,571,826	4,622,744	1,824,071	-	6,446,815	2,125,011	590,326
14	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य										
	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	48,629,757	135,057,578

संदर्भ : भूमि एवं भवन के लिए संदर्भ टिप्पणी संख्या 39

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2016

FIXED ASSETS:

Note No.	Description	GROSS BLOCK As at 01.04.2015	Additions during the year	Deductions during the year	As at 31.03.2016	DEPRECIATION/AMORTISATION Upto 31.03.2015	For the year	Deductions	Upto 31.03.2016	NET BLOCK As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
12	TANGIBLE ASSETS										
	FREE HOLD LAND	45,994,148	51,917	-	46,046,065	-	-	-	-	46,046,065	45,994,148
	LEASE HOLD LAND	21,993,134	-	-	21,993,134	2,059,247	375,087	-	2,434,334	19,558,800	19,933,887
	LAND DEVELOPMENT(FARM)	60,534,294	6,750,834	-	67,285,128	-	-	-	-	67,285,128	60,534,294
											-
	BUILDINGS	716,325,659	76,916,812	-	793,242,471	200,639,578	46,999,566	-	247,639,144	545,603,327	515,686,081
											-
	PLANT & MACHINERY	602,816,181	24,123,756	87,687	626,852,250	324,499,349	62,048,991	80,636	386,467,704	240,384,546	278,316,832
	PLANTATION HORTICULTURE	20,202,753	2,716,341	25,124	22,893,970	6,981,071	2,042,468	-	9,023,539	13,870,431	13,221,682
	IRRIGATION	352,449,876	251,743,713	-	604,193,589	125,004,115	55,191,493	-	180,195,608	423,997,981	227,445,761
	FURNITURE, FIXTURES	53,118,861	4,101,681	19,073	57,201,469	33,760,077	5,082,561	19,073	38,823,565	18,377,904	19,358,784
	OFFICE EQUIPMENTS	36,590,802	605,297	39,280	37,156,819	31,300,761	2,123,391	38,212	33,385,940	3,770,879	5,290,041
	COMPUTERS	38,659,495	2,281,580	13,000	40,928,075	32,889,696	3,713,972	13,000	36,590,668	4,337,407	5,769,799
	ASSETS LESS THAN Rs. 5000/-	4,737,101	124,307	-	4,861,408	4,737,101	103,964	-	4,841,065	20,343	-
	BOOKS	480,102	-	-	480,102	476,308	270	-	476,578	3,524	3,794
	VEHICLES	28,051,879	110,126	-	28,162,005	22,576,725	2,074,994	-	24,651,719	3,510,286	5,475,154
	TARPAULINS & FUMIGATION COVERS	4,731,462	638,440	-	5,369,902	4,143,499	295,374	-	4,438,873	931,029	587,963
	ROADS	11,665,528	683,718	-	12,349,246	3,164,782	2,161,092	-	5,325,874	7,023,372	8,500,746
	TOTAL	**1,998,351,275**	**370,848,522**	**184,164**	**2,369,015,633**	**792,232,309**	**182,213,223**	**150,921**	**974,294,611**	**1,394,721,022**	**1,206,118,966**
	PREVIOUS YEAR	650,080,563	1,372,084,459	23,813,747	1,998,351,275	266,573,713	520,001,934	-5,656,662	792,232,309	1,206,118,966	383,506,850
13	INTANGIBLE ASSETS										
	SOFTWARE	8,571,826	220,629	-	8,792,455	6,446,815	890,137	-	7,336,952	1,455,503	2,125,011
	PREVIOUS YEAR	5,213,070	3,358,756	-	8,571,826	4,622,744	1,824,071	-	6,446,815	2,125,011	590,326
14	CAPITAL WORK-IN-PROGRESS										
	CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	-	-	-	-	-	-	-	-	48,629,757	135,057,578

Note:- Refer Note No. 39 for land and building.

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
15 गैर वर्तमान निवेश				
(व्यापार : दीर्घावधि : लागत पर : गैर उद्धृत)				
क. इक्विटी साधन में निवेश				
i) एसोशियटेस				
पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 96,159 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 96,151)		**9,615,100**		9,615,100
आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 90,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 90,000).		**9,000,000**		9,000,000
हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,13,312 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,13,312)		**11,331,200**		11,331,200
उत्तराचंल बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 84,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 84,000)		**8,400,000**		8,400,000
महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,48,330 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,48,330)		**14,833,000**		14,833,000
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 63,829 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 63,829)	**6,382,900**		6,382,900	
घटाएं : शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान'	**6,382,899**	**1**	6,382,899	1
शेयर आवेदन प्रदत्त राशिः @				
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 3,226 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 3.226)	**322,600**		322,600	
घटाएं : शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान'	**322,600**	**-**	322,600	-
कुल (क)का (i)		**53,179,301**		53,179,301

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
15 NON - CURRENT INVESTMENTS:				
(Trade: Long term : at cost :unquoted)				
a) Investment in equity instruments of :				
i) Associates:				
96,151 [Previous Year 96,151] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Punjab State Seeds Corporation Ltd.		**9,615,100**		9,615,100
90,000 [Previous Year 90,000] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Andhra Pradesh State Seeds Development Corporation Ltd.		**9,000,000**		9,000,000
1,13,312 [Previous Year 1,13,312] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Haryana Seeds Development Corporation Ltd.		**11,331,200**		11,331,200
84,000 [Previous Year 84,000] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Uttrakhand Seeds & Tarai Development Corporation Ltd.		**8,400,000**		8,400,000
1,48,330 [Previous Year 1,48,330] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Maharashtra State Seeds Corporation Ltd.		**14,833,000**		14,833,000
63,829 [Previous Year 63,829] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	**6,382,900**		6,382,900	
Less: Provision for diminution in value of shares.	**6,382,899**	**1**	6,382,899	1
Share application money paid:@				
3,226 [Previous Year 3,226] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	**322,600**		322,600	
Less: Provision for diminution in value of shares.	**322,600**	-	322,600	-
Total (a) (i)		**53,179,301**		53,179,301

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ii) <u>अन्य</u>				
उड़ीसा राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 14, 301इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 14,301)		**1,430,100**		1,430,100
कर्नाटका राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 62,230 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 62,230)		**6,223,000**		6,223,000
को-ऑपरेटिव औद्योगिक वसाहत लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 05 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 05)		**500**		500
मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में प्रत्येक 10000 रु. के पूर्णत प्रदत्त 482 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 482)		**4,820,000**		4,820,000
राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1, 13,930 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,13,930)		**11,393,000**		11,393,000
सरस्वती किसान सहकारी शुगर मिल लिमिटेड बेहराइच में प्रत्येक 200 रु. के पूर्णत प्रदत्त 2500 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 2500)		**500,000**		500,000
कुल (क)का (II)		**24,366,600**		24,366,600
कुल क =(क)(I)+(II)		**77,545,901**		77,545,901
ख. <u>अधिमानी शेयरो में निवेश</u> :				
(i) <u>एसोशियटेस</u>:				
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 37,021 अधिमानी शेयर (पिछले वर्ष 37,021)	**3,702,100**		3,702,100	
घटाएं : शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान*	**3,702,099**	**1**	3,702,099	1
<u>शेयर आवेदन प्रदत्त राशि</u> (@)				
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 2,304 अधिमानी शेयर (पिछले वर्ष 2,304)	**230,400**		230,400	
घटाएं : शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	**230,400**	-	230,400	-
कुल (ख) का (I)		1		1

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ii) Others:				
14,301 [Previous Year 14,301] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Odisha State Seeds Corporation Ltd.		**1,430,100**		1,430,100
62,230 [Previous Year 62,230] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Karnataka State Seeds Corporation Ltd.		**6,223,000**		6,223,000
5 [Previous Year 5] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Cooperative Audhyogik Vasahat Ltd.		**500**		500
482 [Previous Year 482] Equity Shares of ₹ 10000 each fully paid-up of Madhya Pradesh Rajya Beej Evam Farm Vikas Nigam		**4,820,000**		4,820,000
1,13,930 [Previous Year 1,13,930] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.		**11,393,000**		11,393,000
2,500 [Previous Year 2,500] Equity Shares of ₹ 200 each fully paid-up in Sharavasti Kissan Sehkari Sugar Mills Ltd. Nanpura, Janpad Bahraich(U.P)		**500,000**		500,000
Total (a) (ii)		**24,366,600**		24,366,600
TOTAL A =[a(i)+(ii)]		**77,545,901**		77,545,901
b) Investment in preference shares of:				
i) Associates:				
37,021 [Previous Year 37,021] Preference Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	**3,702,100**		3,702,100	
Less: Provision for diminution in value of shares.	**3,702,099**	**1**	3,702,099	1
Share application money paid:@ 2,304 [Previous Year 2,304] Preference Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	**230,400**		230,400	
Less: Provision for diminution in value of shares.	**230,400**	**-**	230,400	-
Total (b)(i)		**1**		1

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ii) अन्य:				
उड़ीसा राज्य बीज निगम लिमिटेड में				
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 25, 039 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 25,039)		**2,503,900**		2,503,900
कुल (ख) का (II)		**2,503,900**		2,503,900
कुल ख = (ख) (I) +(II)		**2,503,901**		2,503,901
(ग) **अन्य में**				
डाकघर राष्ट्रीय बचत पत्र		**1,500**		1,500
कुल = क + ख +ग		**80,051,302**		80,051,302

टिप्पणी :

1. राज्य बीज निगमों के शेयरों में निवेश भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना हस्तांतरणीय नहीं है। विभिन्न राज्य बीज निगमों से निवेश को वापस लिए जाने संबंधी निर्णय भारत सरकार द्वारा आस्थगित रखा हुआ है।

@ बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा शेयरो के आबंटन को उनके निदेशक मंडल ने दिनांक 31.1.1998 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है, अभी भी शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जाने है, निवेश को प्रदत्त शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया गया है।

16 आस्थगित कर परिसंपत्तियां :

	01.04.2015 को	वर्ष के दौरान प्रचलन	31.03.2016को
आस्थगित कर परिसंपत्तियां :	₹	₹	₹
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 बी के तहत डिसएलाउन्स	217,526,742	12,387,987	**229,914,729**
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	48,129,662	1,950,100	**50,079,762**
अन्य	39,626,254	34,487,084	**74,113,338**
कुल	305,282,658	**48,825,171**	**354,107,829**
आस्थगित कर देयताएं :			
स्थाई परिसंपत्तियों से संबंधित	19,595,927	21,663,058	**41,258,985**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	285,686,731	**27,162,113**	**312,848,844**

17 दीर्घावधि ऋण एवं अंग्रिम :

(अप्रत्याभूत, वसूली वाले जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट :)				
पूंजीगत अग्रिम*		**9,775,295**		13,974,295
सुरक्षित एवं अन्य जमा				
वसूली वाले	**31,093,410**		32,591,943	
संदिग्ध वसूली वाले	**2,060,017**		2,060,017	
	33,153,427		34,651,960	
घटाएं : संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए अलाउन्स	**2,060,017**	**31,093,410**	2,060,017	32,591,943
कुल		**40,868,705**		46,566,238

(*संदर्भ नोट संख्या 39)

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ii) Others:				
25,039 [Previous Year 25,039] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Odisha State Seeds Corporation Ltd.		**2,503,900**		2,503,900
Total (b) (ii)		**2,503,900**		2,503,900
TOTAL B=[b(i)+(ii)]		**2,503,901**		2,503,901
c) In Others				
Post Office National Saving Certificate		**1,500**		1,500
TOTAL= [A+B+C]		**80,051,302**		80,051,302

Notes:

1 Investments made in Shares with the State Seeds Corporations are not transferrable without the prior approval of Government of India. The decision about taking back investment from various State Seeds Corporations has been kept in abeyance by Government of India.

@ The allotment of shares by Bihar Rajya Beej Nigam Ltd. have been approved by their Board of Directors in its meeting held on 3.1.1998. Since the share certificates are yet to be issued, the investments are shown as Share Application Money paid.

16 DEFERRED TAX ASSETS:

	As at 01.04.2015	Movements during the year	As at 31.03.2016
Deferred Tax Assets:	₹	₹	₹
Disallowances under section 43B of Income Tax Act, 1961	217,526,742	12,387,987	**229,914,729**
Provision for doubtful debts & advances	48,129,662	1,950,100	**50,079,762**
Others	39,626,254	34,487,084	**74,113,338**
Total	**305,282,658**	**48,825,171**	**354,107,829**
Deferred Tax Liability:			
Related to Fixed assets	19,595,927	21,663,058	**41,258,985**
DEFERRED TAX ASSETS (Net)	**285,686,731**	**27,162,113**	**312,848,844**

17 LONG TERM LOANS AND ADVANCES :

(Unsecured, considered good unless otherwise specified) :				
Capital Advance*		**9,775,295**		13,974,295
Security & Other Deposits				
Considered Good	**31,093,410**		32,591,943	
Considered Doubtful	**2,060,017**		2,060,017	
	33,153,427		34,651,960	
Less: Allowance for Doubtful Loans & advances	**2,060,017**	**31,093,410**	2,060,017	32,591,943
TOTAL		**40,868,705**		46,566,238

(*Refer Note No. 39)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
18 माल का स्टॉक :				
(प्रबंधन द्वारा स्टॉक में लिया गया, यथा मूल्यांकित एंव यथा प्रमाणित)				
(उल्लेखनीय लेखा नीतियों का संदर्भ नोट 2.7)				
तैयार माल		**533,761,259**		511,174,598
फार्म स्टॉक		**1,222,917,286**		925,186,650
अनुपयोगी बीज		**93,375,462**		51,826,270
प्रमाणित पैकिंग एवं उपचार सामग्रियाँ		**210,359,699**		164,983,675
अन्य (भंडार एवं कलपुर्जे, पीओएल, मद्रण एवं लेखन सामाग्री, दवाईयाँ)		**12,506,110**		12,933,025
कुल		**2,072,919,816**		1,666,104,218
19 व्यापार प्राप्यः				
अप्रत्याभूत				
भुगतान की देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए प्राप्य बकाया				
वसूली वाले	**1,118,557,272**		1,154,012,309	
संदिग्ध वसूली वाले	**82,468,986**		86,174,962	
	1,201,026,258		1,240,187,271	
घटाएं : अमान्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अलाउन्स	**82,468,986**	**1,118,557,272**	86,174,962	1,154,012,309
अन्य व्यापार प्राप्य योग्य				
वसूली वाले		**1,472,734,092**		1,154,867,082
कुल		**2,591,291,364**		2,308,879,391
20 नकदी एवं नकद समतुल्यः				
i) **नकदी एवं नकद समतुल्य**				
(क) बैंकों के पास शेष		**183,099,519**		116,588,040
(ख) हाथ में चौक, मांग पत्र एवं टिकट		**2,643,316**		155,336
(ग) हाथ में नकदी		**1,015,403**		62,434
(घ) अन्य - बैंक में जमा		**833,080,681**		1,470,664,641
कुल		**1,019,838,919**		1,587,470,451

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
18 INVENTORIES:				
(As taken, valued and certified by the management) (Refer Note 2.7 of Significant Accounting Policies):				
Finished Goods		**533,761,259**		511,174,598
Farm Stock		**1,222,917,286**		925,186,650
Unserviceable Seeds		**93,375,462**		51,826,270
Certification, Packing and Treatment Materials		**210,359,699**		164,983,675
Others(Stores & Spares, POL, Printing & Stationary, Medicines)		**12,506,110**		12,933,025
TOTAL		**2,072,919,816**		1,666,104,218
19 TRADE RECEIVABLES :				
Unsecured:				
Receivable outstanding for a period exceeding six months from the date they were due for payment:				
Considered good	**1,118,557,272**		1,154,012,309	
Considered doubtful	**82,468,986**		86,174,962	
	1,201,026,258		1,240,187,271	
Less: Allowance for bad and doubtful debts	**82,468,986**	**1,118,557,272**	86,174,962	1,154,012,309
Other Trade Receivables:				
Considered good		**1,472,734,092**		1,154,867,082
TOTAL		**2,591,291,364**		2,308,879,391
20 CASH AND CASH EQUIVALENTS :				
i) **Cash and cash equivalents :**				
a) Balance with Banks		**183,099,519**		116,588,040
b) Cheques,drafts and Stamps on hand		**2,643,316**		155,336
c) Cash on hand		**1,015,403**		62,434
d) Others:- Bank Deposits		**833,080,681**		1,470,664,641
Total		**1,019,838,919**		1,587,470,451

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ii) बैंको के साथ निर्धारित शेष राशि		-		-
iii) (क) बैंक गांरटी के विरूद्ध सीमांत राशि / प्रत्याभूत के रूप में सांविधि जमा		**59,774,815**		51,334,589
(ख) निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन संवर्धन हेतु सहायता के लिए बैंक में शेष		**34,062,067**		572,388
iv) स्वदेश वापसी प्रतिबंध		-		-
v) 12 माह से अधिक परिपक्वता के साथ बैंक में जमा		-		-
कुल		**93,836,882**		51,906,977
कुल		**1,113,675,801**		1,639,377,428

21 अल्पावधि ऋण व अंग्रिमः

(अप्रत्याभूत, वसूली वाले जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट)

बीजों की खरीद के विरूद्ध उत्पादकों को अग्रिम				
प्रत्याभूत, वसूली वाले	**963,536,283**		936,183,335	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	**5,087,628**		5,248,464	
	968,623,911		941,431,799	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए अलाउन्स	**5,087,628**	**963,536,283**	5,248,464	936,183,335
अन्यों को अग्रिम				
प्रत्याभूत, वसूली वाले	**15,769,313**		24,242,543	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	**526,993**		526,993	
	16,296,306		24,769,536	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए अलाउन्स	**526,993**	**15,769,313**	526,993	24,242,543
स्टाफ को अग्रिम (आकस्मिक अग्रिम सहित)				
अप्रत्याभूत, वसूली वाले	**2,172,286**		3,411,356	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	**43,708**		43,708	
	2,215,994		3,455,064	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए अलाउन्स	**43,708**	**2,172,286**	43,708	3,411,356

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ii) Earmarked balances with banks		-		-
iii) a) Fixed Deposits held as margin money /security against bank borrowings/ guarantee		**59,774,815**		51,334,589
b) Balance with bank for assistance for boosting seeds production in private sector		**34,062,067**		572,388
iv) Repatriation Restrictions		-		-
v) Bank deposits with more than twelve months maturity		-		-
Total		**93,836,882**		51,906,977
TOTAL		**1,113,675,801**		1,639,377,428

21 SHORT TERM-LOANS AND ADVANCES :

(Unsecured, Considered good unless otherwise specified)

Advance to Growers against Purchase of Seeds:				
Secured, Considered Good	**963,536,283**		936,183,335	
Unsecured, Considered Doubtful	**5,087,628**		5,248,464	
	968,623,911		941,431,799	
Less: Allowance for Doubtful Advances	**5,087,628**	**963,536,283**	5,248,464	936,183,335
Advances to others:				
Secured, Considered Good	**15,769,313**		24,242,543	
Unsecured, Considered Doubtful	**526,993**		526,993	
	16,296,306		24,769,536	
Less: Allowance for Doubtful Advances	**526,993**	**15,769,313**	526,993	24,242,543
Advances to Staff (including Contingent Advance):				
Unsecured, Considered Good	**2,172,286**		3,411,356	
Unsecured, Considered Doubtful	**43,708**		43,708	
	2,215,994		3,455,064	
Less: Allowance for Doubtful Advances	**43,708**	**2,172,286**	43,708	3,411,356

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
स्टाफ से वसूली योग्य				
अप्रत्याभूत, वसूली वाले	**3,077,797**		4,499,101	
अप्रत्याभूत, संदिग्ध वसूली वाले	**516,714**		516,714	
	3,594,511		5,015,815	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	**516,714**	**3,077,797**	516,714	4,499,101
पूर्व प्रदत्त खर्चे		**1,922,285**		1,551,942
अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर कटौती		**173,951,616**		126,231,660
कुल		**1,160,429,580**		1,096,119,937
22 अन्य चालू परिसम्पत्तियॉं :				
(अप्रत्याभूत, वसूली वाले जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट)				
अपव्यय :				
जमा पर ब्याज उपार्जित		**7,469,087**		4,528,037
अन्य :				
अन्य प्राप्य:				
वसूली वाले	**66,555,336**		59,665,783	
संदिग्ध वसूली वाले	**909,224**		846,890	
	67,464,560		60,512,673	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	**909,224**	**66,555,336**	846,890	59,665,783
वसूली योग्य दावे:				
वसूली वाले	**7,496,937**		3,481,128	
संदिग्ध वसूली वाले	**679,697**		679,697	
	8,176,634		4,160,825	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	**679,697**	**7,496,937**	679,697	3,481,128
बीज /उत्पादन-आर्थिक सहायता/मिनिकिटस के विरूद्ध				
भारत सरकार से वसूली योग्य :				
वसूली वाले	**1,109,119,543**		1,023,742,207	
संदिग्ध वसूली वाले	**44,692,886**		44,692,886	
	1,153,812,429		1,068,435,093	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	**44,692,886**	**1,109,119,543**	44,692,886	1,023,742,207

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
Recoverable from Staff:				
Unsecured, Considered Good	**3,077,797**		4,499,101	
Unsecured, Considered Doubtful	**516,714**		516,714	
	3,594,511		5,015,815	
Less: Allowance for Doubtful Claims	**516,714**	**3,077,797**	516,714	4,499,101
Prepaid Expenses		**1,922,285**		1,551,942
Advance Tax and Tax deducted at source		**173,951,616**		126,231,660
TOTAL		**1,160,429,580**		1,096,119,937

22 OTHER CURRENT ASSETS :
(Unsecured, Considered good unless otherwise specified)

Accruals:				
Interest Accrued on Deposit		**7,469,087**		4,528,037
Others:				
Other Receivable:				
Considered Good	**66,555,336**		59,665,783	
Considered Doubtful	**909,224**		846,890	
	67,464,560		60,512,673	
Less: Allowance for Doubtful Claims	**909,224**	**66,555,336**	846,890	59,665,783
Claims Recoverable:				
Considered Good	**7,496,937**		3,481,128	
Considered Doubtful	**679,697**		679,697	
	8,176,634		4,160,825	
Less: Allowance for Doubtful Claims	**679,697**	**7,496,937**	679,697	3,481,128
Recoverable from Govt.of India against sales/production-subsidy/Minikits:				
Considered Good	**1,109,119,543**		1,023,742,207	
Considered Doubtful	**44,692,886**		44,692,886	
	1,153,812,429		1,068,435,093	
Less:Allowance for Doubtful Claims	**44,692,886**	**1,109,119,543**	44,692,886	1,023,742,207

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
बिक्री/उत्पादन आर्थिक सहायता के विरूद्ध राज्य सरकारो से वसूली योग्य :				
वसूली वाले	**658,899,976**		599,219,294	
संदिग्ध वसूली वाले	**7,711,523**		809,145	
	666,611,499		600,028,439	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	**7,711,523**	**658,899,976**	809,145	599,219,294
कुल		**1,849,540,879**		1,690,636,449

केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार से प्राप्य खर्चों की आर्थिक सहायताध अनुदान/ प्रतिपूर्ति के लिए क्रेडिट संबंधित प्राधिकारी से दावा योग्य राशि के आधार पर लिया गया है, समायोजन के अधीन, यदि कोई हो, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इसके अंतिम निपटान/ स्वीकृति के समय किया जाता है।

23 प्रचालनो से राजस्व :				
बीज की बिक्री :				
प्रमाणित – गृह बाजार	**6,630,643,575**		7,348,193,849	
प्रमाणित – निर्यात	**16,247,500**		-	
बीज बिक्री पर मूल्य अंतर की प्रतिपूर्ति	**482,673,935**		1,102,041,120	
घटाएं : व्यापार छूट	**262,646,224**	**6,866,918,786**	378,701,750	8,071,533,219
मूल बीज	**184,200,633**		197,303,002	
प्रजनक बीज	**17,352,742**		32,258,873	
पौध सामग्री	**9,882,320**		6,183,592	
अनुपयोगी बीज	**57,387,727**		23,830,547	
विविध बिक्री	**105,013,628**	**373,837,050**	219,787,010	479,363,024
सेवाओं की बिक्री		**2,552,871**		2,143,023
अन्य प्रचालन राजस्व		**373,878,280**		202,743,230
कुल		**7,617,186,987**		8,755,782,496

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
Recoverable from State Government against sales/producation subsidy:				
Considered Good	**658,899,976**		599,219,294	
Considered Doubtful	**7,711,523**		809,145	
	666,611,499		600,028,439	
Less:Allowance for Doubtful Claims	**7,711,523**	**658,899,976**	809,145	599,219,294
TOTAL		**1,849,540,879**		1,690,636,449

Credit for subsidies/grants-in-aid/reimbursement of expenses receivable from Central/State Government have been taken on the basis of amount claimable from respective authority subject to adjustment, if any, being made at the time of final settlement/acceptance of the same by the respective authority.

23 REVENUE FROM OPERATIONS:				
Sale of Seed:				
Certified - Home Market	**6,630,643,575**		7,348,193,849	
Certified - Export	**16,247,500**		-	
Reimbursement of Price Differential on sale of seed	**482,673,935**		1,102,041,120	
Less: Trade Discount	**262,646,224**	**6,866,918,786**	378,701,750	8,071,533,219
Foundation Seeds	**184,200,633**		197,303,002	
Breeder Seeds	**17,352,742**		32,258,873	
Sapling	**9,882,320**		6,183,592	
Condemned Seeds	**57,387,727**		23,830,547	
Miscellaneous sales	**105,013,628**	**373,837,050**	219,787,010	479,363,024
Sale of Services		**2,552,871**		2,143,023
Other Operating Revenues		**373,878,280**		202,743,230
TOTAL		**7,617,186,987**		8,755,782,496

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
24 अन्य आयः				
ब्याज आय		42,750,208		42,764,003
टीडीएस रू. 28,10,819/- (पिछले वर्ष रू. 41,79,436/-)				
एसोसिएटस से लाभांश		3,694,900		3,244,900
एसबीआई म्यूचल फंड से लाभांश		13,563,183		8,106,645
अन्य गैर प्रचालन आय				
विविध प्राप्तियाँ *		**44,401,078**		42,476,452
दावें		**349,312**		882,159
किराया विद्युत प्रभार सहित		**43,748,745**		37,074,424
वसूल किया गया निर्णीत हर्जाना		**12,423,075**		9,292,622
वापस की गई आर्थिक सहायता **		**182,035,245**		
अलाउन्स/प्रावधान एवं देयताएं जिनकी अब आवश्यकता नहीं रही के लिए अलाउन्स / प्रावधान :				
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	**205,858**		222,863	
संदिग्ध अंग्रिम एवं जमा	**249,765**		22,463	
बोनस	**75,878**		40,881	
वेतन एवं भत्ते	**248,361**		85,300,041	
आर्थिक सहायता	**202,700**	**982,562**	-	85,586,248
के लिए देयताएंः				
सेवाएं	**10,194,766**		11,810,038	
माल	**8,919,926**	**19,114,692**	4,473,525	16,283,563
कुल		**363,063,000**		245,711,016
आर्थिक अनुदान से बाहर खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्याह्रास		**74,707,606**		74,736,218
कुल		**74,707,606**		74,736,218
कुल		**437,770,606**		320,447,234

* जब्त किए गए धरोहर राशि एवं अन्य जमा रू. 35,47,528/-(पिछले वर्ष रू. 42,98,079/-) शामिल है ।

**संदर्भ नोट संख्या 57

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
24 OTHER INCOME:				
Interest Income:		**42,750,208**		42,764,003
TDS ₹ 28,10,819 (Previous year ₹ 41,79,436)				
Dividend from Associates		**3,694,900**		3,244,900
Dividend from SBI Mutual Fund		**13,563,183**		8,106,645
Other Non-Operating Income:				
Miscellaneous Receipts*		**44,401,078**		42,476,452
Claims		**349,312**		882,159
Rent including electricity charges		**43,748,745**		37,074,424
Liquidated damages recovered		**12,423,075**		9,292,622
Subsidy written back**		**182,035,245**		
Allowances/Provisions & Liabilities no longer required:				
Allowances/Provisions for :				
Bad & Doubtful Debts	**205,858**		222,863	
Doubtful Advances & Deposits	**249,765**		22,463	
Bonus	**75,878**		40,881	
Salary and Allowances	**248,361**		85,300,041	
Subsidy	**202,700**	**982,562**	-	85,586,248
Liabilities for :				
Services	**10,194,766**		11,810,038	
Goods	**8,919,926**	**19,114,692**	4,473,525	16,283,563
Total		**363,063,000**		245,711,016
Depreciation on assets purchased out of Grant- in- aid		**74,707,606**		74,736,218
Total		**74,707,606**		74,736,218
TOTAL		**437,770,606**		320,447,234

* Includes ₹ 35,47,528 (Previous Year : ₹ 42,98,079) towards Security and Other Deposits Forfeited.

** Refer Note No. 57

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
25 उपयोग की गई सामग्री की लागत				
प्रारंभिक स्टॉक				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	**134,253,635**		189,135,425	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	**30,730,040**	**164,983,675**	44,208,490	233,343,915
जोड़े : क्रय				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	**228,367,923**		121,580,569	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	**83,924,646**	**312,292,569**	64,887,215	186,467,784
घटाएं : अंतिम स्टॉक				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	**173,148,611**		134,253,635	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	**37,211,088**	**210,359,699**	30,730,040	164,983,675
कुल		**266,916,545**		254,828,024
26 व्यापार में स्टॉक की खरीद				
प्रमाणित बीज		**4,842,801,354**		5,463,764,371
मूल बीज		**211,915,373**		155,988,272
प्रजनक बीज		**44,020,048**		44,221,078
पौध सामग्री		**8,127,400**		6,013,218
कुल		**5,106,864,175**		5,669,986,939
27 तैयार माल की सूची में परिवर्तन एवं स्टॉक- इन -ट्रेड				
बीज का प्रारंभिक स्टॉक		**593,448,041**		1,352,174,881
फार्म का स्टॉक		**894,739,477**		608,528,548
घटाएं :बीजों का अंतिम स्टॉक		**627,136,721**		593,448,041
फार्म स्टॉक		**1,222,917,286**		894,739,477
स्टॉक में परिवर्तन		**(361,866,489)**		472,515,911

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
25 COST OF MATERIAL CONSUMED:				
Opening Stock:				
Certification & Packing Materials	**134,253,635**		189,135,425	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	**30,730,040**	**164,983,675**	44,208,490	233,343,915
Add: Purchases:				
Certification & Packing Materials	**228,367,923**		121,580,569	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	**83,924,646**	**312,292,569**	64,887,215	186,467,784
Less: Closing Stock:				
Certification & Packing Materials	**173,148,611**		134,253,635	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	**37,211,088**	**210,359,699**	30,730,040	164,983,675
TOTAL		**266,916,545**		254,828,024
26 PURCHASES OF STOCK -IN-TRADE:				
Certified seeds		**4,842,801,354**		5,463,764,371
Foundation seeds		**211,915,373**		155,988,272
Breeder seeds		**44,020,048**		44,221,078
Saplings		**8,127,400**		6,013,218
TOTAL		**5,106,864,175**		5,669,986,939
27 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, AND STOCK-IN-TRADE:				
Opening Stock of Seeds		**593,448,041**		1,352,174,881
Farm Stock		**894,739,477**		608,528,548
Less: Closing Stock of Seeds		**627,136,721**		593,448,041
Farm Stock		**1,222,917,286**		894,739,477
Changes in Inventories		**(361,866,489)**		472,515,911

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
28 कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय				
वेतन, मजदूरी, भत्ते, अन्य प्रसुविधाएं एवं बोनस		**1,197,616,042**		1,090,096,531
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		**79,408,283**		82,955,579
पेंशन योजना के लिए प्रावधान		**62,500,000**		-
स्टॉफ कल्याण व्यय		**29,689,715**		38,206,864
कुल		**1,369,214,040**		1,211,258,974
29 वित्त लागत				
ब्याज व्यय				
बैंक से प्रतिभूति ऋण पर (नकद ऋण)		**1,666,030**		2,732,767
अन्य उधार लागतः				
ऋण संसाधन शुल्क		**3,407,910**		3,589,967
कुल		**5,073,940**		6,322,734
30 अन्य व्यय				
क) प्रचालन व्यय				
मरम्मत व रख रखाव				
गोदाम व संसाधन संयंत्र भवन	**516,482**		4,369,854	
संयंत्र व मशीनरी	**2,432,461**	**2,948,943**	2,727,806	7,097,660
आवक माल भाड़ा जिसमें माल एवं अचल संपत्तियों की अतंर इकाई सचंलन भाड़ा भी शामिल है।	**232,434,140**		217,651,330	
घटाएं : परिवहन सहायता	**37,989,520**	**194,444,620**	26,029,573	191,621,757
भंडारण व संसाधन संयंत्रों का किराया		**50,344,140**		71,109,779
संसाधन, निरीक्षण व बीज परीक्षण प्रभार		**135,908,912**		167,788,247
उपयोग में आए भंडार, कल पुर्जे इत्यादि (स्वदेशी सहित)		**22,620,420**		30,523,186
बिजली व ईंधन		**99,544,384**		107,773,634
खरीद कर		**747,670**		632,199
प्रयोगशाला खर्च		**275,183**		927,662
अन्य विविध खर्चे		**6,176,158**		8,533,517
कुल (क)		**513,010,430**		586,007,641

		Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
28	**EMPLOYEES BENEFITS EXPENSE :**				
	Salary,Wages,Allowances, Other benefits and Bonus		**1,197,616,042**		1,090,096,531
	Contribution to provident fund and other funds		**79,408,283**		82,955,579
	Provision for Pension Scheme		**62,500,000**		-
	Staff welfare expenses		**29,689,715**		38,206,864
	TOTAL		**1,369,214,040**		1,211,258,974
29	**FINANCE COSTS :**				
	Interest Expense:				
	On Secured loans from Bank (Cash Credit)		**1,666,030**		2,732,767
	Other Borrowing Costs:				
	Loan Processing Fees		**3,407,910**		3,589,967
	TOTAL		**5,073,940**		6,322,734
30	**OTHER EXPENSES:**				
(A)	**Operational Expenses:**				
	Repair and Maintenance:				
	Godown and Processing Plant Building	**516,482**		4,369,854	
	Plant and Machinery	**2,432,461**	**2,948,943**	2,727,806	7,097,660
	Carriage Inwards including freight on Inter Unit movement of goods and fixed assets	**232,434,140**		217,651,330	
	Less: Transport Subsidy	**37,989,520**	**194,444,620**	26,029,573	191,621,757
	Rent for Storage and Processing Plants		**50,344,140**		71,109,779
	Processing, Inspection and Seed Testing charges		**135,908,912**		167,788,247
	Stores, Spares etc. Consumed (all indigenous)		**22,620,420**		30,523,186
	Power and Fuel		**99,544,384**		107,773,634
	Purchase Tax		**747,670**		632,199
	Laboratory Expenses		**275,183**		927,662
	Other Miscellaneous Expenses		**6,176,158**		8,533,517
	Total (A)		**513,010,430**		586,007,641

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ख. प्रशासनिक व्यय				
मरम्मत एवं रखरखाव				
कार्यालय व आवासीय भवन	**4,286,940**		6,512,058	
अन्य	**9,322,431**	**13,609,371**	10,640,152	17,152,210
किराया:कार्यालय एवं आवासीय भवन		**17,414,166**		8,366,240
यात्रा एवं स्थानीय वाहन*		**19,249,994**		18,061,777
टेलीफोन व ट्रंक काल		**6,086,473**		6,113,041
डाक टिकट, तार व टेलेक्स		**2,237,652**		2,298,679
मुद्रण व लेखन सामग्री		**6,085,094**		5,997,305
बिजली व पानी प्रभार		**25,153,111**		21,155,079
फर्नीचर, जुड़नार, वाहन आदि का किराया भाड़ा		**8,486,578**		7,576,721
मुकदमा व्यय(कानूनी खर्च)		**3,881,265**		5,784,590
दर व कर		**6,309,878**		6,385,873
कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान,समूह बीमा इत्यादि का प्रशासनिक प्रभार		**1,257,410**		1,313,025
बीमा		**5,187,277**		4,507,851
मनोरंजन व्यय		**2,643,682**		3,020,435
विज्ञापन (साधारण)		**3,788,452**		3,645,049
लेखा परीक्षकों को मानदेय (सेवा कर सहित)				
-लेखा परीक्षकों को	**788,187**		1,105,593	
-कराधान मामले	**190,832**		254,870	
- अन्य सेवाएं	**55,628**		54,379	
-खर्चो की प्रतिपूर्ति	**371,525**	**1,406,172**	636,538	2,051,380
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस एवं खर्चो की प्रतिपूर्ति		**2,275,042**		2,347,294
बैंक प्रभार		**1,276,025**		1,315,850
भूमि विकास व्यय बट्टे खाते		**1,503,346**		1,418,390
पौध रोपण फसल बट्टे खाते		**(425,643)**		(44,504)
विविध		**9,585,871**		8,009,814
कुल (ख)		**137,011,216**		126,476,099

* इसमें क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को चुकाया गया यात्रा व्यय रू. 4,33,440/- एवं निदेशको का रू.2,18,921/- (पिछले वर्ष : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रू. 3,26,263/- एवं निदेशकों को रू. 4,15,911/-) भी शामिल है ।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2016

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	**(₹)**	(₹)	(₹)
(B) Administrative Expenses:				
Repair and Maintenance:				
Office and Residential Buildings	**4,286,940**		6,512,058	
Others	**9,322,431**	**13,609,371**	10,640,152	17,152,210
Rent : Office and Residential Buildings		**17,414,166**		8,366,240
Travailing and Conveyance *		**19,249,994**		18,061,777
Telephone and Trunk Calls		**6,086,473**		6,113,041
Postage, Telegrams and Telex		**2,237,652**		2,298,679
Printing and Stationery		**6,085,094**		5,997,305
Electricity and Water Charges		**25,153,111**		21,155,079
Hire Charges of Furniture, Fixtures, Vehicles etc.		**8,486,578**		7,576,721
Legal Expenses		**3,881,265**		5,784,590
Rates and Taxes		**6,309,878**		6,385,873
Admn. charges of EPF, Gratuity, Group Insurance etc.		**1,257,410**		1,313,025
Insurance		**5,187,277**		4,507,851
Entertainment Expenses		**2,643,682**		3,020,435
Advertisement (General)		**3,788,452**		3,645,049
Remuneration to Auditors (including service tax):				
- As auditor	**788,187**		1,105,593	
- For taxation matters	**190,832**		254,870	
- For other services	**55,628**		54,379	
- For reimbursement of expenses	**371,525**	**1,406,172**	636,538	2,051,380
Internal Audit Fees and reimbursement of expenses		**2,275,042**		2,347,294
Bank Charges		**1,276,025**		1,315,850
Land development expenses written off		**1,503,346**		1,418,390
Plantation crop written off		**(425,643)**		(44,504)
Miscellaneous		**9,585,871**		8,009,814
Total (B)		**137,011,216**		126,476,099

* Includes travelling expenditure of CMD :₹ 4,33,440 and Directors ₹ 2,18,921 respectively (Previous year : CMD ₹ 3,26,263 and Directors ₹ 4,15,911 respectively).

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

		31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ग	**बिक्री व्यय**				
	जावक भाड़ा		**119,251,611**		139,581,286
	प्रचार व विज्ञापन		**4,599,715**		3,860,723
	अनुसंधान एवं विकास व्यय		**53,222**		1,095,479
	सेवा कर		**15,232,794**		10,804,341
	बिक्री कर		**48,506**		316,889
	धन वापसी गांरटी के अंतर्गत मुआवजा निर्णीत हर्जाना आदि		**1,484,277**		889,659
	डायरी खर्च (निवल)		**846,038**		464,095
	विदेशी व्यापार पर हानि		**1,895**		46,644
	अन्य बिक्री व्यय		**555,275**		340,839
	कुल (ग)		**142,073,333**		157,399,955
घ	**अलाउन्स व बट्टे खाते**				
	अशोध्य व संदिग्ध के लिए अलाउन्स				
	व्यापार प्राप्य		**2,261,777**		6,595,662
	अग्रिम और दावे		**6,681,592**		5,535,133
	बट्टे खाते:				
	व्यापार प्राप्य		**273**		219,534
	कुल (घ)		**8,943,642**		12,350,329
(ड)	**सीएसआर पर व्यय**		**5,516,693**		12,338,825
	कुल (क) से (ड) तक		**806,555,314**		894,572,849
31	**अपवाद स्वरूप मदें:**				
	स्थाई परिसपंत्तियों की बिक्री पर लाभ(निवल)		**(620,067)**		(3,989,023)
	कच्चे बीज की चोरी पर हानि		**44,950**		-
	कुल		**(575,117)**		(3,989,023)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2016

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
(C) Selling Expenses:				
Freight Outward		**119,251,611**		139,581,286
Publicity and Advertisement		**4,599,715**		3,860,723
Research and Development Expenses		**53,222**		1,095,479
Service Tax		**15,232,794**		10,804,341
Sales Tax		**48,506**		316,889
Compensation paid under money back guarantee, Liquidated damages etc.		**1,484,277**		889,659
Diary Expenses (net)		**846,038**		464,095
Loss on Foreign Translation		**1,895**		46,644
Other selling expenses		**555,275**		340,839
Total (C)		**142,073,333**		157,399,955
(D) Allowances and write offs				
Allowance for bad and doubtful:				
Trade Receivables		**2,261,777**		6,595,662
Advances and claims		**6,681,592**		5,535,133
Write-offs:				
Trade Receivables		**273**		219,534
Total (D)		**8,943,642**		12,350,329
(E) Expenses on Corporate Social Responsibility		**5,516,693**		12,338,825
TOTAL (A to E)		**806,555,314**		894,572,849

31 EXCEPTIONAL ITEMS :

Profit on sale of fixed assets (net)	**(620,067)**	(3,989,023)
Loss on theft of Raw Seeds	**44,950**	-
TOTAL	**(575,117)**	(3,989,023)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2015 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़ें	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
32 आसाधारण मदें:				
कुल		**-**		-
33 पुर्वावधि मदें:				
(i) पुर्वावधि व्यय				
बीजों की बिक्री	**211,820**		5,850,220	
प्रशासनिक व्यय	**1,424,796**		42,721	
स्टाफ कल्याण	**-**		3,005	
प्रचालन व्यय	**389,933**		126,449	
बिक्री व्यय	**13,956,341**		574,127	
बीजों की खरीद	**1,795,388**		-	
वेतन एवं पारिश्रमिक	**346,156**		991,419	
क्षति निवारण वसूली	**-**		32,573	
जावक भाड़ा	**-**	**18,124,434**	319,763	7,940,277
(ii) पुर्वावधि आय :				
सेवाएं	**-**		29,726	
प्रचालन व्यय	**32,520**		4,651,137	
बीजों की बिक्री	**175,104**		-	
विविध बिक्री	**67,476**		6,079,276	
आर्थिक सहायता	**6,360,000**		-	
अन्य प्रचालन राजस्व	**250,000**		-	
ब्याज आय	**126,144**		-	
परिसमापन हर्जाना बरामद	**63,176**		-	
बीजों की खरीद	**1,822,750**	**8,897,170**	2,112,600	12,872,739
निवल व्यय/ आय(i-ii)		**9,227,264**		(4,932,462)

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2016		Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
32 EXTRAORDINARY ITEMS:		-		-
TOTAL		-		-
33 PRIOR PERIOD ITEMS:				
(i) Prior Period Expense:				
Sale of Seeds	**211,820**		5,850,220	
Administration Expense	**1,424,796**		42,721	
Staff Welfare	-		3,005	
Operational Expense	**389,933**		126,449	
Selling Expenses	**13,956,341**		574,127	
Purchase of Seeds	**1,795,388**		-	
Salary & Wages	**346,156**		991,419	
Liquidated damages recovered	-		32,573	
Freight Outward	-	**18,124,434**	319,763	7,940,277
(ii) Prior Period Incomes:				
Services	-		29,726	
Operational Expense	**32,520**		4,651,137	
Sale of Seeds	**175,104**		-	
Misc.Sale	**67,476**		6,079,276	
Subsidy	**6,360,000**		-	
Other Operating Revenue	**250,000**		-	
Interest Income	**126,144**		-	
Liquidated damages recovered	**63,176**		-	
Purchase of seeds	**1,822,750**	**8,897,170**	2,112,600	12,872,739
Net Expenditure/ Income (i)-(ii)		**9,227,264**		(4,932,462)

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें	31-03-2015 का समाप्त होने वाले पिछले रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें
	(₹)	(₹)
34 आकस्मिक देयता एवं वचनबद्धता :		
(क) आकस्मिक देयता :		
कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें कर्ज के रूप में नहीं माना गया है-कर्मचारियों एवं अन्यों द्वारा(जिसमें पूववर्ती एसएफसीआई के तीन कार्मिकों के शिकायत से संबंधित रू. 2.00 लाख और शहरी विकास विभाग , कोलकाता का रू. 44.05 लाख का डिमांड नोटिस एवं हैदराबाद में सीबीआई कोर्ट से संबंधित रू 9,52,63,000/- भी शामिल है ।)	365,802,556	154,580,381
धन वापसी गारंटी योजना के अंतर्गत लम्बित जांच/स्वीकृति के लिए दाखिल किए गए दावे	1,923,000	606,240
विवादित बिक्री कर मांग	27,873,975	22,620,294
विवादित आय कर मांग	330,256,920	229,454,119
विवादित कर्मचारी राज्य बीमा निगम मांग	637,926	637,926
(ख) वचनबद्धता :		
शेष ठेके की अनुमानित राशि पूंजीगत खाते पर निष्पादित किया जाना है तथा प्रावधान नहीं किया गया। (अग्रिमों का निवल)	32,284,215	10,753,000

35 अतिरिक्त सूचना :

(क) प्रयुक्त सामग्री की लागत :

1) कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यापार की प्रकृति के कारण, ऐसे वस्तुओं के प्रत्येक श्रेणी में प्रयुक्त किए गए सामग्री की लागत का परिमाण एवं जोड़ करना संभव नहीं है ।

2) कंपनी ने कच्चे माल, व्यापारिक माल, घटक, कलपुर्जो का आयात नहीं किया और इसलिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आयातित सामान का उपभोग नहीं किया है ।

ख) खरीदा गया सामान

विवरण	राशि(₹)
प्रमाणित बीज	4,842,801,354 (5,463,764,371)
मूल बीज	211,915,373 (155,988,272)
प्रजनन बीज	44,020,048 (44,221,078)
कुल	5,098,736,775 (5,663,973,721)

(ग) बीजों के उत्पादन / विपणन का विवरण :

विवरण	बिक्री मूल्य(रु. में)	अंतिम स्टॉक / माल (रु. में)	प्रारंभिक स्टॉक/ माल (रु. में)
प्रमाणित बीज	7,129,565,010 (8,450,234,969)	463,996,686 (450,635,653)	450,635,653 (334,771,993)
मूल बीज	184,200,633 (197,303,002)	65,418,751 (56,810,688)	56,810,688 (47,703,861)
प्रजनन बीज	17,352,742 (32,258,873)	4,345,822 (3,728,257)	3,728,257 (2,828,589)
फार्म स्टॉक	- -	1,222,917,286 (925,186,650)	925,186,650 -
मार्गस्थ माल (अंतर्क्षेत्रीय)	- -	-	- (2,972)
कुल	7,331,118,385 (8,679,796,844)	1,756,678,545 (1,436,361,248)	1,436,361,248 (385,307,415)

	Figures for the current reporting period ended 31.03.2016 (₹)	Figures for the previous reporting period ended 31.03.2015 (₹)
34 CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS:		
a) **Contingent Liabilities:**		
Claims against the Company not acknowledged as debt		
- by employees and others (includes ₹ 2 lacs pertaining to the grievance cases of three persons of erstwhile SFCI and ₹ 44.05 lakhs on a demand notice of Urban Development Department, Kolkata and ₹ 95263000/- towards CBI court case in Hyderabad).	365,802,556	154,580,381
Claims lodged under money back guarantee scheme , pending investingation /acceptance.	1,923,000	606,240
Disputed Sales-tax demands	27,873,975	22,620,294
Disputed Income tax demands	330,256,920	229,454,119
Disputed Employee State Insurance Corporation demand	637,926	637,926
b) **Commitments:**		
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for(Net of Advances)	32,284,215	10,753,000

35 ADDITIONAL INFORMATION:

a) **Cost of Materials Consumed:**

1) Due to the nature of the business being carried on by the Company, it is not possible to quantify and aggregate the cost of materials consumed in each class of such items.
2) The Company had not imported any raw materials, trading goods, components and spare parts and hence there is no consumption of imported materials during the current financial year and immediately preceeding financial year.

b) **Goods Purchased**

Particulars	₹
Certified Seeds	4,842,801,354 (5,463,764,371)
Foundation Seeds	211,915,373 (155,988,272)
Breeder Seeds	44,020,048 (44,221,078)
TOTAL	**5,098,736,775** **(5,663,973,721)**

c) **Particulars of Production/Marketing of Seeds:**

Particulars	**Sales Value** ₹	**Closing Inventories** ₹	**Opening Inventories** ₹
Certified Seeds	7,129,565,010	463,996,686	450,635,653
	(8,450,234,969)	(450,635,653)	(334,771,993)
Foundation Seeds	184,200,633	65,418,751	56,810,688
	(197,303,002)	(56,810,688)	(47,703,861)
Breeder Seeds	17,352,742	4,345,822	3,728,257
	(32,258,873)	(3,728,257)	(2,828,589)
Farm Stock	-	1,222,917,286	925,186,650
	-	(925,186,650)	-
Goods in transit (Inter Region)	-	-	-
	-		(2,972)
TOTAL	**7,331,118,385**	**1,756,678,545**	**1,436,361,248**
	(8,679,796,844)	**(1,436,361,248)**	**(385,307,415)**

	31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिग अवधि के आंकड़ें	31-03-2015 का समाप्त होने वाले पिछले रिपोटिग अवधि के आंकड़ें
	(₹)	(₹)

टिप्पणी

(i) पौध सामग्री, केले के पौध एवं ग्लोडियस बल्बस जिन्हें क्रमशः रू. 81,27,400/- मूल्य के 9760563 संख्या में (पिछले वर्ष रू. 60,13,218/- मूल्य के 3,40,263 की संख्या में) खरीद एवं रू. 98,82,320/- मूल्य के 976056 की संख्या में (पिछले वर्ष रू. 61,83,592 मूल्य के 3,40,263 की संख्या में)की बिक्री बीज में शामिल नहीं है ।

(ii) उपराक्त स्टॉक के अतिरिक्त बेकार/ बेकार योग्य बीजों के रु. 47083530/- मूल्य के 18573.99 क्विंटल एवं 83 पैकेट (पिछले वर्ष रू 77,96,272/- के 4,073.23 क्विंटल एवं 150 पैकेट) भी स्टॉक में है ।

(iii) पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां लागू हो, कोष्ठक में प्रस्तुत है।

36. विदेशी मुद्रा व्यापार :

विदेशी मुद्रा में अर्जन		
पोतपर्यन्त नि:शुल्क आधार पर बीजों का निर्यात	1,62,47,500	-
विदेशी मुद्रा में व्यय		
विदेश भ्रमण	1,895	31,648
सदस्यता शुल्क	3,72,055	3,40,839

37. "प्रति शेयर उपार्जन " भारत के सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी लेखा मानक-20 के अनुसार मूल एवं कम किया हुआ प्रति शेयर

" उपार्जन प्रति शेयर"

विवरण	आसाधारण मदों से पूर्व		आसाधारण मदों के पश्चात	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
वर्ष के लिए लाभ ₹	434,106,674	388,429,890	434,106,674	388,429,890
वर्ष के दौरान बकाए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	544,333	541,709	544,333	541,709

38 प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश निम्न प्रकार से है:

प्रयेक रु. 1000 के इक्विटी शेयर पर :

प्रस्तावित लाभांश की राशि	₹	**114,639,800**	81,256,350
प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	₹	**200**	150

	Figures for the current reporting period ended 31.03.2016 (₹)	Figures for the previous reporting period ended 31.03.2015 (₹)

Notes:

(i) The purchase of Sapling, Banana Grand, Gludiolus Bulbs 976056 nos. Value ₹ 8127400/- (Previous year nos. 3,40,263 Value ₹ 60,13,218/-), Sale 976056/- Nos. Value ₹9882320/- respectively (Previous year 3,40,263 nos. Value ₹ 61,83,592/-) not included in seeds.

(ii) The Stock in Qtls. 18573.99 and Packets 83 nos valuing ₹ 47083530/- (Previous year 4,073.23 Qtls. and 150 Packets valuing ₹ 77,96,272/-) of condemned/ condemnable seeds are in stock in addition to above stock.

(iii) Corresponding figures for the previous year, wherever applicable, appear in brackets.

36 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

Earnings in Foreign Exchange:

Export of seeds on F.O.B. Basis	16,247,500	-

Expenditure in Foreign Currency:

Foreign Travel	1,895	31,648
Membership fees	372,055	340,839

37 Basic and diluted earnings per share(EPS) computed in accordance with pursuant to Accounting Standard(AS) 20 "Earning per Share"

Particulars	Before extraordinary items		After extraordinary items	
	2015-16	2014-15	**2015-16**	2014-15
Profit for the year ₹	434,106,674	388,429,890	434,106,674	388,429,890
Weighted Average Number of equity shares outstanding during the year	544333	541,709	544,333	541,709
Earnings per share (Basic and Diluted) ₹	797.50	717.05	797.50	717.05

38 PROPOSED DIVIDEND:

The final dividend proposed for the year is as follows:
On Equity Shares of ₹ 1,000 each

Amount of dividend proposed	₹	**114,639,800**	81,256,350
Dividend per Equity Share	₹	**200**	150

39. **भूमि एवं भवन**

(i) पटना(शेखपुरा) तथा कोलकाता (मिदनापुर) क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित निगम के पक्ष में भूमि का पट्टा विलेख / हक विलेख (जिस पर भवनों का निर्माण किया गया है) तथा भूमि के भुगतान का विवरण एवं उसके मूल्य हिसाब के विवरण उपलब्ध नहीं हैं । यद्यपि 1984 में प्रारंभिक तौर पर 30 वर्षो की अवधि के लिए मिदनापुर जमीन की प्राप्ति के संबंध में दस्तावेजी सबूतों की अवस्थिति का पता लगा लिया गया है तथा उनके आधार पर संबद्ध प्राधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई के लिए कहा गया है ।

(ii) निगम द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से नंदयाल में बीज संसाधन संयंत्र तथा भंडार निर्माण के लिए 15.10.1994 को ली गई भूमि का पट्टा विलेख राशि को अंतिम रूप न दिए जा सकने के कारण इसका पट्टा विलेख निष्पादन लम्बित पड़ा हुआ है । यद्यपि कृषि विभाग ने अपने पत्र संख्या ए/242/94 दिनांक 02.04.2016 के द्वारा लीज किराए को प्रतिवर्ष रू. 83.200 के रूप में अंतिम रूप दे दिया है और राशि जमा करने के पश्चात पट्टा विलेख को निष्पादन किया जाना है।

(iii) गुंटी में पूर्ववर्ती एसएफसीआई ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 16,97,240/- की राशि का फ्री होल्ड जमीन खरीदी थी।परंतु अभी तक इस जमीन का पंजीकरण निगम के नाम पर नहीं हुआ है। इन तथ्यों के कारण की गोदाम के निर्माण एवं मशीनरी स्थापित करने के पश्चात कंपनी के नाम पर स्थानातंरित होगा । प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार निर्माण कार्य एवं मशीनरी स्थापित करने का कार्य वर्ष 2014 में पूर्ण हो चुका है और पंजीकरण प्रक्रियाधीन है ।

(Iv) हेमपुर (उत्तरांचल) की जमीन का पट्टा / हक विलेख अभी निष्पादित किया जाना है ।

(v) हेमपुर फार्म की भूमि का एक बड़ा भाग मार्च, 1987 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को सौंपा गया था ।एनएससी ने 07 एकड़ भूमि अपने पास रखी हुई है । उत्तर प्रदेश / उत्तरांचल सरकार से कंपनी द्वारा आधारभूत ढांचा बनाने के लिए एवं एनएससी द्वारा पट्टा प्रीमियम पट्टा किराया आदि के कारण रू. 25 लाख की राशि के भुगतान के समायोजन के संबंध में देय क्षतिपूर्ति का अंतिम निपटान लम्बित पड़ा होने से कोई समायोजन नहीं किया गया।

(vi) निवाड़ी स्थित भूमि रू. 40,000 के प्रीमियम एवं रू 3000 प्रतिवर्ष के किराये पर एनएससी को स्थाई रूप से स्थानातंरित किया गया था । तथापि पट्टे की अवधि के आभाव में, निवाड़ी स्थित भूमि को 99 साल की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है ।

(vii) गोरखपुर स्थित भूमि निगम ने वर्ष 2011-12 गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से रू. 97,75,295/- के भुगतान पर अधिग्रहण की है तथा इसके पट्टा विलेख को अपने नाम पर पंजीकृत कर दिया है । यद्यपि निगम के पक्ष में न ही मोटेशन किया गया है और न ही गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने वास्तविक कब्जा दिया है । भुगतान की गई राशि को पूंजीगत अग्रिम में दिखाया गया है ।(टिप्पणी संख्या 17)

(viii) एसएफसीआई के विलय के पश्चात हैदराबाद ईकाइ की किताबों में एक जीप की राशि रू. 44,119/-(5,39,069/- की लागत) दिखाई गई है जिसे निगम के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

(x) हेमपुर में हाल ही में निर्मित "यू" आकार का गोदाम को आंशिक रूप से वित्त वर्ष 2015-16 में पूंजकृीत किया गया जैसे कि इसे जून, 2015 में उपयोग के लिए रखा गया था । एक भाग जोकि अभी भी ठेकेदार को भुगतान के लिए लम्बित है जोकि देनदारी में पड़ा है, इसे अंतिम बिल पूंजीकृत किया जाएगा (लगभग राशि रू. 19,00,000/-) ।

40. व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अंग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण / पुर्नगणना के अध्याधीन है। सरकारी विभागो / पार्टियों के विरूद्ध 06 वर्ष से कम अवधि के लिए लंबित देय वसूली योग्य है।

39 Land and Building:

(i) In respect of Patna (Sheikhpura) and Kolkata (Midnapore) Regional Offices, the lease/title deeds (of the land on which buildings are constructed) in favour of the Corporation and details of the payment for land and accounting of the value thereof are not available, although documentary proof about receipt of land in 1984 at Midnapur initially for a period of 30 years have since been located and based thereon the concerned authorities are being asked to expedite necessary action.

(ii) Execution of lease deed of land at Nandyal obtained by the Corporation on 15.10.1994 from the Department of Agriculture, Government of Andhra Pradesh for construction of Seed Processing Plant-cum-Store Complex, is pending due to non finalization of lease amount.However now the Department of Agriculture vide their letter No A/242/94 dt.02-04-2016 finalised the lease rent as Rs.83200/- per year and the lease deed is being executed after depositing the amount.

(iii) Freehold Land at Gooty worth of ₹ 16,97,240/- was purchased by erstwhile SFCI during the F.Y 2009-10. But the land has not yet been registered in the name of the Corporation till date, due to the fact that the transfer of title will be done on completion of the construction of Godowns and installation of Machinery. As per the information given by the management the construction and installation of machinery has been completed in the month of September 2014 and the registration is under process.

(iv) The lease/title deed for land of Hempur (Uttaranchal), is yet to be executed.

(v) The major portion of the land at Hempur Farm was handed over to UP State Industrial Development Corporation in March, 1987. Balance 7 acres of land has been retained by the Corporation. Pending final settlement, no adjustment is made in respect of compensation of ₹ 25,00,000/- due from U.P./Uttaranchal Govt. towards infrastructure created by the company and amount payable on account of lease premium, lease rent etc by National Seeds Corporation Limited.

(vi) Land at Niwari has been transferred to NSC permanently at a premium of ₹ 40,000/- and at a rent of ₹ 3000/- per annum. However, in absence of periodicity of lease, land at Niwari is being amortized over a period of 99 years.

(vii) Land at Gorakhpur has been acquired in the Financial year 2011-12 from Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA) on payment of ₹ 97,75,295 by the Corporationin and lease deed registered. However, since neither mutation has been done in favour of Corporation nor possession handed over by the GIDA, the amount paid has been shown as a Capital Advance(Note No. 17).

(viii) Jeep with a carrying amount of ₹44,119/- (Cost of ₹5,39,069/-) which was recorded in the books of the Hyderabad regionpursuant to amalgamation of SFCI has not yet been registered in the name of the Corporation.

(ix) The Corporation had availed a term loan of ₹ 2,25,73,946 from Allahabad Bank under the NABARD scheme for funding of godowns in rural areas. The corporation is entitled to a subsidy of ₹ 46,87,000/- which has already been claimed by the bank on behalf of the corporation. The actual amount as per the eligibility of the Corporation is yet to be disbursed by NABARD which will be appropriated by the bank towards future installments payable. There was a two year moratorium period from the date of first disbursement, which was 17/12/12, and accordingly repayment of the loan started from January 2015 onwards. A bulk payment of ₹ 70,00,000/- (approx) was made towards the loan in March 2016. Interest is being charged at the base rate which is 9.70% (P.Y. 10.25 %) as on 31.03.2016 and the balance outstanding on that date is ₹ 59,93,541/-.

(x) Newly Constructed "U Shaped" godown in Hempur was partially capatilzed in the F.Y. 2015-16 as it was put to use in June 2015. The part which is still pending for payment to the contractor lying in the libility shall be capitalized after final bill is raised (approx Amount is ₹ 19,00,000/-).

40 The balances under Trade Receivables, Loans and Advances, Other Current Assets, Trade Payables and Other Current Liabilities are subject to confirmation/ reconciliation. Dues against the Government Departments/Parties outstanding for a period of less than six years are considered good.

41. निगम ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में 10 विक्रेताओं की पहचान की है, जैसे कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी एक्ट)में परिभाषित है। उक्त अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण निम्न प्रकार से है :-

विवरण	**31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिग अवधि के आंकड़ें**	31-03-2015 का समाप्त होने वाले पिछले रिपोटिग अवधि के आंकड़ें
	(₹)	**(₹)**
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को मूल राशि देय है । एमएसएमईडी अधिनियम उपरोक्त राशि पर उपार्जित देय ब्याज	**65,825,506**	10,039,512
एमएसएमईडी अधिनियम वर्ष के दौरान नियत दिन से परे(ब्याज को		
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता को दिया गया ब्याज (धारा 16 को छोड़कर)	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता को दिया गया ब्याज (धारा 16) ।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पहले से ही किए गए भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ता की ओर देय / प्रदेय ब्याज	-	-

42.(i) **सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा**

वर्ष 2013-14 के दौरान कम्पनी ने अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया और लाभ-हानि विवरण में पिछले वर्ष का कर-पूर्व लाभ का 1.5% दिखाया है और गैर वर्तमान देयताओं के अंतर्गत दीर्घावधि प्रावधानों के अंतर्गत दिखाया है । वर्तमान वर्ष में रू.55,58,000/- जोकि पिछले वर्ष के कर -पूर्व लाभ का 1.5% है, को तद्नुसार माना गया है ।

(ii) **सी.एस.आर. कार्यकलाप :**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार तीन अग्रगामी वित्तीय वर्षो के दौरान औसतन निवल लाभ का कम से कम 2% राशि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत खर्च किया जाना चाहिए । तदनुसार सी.एस.आर. कार्यकलापों के लिए वर्ष 2015-16केदौरान रू.1,19,99,040/- की राशि का बजट बनाया गया था । वर्ष 2015-16 के दौरान सी.एस.आर. पर वास्तविक खर्च की गई राशि रू. 55,16,693/- थी और शेष राशि रू.64,82,347/- को खर्च नहीं की गई सी.एस.आर.आरक्षित में स्थानांतरित कर दी गई है । रू. 28,29,814/- की राशि निगम की इकाई द्वारा उपयोग नहीं की गई क्योंकि कुछ जगहों पर स्थानीय प्राधिकरणों का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ और कुछ मामलों में निविदाएं आमंत्रित की गई थी परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ अथवा ठेकेदारपीछे हट गए थे।रू.41,54,000/-की राशि कार्य प्रगति के अधीन है ।

41 The Corporation has identified 10 vendors as Micro, Small and Medium enterprises as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act). The disclosures pursuant to the said Act is as under:

Particulars	Figures for the current reporting period ended 31.03.2016	Figures for the previous reporting period ended 31.03.2015
	(₹)	(₹)
Principal amount due to suppliers under MSMED Act	65,825,506	10,039,512
Interest accrued, due to suppliers under MSMED Act on the above amount, and unpaid	-	-
Payment made to suppliers (other than interest) beyond the appointed day during the year	-	-
Interest paid to suppliers under MSMED Act (other than section 16)	-	-
Interest paid to suppliers under MSMED Act (section 16)	-	-
Interest due and payable towards suppliers under MSMED Act for payments already made	-	-

42 (i) **Medical facility for retired employees**:

During the year 2013-14, the company had changed its Accounting Policy and had charged 1.5% of the previous year PBT to the Statement of Profit and Loss and showed as long term provision under Non-Current Liabilities.In the current year ₹ 55,58,000/- being 1.5% of the previous year PBT has been treated accordingly.

(ii) **CSR Activities:**

As per Section 135 of the Companies Act, 2013, at least 2% of the average net profits during the three immediately preceeding financial years should be spent towards Corporate Social Responsibility. Accordingly a budget of ₹ 1,19,99,040/- was earmarked during 2015-16 for CSR activities. Actual amount spent on account of CSR during 2015-16 was ₹ 55,16,693/-. The remaining amount of ₹ 64,82,347 was transferred to unspent CSR Reserve. The amount of ₹ 2829814/- could not be utilized by the units of the Corporation as in some places approval of local Authorities was not received and in some cases where tenders were invited but no response was received or the contractor later backed out. An amount of ₹ 4154000/- is under Work In Progress.

		31-03-2016 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिग अवधि के आंकड़ें (₹)	31-03-2015 का समाप्त होने वाले पिछले रिपोटिग अवधि के आंकड़ें (₹)
कंपनी द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए विभिन्न हितों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है :-			
(क)	परिभाषित अंशदान योजना वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ-हानि विवरण में निम्नलिखित राशि की पहचान की है:		
(i)	**भविष्य निधि**		
	भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान	56,599,969	57,914,860
(ii)	**राज्य बीमा योजना:**		
	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में नियोक्ता का अंशदान	221,566	260,055
	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नियोक्ता का अंशदान	22,556,112	18,322,195
(ख)	**परिभाषित लाभ योजना**		
	कर्मचारी उपदान निधि योजना एक परिभाषित हित योजना है। देयता के वर्तमान मूल्य परियोजना एकक ऋण विधि का प्रयोग करते हुए जीवनानंकीय मूल्याकंन के आधार पर है ।		
	विवरण	**ग्रेच्युटी(निधिकृत)**	**ग्रेच्युटी(निधिकृत)**
1	जीवनानंकीय धारणाएं		
	मरणशीलता सारणी	आई ए एल एम 2006-08 अंतिम	आई ए एल 2006-08 अंतिम
	घर्षण दर	02.00% प्रतिवर्ष	02.00%प्रतिवर्ष
	आरोपित ब्याज दर(छूट दर)	7.75%प्रतिवर्ष	07.80%प्रतिवर्ष
	वेतन वृद्धि	09.00% प्रतिवर्ष	09.00%प्रतिवर्ष
	आयोजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ	8.00% प्रतिवर्ष	09.00%प्रतिवर्ष
	शेष कार्यरत जीवन	9 वर्ष	09.08 वर्ष
2	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)		
	वर्ष के प्रारम्भ में पीवीओ	540,261,788	594,740,090
	ब्याज लागत	37,654,461	42,906,347
	वर्तमान सेवा लागत	32,459,621	27,421,154
	भुगतान की गई प्रसुविधायें	108,795,539	(86,294,702)
	देयता पर जीवनांनकीय(लाभ)/हानि	82,097,561	(38,511,101)
	वर्ष के अंत में पीवीओ	583,677,892	540,261,788
3	आयोजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन		
	वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	327,907,219	293,696,241
	आयोजना परिसम्पत्ति पर सम्भावित प्रतिलाभ	26,232,578	26,754,725
	अंशदान	103,948,675	86,653,002
	भुगतान की गई प्रसुविधायें	108,795,539	(77,862,493)
	आयोजना परिसम्पत्ति पर जीवनांनकीय लाभ/ हानि	(190,741)	(1,334,256)
	वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य	349,102,192	327,907,219

43 As per Accounting Standard 15 (Revised) 'Employee Benefits' issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the disclosures of Employee benefits as defined in the Accounting Standard are given below:

	Figures for the current reporting period ended 31.03.2016 (₹)	Figures for the previous reporting period ended 31.03.2015 (₹)

The Company has classified the various benefits provided to employees as under :

A) Defined Contribution Plan:

During the year, the Company has recognised the following amounts in the statement of profit and loss:

		31.03.2016	31.03.2015
(i)	**Provident Fund:**		
	Employer's Contribution to Provident Fund	56,599,969	57,914,860
(ii)	**State Plans:**		
	Employers' Contribution to Employee's State Insurance Act, 1948	221,566	260,055
	Employers' Contribution to Employee's Pension Scheme, 1995	22,556,112	18,322,195

B) Defined Benefit Plan:

The Employee Gratuity Fund Scheme is a defined benefit plan. The present value of the obligation is based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method.

	Particulars	**Gratuity (Funded)**	**Gratuity (Funded)**
1	Actuarial Assumptions		
	Mortality Table	IALM 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate
	Attrition Rate	02.00% p.a	02.00% p.a
	Imputed rate of Interest/(discount rate)	7.75% p.a	07.80% p.a
	Salary Rise	09.00% p.a.	09.00% p.a.
	Return on plan assets	8.00% p.a.	09.00% p.a.
	Remaining Working Life	9 Years	09.08 years
2	Changes in the Present value of obligations (PVO)		
	PVO as at beginning of year	540,261,788	594,740,090
	Interest Cost	37,654,461	42,906,347
	Current Service cost	32,459,621	27,421,154
	Benefits Paid	108,795,539	(86,294,702)
	Actuarial (gain)/loss on obligations	82,097,561	(38,511,101)
	PVO as at end of year	583,677,892	540,261,788
3	Changes in the fair value of plan assets		
	Fair Value of Plan Assets at beginning of year	327,907,219	293,696,241
	Expected Return on Plan Assets	26,232,578	26,754,725
	Contributions	103,948,675	86,653,002
	Benefits paid	108,795,539	(77,862,493)
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(190,741)	(1,334,256)
	Fair value of Plan Assets at the end of year	349,102,192	327,907,219

	विवरण	ग्रेच्यूटी(निधिकृत)	ग्रेच्यूटी(निधिकृत)
4	**आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य**		
	वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	327,907,219	293,696,241
	आयोजना परिसम्पत्ति पर वास्तविक वापसी	26,041,837	25,420,469
	अंशदान	103,948,675	86,653,002
	भुगतान की गई प्रसुविधायें	108,795,539	(77,862,493)
	वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	349,102,192	327,907,219
	वर्ष के अंत में पीवीओ	583,677,892	540,261,788
	निधिकृत अवस्थिति	(234,575,700)	(212,354,569)
5	**अभिज्ञात जीवनांनकीय (लाभ)/हानि**		
	वर्ष के लिए जीवनांनकीय (लाभ)/हानि - आयोजना परिसम्पत्ति	(190,741)	(1,334,256)
	वर्ष में अभिज्ञात जीवनानंकीय (लाभ)/हानि	82,288,302	(37,176,845)
6	**तुलनपत्र में अभिज्ञात खर्चे**		
	वर्ष के अंत में पीवीओ	583,677,892	540,261,788
	वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	349,102,192	327,907,219
	निधिकृत अवस्थिति	(234,575,700)	(212,354,569)
	तुलनपत्र में अभिज्ञात निवल -परिसंपत्ति (देयता)	(234,575,700)	212,354,569
7	**लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे**		
	वर्तमान सेवा लागत	32,459,621	27,421,154
	ब्याज लागत	37,654,461	42,906,347
	आयोजना परिसम्पत्तियों पर सम्भावित प्रतिलाभ	26,232,578	(26,754,725)
	लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे	126,169,806	6,395,931

क. निगम ने स्थाई कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान केनरा, एचएसबीसी, ओरियेंटल बैंक आफॅ कामर्स में उपदान निधि के रूप में रू. 1.5 करोड़ जमा किए थे । अंशदान, उपार्जित ब्याज एवं जीवनांनकीय लाभ के पश्चात वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान निधि लागत रु. 670,95,630/- रह गई है ।

ख रू. 10,48,616/- की देनदारी वित्त वर्ष के अन्त तक उपदान न्यासी मंडल के कारण लेखा खातों में लम्बित है, जिसके लिए निगम ने कोई अभिलेख अथवा कागजात नहीं रखे हैं । इसलिए हम इस बिन्दु पर कोई राय देने में असमर्थ हैं । अर्जित अवकाश / अर्ध वेतन अवकाश का जीवनानंकीय मूल्याकंन नीचे दिया जा रहा है:

विवरण		
जीवनानंकीय धारणाएं		
मरणशीलता सारणी	आई ए एल 2006-08 अंतिम	आई ए एल 2006-08अंतिम
घर्षण दर	02.00% प्रतिवर्ष	02.00% प्रतिवर्ष
आरोपित ब्याज दर(छूट दर)	07.75% प्रतिवर्ष	07.80% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि	09.00% प्रतिवर्ष	09.00% प्रतिवर्ष
आयोजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ	8% प्रतिवर्ष	N/A
शेष कार्यरत जीवन	09 वर्ष	8.74 वर्ष

	Particulars	Gratuity (Funded)	Gratuity (Funded)
4	Fair value of plan assets		
	Fair value of plan Assets at beginning of year	327,907,219	293,696,241
	Actual Return on Plan Assets	26,041,837	25,420,469
	Contributions	103,948,675	86,653,002
	Benefits Paid	108,795,539	(77,862,493)
	Fair Value of Plan Assets at the end of year	349,102,192	327,907,219
	PVO as at end of year	583,677,892	540,261,788
	Funded Status	(234,575,700)	(212,354,569)
5	Actuarial Gain/Loss recognised		
	Actuarial (gain)/ loss for the year - plan assets	(190,741)	(1,334,256)
	Actuarial (gain)/ loss recognised in the year	82,288,302	(37,176,845)
6	Amounts to be recognised in the Balance Sheet		
	Present Value of obligations as at the end of year	583,677,892	540,261,788
	Fair value of plan assets as at the end of the year	349,102,192	327,907,219
	Funded status	(234,575,700)	(212,354,569)
	Net Asset/(liability) recognised in Balance Sheet	(234,575,700)	212,354,569
7	Expenses recognised in Statement of Profit and Loss		
	Current Service Cost	32,459,621	27,421,154
	Interest Cost	37,654,461	42,906,347
	Expected Return on Plan Assets	26,232,578	(26,754,725)
	Net Actuarial (Gain)/Loss recognised in the year	82,288,302	(37,176,845)
	Expenses recognised in Statement of Profit and Loss	126,169,806	6,395,931

a. The Corporation has deposited ₹ 1,50,00,000/- in CANARA HSBC OBC during the financial year 2011-12 towards the gratuity fund of regular staff. Fund value after taking contribution, accrued interest and pay out benefits during the financial year 2012-13, 2013-14,2014-15 and 2015-16 is ₹ 670,95,630/-.

b. Liability of ₹ 1048616 (Rupees Ten lakh Forty Eight Thousand Six Hundred Sixteen Only) is standing in the books of accounts as at the end of financial year due to Gratuity Trust for which the Corporation does not hold any records or documents. Hence, we are unable to form any opinion regarding the same.

Actuarial valuation in respect of EL/HPL has been given as under:

Particulars		
Actuarial Assumptions		
Mortality Table	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate
Attrition Rate	02.00% p.a	02.00% p.a
Imputed rate of Interest/(discount rate)	07.75% p.a.	07.80% p.a
Salary Rise	09.00% p.a.	09.00% p.a.
Return on plan assets	8% p.a.	N/A
Remaining Working Life	9 Years	08.74 years

दायित्व के वर्तमानमूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)	(अनिधिकृत) ₹	(अनिधिकृत) ₹
वर्ष के प्रारम्भ में पीवीओ *	423,759,802	366,317,706
ब्याज लागत	30,292,186	26,502,928
वर्तमान सेवा लागत	22,045,268	44,782,190
भुगतान की गई प्रसुविधायें	65,785,773 *	(51,206,033)
देयता पर जीवनांनकीय (लाभ)/हानि	15,726,851	37,363,011
वर्ष के अंत में पीवीओ	426,038,334	423,759,802
* इसमें आईआरओ नकदीकरण भुगतान भी शामिल है।		
आयोजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन		
वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	-	-
आयोजना परिसम्पत्ति पर सम्भावित प्रतिलाभ	-	-
अंशदान	-	-
भुगतान की गई प्रसुविधायें	65,785,773	(51,206,033)
आयोजना परिसम्पत्ति पर जीवनांनकीय (लाभ)/ हानि		
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य		
आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य		
वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	-	-
आयोजना परिसम्पत्ति पर वास्तविक वापसी	-	-
अंशदान	-	-
भुगतान की गई प्रसुविधायें	65,785,773	(51,206,033)
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	-	-
वर्ष के अंत में पीवीओ	426,038,334	423,759,802
निधिकृत अवस्थिति	(426,038,334)	(423,759,802)
अभिज्ञात जीवनांनकीय (लाभ)/हानि		
देयता पर जीवनांनकीय (लाभ)/हानि	(15,726,851)	(37,363,011)
वर्ष के लिए जीवनांनकीय (लाभ)/हानि –आयोजना परिसम्पत्ति	-	-
वर्ष में अभिज्ञात जीवनानंकीय (लाभ)/हानि	15,726,851	37,363,011
तुलनपत्र में अभिज्ञात खर्चे की राशि		
वर्ष के अंत में पीवीओ	426,038,334	423,759,802
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-
निधिकृत अवस्थिति	(426,038,334)	(423,759,802)
तुलन पत्र में अभिज्ञात निवल परिसम्पत्ति /(देयता)	426,038,334	423,759,802
लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे		
वर्तमान सेवा लागत	22,045,268	44,782,190
ब्याज लागत	30,292,186	26,502,928
आयोजना परिसम्पत्तियों पर सम्भावित प्रतिलाभ	-	-
वर्ष में अभिज्ञात निवल जीवनांनकीय(लाभ)/हानि	15,726,851	37,363,011
लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे	68,064,305	108,648,129

Changes in the Present value of obligations (PVO)	(Unfunded) ₹	(Unfunded) ₹
PVO as at beginning of year*	423,759,802	366,317,706
Interest Cost	30,292,186	26,502,928
Current Service cost	22,045,268	44,782,190
Benefits Paid	65,785,773	(51,206,033)
Actuarial (gain)/loss on obligations	15,726,851	37,363,011
PVO as at end of year	426,038,334	423,759,802

* This includes payment iro Encashment only

Changes in the fair value of plan assets		
Fair Value of Plan Assets at beginning of year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Contributions	-	-
Benefits paid	65,785,773	(51,206,033)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets		
Fair value of Plan Assets at the end of year		

Fair value of plan assets		
Fair value of plan Assets at beginning of year	-	-
Actual Return on Plan Assets	-	-
Contributions	-	-
Benefits Paid	65,785,773	(51,206,033)
Fair Value of Plan Assets at the end of year	-	-
PVO as at end of year	426,038,334	423,759,802
Funded Status	(426,038,334)	(423,759,802)

Actuarial Gain/Loss recognised		
Actuarial (gain)/ loss on obligations	(15,726,851)	(37,363,011)
Actuarial (gain)/ loss for the year - plan assets	-	-
Actuarial (gain)/ loss recognised in the year	15,726,851	37,363,011

Amounts to be recognised in the Balance Sheet		
Present Value of obligations as at the end of year	426,038,334	423,759,802
Fair value of plan assets as at the end of the year	-	-
Funded status	(426,038,334)	(423,759,802)
Net Asset/(liability) recognised in Balance Sheet	426,038,334	423,759,802

Expenses recognised in Statement of Profit and Loss		
Current Service Cost	22,045,268	44,782,190
Interest Cost	30,292,186	26,502,928
Expected Return on Plan Assets	-	-
Net Actuarial (Gain)/Loss recognised in the year	15,726,851	37,363,011
Expenses recognised in Statement of Profit and Loss	68,064,305	108,648,129

44. <u>सम्बद्ध पार्टी से लेन-देन</u> :

लेखा मानक-18 की आवश्यकता के अनुसार सम्बद्ध पार्टी से लेन-देन, अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ सम्बद्ध पार्टी का संबंध तथा ऐसे उद्यमों से लेन देन को नहीं दिया गया है।

44.1 संबद्ध पार्टी का नाम एवं संबंध का विवरण

<u>मुख्य प्रबंधन अधिकारीगण (केएमपी)</u>

श्री वी.के. गौड़	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एस.बी. खताळ	निदेशक(वाणिज्यिक)
श्री वि. मोहन	निदेशक (वित्त)
श्री एम.एम.शर्मा	निदेशक (वित्त)-सेवानिवृत्त
श्री मो. राकिम	कम्पनी सचिव

44.2 31.03.2016 को संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन एवं बकाया शेष का सार।

नाम एवं पदनाम	**2015-16 (रू.)**	2014-15(रू.)
श्री वी.के. गौड़		
-मानदेय	2735663	24,73,777
-वर्ष की समाप्ति तक लेखों मे लिए जाने वाले बिलो के विरूद्ध यात्रा आग्रिम प्रापण	-	3,09,574
श्री एस.बी. खताळ		
-मानदेय	23,15,191	21,73,934
श्री वि. मोहन (09.09.2015 से 31.03.2016 तक)		
-मानदेय	12,31,278	-
श्री एम.एम. शर्मा (31.08.2015 तक)		
-मानदेय	34,13,050	24,10,743
श्री मो. राकिम		
-मानदेय	19,32,224	17,59,212

44 DISCLOSURE OF RELATED PARTY TRANSACTIONS:

In accordance with the requirements of Accounting Standard - 18 'Related Party Disclosures' related party relationships with other state-controlled enterprises and transactions with such enterprises have not been given.

44.1 Name of related parties and description of relationship

Key Management Personnel (KMP):

Shri V.K.Gaur	Chairman cum Managing Director
Sh.S. B. Khatal	Director (Commercial)
Sh. V. Mohan	Director (Finance)
Sh. M. M. Sharma	Director (Finance)-Rtd.
Sh. Mohd. Raquim	Company Secretary

44.2 Summary of transactions with related parties and outstanding balances as at March 31, 2016:-

Nature of Transaction	2015-16 (₹)	2014-15 (₹)
Shri V.K.Gaur		
- Remuneration	2735663	2,473,777
- Receivable TA Advance as at year ended against which bills yet to be booked	-	309,574
Sh.S. B. Khatal		
-Remuneration	2,315,191	2,173,934
Sh. V. Mohan(w.e.f. 09.09.2015 to 31.03.2016)		
-Remuneration	1,231,278	-
Sh. M. M. Sharma(upto 31.08.2015)		
-Remuneration	3,413,050	2,410,743
Sh. Mohd. Raquim		
-Remuneration	1,932,224	1,759,212

45 In the opinion of the Board, all the assets (other than fixed assets and non current investments) have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

46. केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलाबाड़ी के लिए मूल्यांकन वर्ष 1988-89 से 1994-95 के लिए असम सरकार के कृषि आयकर विभाग द्वारा 85,78,418/-(पिछले वर्ष रू. 85,78,418/-) की समय बाधित मांग के लिए अपीलीय प्राधिकारी के यहां मामला दायर किया हुआ है । वैसे यह फार्म राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

47. केन्द्रीय राज्य फार्म, लाढ़ोवाल के मामले में, भा.रा.फा.नि. से पी.एल.डी.ए. वं आर.सी./पी.ए यू./पंजाब सरकार को स्थानांतरित परिसम्पत्तियों की कीमत के गैर भुगतान के कारण, भा.रा.फा.नि. ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश/निर्णय प्राप्त कर लिए हैं हालांकि पी ए यू ने भा.रा.फा.नि.के दावे का अपनी देयता की सीमा तक भुगतान तय कर दिया है परन्तु पी.एल.डी.एवं आर.सी. ने इसी उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष एल पी ए दायर की है, जो निपटान के लिए लम्बित है ।

48. वी.आर.एस. के मामले में, सूचना अवधि के वेतन का भुगतान जैसा लागू है, अनुदान की राशि से रू. 59.38 लाख (पिछले वर्ष रू. 59.38 लाख) के भुगतान को लोक उद्यम विभाग से स्पष्टीकरण न आने के कारण भुगतान करने के लिए रोका गया है जोकि लम्बित पड़ा है ।-

49. प्रखंड रिर्पोटिंग पर लेखा मानक 17 के अनुपालन में, अपेक्षित सूचना अनुबंध-क के अनुसार है ।
व्यवसायिक क्षेत्र : व्यवसायिक क्षेत्र निम्न प्रकार से चिह्नित किए गए हैं :-

1. उत्पादन क्षेत्र
2. खुदरा बिक्री एवं वितरण क्षेत्र-

50. "पट्टा लेखांकन" पर लेखा मानक-19 के अनुसार निगम ने नई दिल्ली स्थित फार्म भवन के कुछ हिस्सों और के.रा.फा., सूरतगढ़ पर दुकानों को किराए पर देने के लिए कुछ पार्टियों के साथ लीज़ समझौता किया है । कुछ हद तक लीज़ चालू हालत में है । इसके नेहरू प्लेंस स्थित फार्म भवन का तथा सूरतगढ़ की दुकानों से पट्टा किराया क्रमश: मासिक एवं वार्षिक रूप से प्राप्त किया जा रहा है ।

51. 1. **केन्द्रीय राज्य फार्म, रायबरेली :-** पूर्ववर्ती एस.एफ.सी.आई. की भूमि, परिसंपत्तियां एवं पेड़ों का कब्जा वापस लेने के बावजूद, राज्य सरकार, रू. 28,43,264/- की राशि का भुगतान नहीं कर रही है, जबकि दिनांक 11.06.2013 को हुई उच्चस्तरीय बैठक में समझौता हो गया था, जिसमें श्री वी.के. गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कम्पनी सचिव और क्षेत्रीय प्रबंधक, लखनऊ प्रतिनिधित्व कर रहे थे । अनेक अनुस्मारक भेजने तथा अनेक निजी बैठकें करने के बावजूद उत्तरप्रदेश सरकार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ।

2. **केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच :-** वर्ष 2013 के दौरान उच्चतम न्यायलय, लखनऊ के निर्णय के पश्चात, केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच के पेड़ों तथा सम्पत्तियों की लागत का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल थे और उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की गई थी । तद्नुसार मूल्यांकन किया गया था और उच्चस्तरीय समिति ने मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार किया और दोनों पक्षों के दावों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय दिए :-

i. पूर्ववर्ती एसएफसीआई रू. 25 लाख की राशि लेगी जोकि इसके द्वारा अन्तरिक आदेश के लिए वर्ष 1998 के दौरान उच्चतम न्यायलय, लखनऊ में जमा किए गए थे ।

ii. पेड़ों तथा सम्पत्तियों की कीमत, उत्तरप्रदेश सरकार के रू. 1,80,00,000/- के देय के समायोजन के पश्चातत रू. 4,77,26,783.94/- की राशि पूर्ववर्ती एसएफसीआई को दी जाए ।

iii. यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायलय, लखनऊ में विचाराधीन है ।

46 Time barred demand of ₹ 85,78,418/- (previous year ₹ 85,78,418/-) by the Agriculture Income Tax Deptt. of Govt. of Assam for the Assessment Year 1988-89 to 1994-95 for CSF Kokilabari is, being contested with the Appellate Authority.

47 In case of CSF Ladhowal, due to non-payment of value of assets transferred from erstwhile SFCI to PLD & RC /PAU/ Punjab Govt., SFCI has obtained orders in its favour from P & H HC. Whereas PAU have paid and settled SFCI's claim to the extent of their liability, PLD & RC have filed LPA before Division Bench of the same High Court which is pending for disposal.

48 In case of VRS, the payment of notice period pay as applicable, amounting to ₹ 59,38,000/- (previous year ₹ 59,38,000/-) paid out of grant has been withheld pending clarification from Deptt. of Public Enterprise.

49 In compliance of Accounting Standard 17 on "Segment Reporting", the required information is given as per Annexure-A. Business segments: The Business segments have been identified as:-

1. Producing Segment
2. Retailing & Distribution Segment

50 As per Accounting Standard -19 on 'Lease Accounting' the Corporation has entered into a lease agreement with parties to let out part of its Nehru Place office Building at New Delhi and Shops at CSF Suratgarh on rent. The lease to some extent is operating in nature. Monthly and yearly lease rentals are received from its Nehru Place office building and shops at Suratgarh respectively.

51 1. **CSF Raebareilly**:- Despite taking back the possession of land, assets and trees of erstwhile SFCI, State govt. are not paying the amount ₹ 28,43,264/- which was settled at the high level meeting held on 11.6.2013 represented by Shri V.K. Gaur, CMD, CS and RM, LKO. A number of reminders sent and personal meetings held but no action by U.P. Govt. in paying the dues.

2. **CSF Bahraich**: After the decision of the Hon'ble High Court Lucknow Bench during 2013, a High power Committee comprising higher level functionaries of central and state Government was constituted by the High Court to assess the value of trees and assets of Central State Farms, Bahraich by a valuer appointed by the U.P. Government. The valuation was done accordingly and High Power Committee considered the valuation report and after hearing the claims of both the parties decided as under:-

i. Erstwhile SFCI will withdraw a sum of ₹ 25,00,000/- which was deposited by it in the High Court Lucknow Bench During the year 1998 for grant of Interim Stay.

ii. Value of assets and trees after adjusting the dues of U.P. Government of ₹.1,80,00,000/- will be payable to erstwhile SFCI amounting to ₹ 4,77,26,783.94.

iii. The matter is still under subjudice before the High court Lucknow Bench.

52. राष्ट्रीय बीज निगम के पास कोई सहायक कम्पनी नहीं है । यह कुछ कम्पनियों में 20% अथवा इससे कुछ अधिक का शेयर धारण करता है, जिनको "सहयोगी कम्पनियां" कहा गया है । इन कम्पनियों के लेखाओं को एन.एस.सी. के लेखों के साथ सम्बद्ध किये जाने अपेक्षित थे । यद्यपि एन.एस.सी. ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से कार्पोरेट मंत्रालय के पास इस अनुपालन की छूट के लिए अभ्यावेदन दे रखा है, क्योंकि सहयोगी कम्पनियों ने अपने लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया है जोकि प्रक्रियाधीन है । कार्पोरेट मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षा में है ।

54. <u>पैंशन</u> :-

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 06-3/2014.एसडी. । दिनांक 10.03.2016 के द्वारा एनएससी में दिनांक 01.04.2015 से एनएससी कर्मचारी परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्त पैंशन योजना को लागू करने के लिए अनुमोदन कर दिया है । तद्नुसार एनएससी ने अपने लेखा खातों में 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए अंशदायी पैंशन योजना के लिए 31.03.2016 को रू. 6,25,00,000/- की देनदारी का प्रावधान कर दिया ।

इस योजना के अनुसार वह व्यक्ति सदस्य बन सकता है जो निगम का स्थायी कर्मचारी हो और अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा निगम में की हो ।

<u>योजना का प्रशासन</u> :- इस उद्देश्य के लिए निगम द्वारा गठित न्यासी मंडल इस योजना को शासित करेगा । इस निगम द्वारा नियुक्त न्याासी मंडल, सदस्यों की तरफ से या सदस्यों की ओर से, इस योजना से संबंधित मामले को देखेगा / कार्य करेगा । न्यासी मंडल द्वारा किया गया कोई भी कार्य / करार सभी सदस्यों को मानने के लिए बाध्यकारी होना होगा ।

<u>सदस्य का अंशदान</u> :- वर्तमान में कर्मचारी को योजना के लागू होने के महीने से अपने मूल वेतन, मंहगाई भत्ते का 5% की दर से अंशदान देना होगा । निगम को वेतन संवितरण से पूर्व, कर्मचारी को देय वेतन से सेवानिवृत्त कोष में से कर्मचारी अंशदान कटौती करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

55. <u>विलय</u>

कार्पोरेट मंत्रालय ने अपने कार्यालय आदेश संख्या 24-1/2014-सीएल-III दिनांक 05.05.2014 के द्वारा पूर्ववर्ती भारतीय राज्य फार्म निगम का राष्ट्रीय बीज निगम के साथ दिनांक 01.04.2014 से एकीकरण के आदेश जारी कर दिए थे । कम्पनियों के रजिस्टार (आरओसी) ने एकीकरण को 16.04.2015 को अपने रिकार्ड में लिया है । लेखांकन एकीकरण के समय लेखांकन में लेखा प्रक्रिया को प्रभावी करने के लिए अनुपालन किया गया है । दोनों संस्थाओं के पास एकीकरण से पूर्व एक ही तरह का व्यवसाय था , जैसे आधारीय एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन । एकीकरण करने के पश्चात भी दोनों संस्थाओं के पास एक ही तरह का व्यवसाय है ।

56. <u>उत्पादन सब्सिडी के लिए दावा</u> :

1. 2012-13 तक उत्पादन सब्सिडी, वित्त- वर्ष के दौरान अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च तक खरीफ के लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर, उत्पादन सब्सिडी का दावा किया जा रहा था ।

52 National Seeds Corporation does not have any subsidiary Company. It is holding 20% or more shareholdings in some companies which are called 'Associates Companies'. The accounts of such companies were required to be attached with the Accounts of NSC. However representation has been made through MOA & FW to MCA for exemption from this compliance as the accounts of the associate Companies are still under preparation. Reply by MCA is awaited.

53 The CBI has conducted joint surprise check at the Hyderabad Regional Office in the month of January 2014 and seized the records pertaining to the seed production, seed marketing and dispatches to other states of NSC for the period 2010-11 to 2013-14. As per the Charge sheet filed by the CBI in the CBI Court the total wrongful loss caused to Govt. of India was ₹ 2,55,40,594/- and ₹ 6,97,23,122/- by some private parties in collusion with the officials of Warangal and Nandyal area office respectively. However in case of Kurnool area office, the matter is under investigation.

54 **Pension**:- MOA has conveyed approval of NSC Employees Defined Contributory Superannuation Pension Scheme vide letter no. 06-3/2014-SD-I dated 10/03/2016 for implementation of the Pension scheme in NSC w.e.f. 01/04/2015. Accordingly, NSC has provided a liability of ₹ 6,25,00,000/- as on 31.03.2016 towards employer contribution of pension for the period from 01.04.2015 to 31.03.2016 in the books of accounts.

As per the scheme, a person shall be eligible to become a member of the Scheme provided he remains an Employee of the Corporation and is expected to put in a minimum of 15 years of service in the Corporation prior to his superannuation.

Administration of the Scheme- The scheme shall be administered by the Trust created by the Corporation for this purpose. The Trustees appointed by the Corporation will Act for and on behalf of the Members in any matter relating to the Scheme and every act done and agreement made by the Trustees shall be binding on the members.

Member's Contributions - Presently, the employees shall be liable to contribute to the fund @ 5% of their Basic Pay + DA from the month of the effectiveness of the scheme. The Corporation shall have the right to deduct Employee's contribution toward the Superannuation Fund from the salary payable to the employee before disbursement.

55 **Merged Entity**

The Ministry of Corporate of affairs had issued order no. 24/1/2014-CL-III, dated 05-05-2014 for amalgamation of erstwhile State Farm Corporation of India with National Seeds Corporation Limited w.e.f. 01.04.2014.The ROC has taken on record the amalgamation on 16.04.2015. Pooling Interest method of accounting has been followed to give effect to the process of accounting at the time of merger. Both the entities had the same nature of business i.e. production of Foundation and Certified seeds before merger. After merger the merged entity is continuing with the same nature of business.

56 **Claim for Production Subsidy:**

1. Till, 2012-13 production subsidy was being claimed on the basis of audited figures of procurement during the financial year i.e. from 1st April to 31st March.

2. वर्ष 2013-14 के दौरान उत्पादन सब्सिडी का दावा, वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित खरीद के आधार पर किया गया । जैसा कि 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक और खरीफ 2013 की शेष मात्रा तथा रबी 2013-14 जोकि मार्च, 2014 के पश्चात प्रापण हुआ था, को भी संयुक्त सचिव (फसल) के दिशा-निर्देश के अनुसार 2013-14 के दावों में शामिल किया गया था ताकि भविष्य में उत्पादन सब्सिडी को मौसमवार दावा किया जा सके ।

3. इसी तरह की प्रक्रिया वर्ष 2014-15 के दौरान, उत्पादन सब्सिडी के दावों के लिए की गई जैसे कि खरीफ 2014 एवं रबी 2014-15 के दौरान कुल उत्पादन के लिए दावा किया गया ।

4. इसी प्रकार 2015-16 की उत्पादन सब्सिडी के लिए लेखांकन को खरीफ 2015 एवं रबी 2015-16 के कुल उत्पादन के आधार पर खरीफ के वित्त वर्ष के प्रवाह का लेखांकन किया गया। वर्ष के दौरान उत्पादन सब्सिडी प्रचालन से राजस्व में जोड़ा गया । जिसके पहले स्टॉक की खरीद से कटौती की जाती थी, लाभ पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं ।

57. पिछले वर्षों से संबंधित वितरण सबसिडी के लिए निधि को जारी करना :

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने स्वीकृति आदेश दिनांक 30.03.2016 के द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान रू. 18,20,35,245/- की राशि निगम को जारी की। यह राशि एनएमओओपी के अंतर्गत एनएससी के द्वारा 2009-10 के लिए(रू. 6,29,46,585/-) और 2010-11 के लिए रू.11,90,88,660/- वितरित की गई । तिलहन बीजों के विभिन्न प्रमाणित बीजों के वितरण की कीमत की प्रतिपूर्ति एनएससी को जारी की गई ।

58. पिछले वर्ष के आंकड़ो को पुन: एकजुट / पुन:वर्गीकृत किया गया है जहां आवश्यक हो, ताकि वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप वर्गीकरण / प्रकटीकरण हो सके ।

59. क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के अंतर्गत हेमपुर में सभी आवश्यक संवैधानिक अनुमोदन लेने के पश्चात 186 पेड़ों को काटने के लिए निविदायें मंगाई गई थी । 186 पेड़ों में से 60 पेड़ काटे गए और 40 पेड़ पार्टी के द्वारा रू. 4,50,000/- जमा करने के पश्चात उठा लिए गए और 20 पेड़ हेमपुर इकाई में पड़े हैं तथा 126 पेड़ शेष रह गए । क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के द्वारा प्रक्षेत्र कार्यालय को सख्त आदेश देने के बाद भी कि जब तक पार्टी से निविदा के विरूद्ध पूरी राशि जमा नहीं हो जाती है, तब तक पार्टी के साथ किसी तरह की बातचीत न की जाए । क्षेत्रीय कार्यालय के सख्त आदेश के वाबजूद, प्रक्षेत्र प्रबंधक, हेमपुर ने पार्टी को आंशिक मात्रा में उठाने की अनुमति दे दी ।

ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-
मो.राकिम	**कौशिक रक्षित**	**वि. मोहन**	**वी.के.गौड़**
कंपनी सचिव	वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		डिन सख्या - 07296539	डिन सख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
ललित गुप्ता एंड एसोसिएटेस के निमित्त
सनदी लेखाकार
एफआरएन-0045401एन
ह0/-
एल.के.गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं: 082727

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2016

2. During 2013-14 production subsidy was claimed on the basis of audited procurement during the financial year i.e. 1st April, 2013 to 31st March, 2014 and the balance quantity of Kharif, 2013 and Rabi, 2013-14 which was procured after March, 2014 was also included in the claim of 2013-14 as per guidance of joint Secretary (Crops) so that in the future the production subsidy is claimed season wise.

3. Similar Procedure was followed for claim of production subsidy during the year, 2014-15 i.e. for total production during kharif, 2014 & Rabi, 2014-15.

4. Similarly the Accounting for production subsidy for 2015-16 has been on the basis of total production of kharif, 2015 and Rabi, 2015-16 irrespective of the financial year of procurement. Production subsidy during the year has been added to Revenue from Operation which was earlier deducted from Purchase of Stock-In-Trade, with no financial implication on the margin.

57 **Release of Fund for Distribution Subsidy pertaining to previous years**: An amount of ₹ 18,20,35,245/- was released during 2015-16 by DAC&FW for reimbursement of the cost of distribution of different certified seed of Oil Seeds distributed by NSC during 2009-10 (₹ 6,29,46,585/-) and during 2010-11 (₹11,90,88,660/-) under NMOOP vide sanction order dated 30.03.2016.

58 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

59 A tender was floated for cutting of 186 trees after getting all required statutory approvals at Hempur Unit under Lucknow Region; out of 186 trees 60 trees were cut down and 40 trees were lifted by the party after depositing the amount for 40 trees i.e. ₹ 450000/-, 20 trees were lying at hempur unit and rest 126 tress are still live. Strict instruction issued by Regional Office to Area Office that full amount against the tender not received nothing will be entertained to the party inspite of such instructions fron Regional Office, the Area Manager-Hempur allowed the party to lift the partial quantity.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mohd. Raquim	**Kaushik Rakshit**	**V. Mohan**	**V.K.Gaur**
Company Secretary	SGM(F&A)	Director(Fin.)	Chairman-cum-Managing Director
		DIN - 07296539	DIN- 03289716

As per our report of even date
For Lalit Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 004540N

Sd/-
L.K. Gupta
Partner
Membership No. 082727

Place : New Delhi
Date : 29th August, 2016

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष		31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
(क)परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
लाभ हानि खातों के अनुसार करों से पूर्व निवल लाभ		670,444,561		370,561,448
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
मूल्याह्रास	183,103,360		205,104,336	
ब्याज आय	(42,496,173)		(42,764,003)	
लाभांश आय	(17,258,083)		(11,351,545)	
उपयोग की गई अनुदान सहायता में समायोजन	(6,466,998)		(61,740,018)	
राजस्व अनुदान में समायोजन	(91,403,413)		111,979,319	
भूमि विकास व्यय एवं वृक्षा रोपण बट्टा खाता	1,077,703		1,373,886	
सेवानिवृत्ति कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान	287,430		148,000	
प्रस्तावित लाभांश (डीडीटी सहित)	(137,977,766)		(95,065,850)	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(620,067)		(3,989,023)	
वित्त लागत	5,073,940		6,322,734	
		(106,680,067)		**110,017,836**
कार्यशील पूंजी के बदलाव से पूर्व परिचालन लाभ				
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		563,764,494		480,579,284
स्टॉक में (वृद्धि)/कमी	(406,815,598)		589,123,980	
व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(282,411,973)		257,618,851	
अन्य चालू परिसंपत्तियां में (वृद्धि)/कमी	(158,904,430)		(807,588,801)	
अल्प एवं दीघावधि ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(58,612,110)		678,351,646	
व्यापार प्रदेय एवं देयताओं में वृद्धि/(कमी)	60,770,086		31,915,925	
प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	237,515,286	**(608,458,739)**	(1,089,670,895)	**(340,249,294)**
परिचालनों से अर्जित नकदी		**(44,694,245)**		**140,329,990**
सेवानिवृत्ति चिकित्सा प्रीमियम प्रदत्त	(1,610,171)		(1,181,119)	
आयकर का भुगतान/वापसी	(236,337,887)	**(237,948,058)**	17,868,442	**16,687,323**
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी (क)		**(282,642,303)**		**157,017,313**
(ख)निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
स्थायी परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त पूंजीगत अनुदान	66,880,000		17,261,272	
चल एवं अचल संपत्तियों की खरीद	(371,069,151)		(270,057,975)	
स्थायी संपत्तियों की खरीद	653,310		15,024,901	
अचल परिसंपत्तियों के गतिशील/पूंजीगत कार्य	86,427,821		(68,915,016)	
ब्याज आय	42,496,173		42,764,003	
लाभांश आय	17,258,083		11,351,545	
निवेश गतिविधियों से/(प्रयोग किया)निवल नकदी (ख)		**(157,353,764)**		**(252,571,270)**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

	Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
A. Cash Flows from Operating activities:				
Net Profit before Taxes as per Profit and Loss Account		670,444,561		370,561,448
Adjusted for :				
Depreciation	183,103,360		205,104,336	
Interest income	(42,496,173)		(42,764,003)	
Dividend income	(17,258,083)		(11,351,545)	
Adjustments to Utilised Capital Grant	(6,466,998)		(61,740,018)	
Adjustments to Revenue Grant	(91,403,413)		111,979,319	
Land Development Expenses and Plantation crop written off	1,077,703		1,373,886	
Subcription received from retired employees	287,430		148,000	
Proposed dividend (including DDT)	(137,977,766)		(95,065,850)	
Profit on Sale of Fixed Assets	(620,067)		(3,989,023)	
Finance Cost	5,073,940		6,322,734	
		(106,680,067)		**110,017,836**
Operating Profit before Working Capital changes Adjusted for :		**563,764,494**		**480,579,284**
(Increase)/Decrease in Inventories	(406,815,598)		589,123,980	
(Increase)/Decrease in Trade receivables	(282,411,973)		257,618,851	
(Increase)/Decrease in Other Current Assets	(158,904,430)		(807,588,801)	
(Increase)/Decrease in Loans & Advances-short and long term	(58,612,110)		678,351,646	
Increase/(Decrease) in Trade Payable & Liabilities	60,770,086		31,915,925	
Increase/(Decrease) in Provisions	237,515,286	**(608,458,739)**	(1,089,670,895)	**(340,249,294)**
Cash generated from operations :		**(44,694,245)**		**140,329,990**
Retired medical premium paid	(1,610,171)		(1,181,119)	
Income Tax Paid/(Refund)	(236,337,887)	**(237,948,058)**	17,868,442	**16,687,323**
Net Cash from operating Activities (A)		**(282,642,303)**		**157,017,313**
B. Cash Flows from Investing Activities:				
Capital Grant received for fixed assets	66,880,000		17,261,272	
Purchase of Tangible and Intangible Assets	(371,069,151)		(270,057,975)	
Sale of Tangible Assets	653,310		15,024,901	
Capital Work-in-progress of Tangible Assets	86,427,821		(68,915,016)	
Interest income	42,496,173		42,764,003	
Dividend income	17,258,083		11,351,545	
Net Cash from/(used in) Investing activities (B)		**(157,353,764)**		**(252,571,270)**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष		31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
ऋणों की उधार राशियां /(वापसी)	16,871,206		51,685,490	
लाभांश का भुगतान (डीडीटी सहित)	(97,502,826)		(76,073,714)	
वित्त लागत	(5,073,940)		(6,322,734)	
वित्तपोषण गतिविधियों से/ में(उपयोग की गई)निवल नकदी (ग)		**(85,705,560)**		**(30,710,958)**
नकदी एवं नकदीतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)(क+ख+ग)		(525,701,627)		(126,264,915)
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदीतुल्य		1,639,377,428		1,301,457,164
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदीतुल्य (भा.रा.फा.नि.)		-		464,185,179
वर्ष के अन्त में नगदी एवं नकदीतुल्य शेष		1,113,675,801		1,639,377,428
नगदी एवं नकदीतुल्य में समावेश:				
बैंको के पास शेष		183,099,519		116,588,040
बैंक जमा		833,080,681		1,470,664,641
हाथ में चौक, स्टैम्प		2,643,316		155,336
हाथ में नगदी		1,015,403		62,434
		1,019,838,919		1,587,470,451
जोड़े: नगदी एवं नकदीतुल्य के रूप में वसूली न होने वाले बैंक जमा *		93,836,882		51,906,977
कुल नगदी एवं नकदीतुल्य (संदर्भ टिप्पणी संख्या -20)		**1,113,675,801**		1,639,377,428

टिप्पणी

1. नकदी प्रवाह विवरण को परोक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है जैसे कि भारत के सनदी लेखाकारों का संस्थान द्वारा जारी "नकदी प्रवाह विवरण " पर लेखा मानक -3 में निर्धारित किया गया है ।
2. कोष्ठक में आंकड़े नकद खर्च का संकेत हैं ।
3. निगम ने कोई भी नगदी एवं नकदीतुल्य विदेशी मुद्रा में नहीं रखा है ।

* सावधि जमाओं में रू. 5,97,74,815/- भी शामिल है जो बैक उधार/गारंटी के विरूद्ध मार्जिन मनी के रूप में रखे हैं और रू 3,40,62,067/- निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन सहायता के लिए बैंक में हैं ।

ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-
मो.राकिम	**कौशिक रक्षित**	**वि. मोहन**	**वी.के.गौड़**
कंपनी सचिव	वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		डिन सख्या - 07296539	डिन सख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
ललित गुप्ता एंड एसोसिएटेस के निमित्त
सनदी लेखाकार
एफआरएन-0045401एन
ह0/-
एल.के.गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं: 082727

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2016

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

	Year ended March 31, 2016		Year ended March 31, 2015	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
C. Cash Flows from Financing Activities:				
Borrowings/(Repayment) of Loans	16,871,206		51,685,490	
Dividend Paid (including DDT)	(97,502,826)		(76,073,714)	
Finance Cost	(5,073,940)		(6,322,734)	
Net Cash from/(used) in Financing Activities (C)		**(85,705,560)**		**(30,710,958)**
Net Increase/(Decrease) in Cash & Cash equivalents (A+B+C)		(525,701,627)		(126,264,915)
Cash and Cash equivalents as at the beginning of the year		1,639,377,428		1,301,457,164
Cash and Cash equivalents as at the beginning of the year (SFCI)		-		464,185,179
Cash and Cash equivalents as at the end of the year		1,113,675,801		1,639,377,428
Cash and Cash equivalents comprises of:				
Balance with Banks		183,099,519		116,588,040
Bank Deposits		833,080,681		1,470,664,641
Cheques, stamps in hand		2,643,316		155,336
Cash on hand		1,015,403		62,434
		1,019,838,919		1,587,470,451
Add: Bank deposits not considered as Cash and Cash equivalents *		93,836,882		51,906,977
Total Cash and Cash equivalents as per (Note No.20)		**1,113,675,801**		1,639,377,428

Note:

1 The Cash Flow Statement has been prepared under the indirect method as set out in Accounting Standard-3 on 'Cash Flow Statement' as issued by Institute of Chartered Accountants of India.

2 Figures in brackets indicate cash outgo.

3 The Corporation is not holding any Cash and Cash equivalents in Foreign currency.

* The Fixed Deposits include an amount of Rs.5,97,74,815/- held as margin money/security against bank borrowings/ guarantee and Rs.3,40,62,067/- with Bank for boosting seeds production in private sector

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mohd. Raquim	**Kaushik Rakshit**	**V. Mohan**	**V.K.Gaur**
Company Secretary	SGM(F&A)	Director(Fin.)	Chairman-cum-Managing Director
		DIN - 07296539	DIN- 03289716

As per our report of even date
For Lalit Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 004540N
Sd/-
L.K. Gupta
Partner
Membership No. 082727

Place : New Delhi
Date : 29th August, 2016

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

वर्ष 2015-16 के लिए खंड रिपोटिंग

क्र.सं.	खंड	उत्पादन खंड	खुदरा बिक्री एवं वितरण	खंड समेकित
		रू.	रू.	रू.
1	**राजस्व**			
	बाहरी बिक्री/आर्थिक सहायता/अन्यण आय	689,216,930	7,365,740,663	8,054,957,593
	कुल राजस्व	689,216,930	7,365,740,663	8,054,957,593
2	**परिणाम**			
	खंड परिणाम			-
	व्यय	643,107,406	6,732,753,479	7,375,860,885
	असाधारण मदें	-572,869	-2,248	-575,117
	पूर्वाअवधि मदें(निवल)	11,407,768	-2,180,504	9,227,264
	असाधारण एवं पूर्वाअवधि मदों के पश्चारत कुल व्यय	653,942,305	6,730,570,727	7,384,513,032
	कर पूर्वलाभ	35,274,625	635,169,936	670,444,561
	कराधान के लिए प्रावधान		263,500,000	263,500,000
	अस्थागित कर परिसंपत्तियां		-27,162,113	-27,162,113
	निवल लाभ/हानि	35,274,625	398,832,049	434,106,674
3	**अन्य सूचना**			
	खंड परिसंपत्तियां	2,364,892,948	8,301,539,625	10,666,432,573
	खंड देयताएं	2,364,892,948	8,301,539,625	10,666,432,573
	पूंजीगत व्यय	307,982,797	63,086,354	371,069,151
	मूल्याह्रास	130,211,930	52,891,430	183,103,360

ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-
मो.राकिम	**कौशिक रक्षित**	**वि. मोहन**	**वी.के.गौड़**
कंपनी सचिव	वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		डिन सख्या - 07296539	डिन सख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
ललित गुप्ता एंड एसोसिएटेस के निमित्त
सनदी लेखाकार
एफआरएन-0045401एन
ह0/-
एल.के.गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं: 082727

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2016

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Segment Reporting for the Financial Year 2015-16

S. No.	SEGMENTS	Producing Segment	Retailing & Distribution segment	Consolidated
		₹	₹	₹
1	**Revenue**			
	External Sales/ Subsidy/Other Income	689,216,930	7,365,740,663	8,054,957,593
	Total Revenue	689,216,930	7,365,740,663	8,054,957,593
2	**RESULTS**			
	Segment Result			-
	Expenditure	643,107,406	6,732,753,479	7,375,860,885
	Exceptional Items	-572,869	-2,248	-575,117
	Prior Period Items (net)	11,407,768	-2,180,504	9,227,264
	Total Expenditure after Exceptional & Prior Period Items	653,942,305	6,730,570,727	7,384,513,032
	Profit Before Tax	35,274,625	635,169,936	670,444,561
	Provision for Taxation	-	263,500,000	263,500,000
	Deferred Tax Asset	-	-27,162,113	-27,162,113
	Net Profit / Loss	35,274,625	398,832,049	434,106,674
3	**OTHER INFORMATION**			
	Segment Assets	2,364,892,948	8,301,539,625	10,666,432,573
	Segment Liabilities	2,364,892,948	8,301,539,625	10,666,432,573
	Capital Expenditure	307,982,797	63,086,354	371,069,151
	Depreciation	130,211,930	52,891,430	183,103,360

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mohd. Raquim	**Kaushik Rakshit**	**V. Mohan**	**V.K.Gaur**
Company Secretary	SGM(F&A)	Director(Fin.)	Chairman-cum-Managing Director
		DIN - 07296539	DIN- 03289716

As per our report of even date
For Lalit Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 004540N

Sd/-

L.K. Gupta
Partner
Membership No. 082727

Place : New Delhi
Date : 29th August, 2016